

S.No- 774

00920



भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  
का  
प्रतिवेदन

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए

वाणिज्यिक  
राजस्थान सरकार


©  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
2006

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
का  
प्रतिवेदन

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए

वाणिज्यिक

राजस्थान सरकार



विषय सूची		
विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		vii
विहंगावलोकन		ix - xv
<b>अध्याय II</b>		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन		1
प्रस्तावना	1.1	1-2
कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.2	2-3
कार्यरत सरकारी कम्पनियों	1.3	4
कार्यरत सांविधिक निगम	1.4	4
बजट से जावक, अनुदान/अर्थ-साहाय्य, गारण्टी, देयताओं का अधित्याग तथा ऋणों का इक्विटी में परिवर्तन	1.5	5
कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप देना	1.6	5-6
कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम	1.7	6
लाभ अर्जित कर रही कार्यरत कम्पनियाँ तथा लाभांश	1.8	6-7
हानि उठा रही कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ	1.9	7
लाभ अर्जित कर रहे सांविधिक निगम तथा लाभांश	1.10	7
हानि उठा रहे सांविधिक निगम	1.11	7
कार्यरत सांविधिक निगमों का परिचालन निष्पादन	1.12	7
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	1.13	8
राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के मध्य निष्पादित समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की स्थिति	1.14	8-10
राजस्थान विद्युत नियामक आयोग	1.15	11
अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.16	11-12
बजट से जावक, अनुदान/अर्थ-साहाय्य, गारण्टी, देयताओं का अधित्याग तथा ऋणों का इक्विटी में परिवर्तन	1.17	12
अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल संस्थापन व्यय	1.18	12
अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप देना	1.19	12
अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम	1.20	12
सांविधिक निगमों के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विधायिका के समक्ष प्रस्तुतिकरण की स्थिति	1.21	12-13
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्संरचना	1.22	13

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पीएसयूज के लेखों की लेखापरीक्षा के परिणाम	1.23	13-14
राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (2004-05)	1.24	14
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (2004-05)	1.25-1.29	14-15
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (2004-05)	1.30-1.32	15
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2004-05)	1.33-1.35	15
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2004-05)	1.36-1.38	16
अंजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2004-05)	1.39-1.42	16
राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (2005-06)	1.43-1.45	17
सांविधिक निगमों के मामलों में ध्यान में आयी गलतियों व त्रुटियाँ	1.46	17
लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर वसूलियाँ	1.47	17
आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण	1.48	18
पीएसयूज को बन्द करने की सिफारिशें	1.49	18
राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के परीक्षण की स्थिति	1.50	19
619-बी कम्पनियाँ	1.51	19
<b>अध्याय II</b>		
<b>सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षाएँ</b>		
राजस्थान राज्य बीज निगम में बीजों के उत्पादन, विधायन एवं वितरण की गतिविधियाँ	2.1.1-2.1.27	21-44
राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में जिप्सम का खनन, पिसाई एवं विपणन	2.2.1-2.2.23	45-62
राजस्थान की ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में परेषण एवं वितरण हानियाँ	2.3.1-2.3.34	63-95
<b>अध्याय III</b>		
<b>सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षा</b>		
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम में नियोजन, निर्माण एवं बसों का संचालन	3.1-3.9.3	97-116

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
<b>अध्याय IV</b>		
<b>व्यवहारिक लेखापरीक्षा आक्षेप</b>		
<b>सरकारी कम्पनियाँ</b>		
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
पीसीसी पोल के क्रय में आपूर्तिकर्ता को अदेय लाभ	4.1	117-118
<b>राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड</b>		
41.31 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय	4.2	119-120
<b>राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड</b>		
ब्याज का परिहार्य भुगतान	4.3	120-121
आयातित कोयले के प्रापण पर अतिरिक्त व्यय	4.4	121-123
<b>जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड</b>		
78.98 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय	4.5	123-124
आपूर्तिकर्ता को अदेय लाभ	4.6	125-126
उपभोक्ता को अदेय लाभ	4.7	127
<b>राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड</b>		
खनन क्षेत्रों में सुधार पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय	4.8	128-129
क्रैताओं को अधिक थोक बट्टा देना	4.9	129-130
विद्युत उत्पादन संयंत्र का कम उपयोग	4.10	130-131
ठेकेदार को अदेय लाभ पहुँचाना	4.11	131-132
<b>राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड</b>		
उच्च दरों के स्वीकृत किये जाने से परिहार्य व्यय	4.12	132-133
तकनीकी संस्थानों को अदेय लाभ	4.13	134

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड		
35.42 लाख रुपये की परिहार्य हानि	4.14	135-136
संक्रमित गन्ने के प्रापण से हानि	4.15	136
<b>सांविधिक निगम</b>		
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम		
विधिक प्रावधानों की पालना में विफलता के कारण हानि	4.16	137-138
राजस्थान वित्त निगम		
ऋणियों से सेवाकर की अवसूली	4.17	139
<b>सामान्य</b>		
घाटे में चलने वाली कम्पनियाँ : निधि अवरूद्ध होना	4.18	140-144
सरकारी कम्पनियों के वार्षिक प्रतिवेदनों का राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुति का अभाव/विलम्बित प्रस्तुति	4.19	144-146
वित्तीय विवरणों के तैयार करने में लेखांकन मानकों की सतत पालना का अभाव	4.20	147
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुसरण की कार्यवाही	4.21	147-148
निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट पैराओं एवं समीक्षाओं पर प्रत्युत्तर	4.22	148-149



## अनुबन्ध

अनुबन्ध संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	31 मार्च 2006 को सरकारी कम्पनियों व सांविधिक निगमों की अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बजट जावक, बजट से दिये ऋण तथा बकाया ऋणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	151-154
2.	सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष जिसके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम ।	155-158
3.	वर्ष के दौरान प्राप्त अर्थ-साहाय्य, प्राप्त गारण्टी, देयताओं का अधित्याग, ऋण वसूली के स्थगन की अनुमति, इक्विटी में परिवर्तित ऋणों तथा मार्च 2006 के अन्त में प्राप्य अर्थ-साहाय्य तथा बकाया गारण्टियों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	159-160
4.	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	161-163
5.	सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	164-166
6.	सांविधिक निगमों के परिचालन निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	167-169
7.	विगत पाँच वर्षों के दौरान पाँच करोड़ रुपये से कम व्यवसाय वाली कम्पनियों, जिनके लेखों का सत्यापन किया गया है, को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	170
8.	लगातार पाँच वर्षों से हानि उठाने वाली कम्पनियों, जिनका शुद्ध मूल्य ऋणात्मक हो गया, को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	171
9.	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों/सुझावों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	172-173
10.	प्रजनक एवं आधार बीज की उपलब्धता एवं वितरण	174
11.	2000-05 के दौरान प्रजनक एवं आधार बीज से उत्पादन	175
12.	वर्ष 2000-05 के दौरान राज्य में बीज वितरण के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ	176
13.	हैडलिंग हानियाँ	177

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

अनुबन्ध संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
14.	31 मार्च 2005 तक के पाँच वर्षों के अन्त में टी.एण्ड डी. सुविधाओं का निर्माण	178
15.	2004-05 को समाप्त हुए गत पाँच वर्षों के दौरान भौतिक लक्ष्यों एवं उनके समक्ष हुई उपलब्धि एवं परेषण लाईनों व ग्रिड उप-केन्द्रों के निर्माण में रही कमी दर्शाने वाला विवरण-पत्र	179
16.	2001-02 से 2004-05 के दौरान वितरण प्रणाली में सुधार की योजनाओं को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	180
17.	2002-03 से 2004-05 तक वितरण कम्पनियों के दोषयुक्त मीटरों का विवरण-पत्र	181
18.	वितरण कम्पनियों के मापदण्डों एवं उनके समक्ष हुई उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	182-183
19.	2003-04 तथा 2004-05 के लिये चैकिंग, पकड़े गये चोरी के मामलों में किये गये निर्धारण तथा वसूली गई राशि के लक्ष्य एवं वास्तविक उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	184
20.	वर्ष 2000-05 में चार मुख्य बस बॉडी निर्माणकर्ताओं का कार्य निष्पादन	185-186
21.	2000-01 से 2004-05 के दौरान घाटे में चलने वाली कम्पनियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण-पत्र	187
22.	सरकारी कम्पनियों द्वारा राज्य विधानमण्डल के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदनों (ए.आर.एस.) रखे जाने में विलम्ब अवधि दर्शाने वाला विवरण-पत्र	188-190
23 अ	कम्पनियाँ जिन्होंने अपने लेखे तैयार करते समय लगातार लेखा-मानकों का उल्लंघन किया की स्थिति दर्शाने वाला विवरण-पत्र	191-193
23 ब	लेखों के अन्तिम रूप दिये जाते समय कम्पनियों द्वारा किये गये लेखांकन मानकों के विनिर्दिष्ट उल्लंघन को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	194-197
24.	निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर देने में क्रियाशीलता की कमी दर्शाने वाला विवरण-पत्र	198
25.	विभागवार ड्राफ्ट पैरा/समीक्षाये जिनके उत्तर प्रतीक्षित है, को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	199

## प्रस्तावना

राजकीय वाणिज्यिक उपक्रम, जिनके लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन है, निम्नांकित श्रेणियों में आते हैं:

- (i) सरकारी कम्पनियों,
- (ii) सांविधिक निगम, तथा
- (iii) विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

2. इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख किया गया है और इसे समय-समय पर यथा-संशोधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 अ के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है। विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा परिणाम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) राजस्थान सरकार में शामिल किये जाते हैं।

3. सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है।

4. राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जो सांविधिक निगम है, के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक है। राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम के सम्बन्ध में सीएजी के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त उन्हें स्वतंत्र लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। राज्य वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम 2000 के अनुसार सीएजी को राजस्थान वित्त निगम के लेखों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अंकेक्षकों के पेनल में से निगम द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त होगी। इन समस्त निगमों के वार्षिक लेखों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को अलग से अर्पित किये जाते हैं।

5. इस प्रतिवेदन में उन मामलों को समाविष्ट किया गया है जो वर्ष 2005-2006 में हुई लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये और वे भी हैं जो पिछले वर्षों में ध्यान में आये थे परन्तु उनका उल्लेख पिछले प्रतिवेदनों में नहीं किया गया था। 31 मार्च 2006 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामलों को भी, जहाँ जरूरी था, सम्मिलित किया गया है।

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

## विहंगावलोकन

### 1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 31 मार्च 2005 को कुल निवेश 13,805.85 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2006 को 16,108.92 करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि में अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश 12.10 करोड़ रुपये से बढ़कर 13.98 करोड़ रुपये हो गया।

(अनुच्छेद 1.2 एवं 1.16)

कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पूँजी, ऋणों तथा अनुदान/अर्थ-साहाय्य के रूप में वितरित बजट सहायता 2004-05 के 1,545.02 करोड़ रुपये से बढ़कर 2005-06 में 1,856.83 करोड़ रुपये हो गयी। राज्य सरकार के द्वारा 2005-06 के दौरान पाँच कार्यरत सरकारी कम्पनियों के ऋणों पर कुल 4,281.76 करोड़ रुपये की गारण्टी दी गई। राज्य सरकार द्वारा कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऋणों पर दी गयी गारण्टी में से बकाया कुल ऋण राशि 31 मार्च 2005 के 11,152.15 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च 2006 को 11,534.63 करोड़ रुपये हो गयी।

(अनुच्छेद 1.5)

बारह कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा दो सांविधिक निगमों ने वर्ष 2005-06 के लिये अपने लेखों को अंतिम रूप दिया। शेष छः कार्यरत कम्पनियों तथा एक सांविधिक निगम के एक वर्ष के लेखे बकाया थे।

(अनुच्छेद 1.6)

नवीनतम अंतिम रूप दिये लेखों के अनुसार, आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (छः सरकारी कम्पनियाँ तथा दो सांविधिक निगम) ने कुल 226.25 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। पाँच कार्यरत सरकारी कम्पनियों ने 17.21 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया। इसके समक्ष सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (छः सरकारी कम्पनियाँ तथा एक सांविधिक निगम) ने उनके नवीनतम अंतिम रूप दिये लेखों के अनुसार कुल 10.87 करोड़ रुपये की हानि उठाई। हानि उठा रही इन कार्यरत सरकारी कम्पनियों में से दो कम्पनियों की कुल संचित हानि 44.70 करोड़ रुपये हो गई थी जो उनकी प्रदत्त पूँजी 7.61 करोड़ रुपये से अधिक थी।

(अनुच्छेद 1.7 से 1.10)

एक निगम ने, यद्यपि 2005-06 के दौरान लाभ अर्जित किया, परन्तु अपनी प्रदत्त पूँजी 81.53 करोड़ रुपये के समक्ष इसने 62.48 करोड़ रुपये की हानि संचित कर ली थी।

(अनुच्छेद 1.11)

22 एवं 41 वर्षों से अस्तित्व में रहने के बाद भी क्रमशः दो कार्यरत सरकारी कम्पनियों का, उनके नवीनतम अंतिम रूप दिये लेखों के अनुसार, कारोबार पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के प्रत्येक वर्ष में पाँच करोड़ रुपये से कम रहा। चार सरकारी कम्पनियाँ (दो कार्यरत तथा दो अकार्यरत), उनके नवीनतम अंतिम रूप दिये लेखों के अनुसार विगत पाँच वर्षों से लगातार हानियों में चल रही थी जिसके कारण उनका शुद्ध मूल्य ऋणात्मक हो गया था। सरकार को या तो इनके कार्य निष्पादन में सुधार अथवा इन्हें बन्द करने पर विचार करना चाहिए।

(अनुच्छेद 1.49)

## 2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षाएँ

### 2.1 राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड

#### बीजों के उत्पादन, विधायन एवं वितरण की गतिविधियाँ

बीज उत्पादकों के साथ अनुबन्ध में दण्डात्मक प्रावधान के अभाव में कम्पनी 2000-05 के दौरान बीज उत्पादकों से 71.66 करोड़ रुपये मूल्य के आधार एवं प्रमाणित बीज प्राप्त करने में असफल रही।

(अनुच्छेद 2.1.10)

45.86 करोड़ रुपये के अर्थ सहाय्य के रूप में बजटीय समर्थन के बावजूद कम्पनी का बीज वितरण में बाजार हिस्सा 2000-05 के दौरान 40.5 प्रतिशत से घटकर 35.2 प्रतिशत रह गया जिसका कारण उपयुक्त विपणन नीति एवं सक्षम उत्पादन योजना की कमी रहा।

(अनुच्छेद 2.1.17)

प्रजनक एवं आधार बीज की सम्पूर्ण उपलब्ध मात्रा के गुणात्मक वृद्धि हेतु वितरण के अपर्याप्त नियोजन के कारण 7.40 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज के अनुवर्ती उत्पादन की 2000-05 के दौरान हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.1.9)

बिना विक्रय संभावना के बाजरा बीज के अधिक क्रय के कारण 1.62 करोड़ रुपये के नहीं बिके स्टॉक को आगे ले जाया गया जिसकी अगले वर्ष में पुनःप्रमाणन के दौरान निरस्त होने की परिपूर्ण जोखिम थी।

(अनुच्छेद 2.1.12)

2000-05 के दौरान खाद्यान्न फसलों की नई किस्में विकसित करने की बजाय कम्पनी द्वारा पुरानी किस्मों के लगातार उत्पादन ने न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने के सरकारी उद्देश्य को असफल किया बल्कि कम्पनी को 5.82 करोड़ रुपये की अर्थ सहाय्य से भी वंचित होना पड़ा।

(अनुच्छेद 2.1.14)

प्रमाणित बीज के विक्रय मूल्य के निर्धारण में 9.45 करोड़ रुपये के अधिक उपरिब्यय लगाने से किसानों को उचित मूल्य पर बीज उपलब्ध कराने का कम्पनी का प्राथमिक उद्देश्य असफल हो गया।

कम्पनी ने 4.20 करोड़ रुपये की विपणन अर्थ सहाय्य का लाभ किसानों को नहीं दिया एवं उसे अपने लाभ में विनियोजित कर लिया।

(अनुच्छेद 2.1.20)

## 2.2 राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड

### जिप्सम का खनन, पिसाई और विपणन

कम्पनी के द्वारा 1.60 करोड़ रुपये की अधिक हैडलिंग हानि को बोर्ड के अनुमोदन जोकि तथ्य एवं सूचना के गलत निरूपण पर आधारित था, द्वारा बिना जांच के अपलेखित कर दिया गया।

(अनुच्छेद 2.2.22)

खनन की प्रभावी योजना के अभाव में, खानों को एजेन्सी आधार पर स्वीकारने के कारण वर्ष 2004-05 में कम्पनी द्वारा 1.10 करोड़ रुपये के न्यूनतम प्रीमियम प्रभार का परिहार्य भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 2.2.11)

जिप्सम खनन की निविदा आमंत्रण में विलम्ब के कारण कम्पनी को 22.67 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

(अनुच्छेद 2.2.14)

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

सांविधिक पर्यावरणीय सफाई की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त न करने के कारण 11 पट्टों पर खनन कार्य रोकना पड़ा, जिसके कारण वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में स्थिर भारक राशि का 54.29 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 2.2.10)

रेलवे साइडिंग पर जिप्सम का विक्रय करने पर अन्य प्रभार के रूप में ग्राहकों को 91.33 लाख रुपये का अदेय लाभ दिया।

(अनुच्छेद 2.2.18)

शुल्क आहरण के दावों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब और अनुकरण में विफलता के कारण 49.37 लाख रुपये की राशि अवरोधित रही।

(अनुच्छेद 2.2.21)

कम्पनी के परिचालन लाभ में जिप्सम का हिस्सा, वर्ष 2001-02 के 21.55 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2004-05 में 11.52 प्रतिशत रह गया।

(अनुच्छेद 2.2.8)

## 2.3 ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियाँ

### परेषण एवं वितरण की हानियाँ

परेषण हानि के चार प्रतिशत तथा वितरण हानि के 11.5 प्रतिशत के मानदण्डों के विरुद्ध वास्तविक हानियाँ क्रमशः 6.01 तथा 8.15 प्रतिशत एवं 34.06 तथा 45.51 प्रतिशत के बीच विचरित रही थी। 2000-01 से 2004-05 तक के पांच वर्षों की अवधि में 15.5 प्रतिशत के मानदण्ड से अधिक की परेषण एवं वितरण हानियाँ 11,624.80 करोड़ रुपये की हुई थी।

(अनुच्छेद 2.3.11 तथा 2.3.18)

राज्य के भीतर विद्युत परित्याग के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का कार्य-निष्पादन 1,125.16 करोड़ रुपये के पूंजीगत विनियोजन के बावजूद 2003-05 के दौरान गिरा था क्योंकि राज्य के भीतर की परेषण हानियाँ 2000-01 के 4.10 प्रतिशत की तुलना में 2003-04 में बढ़कर 4.72 प्रतिशत व 2004-05 में 4.59 प्रतिशत हो गई थी।

(अनुच्छेद 2.3.11)



परेषण एवं वितरण हानियाँ 15.5 प्रतिशत के मानदण्ड से अधिक होने के कारण उपभोक्ताओं को वर्ष 2004-05 की औसत दरों के 17 प्रतिशत तक ऊँची दरों के रूप में 4,183.57 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा था ।

(अनुच्छेद संख्या 2.3.34)

2001-02 से 2004-05 तक के चार वर्षों की अवधि में नियामक आयोग द्वारा अनुमत से अधिक वितरण हानि 2,508.75 करोड़ रुपये की हुई थी ।

(अनुच्छेद संख्या 2.3.18)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 2003-05 के दौरान सतर्कता जांच के प्रत्येक तीन में से दो मामलों में चोरी होना पाया गया था जो कि प्रणाली में विद्यमान चोरी की ऊँची दर को इंगित करता है । सतर्कता जांच का प्रसार पर्याप्त नहीं था क्योंकि 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान कुल उपभोक्ताओं के अढ़ाई प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य के समक्ष वास्तविक जांच एक प्रतिशत से कम हुई थी।

(अनुच्छेद 2.3.32 तथा 2.3.33)

### 3. सांविधिक निगम की निष्पादन समीक्षा

#### राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम

##### नियोजन, निर्माण एवं बसों का संचालन

31 मार्च 2006 को निगम के पास सभी अधिसूचित अनुसूचियों पर संचालन हेतु आवश्यक 6,904 बसों के समक्ष 4,553 बसें ही उपलब्ध थी।

(अनुच्छेद 3.7.1)

वर्ष 2000-05 के दौरान निगम ने अधिक आयु की 12.94 प्रतिशत बसें ही परिवर्तित की, जिससे अधिक आयु बसों के संचालन पर 130.39 करोड़ रुपये की संचालन लागत अधिक रही।

(अनुच्छेद 3.7.3)

सभी उपलब्ध बसों के संचालन हेतु अनुसूचियों अधिक वैज्ञानिक रूप से नहीं बनाने से 30.08 करोड़ रुपये की स्थायी लागत की वसूली नहीं हो पाई।

(अनुच्छेद 3.7.4)

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पूणे द्वारा प्रस्तावित यात्री किराये में क्रमिक बढोत्तरी की जगह एक मुश्त बढोत्तरी से निगम को 89.82 करोड़ रुपये की संचालन आय से वंचित रहना पड़ा।

(अनुबन्ध 3.9.2)

वर्ष 2004-05 में 438 अनुसूचियाँ बिना परिवर्तनीय लागत की वसूली के ही संचालित की गई जिससे 12.26 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.9.1)

शहरी परिवहन सेवा व साधारण परिवहन सेवा हेतु केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर में निर्मित बसों में अधिक मानव घंटों का प्रयोग हुआ जिससे 1.37 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.8.5)

#### 4. सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों से संबंधित व्यवहारिक लेखापरीक्षा आक्षेप

प्रतिवेदन में सम्मिलित व्यवहारिक लेखापरीक्षा आक्षेप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन की कमियों को दर्शाते हैं, जिनके गम्भीर वित्तीय प्रभाव हुए। दर्शाई गई अनियमितताएँ मुख्यतया निम्न प्रकृति की हैं:

सात प्रकरणों में 6.20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय।

(अनुच्छेद 4.1, 4.4, 4.5, 4.8, 4.10, 4.12 एवं 4.15)

एक प्रकरण में 19.75 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि।

(अनुच्छेद 4.16)

नौ प्रकरणों में संविदात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन करने तथा ठेकेदारों को अदेय लाभ पहुँचाने से 4.63 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 4.13, 4.14 एवं 4.17)

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों का सारांश नीचे दिया गया है:

### सरकारी कम्पनियाँ

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में सरकारी अनुमति प्राप्त करने में असाधारण देरी और बाजार दरों की बिना जानकारी प्राप्त किये, एम.एम.टी.सी. को क्रयादेश देने के परिणाम स्वरूप 3.22 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय।

(अनुच्छेद 4.4)

अनुबन्ध में स्थिर व तय दरों के बावजूद, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में क्रयादेश की शर्तों के अनुसार साख पत्र समय पर न खोलने और मूल्य विचलन की आपूर्तिकर्ता की अन्यायोचित प्रार्थना स्वीकार करने के फलस्वरूप 1.33 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय।

(अनुच्छेद 4.6)

संक्रमित गन्ने के प्रापण और पिराई से राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को 95.75 लाख रुपये की हानि।

(अनुच्छेद 4.15)

### सांविधिक निगम

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत वांछित वैद्य अनुज्ञा पत्र प्राप्त नहीं करने से राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को 19.75 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4.16)

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

## अध्याय I

### सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

#### प्रस्तावना

1.1 31 मार्च 2006 को राज्य सरकार के नियन्त्रण में 23 सरकारी कम्पनियों (18<sup>5</sup> कार्यरत कम्पनियाँ तथा पाँच अकार्यरत\* कम्पनियाँ) तथा तीन कार्यरत सांविधिक निगम थे, जबकि 31 मार्च 2005 को 21 सरकारी कम्पनियाँ (16 कार्यरत कम्पनियाँ व पाँच अकार्यरत कम्पनियाँ) व तीन सांविधिक निगम थे। सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित) के लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा की जाती है। इन लेखों की पूरक लेखापरीक्षा भी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानानुसार सीएजी द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की व्यवस्था नीचे दशायें अनुसार है:

क्र.सं.	निगम का नाम	सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्था
1.	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (आरएसआरटीसी)	सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(2)	सीएजी द्वारा ही एकमात्र लेखापरीक्षा
2.	राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी)	राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6)	सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा तथा सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा
3.	राजस्थान भण्डारव्यवस्था निगम (आरएसडब्ल्यूसी)	राज्य भण्डारव्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31(8)	सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा तथा सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा

\* अकार्यरत कम्पनियाँ/निगम वे हैं, जो परिसमापन/बन्द/विलय इत्यादि होने की प्रक्रिया में है।

<sup>5</sup> वर्ष 2004-05 में दो कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ सम्मिलित की गईं। राजस्थान शहरी ढांचागत वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड 1 दिसम्बर 2004 को तथा राजस्थान राज्य ब्रेवरीज निगम लिमिटेड 24 फरवरी 2005 को।

राज्य सरकार ने राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) जनवरी 2000 में गठित किया था तथा विद्युत अधिनियम, 2003<sup>φ</sup> की धारा 104(2) के अंतर्गत इसकी लेखापरीक्षा सीएजी को सौंपी गयी है।

### कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज)

#### कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.2 31 मार्च 2006 को 21 कार्यरत पीएसयूज (18 सरकारी कम्पनियों तथा तीन सांविधिक निगम) में कुल निवेश<sup>#</sup> 16,108.92 करोड़ रुपये\* (इक्विटी: 4,257.07 करोड़ रुपये; दीर्घावधि ऋण<sup>\*\*</sup>: 11,715.47 करोड़ रुपये तथा अंश आवेदन राशि: 136.38 करोड़ रुपये) का था जबकि 31 मार्च 2005 को 19 कार्यरत पीएसयूज (16 सरकारी कम्पनियों तथा तीन सांविधिक निगम) में कुल निवेश 13,805.85 करोड़ रुपये (इक्विटी: 3,714.86 करोड़ रुपये; दीर्घावधि ऋण: 10,053.29 करोड़ रुपये तथा अंश आवेदन राशि: 37.70 करोड़ रुपये) का था। कार्यरत पीएसयूज में निवेश का विवरण अनुबन्ध-1 में दिया गया है। पीएसयूज में निवेश का विश्लेषण निम्नांकित अनुच्छेदों में दिया गया है।

<sup>φ</sup> तत्कालीन विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।



<sup>#</sup> आंकड़े कम्पनियों/सांविधिक निगमों द्वारा दिये गये अनुसार हैं।

\* कार्यरत पीएसयूज में राज्य सरकार का निवेश 5,586.93 करोड़ रुपये (अन्य : 10,521.99 करोड़ रुपये) था। वित्त लेखे 2005-06 के अनुसार कुल निवेश 6,324.90 करोड़ रुपये था। अन्तर का मिलान किया जा रहा है।

\*\* दीर्घावधि ऋण में उपाजित व देय ब्याज सम्मिलित नहीं है।

**कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों में क्षेत्रवार निवेश**

31 मार्च 2006 तथा 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्षों का विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण) तथा उनकी प्रतिशतता पाई चार्ट में दर्शायी गई है।



31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

### कार्यरत सरकारी कम्पनियों

1.3 मार्च 2005 तथा मार्च 2006 के अन्त में, कार्यरत सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश निम्नानुसार था :

(राशि: करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कम्पनियों की संख्या	इक्विटी	अंश आवेदन राशि	ऋण	योग
2004-05	16	3419.43	23.70	9290.66	12733.79
2005-06	18	3947.63	136.38	10798.98	14882.99

31 मार्च 2006 को, कार्यरत सरकारी कम्पनियों के कुल निवेश का 27.44 प्रतिशत इक्विटी पूँजी तथा 72.56 प्रतिशत ऋणों के रूप में था, जबकि 31 मार्च 2005 को इक्विटी पूँजी के रूप में 27.04 प्रतिशत व ऋणों के रूप में 72.96 प्रतिशत निवेश था ।

### कार्यरत सांविधिक निगम

1.4 मार्च 2005 तथा मार्च 2006 के अन्त में तीन कार्यरत सांविधिक निगमों में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(राशि: करोड़ रुपयों में)

निगम का नाम	2004-05		2005-06	
	पूँजी	ऋण	पूँजी	ऋण
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	220.06	148.53	220.06	173.44
राजस्थान वित्त निगम	81.52 (14.00)	613.99	81.53	743.04
राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम	7.85	0.11	7.85	-
<b>योग</b>	<b>309.43</b> <b>(14.00)</b>	<b>762.63</b>	<b>309.44</b>	<b>916.48</b>

(कोष्ठक में दिये गये आँकड़े अंश आवेदन राशि को दर्शाते हैं)

31 मार्च 2006 को, कार्यरत सांविधिक निगमों के कुल निवेश का 25.24 प्रतिशत इक्विटी पूँजी तथा 74.76 प्रतिशत ऋणों के रूप में था, जबकि 31 मार्च 2005 को इक्विटी पूँजी के रूप में 28.86 प्रतिशत व ऋणों के रूप में 71.14 प्रतिशत था।



**बजट से जावक, अनुदान/अर्थ-साहाय्य, गारण्टी, देयताओं का अधित्याग तथा ऋणों का इक्विटी में परिवर्तन**

1.5 राज्य सरकार द्वारा सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में बजट से जावक, अनुदान/अर्थ-साहाय्य, दी गई गारण्टियाँ, देयताओं का अधित्याग तथा ऋणों का इक्विटी में परिवर्तन का विवरण अनुबन्ध-1 व 3 में दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 तक के तीन वर्षों के दौरान, कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों को बजट जावक (अंश पूँजी तथा ऋण के रूप में) व अनुदान/अर्थ-साहाय्य की स्थिति नीचे दर्शायी गई है :

(राशि: करोड़ रुपयों में)

	2003-04				2004-05				2005-06	
	कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
इक्विटी	8	305.11	1	112.11	9	372.92	1	14.00	7	635.88
ऋण	4	711.57	-	-	2	52.90	-	-	3	176.96
अनुदान/अर्थ-साहाय्य:										
1. परियोजनाएं/ कार्यक्रम/योजनाएं	10	995.81	1	4.63	10	1105.20	-	-	9	1043.99
2. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (1+2)	10	995.81	1	4.63	10	1105.20	-	-	9	1043.99
कुल जावक		2012.49		116.74		1531.02		14.00		1856.83

वर्ष 2005-2006 के दौरान, सरकार ने पाँच कार्यरत सरकारी कम्पनियों द्वारा लिये गये कुल 4,281.76 करोड़ रुपये के ऋणों की गारण्टी दी थी। 31 मार्च 2006 को 11,534.63 करोड़ रुपये की गारण्टी सात सरकारी कम्पनियों (11,324.11 करोड़ रुपये) व एक कार्यरत सांविधिक निगम (210.52 करोड़ रुपये) के विरुद्ध बकाया थी, जबकि 31 मार्च 2005 को 11,152.15 करोड़ रुपये की गारण्टी आठ कार्यरत सरकारी कम्पनियों (10,888.10 करोड़ रुपये) व एक कार्यरत सांविधिक निगम (264.05 करोड़ रुपये) में बकाया थी। वर्ष 2005-06 के दौरान छः सरकारी कम्पनियों तथा एक सांविधिक निगम के द्वारा सरकार को चुकाया गया/चुकाने योग्य गारण्टी कमीशन क्रमशः 6.09 करोड़ रुपये तथा 2.48 करोड़ रुपये था।

**कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप देना**

1.6 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 तथा 619-बी के अन्तर्गत कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः माह के भीतर अंतिम

रूप दे दिया जाना अपेक्षित है। उनको वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ माह के भीतर विधायिका के समक्ष भी रखना होता है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों को अपने लेखों को उनके सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप देना, लेखापरीक्षा करवाना तथा विधायिका को प्रस्तुत करना होता है।

अनुबन्ध-2 से यह देखा जा सकता है कि 18 कार्यरत सरकारी कम्पनियों में से केवल 12 कम्पनियों तथा तीन कार्यरत सांविधिक निगमों में से दो निगमों ने ही सितम्बर 2006 तक अपने वर्ष 2005-2006 के लेखों को अन्तिम रूप दिया था। अक्टूबर 2005 से सितम्बर 2006 की अवधि के दौरान, चार कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा एक सांविधिक निगम ने पूर्ववर्ती वर्ष के लेखों को अंतिम रूप दिया।

छ: कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा एक सांविधिक निगम के वर्ष 2005-06 के एक वर्ष के लेखे 30 सितम्बर 2006 को बकाया थे।

### **कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम**

1.7 नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार कार्यरत पीएसयूज (सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों) के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम अनुबन्ध-2 में दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कार्यरत सांविधिक निगम के जिन लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, उनकी नवीनतम तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम को दर्शाने वाले विवरण क्रमशः अनुबन्ध-4 व 5 में दिये गये हैं।

सत्रह कार्यरत सरकारी कम्पनियों तथा तीन कार्यरत सांविधिक निगमों के नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार, छ: कम्पनियों तथा एक निगम ने क्रमशः 6.24 करोड़ रुपये तथा 4.63 करोड़ रुपये की कुल हानि उठाई थी; छ: कम्पनियों तथा दो निगमों ने क्रमशः 188.40 करोड़ रुपये तथा 37.85 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया जबकि पाँच विद्युत कम्पनियों ने, जो वर्ष 2000-01 में समामेलित हुई थी, वित्तीय पुनर्संरचना योजना के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2005-06 के अंतिम रूप दिये लेखों में कोई लाभ/हानि नहीं दर्शायी है। एक कम्पनी, राजस्थान राज्य ब्रेवरीज निगम लिमिटेड ने अपने लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया था।

### **कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ**

#### **लाभ अर्जित कर रही कार्यरत कम्पनियाँ तथा लाभांश**

1.8 पाँच कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ (अनुबन्ध-2 की क्रम संख्या 2, 6, 7, 9 व 13) जिन्होंने वर्ष 2005-06 के लेखों को सितम्बर 2006 तक अन्तिम रूप दे

दिया था, ने 159.37 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया तथा 17.21 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया। यह लाभांश, उपरोक्त लाभ अर्जित करने वाली पाँच कम्पनियों की अंश पूँजी का 15.41 प्रतिशत था। उपरोक्त लाभांश के रूप में प्रतिफल, राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी कम्पनियों में 2005-06 में 4,088.08 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश पर 0.42 प्रतिशत था, जबकि 2004-05 में यह 0.62 प्रतिशत था।

### **हानि उठा रही कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ**

1.9 हानि उठा रही छः कार्यरत सरकारी कम्पनियों में से, राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड की मार्च 2005 तक संचित हानि 42.01 करोड़ रुपये हो गयी थी, जो इसकी 6.15 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूँजी से अधिक थी तथा राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड की मार्च 2005 तक संचित हानि 2.69 करोड़ रुपये हो गयी थी, जो इसकी 1.46 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूँजी से अधिक थी।

### **कार्यरत सांविधिक निगम**

#### **लाभ अर्जित कर रहे सांविधिक निगम तथा लाभांश**

1.10 तीन सांविधिक निगमों में से दो निगमों ने वर्ष 2005-2006 के लेखों को अंतिम रूप दिया। राजस्थान वित्त निगम ने 10.35 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया और कोई लाभांश घोषित नहीं किया। राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम ने 27.50 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया तथा 1.96 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया।

#### **हानि उठा रहे सांविधिक निगम**

1.11 तीन सांविधिक निगमों में से, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपने वर्ष 2004-05 के लेखों को सितम्बर 2006 तक अन्तिम रूप दिया तथा 4.63 करोड़ रुपये की हानि उठाई। इसकी संचित हानि 345.49 करोड़ रुपये हो गयी जो इसकी प्रदत्त पूँजी 220.06 करोड़ रुपये से अधिक थी। राजस्थान वित्त निगम ने (यद्यपि वर्ष 2005-06 के दौरान लाभ अर्जित किया है) अपनी 81.53 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूँजी के समक्ष 62.48 करोड़ रुपये की हानि संचित कर ली थी।

#### **कार्यरत सांविधिक निगमों का परिचालन निष्पादन**

1.12 कार्यरत सांविधिक निगमों का परिचालन निष्पादन अनुबन्ध-6 में दिया गया है।

### नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

1.13 नवीनतम अन्तिम रूप दिये गए (सितम्बर 2006 तक) लेखों के अनुसार, 17 कार्यरत कम्पनियों में नियोजित पूँजी\* 21,531.37 करोड़ रुपये थी। उस पर कुल प्रतिफल 1,367.56 करोड़ रुपये (6.35 प्रतिशत) था, जबकि पिछले वर्ष कुल प्रतिफल 1,358.80 करोड़ रुपये (7.19 प्रतिशत) था। इसी प्रकार, नवीनतम अन्तिम रूप दिये गये (सितम्बर 2006 तक) लेखों के अनुसार तीन सांविधिक निगमों की नियोजित पूँजी तथा उस पर प्रतिफल<sup>\$\$</sup> क्रमशः 956.26 करोड़ रुपये तथा 118.42 करोड़ रुपये (12.38 प्रतिशत) था, जबकि पिछले वर्ष कुल प्रतिफल 60.18 करोड़ रुपये (6.96 प्रतिशत) था। कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की नियोजित पूँजी तथा नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल का विवरण अनुबन्ध-2 में दिया गया है।

### ऊर्जा क्षेत्र सुधार

#### (अ) राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के मध्य निष्पादित समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की स्थिति

1.14 मार्च 2001 में हुए ऊर्जा क्षेत्र में सुधार पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य सुनिश्चित मापदण्डों के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 23 मार्च 2001 को संयुक्त प्रतिबद्धता के रूप में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये। समझौता ज्ञापन में की गई प्रत्येक प्रतिबद्धता के समक्ष सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति नीचे वर्णित है:

\* नियोजित पूँजी निवल स्थायी सम्पत्तियां (निर्माणाधीन पूँजीगत कार्यों को सम्मिलित करते हुए) तथा कार्यशील पूँजी के योग की द्योतक है, वित्तीय कम्पनियों व निगमों को छोड़कर जहां यह प्रदत्त पूँजी, मुक्त संचय, बांड जमाओं तथा उधारियों (पुनर्वित्त सहित) के प्रारम्भिक एवं अन्तिम शेषों के योग के मध्यमान की द्योतक है।

<sup>\$\$</sup> नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल का आंकलन करने के लिये उधार ली गयी निधियों के ब्याज को लाभ-हानि खाते में दर्शाये गये शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है/हानि में से घटाया जाता है।

क्र. सं.	(एमओयू) के अनुसार प्रतिबद्धता	पूर्ण करने के लिये लक्षित समय	स्थिति (31 मार्च 2006 को)			
राज्य सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धताएँ						
1.	पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी	2006-07 तक 20 प्रतिशत	कम्पनी का नाम	प्रेषण हानि	वितरण हानि	योग
			रा.रा.वि.प्र.नि.	5.37	-	5.37
			ज.वि.वि.नि.	3.64	37.30	40.94
			अ.वि.वि.नि.	3.36	42.09	45.45
			जोध.वि.वि.नि.	5.27	41.72	46.99
2.	11 केवी के वितरण फीडरों पर 100 प्रतिशत मीटरिंग	सितम्बर 2001	कम्पनी का नाम	11 केवी फीडर जिनको मीटर श्रेणी में लाना है	मीटर 11 केवी फीडर	
			जबिबिनिलि	3060	2811	
			अबिबिनिलि	3650	3229	
			जोध.विबिनिलि	3884	3214	
3.	सभी ग्रामों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण	वर्ष 2005 तक 37,889 ग्राम	37,681 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया अर्थात् 99.45 प्रतिशत			
4.	सभी उपभोक्ताओं की 100 प्रतिशत मीटरिंग	30 जून 2002	किसी भी श्रेणी के कनेक्शन बिना मीटर के जारी नहीं किये जा रहे हैं। सभी स्थिर दर कृषि कनेक्शनों को मीटर प्रणाली में बदला जा रहा है। शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के 1,54,482 स्थिर दर कृषि उपभोक्ता मीटर प्रणाली में परिवर्तित कर दिये गये हैं।			
5.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बकाया देय राशि का प्रतिभूतिकरण	नहीं दिया गया	राज्य सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निम्नलिखित बकाया राशि का प्रतिभूतिकरण कर दिया है: एनटीपीसी- 290.00 करोड़ एनएचपीसी- 56.98 करोड़ पीजीसीआईएल- 21.80 करोड़ 368.78 करोड़ राजस्थान सरकार द्वारा बॉण्ड जारी करने हेतु 18.8.03 को अधिसूचना जारी कर दी गयी थी।			
6.	राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी)					
	(1) एसईआरसी की स्थापना	-	एसईआरसी का जनवरी 2000 में गठन कर दिया गया था।			
	(2) एसईआरसी द्वारा वर्ष के दौरान जारी टेरिफ आदेशों को लागू करना।	वितरण टेरिफ का एक आदेश जनवरी 2005 से लागू किया जाना था।	टेरिफ मई 2005 से लागू किया गया है क्योंकि जनवरी 2005 से अप्रैल 2005 की अवधि हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया गया है।			

केन्द्र सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धताएँ																									
7.	अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति	सरकार अतिरिक्त ऊर्जा का आवंटन निम्न प्रकार करेगी (1) पूर्वी ग्रिड से अतिरिक्त 100 मेगावाट स्थिर आधार पर  (2) ऊर्जा मंत्रालय अन्ता ग्रिड पावर स्टेशन की क्षमता का एक तिहाई विशेष आवंटन पुर्नस्थापित करने हेतु तुरन्त कदम उठायेगा। जो कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 112 मेगावाट नवम्बर 1999 से वापस ले लिया गया।	(1) पूर्वी ग्रिड से लगभग 30 मेगावाट का आवंटन स्थिर आधार पर 14.12.2005 से लागू  (2) अब तक विशेष आवंटन नहीं किया गया है।																						
8.	अन्य कोई सहायता दी जानी हो (कृपया स्पष्ट करें)	त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम (एपीडीपी जिसे ए.पी.डी.आर. पी. का नाम) के अन्तर्गत पारेषण एवं वितरण कार्यक्रम को उन्नत करने तथा तापीय संयंत्रों के नवीनीकरण एवं रख रखाव हेतु वित्तीय सहायता	एपीडीपी के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी राशि निम्नानुसार है : <table border="1" data-bbox="743 1253 1122 1498"> <thead> <tr> <th rowspan="2">वर्ष</th> <th colspan="2">राशि करोड़ में</th> <th rowspan="2">योग</th> </tr> <tr> <th>ऋण</th> <th>अनुदान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2002-03</td> <td>62.82</td> <td>62.82</td> <td>125.64</td> </tr> <tr> <td>2003-04</td> <td>109.85</td> <td>109.85</td> <td>219.70</td> </tr> <tr> <td>2004-05</td> <td>24.245</td> <td>24.245</td> <td>48.49</td> </tr> <tr> <td>2005-06</td> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> <td>शून्य</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	राशि करोड़ में		योग	ऋण	अनुदान	2002-03	62.82	62.82	125.64	2003-04	109.85	109.85	219.70	2004-05	24.245	24.245	48.49	2005-06	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष	राशि करोड़ में		योग																						
	ऋण	अनुदान																							
2002-03	62.82	62.82	125.64																						
2003-04	109.85	109.85	219.70																						
2004-05	24.245	24.245	48.49																						
2005-06	शून्य	शून्य	शून्य																						
<b>सामान्य</b>																									
9.	समझौता ज्ञापन का अनुश्रवण	अनुश्रवण तिमाही आधार पर किया जाना था।	अनुश्रवण नियमित किया जाता है। अंतिम प्रतिवेदन मई 2006 में भेजा गया।																						

### राजस्थान विद्युत नियामक आयोग

1.15 राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आयोग), विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998<sup>5</sup> की धारा 17 के अनुसार 10 जनवरी 2000 को गठित किया गया, जिसका उद्देश्य विद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाना, राज्य में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण से सम्बन्धित मामलों में सलाह देना तथा अनुज्ञा पत्र जारी करना है। आयोग एक निगम निकाय है तथा इसमें अध्यक्ष सहित तीन सदस्य हैं, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हैं। आयोग का सम्पूर्ण व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाना है। आयोग ने अपने प्रथम लेखों को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया है। 2005-06 की अवधि में आयोग ने 62 प्रार्थना पत्रों तथा 57 प्रकरणों की अपनी न्यायिक कार्य प्रणाली के दौरान निपटारा किया।

### अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

#### अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में निवेश

1.16 31 मार्च 2006 को पाँच अकार्यरत सरकारी कम्पनियों में कुल 13.98 करोड़ रुपये (इक्विटी: 9.45 करोड़ रुपये, दीर्घाविधि ऋण: 4.53 करोड़ रुपये) का निवेश था, जबकि 31 मार्च 2005 को पाँच अकार्यरत कम्पनियों में यह निवेश 12.10 करोड़ रुपये (इक्विटी : 9.45 करोड़ रुपये, दीर्घाविधि ऋण: 2.65 करोड़ रुपये) था। अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का विवरण अनुबन्ध-1 में दिया गया है।

अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वर्गीकरण इस प्रकार था :

(राशि: करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति	कम्पनियों की संख्या	निवेश	
			इक्विटी	दीर्घाविधि ऋण
(1)	परिसमापनाधीन	1	0.19	0.21
(2)	अन्य	4	9.26	4.32
	योग	5	9.45	4.53

उपरोक्त अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से, एक कम्पनी यथा राजस्थान राज्य ग्रेनाइट्स एवं मार्बल्स लिमिटेड, सात वर्ष से कम्पनी अधिनियम, 1956 की

<sup>5</sup> विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है।

धारा 560(2) के अन्तर्गत परिसमापनाधीन है। इस कम्पनी में 40 लाख रुपये का निवेश शामिल था।

**बजट से जावक, अनुदान/अर्थ-साहाय्य, गारण्टी, देयताओं का अधित्याग तथा ऋणों का इक्विटी में परिवर्तन**

1.17 वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अकार्यरत कम्पनियों को कोई कोष जारी नहीं किये गये।

**अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल संस्थापन व्यय**

1.18 एक अकार्यरत कम्पनी यथा राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का कुल संस्थापन व्यय 21.67 लाख रुपये (2003-04: 9.13 लाख रुपये, 2004-05: 7.20 लाख रुपये; 2005-06: 5.34 लाख रुपये) उसकी धारक कम्पनी द्वारा वित्त पोषित किया गया था। शेष अकार्यरत कम्पनियों संस्थापन व्यय पर कोई खर्चा नहीं कर रही हैं।

**अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप देना**

1.19 पाँच अकार्यरत कम्पनियों में से, तीन कम्पनियों ने वर्ष 2005-06 के लेखों को अंतिम रूप दे दिया था, एक अकार्यरत कम्पनी के एक वर्ष के लेखे बकाया थे (30 सितम्बर 2006 को) तथा एक कम्पनी 31 मार्च 2006 को परिसमापनाधीन थी, जैसा कि अनुबन्ध-2 में दिखाया गया है।

**अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम**

1.20 अकार्यरत सरकारी कम्पनियों के नवीनतम अन्तिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय परिणाम अनुबन्ध-2 में दिये गये हैं। पाँच अकार्यरत सरकारी कम्पनियों का शुद्ध मूल्य (नेट वर्थ) उनकी कुल प्रदत्त पूँजी 9.45 करोड़ रुपये के समक्ष (-) 34.82 करोड़ रुपये था। इन कम्पनियों ने 1.31 करोड़ रुपये की नगद हानि उठाई व उनकी संचित हानि 44.75 करोड़ रुपये थी।

**सांविधिक निगमों के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण की स्थिति**

1.21 निम्नांकित तालिका में सीएजी द्वारा जारी सांविधिक निगमों के लेखों पर विभिन्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को सरकार द्वारा विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धित वस्तुस्थिति दर्शायी गई है।



क्रम संख्या	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जिस तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधायिका में प्रस्तुत कर दिये गये	वर्ष जिसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधायिका में प्रस्तुत नहीं किये गये		
			एसएआर का वर्ष	सरकार को जारी करने की दिनांक	विधायिका में प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण
1.	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	2003-2004	2004-05	23.12.2005	उपलब्ध नहीं
2.	राजस्थान वित्त निगम	2004-2005	-	-	-
3.	राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम	2004-2005	2005-06	15.09.2006	-

#### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्संरचना\*

1.22 2005-06 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश व निजीकरण नहीं किया गया। राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के प्रबन्धन ने दोनों कम्पनियों के विलय हेतु फरवरी/अगस्त 2001 में प्रस्ताव दिये थे। तथापि, अभी तक विलय नहीं किया गया (सितम्बर 2006)।

#### भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पीएसयूज के लेखों की लेखापरीक्षा के परिणाम

1.23 अक्टूबर 2005 से सितम्बर 2006 के दौरान, 15 सरकारी कम्पनियों (14 कार्यरत एवं एक अकार्यरत) तथा तीन कार्यरत सांविधिक निगमों के लेखों का समीक्षा हेतु चयन किया गया था। पीएसयूज की समीक्षा के परिणामस्वरूप की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों के शुद्ध प्रभाव निम्नानुसार थे:

विवरण	सरकारी कम्पनियाँ				सांविधिक निगम	
	लेखों की संख्या		रुपये करोड़ों में		लेखों की संख्या	रुपये करोड़ों में
	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत	
लाभ में कमी	2	-	1.30	-	-	-
हानि में वृद्धि	-	-	-	-	1	7.89

\* पुनर्संरचना में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विलय तथा बंद सम्मिलित है।

### सरकारी कम्पनियों के मामले में ध्यान में आयी गलतियाँ एवं त्रुटियाँ

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत विभिन्न कम्पनियों के लेखों की समीक्षा के परिणामस्वरूप, निम्नांकित महत्वपूर्ण बिन्दु लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये:

#### राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम (2004-05)

1.24 अशोधित ह्रास 97.22 लाख रुपये के स्थान पर 150.86 लाख रुपये दिखाये जाने के कारण, अस्थगन कर 18.06 लाख रुपये से अधिक दिखाया गया। इस प्रकार, 50.78 लाख रुपये के लेखांकित के समक्ष, अशोधित ह्रास के कारण 32.72 लाख रुपये का कर प्रभाव मूल्यांकित किया गया। इसके परिणामस्वरूप अस्थगन कर दायित्व कम दिखाया गया तथा कर के बाद लाभ 18.06 लाख रुपये से अधिक दिखाया गया।

#### राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (2004-05)

1.25 प्रगतिशील कार्यरत पूंजी व्यय में आपूर्तिकर्ताओं व ठेकेदारों को दिये पूंजीगत कार्यों के लिये दिये अग्रिम 1.35 करोड़ रुपये को शामिल किया गया जिनसे न तो कोई सामग्री प्राप्त की जानी थी न ही कम्पनी के पास इनका कोई विवरण उपलब्ध था। इनका कोई प्रावधान न किये जाने के कारण हानि 1.35 करोड़ रुपये से कम दर्शायी गई।

1.26 व्यापार खाते के अतिरिक्त विभिन्न प्राप्तियाँ, पी.जी.सी.आई.एल से ओ.एण्ड एम. प्रभार के प्राप्त भुगतान को लेखांकित न किये जाने के कारण 1.19 करोड़ रुपये से अधिक दर्शाई गई।

1.27 पिछले वर्षों में एन.टी.पी.सी. के ऊर्जा बिलों के अधिक सदेयताओं के प्रावधान का समायोजन न करने के कारण, ऊर्जा क्रय की देयताएँ 6.06 करोड़ रुपये से अधिक दर्शाई गई। परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष से सम्बन्धित निवल आय तथा हानि इस सीमा तक कम दर्शाई गई।

1.28 टी.सी.सी. III तथा टी.सी.सी. V द्वारा, प्लांट एवं मशीनरी पर मरम्मत एवं संधारण के खर्चों को लेखांकित न किये जाने के कारण, मरम्मत एवं संधारण 93.34 लाख रुपये से कम दर्शाई गई। परिणामस्वरूप, इस सीमा तक वर्ष की हानियाँ कम दिखाई गई तथा अन्य सम्पत्तियाँ अधिक दिखाई गई।

1.29 सम्पत्ति रजिस्टर में कुछ विसंगतियों के कारण, पिछले वर्षों के कुछ अतिविशिष्ट मदों के ह्रास का कम प्रावधान करने के कारण, अतिविशिष्ट मदों

\* टी.सी.सी.: ट्रांसमिशन कन्स्ट्रक्शन सिकिल

25.68 करोड़ रूपये से अधिक दर्शाई गई। परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष से सम्बन्धित खर्चे इस सीमा तक कम दर्शाये गये।

### राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (2004-05)

1.30 सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन पर, बैट्रीज पर हास की गलत दर लगाये जाने के कारण (31.36 लाख रूपये) तथा आर.जी.टी.पी.पी. में गैस स्टेशन, गैस पाइपलाइन, कार्यालय संयंत्र, हाईड्रोलिक कार्य इत्यादि पर हास न लगाये जाने के कारण (8.28 करोड़ रूपये), हास 8.59 करोड़ रूपये से कम दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष की हानियाँ इस सीमा तक कम दर्शाई गईं।

1.31 गैल के न्यूनतम गैस उठाव के दावों का प्रावधान न किये जाने के कारण, जिन्हें कम्पनी देने को सहमत थी, चालू देयताओं तथा प्रावधान 7.73 करोड़ रूपये से कम दिखाये गये। परिणामस्वरूप, इस सीमा तक वर्ष की हानियाँ कम दर्शाई गईं।

1.32 प्रगतिशील कार्यरत पूंजी व्यय में आपूर्तिकर्ताओं एवं ठेकेदारों को पूंजीगत कार्यों के लिये दिये गये अग्रिम 6.52 करोड़ रूपये को शामिल किया गया है जिनसे न तो कोई सामग्री प्राप्त की जानी थी न ही कम्पनी के पास इनका कोई विवरण उपलब्ध था। इनका कोई प्रावधान न किये जाने के कारण हानि 6.52 करोड़ रूपये कम दर्शाई गई।

### जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2004-05)

1.33 कृषि उपभोक्ताओं को दी गई न्यूनतम प्रभारों में छूट, जिसका राज्य सरकार ने पुनर्भरण करने से मना कर दिया, से सरकार से प्राप्य अर्थ-सहाय्य/अनुदान 42.42 करोड़ रूपये से अधिक दर्शाये गये। इसके परिणामस्वरूप, अन्य सम्पत्तियाँ 42.42 करोड़ रूपये से अधिक दिखाई गईं तथा ऊर्जा के विक्रय से आय 24.07 करोड़ रूपये से अधिक दिखाई गई तथा पिछले वर्षों से सम्बन्धित खर्चे 18.35 करोड़ रूपये से कम दर्शाये गये।

1.34 उपभोक्ताओं से मीटर प्रभार हेतु प्राप्त राशि, जिसे कि संचय एवं अधिशेष के अन्तर्गत सेवा सम्बन्ध तथा लाइन्स के लिये उपभोक्ताओं के अंशदान में शामिल किया जाना था, को ऊर्जा के विक्रय से राजस्व दर्शाये जाने के कारण इसे राजस्व को 41.06 लाख रूपये से अधिक दर्शाया गया।

1.35 मार्गीय प्रेषित राशि को 3.05 करोड़ रूपये से कम दिखाई गई क्योंकि मार्गीय प्रेषित राशि को गलती से बैंकों से प्राप्त जमाओं में समायोजित कर लिया गया। परिणामस्वरूप, चालू देयताएँ तथा प्रावधान भी इस सीमा तक कम दर्शाये गये।

### जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2004-05)

1.36 कृषि (मीटर्ड) उपभोक्ताओं को न्यूनतम प्रभारों में दी गई छूट की राशि, जिसका राज्य सरकार ने पुनर्भरण करने से मना कर दिया, से राज्य सरकार से प्राप्य अर्थ-सहाय्य 30.44 करोड़ रुपये से अधिक दर्शाये। इसके परिणामस्वरूप, अन्य सम्पत्तियाँ व लाभ 30.44 करोड़ रुपये से अधिक दर्शाये गये।

1.37 प्रशासनिक एवं अन्य व्यय, प्राप्त सामग्री की वास्तविक लागत एवं प्रमाणिक दरों में अन्तर के कारण 2.45 करोड़ रुपये से अधिक दर्शाये गये जबकि इन्हें सामग्री लागत परिवर्तन के संचय में समायोजित किया जाना चाहिये था। परिणामस्वरूप, इस सीमा तक लाभ कम दर्शाये गये तथा संचय एवं अधिशेष अधिक दर्शाये गये।

1.38 मीटर बाक्स प्रतिभूति हेतु प्राप्त 2.99 करोड़ रुपये का सेवा सम्बन्ध लाइनों के लिये उपभोक्ता अंशदान में समायोजन न करने के कारण पिछले वर्षों की जमाएँ कम दर्शाई गई तथा संचय एवं अधिशेष शीर्ष के अन्तर्गत सेवा सम्बन्ध लाइनों का उपभोक्ता अंशदान कम दर्शाया गया।

### अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2004-05)

1.39 कृषि (मीटर्ड) उपभोक्ताओं एवं घरेलू उपभोक्ताओं को वर्ष के दौरान न्यूनतम प्रभारों में दी गई छूट की राशि 13.99 करोड़ रुपये लेखांकित न किये जाने के कारण प्राप्य अर्थ सहाय्य /अनुदान कम दर्शाये गये। परिणामस्वरूप, उर्जा विक्रय से राजस्व इस सीमा तक कम दर्शाई गई।

1.40 वर्ष 2004-05 में, त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार एन.टी.पी.सी. से प्राप्य प्रोत्साहन राशि 2.08 करोड़ रुपये जिसे रा.रा.वि.प्र.नि. द्वारा अप्रैल 2005 में प्राप्त कर लिया गया था के कारण अन्य आय कम दर्शाई गई। परिणामस्वरूप, अन्य चालू सम्पत्तियाँ इस सीमा तक कम दर्शाई गई।

1.41 ट्रॉसफार्मर्स/उपकरणों की मरम्मत की लागत जिनकी मरम्मत 2004-05 की अवधि में की गई एवं 2005-06 में भुगतान किये गये, के कारण मरम्मत एवं अनुरक्षण 2.59 करोड़ रुपये से कम दर्शाये गये।

1.42 परेषण संयन्त्रों पर हास कम लगाये जाने के कारण हास 8.48 करोड़ रुपये से कम दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप, कर पश्चात लाभ अधिक दिखाया गया एवं इस सीमा तक स्थायी सम्पत्तियाँ (निवल ब्लॉक) भी अधिक दिखाए गए।

**राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (2005-06)**

1.43 लेखा मानक 10 के उल्लंघन के कारण वर्ष 2004-05 में निर्माण, संचालन एवं हस्तांतरण (बी.ओ.टी.) सम्पत्तियों में, सेन्टेज प्रभारों के पूंजीकरण के कारण 2.71 करोड़ रुपये से अधिक दर्शाई गई। परिणामस्वरूप, संचय एवं अधिशेष भी इस सीमा तक अधिक दर्शाये गये।

1.44 अपूर्ण बी.ओ.टी. कार्य जो कि कम्पनी की स्थायी सम्पत्तियाँ हैं, जिन्हें स्थायी सम्पत्तियों में कार्यरत पूंजीगत में दिखाया जाना चाहिये था को चालू सम्पत्तियों में स्टॉक/चालू कार्य शामिल करने के कारण में 16.63 करोड़ रुपये से अधिक दिखाया गया। इसके परिणामस्वरूप, कार्यशील पूंजीगत कार्य इस सीमा तक कम दर्शाये गये।

1.45 लेखा मानक 10 का उल्लंघन करते हुये अपूर्ण बी.ओ.टी. कार्यों पर उपरिव्ययों का अधिक पूंजीकरण किये जाने के कारण, चालू सम्पत्तियों में स्टॉक/गतिशील कार्य 1.12 करोड़ रुपये से अधिक दिखाये गये। परिणामस्वरूप, वर्ष का लाभ भी इस सीमा तक अधिक दर्शाया गया।

**सांविधिक निगमों के मामलों में ध्यान में आयी गलतियाँ व त्रुटियाँ**

**राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (2004-05)**

1.46 निगम की हानि 7.89 करोड़ रुपये से कम दर्शाई गई जो कि मुख्यतः सेवा कर के दायित्व का कम प्रावधान करने (4.25 करोड़ रुपये), सरकार के स्पष्टीकरण के बावजूद दायित्व का प्रावधान नहीं करने (3.24 करोड़ रुपये) तथा संदिग्ध देय/व्यय का प्रावधान नहीं (0.40 करोड़ रुपये) करने के कारणों से थी।

**लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर वसूलियाँ**

1.47 2005-06 की अवधि में ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों/अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों की नमूना जाँच से कुल 4.77 करोड़ रुपये के टैरिफ के गलत निर्धारण/टैरिफ नहीं लगाने/कम लगाने/राजस्व की कम वसूली अथवा अन्य आक्षेपों से सम्बन्धित 96 मामले प्रकट हुए। 90 मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कम्पनियों ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये आक्षेपों को स्वीकार किया तथा 82 लेखापरीक्षा आक्षेपों के सम्बन्ध में 2.16 करोड़ रुपये की राशि वसूल की। 99 मामलों में, जो पूर्व वर्षों में इंगित किये गये थे, 57.15 लाख रुपये की राशि की वसूली भी की गई।

### आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियंत्रण

1.48 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (अ) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार की गई कम्पनियों की लेखापरीक्षा में उनके आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली सहित विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है तथा ऐसे क्षेत्रों की पहचान करनी होती है जहाँ सुधार की आवश्यकता है। राज्य सरकार की कम्पनियों के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियंत्रण में संभावित सुधारों पर की गई प्रमुख सिफारिशों/टिप्पणियों के निदर्शा उदाहरण अनुबन्ध-9 में बताये गये हैं। अनुबन्ध से यह देखा गया कि प्रमुख टिप्पणियां निम्न प्रकृति की थीं:

- तीन कम्पनियों में आन्तरिक लेखापरीक्षा की कोई प्रणाली नहीं थी।
- 13 सरकारी कम्पनियों एवं दो सांविधिक निगमों की आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली उनके व्यवसाय के आकार तथा प्रकृति के अनुरूप नहीं थी।
- 13 कम्पनियों एवं दो सांविधिक निगमों में लेखापरीक्षा के क्षेत्र, आवृत्ति एवं तरीकों, आक्षेपों के सम्प्रेषण तथा उनके अनुसरण व अनुपालना में सुधार की आवश्यकता थी।

### पीएसयूज को बन्द करने की सिफारिशें

1.49-21 से 43 वर्षों के अस्तित्व के बाद भी, दो कार्यरत सरकारी कम्पनियों का उनके नवीनतम अंतिम रूप दिये लेखों के अनुसार कारोबार पिछले पाँच वर्षों के प्रत्येक वर्ष में पाँच करोड़ रुपये से कम था तथा तीन अकार्यरत कम्पनियों का कारोबार शून्य था। (अनुबन्ध-7)। इसी तरह, चार सरकारी कम्पनियों (कार्यरत: दो तथा अकार्यरत: दो), विगत पाँच वर्षों से लगातार (उनके नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखों के अनुसार) हानि उठा रही थी, जिसके कारण उनका शुद्ध मूल्य ऋणात्मक हो गया था (अनुबन्ध-8)। कम टर्नओवर तथा लगातार हानियों की दृष्टि से, राज्य सरकार इन कम्पनियों की या तो कार्यक्षमता बढ़ाये या इनको बन्द करने पर विचार करे।

**राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के परीक्षण की स्थिति**

1.50 30 सितम्बर 2006 को कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) की परीक्षण की स्थिति निम्न प्रकार थी:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रदर्शित समीक्षाओं तथा अनुच्छेदों की कुल संख्या		परीक्षण किये गये समीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या	
	समीक्षाएं	अनुच्छेद	समीक्षाएं	अनुच्छेद
1998-99	4	30	4	19
1999-2000	4	29	4	18
2000-01	3	26	2	16
2001-02	3	24	3	14
2002-03	3	31	3	7
2003-04	4	58	1	3
2004-05	3	49	-	-
योग	24	247	17	77

इस प्रकार अक्टूबर 2005 से सितम्बर 2006 के दौरान कोपू द्वारा कुल 10 समीक्षाओं तथा 35 अनुच्छेदों का परीक्षण किया गया।

**619-बी कम्पनियाँ**

1.51 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी के अन्तर्गत आने वाली कोई भी कम्पनी नहीं थी।

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)



## अध्याय II

### 2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षाएँ

#### 2.1 राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड

#### बीजों के उत्पादन, विधायन एवं वितरण की गतिविधियाँ

##### झलकियाँ

बीज उत्पादकों के साथ अनुबन्ध में दण्डात्मक प्रावधान के अभाव में कम्पनी 2000-05 के दौरान बीज उत्पादकों से 71.66 करोड़ रुपये मूल्य के आधार एवं प्रमाणित बीज प्राप्त करने में असफल रही।

(अनुच्छेद 2.1.10)

45.86 करोड़ रुपये के अर्थ सहाय्य के रूप में बजटीय समर्थन के बावजूद कम्पनी का बीज वितरण में बाजार हिस्सा 2000-05 के दौरान 40.5 प्रतिशत से घटकर 35.2 प्रतिशत रह गया जिसका कारण सही विपणन नीति एवं कुशल उत्पादन योजना की कमी रहा।

(अनुच्छेद 2.1.17)

प्रमाणित बीज के विक्रय मूल्य के निर्धारण में 9.45 करोड़ रुपये के अधिक उपरिव्यय लगाने से किसानों को उचित मूल्य पर बीज उपलब्ध कराने का कम्पनी का प्राथमिक उद्देश्य असफल हो गया।

कम्पनी ने 4.20 करोड़ रुपये की विपणन अर्थ सहाय्य का लाभ किसानों को नहीं दिया एवं उसे अपने लाभ में विनियोजित कर लिया।

(अनुच्छेद 2.1.20)

प्रजनक एवं आधार बीज की सम्पूर्ण उपलब्ध मात्रा के गुणात्मक वृद्धि हेतु वितरण के अपर्याप्त नियोजन के कारण 7.40 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज के अनुवर्ती उत्पादन की 2000-05 के दौरान हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.1.9)

2000-05 के दौरान खाद्यान्न फसलों की नई किस्में विकसित करने की बजाय कम्पनी द्वारा पुरानी किस्मों के लगातार उत्पादन ने न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने के सरकारी उद्देश्य को असफल किया बल्कि कम्पनी को 5.82 करोड़ रुपये की अर्थ सहायता से भी वंचित होना पड़ा।

(अनुच्छेद 2.1.14)

बिना विक्रय संभावना के बाजरा बीज के अधिक क्रय के कारण 1.62 करोड़ रुपये के नहीं बिके स्टॉक को आगे ले जाया गया जिसकी अगले वर्ष में पुनःप्रमाणन के दौरान निरस्त होने की परिपूर्ण जोखिम थी।

(अनुच्छेद 2.1.12)


बीजों के अवैज्ञानिक भंडारण एवं किटाणुनाशकों के अपर्याप्त छिड़काव के कारण बीज खराब होने से 21.77 लाख रुपये की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.1.16)

### प्रस्तावना

2.1.1 राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (कम्पनी) का मार्च 1978 में सम्मेलन प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं किसानों को इसके उचित मूल्य पर विपणन के मुख्य उद्देश्य के साथ हुआ। इसके लिये कम्पनी बीज उत्पादकों के माध्यम से 25 से ज्यादा खाद्यान्नों, तिलहनों, दालों, रोकड़ फसलों आदि के बीज उत्पादन कार्यक्रम आयोजित करती है।

कम्पनी का प्रबन्धन एक संचालक मंडल में निहित है जिसमें अधिकतम 12 निदेशक होते हैं जिसमें से एक तिहाई राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) प्रत्येक द्वारा नामित होते हैं एवं शेष अन्य अंशधारियों द्वारा चुने जाते हैं। कम्पनी की उत्पादन, विधायन एवं विपणन गतिविधियों से सम्बन्धित संगठनात्मक चार्ट नीचे दिया गया है:



राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रबन्ध निदेशक मुख्य कार्यकारी है। 31 मार्च 2005 को संचालक मंडल में 11 निदेशक थे। कम्पनी की कार्य प्रणाली की गत समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 1998-99 (वाणिज्यिक) राजस्थान सरकार के प्रतिवेदन में की गई थी। राजकीय उपक्रम समिति द्वारा प्रतिवेदन पर विचार विमर्श कर लिया गया था (जनवरी 2005)।

### लेखापरीक्षा क्षेत्र

2.1.2 वर्तमान समीक्षा सितम्बर 2005 से फरवरी 2006 तक की गई जिसमें बीजों के उत्पादन, विधायन एवं वितरण से सम्बन्धित कम्पनी का 2000-05 अवधि का कार्य निष्पादन सम्मिलित है। लेखापरीक्षा परिणाम मुख्यालय एवं 16 इकाई कार्यालयों में से भौगोलिक वितरण एवं व्यवहारों की मात्रा के आधार पर चयनित छः\* इकाई कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित है।

### लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.1.3 समीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि किस सीमा तक:

- बीज उत्पादन के लक्ष्य विक्रय की माँग के आधार पर निर्धारित किये गये थे एवं क्या ये दक्षतापूर्वक एवं प्रभावशाली तरीके से प्राप्त कर लिये थे;
- राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था (आरएसएससीए) द्वारा अनुमानित प्रजनक एवं आधार बीज से प्रत्याशित उत्पादन प्राप्त कर लिया था;
- बीज विधायन संयंत्रों का उनकी अधिकतम क्षमता तक उपयोग किया गया था;
- विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों की विक्रय दर सही निर्धारित की गई थी जो किसानों के लिये उचित थी;
- कम्पनी ने राज्य में बीजों की बिक्री में महत्वपूर्ण योगदान किया है; एवं
- कम्पनी ने बीजों की नई किस्में विकसित करने के लिये शोध कार्य किये हैं।

\* भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर

### लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.1.4 निम्नलिखित लेखापरीक्षा मापदण्ड अपनाये गये:

- बीजों के उत्पादन एवं विक्रय के लक्ष्य;
- गुणात्मक वृद्धि के लिये प्रजनक एवं आधार बीजों की उपलब्धता;
- आरएसएससीए द्वारा अनुमानित प्रजनक एवं आधार बीज से प्रत्याशित उत्पादन;
- बीज विधायन संयंत्रों की स्थापित क्षमता;
- विक्रय दर का निर्धारण;
- कम्पनी की विपणन नीति; एवं
- विधायन संयंत्रों पर गोदामों में बीजों के वैज्ञानिक भंडारण की कार्यविधि।

### लेखापरीक्षा कार्यविधि


2.1.5 लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कार्यविधियों का मिश्रित रूप से पालन किया:

- संचालक मंडल की सभाओं की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त की समीक्षा, कम्पनी से प्राप्त बीजों के उत्पादन के लक्ष्य एवं उत्पादन, आरएसएससीए द्वारा प्रत्याशित उत्पादन, फसलवार उपलब्धता एवं प्रत्येक वर्ष में बीज की बिक्री से सम्बन्धित विस्तृत सूचनाओं का विश्लेषण,
- इकाईयों से मंगाई गई बीज विधायन संयंत्रों में विधायन किये गये बीज की वास्तविक मात्रा के समकों की समीक्षा एवं पुनः प्रमाणन के अधीन प्रमाणित बीज के विस्तृत विवरण की समीक्षा ; एवं
- प्रमाणित बीज की विक्रय दर के निर्धारण से सम्बन्धित अभिलेखों की समीक्षा।

### बीज उत्पादन प्रक्रिया

2.1.6 प्रजनक\* बीज सभी बीज उत्पादन का मूल है जो आधार\*\* बीज के उत्पादन में प्रयोग होता है। आधार बीज का प्रयोग अन्तिम रूप से प्रमाणित बीज\*\*\* के उत्पादन/गुणात्मक वृद्धि के लिये होता है जो फसलों के वृहद स्तर पर उत्पादन के लिये किसानों को बेचा जाता है। आरएसएससीए बीज उत्पादकों के खेतों का फसल कटाई से पहले निरीक्षण करता है एवं फसलों की स्थिति पर आधारित प्रत्याशित उत्पादन (राँ बीज) को दिखाते हुये अपनी रिपोर्ट कम्पनी को प्रस्तुत करता है।

बीज उत्पादन प्रक्रिया का विवरण निम्न है:



### लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.7 लेखापरीक्षा परिणाम सरकार/कम्पनी को मार्च 2006 में प्रतिवेदित किये थे एवं इन पर 6 जुलाई 2006 को आयोजित राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति (एआरसीपीएसई) की बैठक में विचार विमर्श किया गया जिसमें सरकार का प्रतिनिधित्व सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार एवं कम्पनी

\* प्रजनक बीज उत्पत्ति के रूप में शुद्ध होता है जो आधार बीज के उत्पादन में प्रयोग होता है।

\*\* आधार बीज में 99 प्रतिशत उत्पत्ति की शुद्धता होती है एवं यह प्रमाणित बीज के उत्पादन में प्रयोग होता है।

\*\*\* प्रमाणित बीज में 99 प्रतिशत उत्पत्ति की शुद्धता होती है एवं यह मानव उपभोग के लिये कृषि उत्पादन में प्रयोग होता है।

का प्रतिनिधित्व प्रबन्ध निदेशक ने किया। सरकार/प्रबन्धन के विचारों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा को अन्तिम रूप दिया गया। लेखापरीक्षा परिणामों पर आगामी अनुच्छेदों में विचार विमर्श किया गया है।

### उत्पादन निष्पादन

#### गुणात्मक उत्पादन के लिये बीज उत्पादकों का चयन

2.1.8 जिन बीज उत्पादकों के पास स्वयं की दो से बीस हेक्टेयर कृषि भूमि समुचित सिंचाई सुविधा सहित हो उन्हें प्रत्येक ऋतु के लिये 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर पंजीयन करके उत्पादन कार्यक्रम दिया जाता है। बीज वितरण से पहले इन उत्पादकों के साथ एक अनुबन्ध किया जाता है जिसमें यह शर्त होती है कि बीज की सम्पूर्ण उत्पादित मात्रा की कम्पनी को आपूर्ति करनी होगी। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कम्पनी ने बीज उत्पादकों के चयन के लिये उत्पादन कार्यक्रम के प्रचार द्वारा कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं अपनाया।

प्रबन्धन ने आश्वासन दिया (जुलाई 2006) कि उत्पादकों के चयन में वृहत विकल्पों के लिये बीज उत्पादकों के भूमि का क्षेत्रफल, मिट्टी का प्रकार, सिंचाई सुविधा आदि से सम्बन्धित समक आधार का संधारण किया जावेगा।

#### 'प्रजनक एवं आधार बीज' का गुणात्मक उत्पादन के लिये वितरण

2.1.9 वर्ष के दौरान क्रय किया गया प्रजनक बीज, आधार बीज के उत्पादन के लिये बीज उत्पादकों को वितरित किया जाता है एवं बाद में आधार बीज, बीज उत्पादकों को प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिये वितरित किया जाता है। 2004-05 को समाप्त गत पाँच वर्षों की अवधि में प्रमुख फसलों के प्रजनक एवं आधार बीज की उपलब्ध मात्रा एवं गुणात्मक उत्पादन के लिये वितरित मात्रा अनुबन्ध-10 में दी गई है।

अनुबन्ध से यह देखा गया कि प्रजनक एवं आधार बीज के वितरण की उनकी उपलब्धता से प्रतिशतता उत्तरोत्तर क्रमशः 2000-01 में 91.74 एवं 61.49 से घटकर 2004-05 में 71.21 एवं 43.38 रह गई। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कम्पनी ने प्रजनक एवं आधार बीज के वितरण के लिये उचित नियोजन नहीं किया, परिणामस्वरूप, यह समीक्षा अवधि के किसी भी वर्ष में प्रजनक एवं आधार बीज की सम्पूर्ण उपलब्ध मात्रा का वितरण नहीं कर सकी। प्रजनक एवं आधार बीज के कम वितरण के परिणामस्वरूप 7.40 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज के अनुवर्ती उत्पादन की हानि हुई।

अपर्याप्त नियोजन के परिणामस्वरूप प्रजनक एवं आधार बीज वितरित नहीं हुआ जिससे 7.40 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज के अनुवर्ती उत्पादन की हानि हुई।

यह आगे देखा गया कि आधार बीज के वितरण नहीं होने एवं उसे अगले सीजन के लिये ले जाने पर 41 लाख रुपये मूल्य का 3,141.42 क्विंटल आधार बीज एवं 80.28 क्विंटल प्रजनक बीज 2000-05 के दौरान अंकुरण जाँच में निरस्त हो गया जिसे अनाज के रूप में बेचना पड़ा। केन्द्रीयकृत आँकड़ों के अभाव में कम्पनी द्वारा इस सम्बन्ध में वहन की गई हानि की गणना नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त 2004-05 के अन्त में 2.16 करोड़ रुपये मूल्य का 16,680 क्विंटल आधार बीज स्टॉक में बच गया। आगे ले जाये गये बीज में अंकुरण संभावना कम होती है एवं उसे नौ माह की अवधि के पश्चात् आरएसएससीए से पुनः प्रमाणन करवाना होता है। इस प्रकार स्टॉक के पुनः प्रमाणन में निरस्तीकरण की जोखिम रहती है।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि उत्पत्ति की शुद्धता बनाये रखने के लिये किसानों के खेतों में फसलों के बीच आवश्यक दूरी उपलब्ध नहीं थी जिसके कारण प्रजनक बीज वितरित नहीं हो सका था एवं आधार बीज का वितरण लक्ष्य के करीब था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन परिस्थितियों का कम्पनी को पहले से ज्ञान था एवं उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये प्रजनक बीज की क्रय की जाने वाली मात्रा का निर्धारण करना चाहिये था। आधार बीज के मामले में भी कम्पनी ने वितरण के लक्ष्य बीज की उपलब्ध मात्रा से बहुत कम निर्धारित किये थे।

सरकार ने आगे बताया (जुलाई 2006) कि प्रजनक बीज की उपलब्धता एवं आधार तथा प्रमाणित बीज के उत्पादन के मध्य बहुत लम्बी समयावधि होती है, जिस दौरान किसानों की माँग एक फसल से दूसरी फसल में बदल जाती है। तथापि, कम्पनी ने किसानों की पसंद में परिवर्तन से बीज की माँग में परिवर्तन को उत्पादन की योजना बनाते समय ध्यान में नहीं रखा।

### **प्रजनक एवं आधार बीज से उत्पादन**

2.1.10 वर्ष 2004-05 तक के गत पाँच वर्षों में प्रजनक एवं आधार बीज का वितरण, आरएसएससीए द्वारा निर्धारित प्रत्याशित उत्पादन एवं राँ बीज की वास्तविक प्राप्ति का विवरण अनुबन्ध-11 में दिया गया है।

अनुबन्ध से यह देखा गया कि प्रजनक एवं आधार बीज से वास्तविक उत्पादन, प्रत्याशित उत्पादन से निश्चित रूप से बहुत कम हुआ। प्रजनक बीज में वास्तविक उत्पादन की प्रत्याशित उत्पादन से प्रतिशतता खरीफ में 51.14 एवं 68.31 के मध्य तथा रबी सीजन में 76.48 एवं 86.81 के मध्य विचरित रही। इसी तरह वर्ष 2000-05 में आधार बीज में वास्तविक उत्पादन की प्रत्याशित उत्पादन से प्रतिशतता खरीफ में 54.40 एवं 66.02 के मध्य तथा रबी सीजन में 53.70 एवं 85.50 के मध्य विचरित रही। लेखापरीक्षा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि कम्पनी के

पास उत्पादकों के खेतों के निरीक्षण एवं नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे बीज के प्रत्याशित उत्पादन को सुनिश्चित किया जा सके।

2000-05 के दौरान 1,38,170 क्विंटल आधार बीज एवं 18,10,824 क्विंटल प्रमाणित बीज के आरएसएससीए द्वारा निर्धारित प्रत्याशित उत्पादन के विरुद्ध राँ बीज की वास्तविक प्राप्ति केवल 1,03,903 क्विंटल (75.2 प्रतिशत) एवं 12,25,153 क्विंटल (67.7 प्रतिशत) थी। इस प्रकार 71.66 करोड़ रुपये के 34,267 क्विंटल आधार बीज एवं 5,85,671 क्विंटल प्रमाणित बीज की कमी रही। लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि अनुबन्ध में दण्डात्मक प्रावधान के अभाव में कम्पनी दोषी उत्पादकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि प्रमाणित बीज की कमी के कारण 13,836.35 क्विंटल अधिक मूल्य का आधार बीज कम मूल्य के प्रमाणित बीज में परिवर्तित करके 24.72 लाख रुपये की हानि से वर्ष 2000-05 के दौरान किसानों को बेच दिया गया।

अनुबन्ध में दण्डात्मक प्रावधान के अभाव से 71.66 करोड़ रुपये मूल्य के बीज की कम आपूर्ति हुई।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि आरएसएससीए द्वारा प्रत्याशित उत्पादन का अनुमान खड़ी फसल के लिये उसकी कटाई से लगभग एक पखवाड़ा पहले किया जाता है तथा इस अवधि में अप्रत्याशित वर्षा एवं अधिक तापमान के कारण कम उत्पादन होता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरएसएससीए, एक विशेषज्ञ अभिकरण, द्वारा फसल कटाई से एक पखवाड़ा पहले किया गया उत्पादन का अनुमान स्थूल रूप से गलत नहीं हो सकता। कम्पनी ने तथापि, अनुमानित मात्रा से बीज की हमेशा ही बहुत कम मात्रा प्राप्त की।

#### प्रमाणित बीज का उत्पादन

2.1.11 प्रमाणित बीज आधार बीज से प्राप्त किया जाता है। 2004-05 को समाप्त गत पाँच वर्षों के उत्पादन के लक्ष्य एवं उनके समक्ष उपलब्धियों नीचे तालिका में दी गई है:-

वर्ष	रबी			खरीफ		
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता
2000-01	1,87,447	1,41,293	75.38	79,576	44,918	56.45
2001-02	1,79,150	1,38,612	77.24	77,158	34,315	44.47
2002-03	1,75,533	1,14,671	65.33	59,541	16,399	27.54
2003-04	1,96,491	1,66,214	84.59	87,375	39,962	45.74
2004-05	2,55,647	1,69,108	66.15	94,958	52,422	55.21
योग	9,94,268	7,29,898		3,98,608	1,88,016	

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि प्रमाणित बीज का उत्पादन प्रत्येक वर्ष के दोनों सीजन में लक्ष्य से कम था। 2000-05 के दौरान दोनों सीजन के 13.93 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 9.18 लाख



क्विंटल प्रमाणित बीज प्राप्त हुआ था, परिणामस्वरूप 4.75 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज की कमी रही।

इकाई कार्यालयों ने कठोर मौसम परिस्थितियों को कमी का कारण बताया। यह आरोपण सही नहीं है क्योंकि लक्ष्य राज्य के मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किये थे। लेखापरीक्षा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि कमी का मुख्य कारण बीज उत्पादकों द्वारा प्रमाणित बीज उत्पादन की सम्पूर्ण अनुमानित मात्रा की आपूर्ति नहीं करना एवं कम्पनी द्वारा ऐसे दोषी उत्पादकों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करना है जैसा कि अनुच्छेद 2.1.10 में दर्शाया गया है।

### आवश्यकता से अधिक बीज के क्रय के कारण हानि

2.1.12 बीज पुर्नस्थापन दर\* (एसआरआर) में वृद्धि के लिये कम्पनी ने खरीफ 2005 में वितरण के लिये बाजरा की सात शंकर किस्मों\*\* का 25,000 क्विंटल बीज राज्य के बाहर से क्रय करने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2004)। कम्पनी ने 22,500 क्विंटल बाजरा बीज की आपूर्ति का आदेश दिया (दिसम्बर 2004) जिसके विरुद्ध 17,674 क्विंटल बीज प्राप्त हुआ। पहले से उपलब्ध 426 क्विंटल बीज को शामिल करते हुए कुल उपलब्ध 18,100 क्विंटल बीज में से कम्पनी केवल 11,700 क्विंटल (64.6 प्रतिशत) बीज खरीफ 2005 में बेच सकी। 6,400 क्विंटल बाजरा बीज की शेष मात्रा जिसका मूल्य 1.62 करोड़ रुपये था नहीं बिक सका।

विक्रय मात्रा के अविश्वसनीय निर्धारण के कारण बीज का अधिक क्रय, परिणामस्वरूप 1.62 करोड़ रुपये का बीज स्टॉक में शेष रहा एवं उसके पुनः प्रमाणन पर 13.04 लाख रुपये का अनुवर्ती अतिरिक्त व्यय।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि गत ऋतुओं यथा खरीफ 2003 एवं खरीफ 2004 में कम्पनी इन किस्मों का क्रमशः 5,425 क्विंटल एवं 4,786 क्विंटल बीज ही बेच सकी थी। गत दो वर्षों में इन परिमित विक्रय मात्राओं एवं घटते हुये झुकाव के बावजूद कम्पनी ने खरीफ 2005 में विक्रय के लिये 18,100 क्विंटल बाजरा बीज का प्रापण किया। लेखापरीक्षा में आगे देखा कि संचालक मंडल ने, क्रय को अनुमोदित करते समय यह निश्चय किया (दिसम्बर 2004) था कि बाजरा बीज की आपूर्ति 14 मई 2005 के बाद नहीं ली जावे परन्तु कम्पनी ने संचालक मंडल के निर्णय के विरुद्ध 5,921 क्विंटल बीज उपरोक्त दिनांक के बाद प्राप्त कर लिया जो नहीं बिक सका। इस प्रकार बिना मांग के बीज का अधिक क्रय एवं संचालक मंडल द्वारा निर्धारित दिनांक के बाद क्रय के कारण 6,400 क्विंटल बीज बिकने से रह गया। अगले सीजन में पुनःप्रमाणन में इसके निरस्त होने की संभावना के अतिरिक्त कम्पनी को इसके आगे ले जाने एवं पुनः प्रमाणन पर 13.04 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा।

\* बुवाई में उपयोग में लिये प्रमाणित/कवालिटी बीज की कुल बुवाई किये बीज के साथ प्रतिशतता।

\*\* आईसीटीपी 8203, एचएचबी 67, आईसीएमएच 356, एचएचबी 94, एमएच 169, आरएचबी 121 एवं 127

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि किसानों को बाजरा बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये बड़े हुये कार्यक्रम की योजना बनाई थी जिससे एसआरआर में वृद्धि हो सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पिछले वर्षों की वास्तविक बिक्री की तुलना में मांग में पाँच गुना की अचानक वृद्धि को इंगित करने के लिये अभिलेखों में कुछ नहीं था। अविश्वसनीय प्रापण के कारण कम्पनी को हानि उठानी पड़ी।

### क्षतिग्रस्त अपक्व कपास का क्रय

2.1.13 खरीफ 2005 के लिये कम्पनी ने 3,352.46 क्विंटल अपक्व कपास बीज का बिलाडा, जोधपुर में क्रय किया (दिसम्बर 2004 एवं जनवरी 2005)। जिनिंग<sup>£</sup> एवं डिलिटिंग<sup>@</sup> के बाद 1,945.16 क्विंटल डिलिन्टेड बीज प्राप्त हुआ जिसमें से 191.72 क्विंटल बीज श्रेणीकृत करने के लिये सूरतगढ़ भेजा था एवं शेष 1,753.44 क्विंटल बीज अजमेर में श्रेणीकृत किया गया। अजमेर में श्रेणीकृत बीज में से 1,236.34 क्विंटल श्रेणीकृत बीज अन्तिम रूप से कम्पनी में प्राप्त हुआ। बीज गुणवत्ता जाँच (अप्रैल - मई 2005) में कम अंकुरण क्षमता एवं अधिक किटाणुग्रस्त होने के कारण निरस्त हो गया। कम्पनी द्वारा इनकी अनुपयुक्तता को जानते हुये भी इसमें से 212.96 क्विंटल अनाज 'सत्यचिन्हित' बीज के रूप में बेच दिया। इस प्रकार कम्पनी ने न केवल किसानों को गुणवत्ता बीज की आपूर्ति के अपने उद्देश्य को विफल किया बल्कि इसने निरस्त बीज को 'सत्यचिन्हित' बीज के रूप में बेचकर खरीददारों को गलत विवरण दिया। स्टॉक में शेष रही 1,023.38 क्विंटल बीज की मात्रा को नीलामी में अबीज के रूप में बेच दिया। कम्पनी को इसके अबीज के रूप में निस्तारण से 904 रुपये प्रति क्विंटल की दर से (क्रय मूल्य 1,805 रुपये प्रति क्विंटल - वास्तविक प्राप्ति 901 रुपये प्रति क्विंटल) 9.25 लाख रुपये की हानि वहन करनी पड़ी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि अपक्व कपास में अधिक नमी के कारण अंकुरण क्षमता कम हो जाती है जिसे बीज के क्रय के समय जाँचा जा सकता था। फिर भी, प्रबन्धन ने कपास बीज में क्रय में हुई लापरवाही को मालूम करने हेतु मामले की जाँच के लिये कोई प्रयास नहीं किया।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि अपक्व कपास बीज के क्रय के समय अप्रत्याशित वर्षा ने ताप प्रभाव एवं कीटाणुक्षति की अधिक प्रतिशतता जो खुली आँखों से नहीं देखी जा सकती, के कारण बीज की अंकुरण क्षमता को प्रभावित किया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिसम्बर में क्रय के समय वर्षा अप्रत्याशित

<sup>£</sup> प्रक्रिया जिसके द्वारा कपास को इसके बीज से अलग किया जाता है।

<sup>@</sup> प्रक्रिया जिसमें जिनिंग के बाद कपास बीज पर से सफेद मुलायम पदार्थ हटाया जाता है।

नहीं थी एवं कम्पनी अपक्व कपास की उचित भंडारण व्यवस्था करने में विफल रही तथा क्रय के समय क्षतिग्रस्त अपक्व कपास बीज की पहचान करने में भी विफल रही।

### बीज की नई किस्मों का विकास नहीं करना

2.1.14 कम्पनी का एक मुख्य उद्देश्य सामान्य अनुसंधान एवं विशेषकर बीज उत्पादन, विधायन, संरक्षण तथा भंडारण तकनीक में अनुसंधान करना एवं उसे प्रवर्तित करना है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि मार्च 2003 तक कम्पनी ने (इसके समामेलन से) इस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी।

कम्पनी ने इसके समामेलन से गत 25 वर्षों के दौरान बीज उत्पादन, विधायन, संरक्षण एवं भंडारण तकनीक में अनुसंधान के लिये कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी।

मार्च 2003 में, कम्पनी ने मूँगफली, उड़द, मैथी एवं कपास बीजों की नई किस्में विकसित करने का निर्णय लिया तथा इस उद्देश्य के लिये महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय उदयपुर (मार्च 2004) एवं राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर (अप्रैल 2004) से समझौता ज्ञापन क्रियान्वित किये।

पुरानी किस्मों के बीज के विक्रय ने एसआरआर बढ़ाने के सरकार के उद्देश्य को विफल किया तथा 5.82 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता से वंचित किया।

सरकार गत 10 वर्षों में अधिसूचित खाद्यान्न बीजों की किस्मों के उत्पादन पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। परन्तु कम्पनी ने खाद्यान्न फसलों की नई किस्में विकसित करने के लिये कोई कदम नहीं उठाये तथा 10 वर्ष पुरानी किस्मों का उत्पादन लगातार जारी रखा। पुरानी किस्मों के उत्पादन ने न केवल एसआरआर बढ़ाने एवं अनुवर्ती कृषि उत्पादन बढ़ाने के सरकार के उद्देश्य को विफल किया बल्कि 2000-05 के दौरान कम्पनी को 5.82 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता से वंचित कर दिया।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि आर्थिक सहायता के उपयोग के लिये नई किस्मों को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किये जा रहे थे एवं नई किस्मों के विकास के लिये चालू वर्ष में 26 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

### विधायन निष्पादन

#### स्थापित क्षमता का कम उपयोग

2.1.15 31 मार्च 2005 को 3.91 लाख क्विंटल की वार्षिक विधायन क्षमता के 15 बीज विधायन संयंत्र विभिन्न स्थानों पर स्थापित थे। कुल 15 विधायन संयंत्रों में से पाँच संयंत्र प्रत्येक 47,000 क्विंटल क्षमता के थे, आठ संयंत्र प्रत्येक 17,000 क्विंटल क्षमता तथा दो संयंत्र प्रत्येक 10,000 क्विंटल क्षमता के थे। 2000-05 के दौरान संयंत्रों की क्षमता का कुल मिलाकर उपयोग नीचे दिया गया है:

(मात्रा लाख क्विंटल में)

वर्ष	क्षमता	उपयोग	उपयोग की प्रतिशतता
2000-01	3.34	2.68	80.24
2001-02	3.34	2.52	75.45
2002-03	3.91	1.94	49.62
2003-04	3.91	3.10	79.28
2004-05	3.91	3.28	83.89

कम्पनी बीज विधायन संयंत्रों के उचित उपयोग के लिये समुचित उत्पादन कार्यक्रम प्रदान करने में विफल रही।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2000-05 के दौरान उपयोग 49.62 एवं 83.89 प्रतिशत के मध्य विचरित रहा। पाँच<sup>६</sup> संयंत्र जिनकी क्षमता का उपयोग 50 प्रतिशत से कम था के निष्पादन की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि कम्पनी ने इन संयंत्रों से सम्बद्ध क्षेत्रों में समुचित उत्पादन कार्यक्रम प्रदान नहीं किये एवं बीज उत्पादकों से पूर्ण उत्पादन प्राप्त करने में भी विफल रही जिसके कारण संयंत्रों का कम उपयोग हुआ। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि इन संयंत्रों का उपयोग गत 10 वर्षों में हमेशा निम्न रहा। यद्यपि ये बीज विधायन संयंत्र लगातार निम्न स्तर पर चल रहे हैं फिर भी प्रबन्धन ने उचित सुधारात्मक कार्यवाही के लिये इनके कार्यचालन की समीक्षा नहीं की।

#### बीजों का अवैज्ञानिक भंडारण

2.1.16 बीजों के संरक्षण एवं सुरक्षित भंडारण के लिये भंडार में रखे बीजों की स्थिति का आवधिक ऑकलन, प्रत्येक भंडारगृह की आपसी आद्रता एवं तापक्रम का अनुपालन तथा नियमित अंतराल पर किटाणुनाशकों का छिड़काव एवं सुवासित करना अत्यावश्यक है। कम्पनी ने तथापि, इन कार्यों के कोई मानदंड निर्धारित नहीं किये हैं। लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि इकाई कार्यालय उनके भंडार गृहों में रखे बीजों के सुवासिकरण एवं रासायनिक उपचार के माध्यम से, संरक्षण करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, बड़ी मात्रा में बीज किटाणुग्रस्त हो गये जिन्हें बाद में बीज परीक्षण प्रयोगशाला (एसटीएल) द्वारा निरस्त करने पर उनका नीलामी द्वारा अनाज के रूप में निस्तारण करना पड़ा। लेखापरीक्षा समीक्षा से ज्ञात हुआ कि 4,871.59 क्विंटल विभिन्न फसलों के बीज 2000-05 के दौरान किटाणुओं द्वारा क्षतिग्रस्त हो गये थे जिस पर कम्पनी को 21.77 लाख रुपये की हानि हुई।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि भंडार में रखे बीज की सुरक्षा के लिये इकाईयों को सख्त निर्देश जारी कर दिये थे।

<sup>६</sup> अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, मंडोर एवं शिवगंज

### राज्य में बीज विक्रय में कम्पनी का घटता हिस्सा

2.1.17 बीज कृषि उत्पादन के लिये एक अत्यावश्यक इनपुट है एवं फसल का उत्पादन वृहत रूप से प्रमाणित/गुणवत्ता बीज के प्रयोग से प्रभावित होता है। सरकार प्रमाणित/गुणवत्ता बीज के विक्रय के वार्षिक लक्ष्य निश्चित करती है। 2004-05 तक के गत पाँच - वर्षों में राज्य में बीज वितरण के सरकार एवं कम्पनी द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं उनके विरुद्ध उपलब्धियाँ अनुबन्ध-12 में दी गई है।

अनुबन्ध से यह देखा जा सकता है कि 2000-05 के दौरान कम्पनी प्रमाणित बीज के वितरण के अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी थी। परिणामस्वरूप सम्पूर्ण राज्य के लिये निर्धारित लक्ष्य भी वर्ष 2000-01 के अतिरिक्त पूर्ण नहीं हो सके। कम्पनी द्वारा बीज के वितरण को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने हेतु सरकार बीज के उत्पादन एवं विपणन पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 2000-05 के दौरान 41.29 करोड़ रुपये की राजस्व सहायता एवं 4.57 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता का उपयोग करने के बावजूद, कम्पनी का राज्य में कुल बीज वितरण में हिस्सा 2000-01 में 40.5 प्रतिशत से घटकर 2003-04 में 27.8 प्रतिशत रह गया; तथापि यह बढ़कर 2004-05 में 35.2 प्रतिशत हो गया, लेकिन यह अभी भी 2000-01 के स्तर से नीचे रहा। लेखापरीक्षा में देखा गया कि कम्पनी ने अपना बाजार हिस्सा मुख्य रूप से प्रजनक एवं आधार बीज की सम्पूर्ण उपलब्ध मात्रा का बीज उत्पादन के लिये वितरण करने में विफल रहने (अनुच्छेद 2.1.9), प्रमाणित बीज के उत्पादन में कमी (अनुच्छेद 2.1.11), मूल्य निर्धारण में देरी (अनुच्छेद 2.1.19), अधिक विक्रय मूल्य (अनुच्छेद 2.1.20) एवं प्रचार प्रसार के अभाव (अनुच्छेद 2.1.25) के कारण खो दिया।

बीज वितरण में कम्पनी का बाजार हिस्सा 45.86 करोड़ रुपये की सरकारी आर्थिक सहायता के बावजूद वर्ष 2000-05 के दौरान 40.5 प्रतिशत से घटकर 35.2 प्रतिशत रह गया।

खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय बीज नीति, 2002 में विभिन्न फसलों की एसआरआर को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। योजना आयोग ने भी दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के अपने मध्यावधि मूल्यांकन में निष्कर्ष निकाला कि अच्छी गुणवत्ता के बीज की उपलब्धता किसानों के लिये अभी भी एक समस्या है एवं एसआरआर अभी भी वांछित स्तर से बहुत नीचे है। राज्य कृषि विभाग ने स्वयं परागन फसलों के लिए 25 प्रतिशत, विपरीत परागन फसलों के लिये 33 प्रतिशत तथा शंकर फसलों के लिये 100 प्रतिशत एसआरआर निर्धारित की है।

2000-05 की अवधि के लिये 19 फसलों (13 स्वयं परागन, 5 विपरीत परागन एवं एक शंकर) की लेखापरीक्षा समीक्षा से ज्ञात हुआ कि स्वयं परागन फसलों की एसआरआर 25 प्रतिशत के मानदंड के विरुद्ध 0.47 से 21.84 प्रतिशत के मध्य विचरित रही। 5 विपरीत परागन फसलों के मामले में, 33 प्रतिशत मानदंड के विरुद्ध 3 फसलों में 0.09 से 18.48 प्रतिशत के मध्य विचरित थी तथा

2 फसलों में मानदंड से अधिक थी। शंकर फसल के मामले में, 100 प्रतिशत मानदंड के विरुद्ध, एसआरआर 31.87 एवं 40.52 प्रतिशत के मध्य विचरित थी। कम्पनी के बाजार हिस्से में कमी के कारण प्रमाणित/गुणवत्ता बीज के वितरण में कमी एवं अनुवर्ती एसआरआर के वांछित स्तर की उपलब्धि नहीं हो सकी।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि कम्पनी वर्ष 2007-08 तक बाजार हिस्सा 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिये गंभीर प्रयास कर रही थी।

### विक्रय निष्पादन

2.1.18 कम्पनी प्रमाणित बीज का विक्रय अपने थोक प्रतिबद्ध विक्रेता, अधिकृत विक्रेता एवं राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ (राजफैड) के माध्यम से करती है। इसके अतिरिक्त कम्पनी विभिन्न सरकारी एजेन्सीयों यथा कृषि विभाग, जल संरक्षण एवं विकास विभाग तथा उद्यान विभाग को प्रदर्शन एवं मिनी किट के वितरण के लिये प्रमाणित बीज की आपूर्ति करती है। कम्पनी बजट बनाते समय प्रमाणित बीज के विक्रय के लक्ष्य निर्धारित करती है। 2004-05 को समाप्त गत पाँच वर्षों के विक्रय के लक्ष्य, बीज की उपलब्धता एवं उनकी वास्तविक बिक्री को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(मात्रा क्विंटल में)

वर्ष	फसल	विक्रय लक्ष्य के	कुल उपलब्धता	कुल बिक्री	कुल बिक्री की प्रतिशतता	
					कुल उपलब्धता से	लक्ष्य से
2000-01	खरीफ	उ.न.	51,119	46,998	91.94	
	रबी	उ.न.	1,77,732	1,58,790	89.34	
	कुल	2,54,335	2,28,851	2,05,788	89.92	80.91
2001-02	खरीफ	उ.न.	73,234	60,217	82.23	
	रबी	उ.न.	1,73,273	1,66,257	95.95	
	कुल	2,46,204	2,46,507	2,26,474	91.87	91.99
2002-03	खरीफ	उ.न.	59,744	53,637	89.78	
	रबी	उ.न.	1,48,353	1,33,872	90.24	
	कुल	2,26,078	2,08,097	1,87,509	90.11	82.94
2003-04	खरीफ	उ.न.	41,863	37,837	90.38	
	रबी	उ.न.	1,29,541	1,13,366	87.51	
	कुल	1,76,900	1,71,404	1,51,203	88.21	85.47
2004-05	खरीफ	उ.न.	60,711	51,421	84.70	
	रबी	उ.न.	1,80,486	1,66,839	92.44	
	कुल	2,76,226	2,41,197	2,18,260	90.49	79.02

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि कम्पनी ने विक्रय लक्ष्यों के अनुरूप 2001-02 के अतिरिक्त बीज उपलब्धता की व्यवस्था नहीं की थी। उपलब्ध बीज की कम मात्रा भी पूर्ण रूप से नहीं बेची थी। बीज के कुल विक्रय की कुल उपलब्धता से प्रतिशतता 82.23 एवं 95.95 प्रतिशत के मध्य विचरित थी। इसके अतिरिक्त कम्पनी 2000-05 के दौरान किसी भी वर्ष में विक्रय लक्ष्य अर्जित नहीं

कर सकी थी। उपरोक्त अवधि में कुल विक्रय की लक्ष्य से प्रतिशतता 79.02 एवं 91.99 के मध्य विचरित थी।

विक्रय में कमी के इकाईयों द्वारा बताये मुख्य कारण 2002-03 में सूखे की स्थिति एवं अन्य वर्षों में कम वर्षा के कारण कम बुआई क्षेत्र था। लेखापरीक्षा समीक्षा से तथापि, ज्ञात हुआ कि विक्रय में कमी अपक्व बीज के विधायन में देरी, प्रमाणित बीज के विक्रय मूल्य निर्धारित करने में देरी, विक्रय दर अधिक निर्धारित करना एवं कम्पनी की विक्रय नीति तथा उसके कार्यान्वयन में अन्य कमियों जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है के कारण हुई थी।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि बीज का विक्रय उसकी उपलब्धता पर निर्भर है जिसके लिये कम्पनी ने तीन नये संयंत्र स्थापित करने एवं वर्तमान संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिये कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। उत्तर से यह स्पष्ट नहीं होता कि कम्पनी उपलब्ध बीज का विक्रय करने में क्यों विफल रही।

#### प्रमाणित बीज का विक्रय मूल्य निर्धारित करने में देरी

2.1.19 कम्पनी विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज का विक्रय मूल्य सीजन दर सीजन आधार पर निर्धारित करती है। अच्छे विपणन प्रबन्धन के लिये बीज का विक्रय मूल्य का निर्धारण समय से पहले करना चाहिये जिससे क्षेत्र के अन्य प्रतिस्पर्धियों से आगे जा सके। कम्पनी ने तथापि, प्रत्येक सीजन के विक्रय मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि रबी सीजन के बीज के क्रय के लिये किसान विक्रेताओं के पास सितम्बर के प्रथम सप्ताह में तथा खरीफ सीजन के बीज क्रय के लिये मार्च के प्रथम सप्ताह में आने लग गये थे। उपरोक्त विचारधारा पर आधारित विक्रय मूल्य की घोषणा का उपयुक्त समय तथा 2004-05 को समाप्त गत पाँच वर्षों में छः मुख्य फसलों के विक्रय मूल्य की घोषणा की वास्तविक दिनांक की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिकाबद्ध है:

फसल	घोषणा का उपयुक्त समय	घोषणा की वास्तविक दिनांक				
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
<b>रबी</b>						
चना	1-7 सितम्बर	27-09-00	31-08-01	24-09-02	16-09-03	28-09-04
सरसो	1-7 सितम्बर	22-08-00	03-08-01	26-08-02	03-09-03	13-09-04
गेहूँ	15-21 सितम्बर	13-10-00	19-10-01	09-10-02	14-10-03	20-10-04
जौ	15-21 सितम्बर	27-09-00	31-08-01	03-10-02	16-09-03	16-10-04
<b>खरीफ</b>						
कपास	1-7 मार्च	02-03-00	16-03-01	23-03-02	01-04-03	23-03-04
बाजरा	1-7 मार्च	26-04-00	28-04-01	17-04-02	02-05-03	07-05-04

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि अधिकतर मामलों में कम्पनी ने प्रमाणित बीज का विक्रय मूल्य घोषित करने में देरी की जिससे बीज विक्रय पर विपरीत प्रभाव पड़ा। लेखापरीक्षा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि कम्पनी ने विक्रय मूल्य को किसानों को सूचित करने के लिये समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जैसा अन्य निगमों यथा पंजाब राज्य बीज निगम ने किया। अतः प्रचार प्रसार एवं सूचना के विस्तार के अभाव में भी बीज वितरण में कम्पनी के हिस्से को कम करने में योगदान दिया।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि प्रमाणित बीज का विक्रय मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित फसल पंचांग के अनुसार समय पर निश्चित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फसल पंचांग में अन्तिम तिथि निर्धारित की गई है न कि विक्रय बिन्दु पर बीज उपलब्ध करवाने की प्रारम्भिक दिनांक। कम्पनी को समय से पहले विक्रय मूल्य की घोषणा करके सबसे आगे रहना चाहिये था।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि इस वर्ष कम्पनी ने प्रमाणित बीज का विक्रय मूल्य बाजार में सबसे पहले घोषित कर दिया है।

### **विक्रय मूल्य का अधिक/कम निर्धारण**

2.1.20 कम्पनी का एक मुख्य उद्देश्य किसानों को प्रमाणित बीज उचित दर पर उपलब्ध करवाना है। विभिन्न फसलों के बीज का विक्रय मूल्य पूर्व निर्धारित अनुमानित उपरिव्यय (39 प्रतिशत) के साथ क्रय मूल्य, विक्रेता का कमीशन 20 प्रतिशत, लाभ 10 प्रतिशत, प्रति क्विन्टल उपलब्ध आर्थिक सहायता को घटाकर निर्धारित किया जाता है। प्रमाणित बीज के सीधे क्रय के मामले में अनुमानित उपरिव्यय नहीं जोड़े जाते हैं। कम्पनी की मूल्य नीति में यह भी प्रावधान है कि 10 प्रतिशत मानक लाभ के अंश के विरुद्ध विक्रय मूल्य में शामिल किये जाने वाले लाभ के अंश का निर्णय प्रबन्ध निदेशक द्वारा उस बीज की उपलब्धता, माँग एवं वर्तमान बाजार दर के आधार पर किया जावेगा। 2000-05 के दौरान निर्धारित किये विक्रय मूल्य के लेखापरीक्षा विश्लेषण से निम्न प्रकट हुआ:

- यथार्थ एवं उचित आधार पर विक्रय मूल्य के निर्धारण के लिये कम्पनी ने कभी भी अनुमानित उपरिव्यय की वास्तविक से तुलना नहीं की। 2000-05 के दौरान वास्तविक उपरिव्यय 30.49 एवं 35.19 प्रतिशत के मध्य विचरित थे जिसके विरुद्ध कम्पनी ने बीजों के विक्रय मूल्य निर्धारण में 39 प्रतिशत की पूर्व निर्धारित दर से उपरिव्यय भारित किया। उपरिव्यय के अधिक प्रभार के कारण किसानों को उपरोक्त अवधि में बीज की आपूर्ति 9.45 करोड़ रुपये के प्रभाव के साथ अधिक दर पर हुई। प्रबन्धन ने मूल्य निर्धारण फार्मूला की समीक्षा करने का आश्वासन दिया (जुलाई 2006)।

विक्रय मूल्य के गलत निर्धारण के कारण कम्पनी ने किसानों से 9.45 करोड़ रुपये के अधिक उपरिव्यय वसूल किये।



- बीज की नई किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार विपणन पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। बाजरा एवं कपास बीज की क्रमशः 10 तथा 15 वर्ष पुरानी किस्मों पर सहायता उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा के दौरान तथापि, देखा गया कि कम्पनी ने बाजरा बीज की दो किस्में\* जो 10 वर्ष से ज्यादा पुरानी थी, का बिना बाजार संभावना के निर्धारण के क्रय किया तथा उन्हें 2000-01 एवं 2003-04 के दौरान वास्तविक लागत से कम मूल्य पर बेच दिया। इसी प्रकार 2000-03 में कम्पनी ने कपास बीज की बी.नरमा एवं जी.अगेती किस्मों, जो 15 वर्ष से अधिक पुरानी थी का उत्पादन किया तथा उन्हें कम माँग के कारण लागत मूल्य से बहुत कम मूल्य पर बेच दिया। कपास बीज की पुरानी किस्मों का उत्पादन न केवल बीजों की नई किस्मों के उपयोग से कृषि उत्पादन बढ़ाने के इसके उद्देश्य को विफल किया बल्कि कम्पनी को लागत मूल्य से कम पर विक्रय करने से 71.66 लाख रुपये की हानि वहन करनी पड़ी।
- कम्पनी ने 2000-05 के दौरान सोयाबीन, सरसों एवं चना के प्रमाणित बीज की नई किस्में जिन पर विपणन सहायता उपलब्ध थी, को बेचा। कम्पनी ने तथापि पूरी आर्थिक सहायता किसानों को उपलब्ध नहीं कराई तथा विक्रय मूल्य यह कहते हुये ज्यादा निर्धारित किया कि कम विक्रय मूल्य निर्धारण से विक्रेताओं द्वारा बीज की कालाबाजारी की सकती है। कम्पनी विक्रेताओं द्वारा बीज की कालाबाजारी, विक्रय मूल्य के प्रकाशन एवं विक्रेताओं की गतिविधियों की निगरानी करके रोक सकती थी। अधिक विक्रय मूल्य के निर्धारण ने किसानों को सोयाबीन (2002-05), सरसों (2004-05) एवं चना (2000-05) बीज पर 4.20 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता के लाभ से वंचित कर दिया।

कम्पनी किसानों को 4.20 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में विफल रही।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि कभी-कभी आर्थिक सहायता आवश्यकतानुसार दूसरी फसल/किस्म में समायोजित कर ली जाती थी। कम्पनी ने तथापि न तो फसल/किस्म अनुसार आर्थिक सहायता के अभिलेख रखे और न इसने निर्धारित फसल/किस्म की आर्थिक सहायता को अन्य में समायोजित करने की सरकार से अनुमति प्राप्त की।

आगे यह भी देखा गया कि सोयाबीन बीज के मामले में, विपणन सहायता प्रति क्विंटल लागत के 30 प्रतिशत अथवा 800 रुपये प्रति क्विंटल जो भी कम हो, उपलब्ध थी। 2002-05 के दौरान यद्यपि सोयाबीन बीज की प्रति क्विंटल लागत का 30 प्रतिशत 800 रुपये प्रति क्विंटल से कम था, फिर भी कम्पनी ने 800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सहायता का दावा किया। इसके परिणामस्वरूप

2002-05 के दौरान राज्य सरकार से 26.16 लाख रुपये का अधिक अनुदान का दावा किया।

इस प्रकार आर्थिक सहायता जो किसानों को उचित दर पर बीज उपलब्ध कराने के लिये थी, को कम्पनी ने अपने लाभ में नियोजित कर लिया जिसने आर्थिक सहायता के उद्देश्य एवं सरकार के एसआरआर बढ़ाने के उद्देश्य को विफल कर दिया। कृषि उत्पादन पर इसके अन्तिम विपरीत प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता।

### **प्रतिबद्ध विक्रेताओं की नियुक्ति**

2.1.21 कम्पनी की विपणन नीति (1996) में प्रतिबद्ध विक्रेताओं की नियुक्ति की अवधि निश्चित नहीं की थी। यद्यपि कम्पनी ने 2002-03 तक वर्ष दर वर्ष आधार पर प्रतिबद्ध विक्रेता नियुक्त किये थे, किन्तु इसने 2003-04 के लिये प्रतिबद्ध विक्रेता नियुक्त नहीं किये; हालांकि राज्य में गत वर्ष की तुलना में बुआई क्षेत्र में 80 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की वृद्धि हुई थी।

2003-04 में प्रतिबद्ध विक्रेता नियुक्त नहीं करने के कारण कम्पनी उपलब्ध बीज का वितरण करने में विफल रही तथा 43.55 लाख रुपये के अतिरिक्त लाभ से वंचित रही।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2003-04 में कम्पनी का बाजार हिस्सा 27.8 प्रतिशत के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया था। इस प्रकार 2003-04 में प्रतिबद्ध विक्रेता नियुक्त नहीं करने के कारण कम्पनी न केवल बीज की कुल उपलब्ध मात्रा का विक्रय करने में विफल रही बल्कि 20,201 क्विंटल बिना बिके बीज पर 10 प्रतिशत की दर से 43.55 लाख रुपये के अतिरिक्त लाभ को खो दिया जिसकी गणना 2,155.76 रुपये प्रति क्विंटल के औसत विक्रय मूल्य पर की गई है।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि 2002-03 में प्रमाणित बीज के कम उत्पादन एवं अनुवर्ती 2003-04 में प्रमाणित बीज की कम उपलब्धता के कारण प्रतिबद्ध विक्रेता नियुक्त नहीं किये गये जिससे कम्पनी को अधिकृत विक्रेताओं के कमीशन में बचत से लाभ हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी का उद्देश्य कमीशन बचाना नहीं है बल्कि राज्य के सभी किसानों की बीज की आवश्यकता को पूरा करना है। जैसा कि पहले बताया गया कि प्रतिबद्ध विक्रेता नियुक्त न किये जाने के कारण कम्पनी उपलब्ध बीजों का विक्रय भी नहीं कर पाई थी।

### **जुमाना राशि की वसूली नहीं करना**

2.1.22 प्रतिबद्ध विक्रेताओं की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, विक्रेता को कम्पनी के पास उपलब्ध प्रमाणित बीज के विक्रय द्वारा प्रतिबद्ध टर्नओवर की प्राप्ति करनी थी एवं प्रतिबद्ध लक्ष्य प्राप्त नहीं करने की स्थिति में कमी पर शास्ति वसूल की जावेगी। प्रतिबद्ध लक्ष्य से अधिक टर्नओवर करने पर विक्रेता को 0.5 से एक प्रतिशत का अतिरिक्त कमीशन दिया जावेगा। विक्रेता द्वारा बीज का अग्रिम आरक्षण करवाने पर बीज के विक्रय मूल्य का दो से चार प्रतिशत अतिरिक्त कमीशन का अधिकारी होता है।

यह देखा गया कि 34 मामलों में विक्रेताओं ने प्रतिबद्ध लक्ष्य प्राप्त नहीं किये थे तथा उनसे 55.12 लाख रुपये की शास्ति निम्न विवरणानुसार वसूलनीय थी:

(राशि: लाख रुपयों में)

वर्ष	दोषी विक्रेताओं की संख्या	प्रतिबद्ध टर्नओवर	प्राप्ति टर्नओवर	कमी	कमी के लिये शास्ति	शास्ति की माफी	वसूलनीय शास्ति	वसूली गई शास्ति	नहीं वसूली गई शास्ति
2000-01	12	542	378.12	163.88	12.02	2.14	9.88	शून्य	9.88
2001-02	7	361	282.43	78.57	5.73	-	5.73	0.36	5.37
2002-03	9	931	478.44	452.56	35.87	29.63	6.24	2.01	4.23
2004-05	6	462	242.55	219.45	1.50	-	1.50	-	1.50
योग	34	2296	1381.54	914.46	55.12	31.77	23.35	2.37	20.98

लेखापरीक्षा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि कम्पनी ने विक्रेताओं जिन्होंने प्रतिबद्ध लक्ष्य से अधिक टर्नओवर किया को 46.35 लाख रुपये के अतिरिक्त कमीशन का भुगतान करने में तत्परता दिखाई, वही इसने उनके टर्नओवर में कमी के लिये निर्धारित शास्ति नहीं वसूली। कम्पनी ने 55.12 लाख रुपये की कुल वसूलनीय शास्ति में से 31.77 लाख रुपये माफ कर दिये। शेष 23.35 लाख रुपये की शास्ति में से सिर्फ 2.37 लाख रुपये ही वसूले गये तथा शेष (20.98 लाख रुपये) दो से चार वर्षों की विचरित अवधि में वसूले नहीं जा सके।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि 2002-03 में राज्य में भयंकर सूखे के कारण शास्ति माफ की थी तथा शेष शास्ति की वसूली की कार्यवाही प्रगति पर है। 2000-01 की माफी के लिये तथापि औचित्य का अभाव था क्योंकि उस वर्ष में सूखे की स्थिति नहीं थी।

2004-05 से कम्पनी ने अपनी विपणन नीति में परिवर्तन किया तथा प्रतिबद्ध विक्रेताओं की नियुक्ति तीन वर्ष के लिये कमी के विस्तार से असम्बद्ध 25000 रुपये की मामूली शास्ति की वसूली के प्रावधान के साथ की थी। कम्पनी ने तथापि, वर्तमान नीति की प्रोत्साहन राशि की शर्त को यथावत रखा।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि बीज का बाजार क्रेता का है एवं शास्ति लगाने तथा प्रतिभूति राशि की प्राप्ति की नीति में परिवर्तन विक्रेताओं से विचार विमर्श के बाद किया गया था। कम्पनी ने तथापि, दोषी विक्रेताओं से मामूली शास्ति की वसूली के लिये नीति में परिवर्तन करते समय बीज की आगे ले जाने की लागत पर विचार नहीं किया था।

### निरस्त/छोटे आकार के बीज का निस्तारण

2.1.23 2004-05 को समाप्त पाँच वर्ष की अवधि में कम्पनी ने 4.61 करोड़ रुपये का 36,439 क्विंटल निरस्त बीज 42 नीलामी के माध्यम से बेचा जैसाकि नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

वर्ष	मात्रा (क्विंटल)	मूल्य (लाख रुपयों में)
2000-01	14,622	161.57
2001-02	4,663	131.16
2002-03	7,903	86.15
2003-04	2,983	26.95
2004-05	6,268	55.31

लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- 2000-05 के दौरान 12 मामलों जिसमें 60.81 लाख रुपये मूल्य की सामग्री शामिल थी, में नीलामी विज्ञप्ति का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करने के प्रावधान के विरुद्ध विज्ञप्ति का प्रकाशन केवल एक समाचार पत्र में किया गया था। इस प्रकार वहाँ प्रचार/पारदर्शिता का अभाव था।
- कम्पनी द्वारा बीज को नीलामी में रखने से पहले उसका सुरक्षित मूल्य निश्चित करना आवश्यक है। (मानदंड के अनुसार सुरक्षित मूल्य स्थानीय मंडी में प्रचलित मूल्य के 60 प्रतिशत से कम नहीं हो सकता है)। कम्पनी ने मानदंड का उल्लंघन करते हुये नीलामी योग्य बीज का सुरक्षित मूल्य निर्धारित नहीं किया था जिसके अभाव में निविदा दरों की पर्याप्तता, लेखा परीक्षा में नहीं जांची जा सकी।
- नीलामी योग्य सामग्री के निस्तारण की शर्तों के अनुसार, निविदा/नीलामी में प्राप्त प्रस्तावों को मुख्यालय द्वारा 15 दिन में अन्तिम रूप देना होता है। लेखापरीक्षा के दौरान तथापि देखा गया कि 14 मामलों में मुख्यालय द्वारा विक्रय दर के अनुमोदन में लिया गया समय 33 से 144 दिन तक विचरित था। इस प्रकार की देरी से बोलीदाताओं द्वारा अपनी दरों को देरी से सम्बद्ध जोखिम के साथ समायोजित करने की जोखिम रहती है।

### बिना अनुबन्ध के मिनिक्विट की आपूर्ति से हानि

2.1.24 कम्पनी ने एनएससी को विभिन्न फसलों के बीज मिनिक्विट में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निर्धारित दरों में से पाँच प्रतिशत छूट घटाते हुए आपूर्ति करने के लिये सहमति (अगस्त 2002) दी। कम्पनी ने तथापि, दरों के पुष्टिकरण के लिये एनएससी से कोई अनुबन्ध क्रियान्वित नहीं किया तथा विभिन्न बीजों के 76,390 मिनिक्विट की आपूर्ति करके जीओआई द्वारा निर्धारित दरों में पाँच प्रतिशत

छूट देकर 1.44 करोड़ रुपये का बिल जारी कर दिया। एनएससी ने तथापि, कम्पनी की बीज सामान्य विक्रय की दरों के आधार पर (जो कि जीओआई की दरों से कम थी), 1.14 करोड़ रुपये का पूर्ण एवं अन्तिम समाधान के रूप में भुगतान किया।

औपचारिक अनुबन्ध के अभाव में कम्पनी एनएससी से 30.62 लाख रुपये वसूल करने में विफल रही।

इस प्रकार, दरों के पुष्टिकरण के लिये एनएससी के साथ किसी औपचारिक अनुबन्ध के अभाव में कम्पनी एनएससी से शेष 30.62 लाख रुपये की राशि की वसूली नहीं कर सकी। कम्पनी ने संदिग्ध ऋण को अपलिखित करने के लिये मामले को एक समिति को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि एनएससी से राशि की वसूली के लिये प्रयास किये जा रहे थे।

### व्यापार संवर्धन एवं प्रचार

2.1.25 प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में बीज के विक्रय में व्यापार संवर्धन एवं प्रचार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कम्पनी अपने प्रमाणित बीज को 'राजसीड' के ब्रांड नाम से बेच रही है। ब्रांड को लोकप्रिय बनाने के लिये आक्रामक संवर्धनात्मक गतिविधियों की आवश्यकता थी। कम्पनी ने विपणन सेमीनार आयोजित करने तथा इसके ब्रांड को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से तथा किसानों में प्रमाणित बीज विशेषकर राजसीड के उपयोग के फायदों के बारे में जागरूकता लाने के लिये प्रचार अभियान चलाने का निर्णय लिया। योजना में अन्य बातों के अतिरिक्त निम्न प्रावधान थे:

- कम्पनी द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक प्रचार योजना बनाई जायेगी।
- प्रतिवर्ष विपणन सेमीनार खरीफ सीजन से पहले क्षेत्रीय स्तर पर तथा रबी सीजन से पहले मुख्यालय स्तर पर आयोजित की जावेगी।
- प्रत्येक संयंत्र प्रबन्धक अपने क्षेत्र में प्रत्येक सीजन में राजसीड की उस क्षेत्र में बोये गये अन्य ब्रांड बीज के ऊपर उच्चतमता प्रदर्शित करने के लिये एक क्षेत्र दिन आयोजित करेगा।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 2000-05 के दौरान न तो वार्षिक प्रचार योजना बनाई गई और न विपणन सेमीनार आयोजित की गई। संयंत्र प्रबन्धकों द्वारा क्षेत्र दिन आयोजित नहीं किये गये। इस प्रकार 'राजसीड' को लोकप्रिय बनाने एवं प्रमाणित बीज के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये कम्पनी द्वारा समुचित प्रयास नहीं किये गये, जिसने कम्पनी के बाजार हिस्से को घटाने में योगदान दिया।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि अब आगे से वार्षिक प्रचार योजना बनाई जावेगी।

### आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

2.1.26 आंतरिक नियंत्रण एक प्रबन्धन औजार है जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि उद्देश्य प्रभावी एवं क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण हो गये हैं, सम्पत्तियाँ सुरक्षित हैं तथा नियम एवं क्रियाविधियों की पालना हो रही है।

कम्पनी की विभिन्न गतिविधियों के नियम एवं क्रियाविधियों तथा इन गतिविधियों को क्रियान्वित करने वाले कर्मचारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को लेखाबद्ध करने के लिये, कम्पनी ने नियम पुस्तिकाएँ विशेषकर लेखा नियम पुस्तिका, बीज उत्पादन नियम पुस्तिका, क्रय नियम पुस्तिका, बीज भंडारण नियम पुस्तिका एवं विपणन नियम पुस्तिका नहीं बनाई। कम्पनी ने जुलाई 1999 में आईएसओ 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त किया जो तीन वर्ष के लिये वैध था। आईएसओ प्रमाणन की वैधता अवधि जुलाई 2002 में समाप्त होने पर कम्पनी ने इसका नवीनीकरण नहीं कराया।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि वे आईएसओ प्रमाणन को पुनः प्राप्त करने के प्रयास कर रहे थे।

कम्पनी के पास आन्तरिक लेखापरीक्षा दल अथवा आन्तरिक लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका नहीं है और न इसने कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा मानक निर्धारित किये हैं। इस बीच आन्तरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार की फर्म से करवाई जा रही है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि इन फर्मों द्वारा की गई आन्तरिक लेखापरीक्षा पूर्ण नहीं थी क्योंकि इसमें कम्पनी/आरएसएससीए द्वारा किये गये खेतों के निरीक्षण एवं बीज उत्पादकों द्वारा उत्पादित अपक्व बीज की प्रत्याशित उत्पादन के अनुसार कम्पनी को आपूर्ति से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच सम्मिलित नहीं थी। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल अनुच्छेद साधारण प्रकृति के थे तथा आन्तरिक लेखापरीक्षक द्वारा कोई महत्वपूर्ण अनियमितता प्रतिवेदित नहीं की गई थी।

सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में लगातार टिप्पणी की थी कि आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था में आगे सुधार की आवश्यकता है। यद्यपि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लेखापरीक्षा समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया था, फिर भी समिति एवं प्रबन्धन द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई।

### निगरानी

2.1.27 कम्पनी का संचालक मण्डल कम्पनी के उद्देश्यों को पूर्ण करने की क्रियाविधि निर्धारित करने एवं नीतिगत निर्णय लेने के लिये सर्वोच्च संस्था है। इस उद्देश्य के लिये सभी कम्पनियाँ अपने बोर्ड की नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित करती हैं। प्रत्येक निदेशक को इस बैठकों में अपने ज्ञान एवं विशेषज्ञता की भागीदारी के लिये उपस्थित होना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि सरकार द्वारा नामित दो निदेशकों ने क्रमशः मार्च 2000 से मार्च 2001 तक एवं दिसम्बर 2004 से सितम्बर 2005 तक आयोजित किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया। इसके अतिरिक्त एक नामित निदेशक ने अपने कार्यकाल में आयोजित 14 बैठकों (अप्रैल 2002 से दिसम्बर 2003) में से केवल दो में, एक निदेशक ने पाँच बैठकों (मार्च 2004 से दिसम्बर 2004) में से केवल एक में तथा एक निदेशक ने नौ बैठकों (दिसम्बर 2001 से मार्च 2004) में से केवल 6 में भाग लिया था।

अतः बैठकों में अनुपस्थित निदेशक अपने विश्वास योग्य कर्तव्य को पूर्ण करने में विफल रहे एवं कम्पनी योजना, कार्य निष्पादन एवं मानक व्यवहार पर उनके स्वतंत्र विचारों से वंचित रही थी।

### निष्कर्ष

गुणवत्ता बीजों के उत्पादन, विधायन एवं किसानों को उचित मूल्य पर वितरण के सम्बन्ध में कम्पनी का कार्य निष्पादन अपर्याप्त था। 45.86 करोड़ रुपये की अर्थ सहायता के बावजूद, वर्ष 2000-05 के दौरान उपयुक्त विपणन नीति में कमी के कारण कम्पनी का बाजार में हिस्सा गिर गया था। यह अपने बीज के उत्पादन एवं विक्रय के लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं कर सकी। प्रभावी निगरानी के अभाव में प्रजनक एवं आधार बीज का वास्तविक उत्पादन, प्रत्याशित उत्पादन से हमेशा ही कम रहा। बीज विधायन सयंत्रों का कम उपयोग, बीजों की नई किस्मों का विकास न करना, उपरिब्यय प्रभारों का अधिक लगाया जाना तथा विपणन सहायता का सम्पूर्ण लाभ किसानों को न देना, कम्पनी द्वारा पर्याप्त एवं अच्छी किस्म के बीज किसानों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करने में योगदान दिया।

**सिफारिशें**

कम्पनी को चाहिये कि :

- ⊙ प्रजनक एवं आधार बीज के वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ करें;
- ⊙ प्रमाणित बीज के उत्पादन को बढ़ाने के लिये बीज उत्पादकों से सम्पूर्ण उत्पादन प्राप्त करना सुनिश्चित करें ;
- ⊙ बीज के उत्पादन एवं विक्रय में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये अपनी विपणन योजना में सुधार करें ;
- ⊙ वास्तविक उपरिव्यय को शामिल करके एवं सम्पूर्ण उपलब्ध आर्थिक सहायता का प्रभाव देकर समय पर एवं सही विक्रय मूल्य निर्धारित करने का तंत्र विकसित करें ;
- ⊙ राज्य कृषि नीति में दी गई उच्च एसआरआर को प्राप्त करने हेतु बीज की नई किस्मों को विकसित करने के लिये एक लम्बी अवधि की निगम योजना बनाये एवं उसको क्रियान्वित करें ; तथा
- ⊙ अपने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करे।



## 2.2 राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड

### जिप्सम का खनन, पिसाई और विपणन

#### झलकियाँ

कम्पनी के परिचालन लाभ में जिप्सम का हिस्सा, वर्ष 2001-02 के 21.55 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2005-06 में 11.52 प्रतिशत रह गया।

(अनुच्छेद 2.2.8)

कम्पनी के द्वारा 1.60 करोड़ रुपये की अधिक हैडलिंग हानि को बोर्ड के अनुमोदन द्वारा बिना जांच के अपलेखित कर दिया गया जोकि तथ्य एवं सूचना के गलत निरूपण पर आधारित था।

(अनुच्छेद 2.2.22)

खनन की प्रभावी योजना के अभाव में, खानों को एजेन्सी आधार पर स्वीकारने के कारण वर्ष 2004-05 में कम्पनी द्वारा 1.10 करोड़ रुपये के न्यूनतम प्रीमियम प्रभार का परिहार्य भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 2.2.11)

रेलवे साइडिंग पर जिप्सम का विक्रय करने पर अन्य प्रभार के रूप में ग्राहकों को 91.33 लाख रुपये का अदेय लाभ दिया।

(अनुच्छेद 2.2.18)

वैधानिक पर्यावरणीय सफाई की स्वीकृति प्राप्त न करने के कारण 11 पट्टों पर खनन कार्य रोकना पड़ा, जिसके कारण वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में स्थिर भारक राशि का 54.29 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 2.2.10)

जिप्सम खनन की निविदा आमंत्रण में विलम्ब के कारण कम्पनी को 22.67 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

(अनुच्छेद 2.2.14)

शुल्क आहरण के दावों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब और अनुकरण में विफलता के कारण 49.37 लाख रुपये की राशि अवरोधित रही।

(अनुच्छेद 2.2.21)

### प्रस्तावना

2.2.1 राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (कम्पनी) का जून 1973 में सामेलन हुआ तथा राज्य में राक फास्फेट, जिप्सम, चूने के पत्थर, लिग्नाईट और अन्य खनिजों के खनन में कार्यरत है। पूर्व की राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (राज्य सरकार की एक अन्य कम्पनी) का लोक हित में, उपरिव्यय को घटाने तथा मितव्ययता के मापदण्डों को प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2001-02 में, कम्पनी में एकीकरण किया गया।

जिप्सम जलीय कैल्शियम सल्फेट ( $\text{Ca SO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ ) है, जिसमें 79 प्रतिशत कैल्शियम सल्फेट तथा 21 प्रतिशत जल होता है। यह प्राकृतिक रूप में तथा सह-उत्पाद के रूप में, दोनों प्रकार से उपलब्ध है। भू-भण्डार से प्राप्त जिप्सम को प्राकृतिक/खनिज जिप्सम कहते हैं। जिप्सम एक महत्वपूर्ण औद्योगिक खनिज है जो प्रमुखतया सीमेन्ट, उर्वरक और प्लास्टर ऑफ पेरिस उद्योग एवं गंधक के तेजाब निर्माण और रंग रोगन, रबड़, कागज उद्योग आदि में फिलर के रूप में काम आता है। जिप्सम पाउडर भूमि सुधार में मृदा अनुकूलक के रूप में भी काम आता है। भारत में राजस्थान खनिज जिप्सम का मुख्य उत्पादक है तथा कम्पनी राजस्थान के बीकानेर, चुरू, श्री गंगानगर, जैसलमेर, नागौर और पाली जिलों के खनिज भण्डारों से खनन करती है।

कम्पनी का प्रबन्धन, निदेशक मंडल में निहित है जिसमें अध्यक्ष तथा एक प्रबन्ध निदेशक सहित आठ निदेशक हैं (यथा मार्च 2006 को)। खनन, पिसाई और विपणन कार्यकलापों के प्रमुख, समूह महाप्रबन्धक है, जो प्रबन्ध निदेशक के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के अधीन होते हैं। समूह महाप्रबन्धक की सहायताय वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक होते हैं।

कम्पनी की कार्यस्थिति 'जिप्सम कार्यकलाप' सहित, की समीक्षा 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में शामिल की गयी थी। इस पर राजकीय उपक्रम समिति में चर्चा हो चुकी है (अक्टूबर 2006)।

### लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.2.2 कम्पनी के द्वारा पाँच वर्ष की अवधि 2001-06 के दौरान किये गये जिप्सम के खनन, पिसाई और विपणन कार्य को प्रस्तुत निष्पादन समीक्षा में शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा परिणाम, रणनीतिक व्यापारिक इकाई और लाभ केन्द्र (एस.बी.यू. एवं पी.सी.) जिप्सम बीकानेर के अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित है। समीक्षा अवधि में 16 से 31 खाने विभिन्न समयावधि के दौरान चालू रही। चालू खानों के पचास प्रतिशत को वित्तीय महत्ता और संव्यवहार सार्थकता के आधार पर नमूना जांच के लिए चुना गया।

### लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.2.3 निष्पादन लेखापरीक्षा इस बात का मूल्यांकन और निर्धारण करने के लिए की गयी कि क्या:

- भारत सरकार (जीओआई) और राजस्थान सरकार (जीओआर) के द्वारा निर्धारित विधायी प्रक्रिया/प्रावधानों का प्रबन्धन द्वारा अनुसरण किया जा रहा है;
- कम्पनी ने रणनीतिक योजना यथा वार्षिक योजना और खनन योजना तैयार कर ली थी, ताकि उपलब्ध खनिज संसाधनों का प्रभावी विदोहन सुनिश्चित किया जा सके;
- रेलवे के दण्डात्मक किराये/स्थिर भारक तथा खनन, परिवहन, पिसाई एवं लदान के ठेके प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर देते समय, प्रबन्धन संभावित जोखिमों से अपने हितों की रक्षा करने में दक्ष था;
- राजस्व हानि को रोकने के लिए, जिप्सम पिसाई इकाई के अधिकतम उपयोग तथा हैडलिंग हानि/मार्गीय कमी के लिए एक प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था थी;
- जिप्सम विक्रय के लिए प्रबन्धन ने एक प्रभावी मूल्य प्रक्रियाविधि विकसित कर लागू कर ली है, और
- जिप्सम के रंगरोगन, रबड़ और कागज उद्योग में बाजार विकसित करने के लिए, कम्पनी प्रबन्धन के पास एक मजबूत, आक्रामक और पारदर्शी विपणन रणनीति/नीति है।

### लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.2.4 निम्न लेखापरीक्षा मापदण्ड काम में लिए गये:

- खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम 1957, खनिज छूट नियम 1960 तथा राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 में विहित नियम और विनियम;
- भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार के खान विभाग द्वारा जारी आदेश;
- भारत सरकार के वन तथा पर्यावरण मंत्रालय (एम.ओ.ई एण्ड एफ) द्वारा जारी आदेश;
- बोर्ड के निर्देश/मार्गदर्शन बिन्दु;
- कम्पनी की वार्षिक खनन/निगमन योजना; और
- कम्पनी द्वारा निष्पादित संविदाओं की शर्तें एवं स्थिति।

### लेखापरीक्षा कार्यविधि

2.2.5 लेखा परीक्षा ने निम्न कार्यविधियों के मिश्रण का अनुकरण किया :

- खनन और पर्यावरणीय नियमों का परीक्षण और लीज प्रबन्धन के सन्दर्भ में निदेशक खान एवं भूगर्भ विज्ञान द्वारा जारी आदेश व विनियम;
- जिप्सम की मांग का निर्धारण और वास्तविक खनन से सम्बन्धित अभिलेखों की लेखा परीक्षा;
- केन्द्रीयकृत जिप्सम पिसाई (के.जि.पि.) इकाई की स्थापना के सम्बन्ध में परियोजना/संभाव्यता प्रतिवेदन और अन्य अभिलेखों की जांच, इस इकाई के उपयोजन और इसकी पिसाई लागत का, कम्पनी द्वारा किराये पर नियुक्त निजी पिसाईकर्ताओं की लागत से तुलना;
- विक्रय मूल्य का निर्धारण और इसका लागू होना और विक्रय से सम्बन्धित अभिलेख, बिल जारी करने में विलम्ब की जांच; और
- उत्पाद की गुणवत्ता तथा इसकी ग्राहकों द्वारा स्वीकार्यता से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण।

**खनिज विनियामक ढांचा**

2.2.6 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1957 की धारा 4(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, इस अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत जारी प्रारम्भिक सर्वेक्षण अनुमति अथवा खोज अनुज्ञापत्र की शर्तों के अतिरिक्त, कोई प्रारम्भिक सर्वेक्षण, खोज अथवा खनन कार्य नहीं करेगा। इसी अधिनियम की धारा 5(2) (बी) और खनिज छूट नियम 1960 के नियम 22 ए के अनुसार राज्य सरकार द्वारा खनन योजना के अनुमोदन के बिना कोई खनन पट्टा जारी नहीं किया जावेगा। खनन पट्टे के प्रचालन के दौरान, अनुमोदित खनन योजना में कोई अन्य परिवर्तन पर भी राज्य सरकार की पूर्वानुमोदन आवश्यक है।

**लेखापरीक्षा परिणाम**

2.2.7 लेखापरीक्षा परिणाम जुलाई 2006 में सरकार/प्रबन्धन को प्रतिवेदित कर दिये गये और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु लेखापरीक्षा समीक्षा समिति (ए.आर.सी.पी. एस.ई.) की 31 अगस्त, 2006 को हुई बैठक में इन पर सरकार/प्रबन्धन से चर्चा हुई, जहाँ सचिव, खान ने सरकार का प्रतिनिधित्व किया तथा प्रबन्ध निदेशक ने कम्पनी का प्रतिनिधित्व किया। सरकार/प्रबन्धन के विचारों को दृष्टिगत रखते हुये समीक्षा को अन्तिम रूप दिया गया। लेखापरीक्षा परिणामों पर आगे के अनुच्छेदों में विवेचना की गयी है।

**कार्यकारी परिणाम**

2.2.8 नीचे दी गयी तालिका में 31 मार्च 2006 को कम्पनी की (एस.बी.यू. एवं पी.सी.) जिप्सम, के कार्यकारी परिणाम तथा प्रचालन लाभ (ब्याज तथा मूल्य हास से पूर्व) की स्थिति दी गयी है:

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	प्रचालन राजस्व	3,694.42	7,765.18	6,781.79	8,751.31	7,919.73
2	प्रचालन व्यय	2,894.54	6,326.21	5,498.18	6,933.56	6,133.81
3	एस.बी.यू. एवं पी.सी. जिप्सम के ब्याज और मूल्य हास से पूर्व का प्रचालन लाभ	799.88	1,438.97	1,283.61	1,817.75	1,785.92
4	कम्पनी का ब्याज और मूल्य हास से पूर्व का सम्पूर्ण प्रचालन लाभ	3,711.06	5,972.96	6,983.54	13,060.33	15,506.31
5	कम्पनी के प्रचालन लाभ में एस.बी.यू. एवं पी.सी. जिप्सम का हिस्सा (प्रतिशत में)	21.55	24.09	18.38	13.92	11.52

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

कम्पनी के प्रचालन लाभ में जिप्सम का हिस्सा 2002-06 के दौरान में 21.55 से घटकर 11.52 रह गया।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि एस.बी.यू. एवं पी.सी. जिप्सम का प्रचालन का लाभ 2001-02 के 8 करोड़ रुपये से बढ़कर 2005-06 में 17.86 करोड़ रुपये हो गया। यद्यपि कम्पनी के प्रचालन लाभ में इसका हिस्सा 2001-02 के 21.55 प्रतिशत से घटकर 2005-06 में 11.52 प्रतिशत रह गया।

### खनन पट्टे और उनका प्रचालन

2.2.9 कम्पनी को खानों से निकाले खनिज के लिए अधिकार शुल्क तथा न्यूनतम किराये की राशि से कम निकाले खनिज के लिए स्थिर भारक का भुगतान करना होता है। कम्पनी के पास 31 मार्च 2006 को समाप्त पाँच वर्ष की अवधि में निम्न खनन पट्टे/कार्य अनुमति थी:

(संख्या में)

क्र.सं.	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	खनन पट्टे (एम.एल.)	13	11	39	37	26
2	कार्य अनुमति (डब्ल्यू.पी.)	9	6	-	-	-
	योग	22	17	39	37	26
3	प्रचालन में एम.एल./ डब्ल्यू.पी.	16	16	31	19	10
4	एम.एल./डब्ल्यू.पी. जो प्रचालन में नहीं थे	6	1	8	18	16

खनिज के खनन नहीं करने से और खान पट्टों के समर्पण के अभाव में 38.51 लाख रुपये का स्थिर भारक का परिहार्य भुगतान किया गया।

तालिका से यह स्पष्ट है कि अवधि 2001-06 के दौरान 18 खानों (50 प्रतिशत) तक प्रचालन में नहीं थी। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि कम्पनी ने 21 विभिन्न खनन पट्टों (इन खानों सहित) से न्यूनतम स्थिर भारक की सीमा तक पर्याप्त खनिज नहीं निकाला और 2001-06 के दौरान 23.74 लाख रुपये का स्थिर भारक चुकाया।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2006) कि किसानों ने खानों से जिप्सम का खनन नहीं करने दिया, इसलिए कम्पनी के पास स्थिर भारक देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कम्पनी ने भूमि मालिकों के प्रतिरोध करने के कारण उनके क्षेत्र में जिप्सम खनन न हो सकने वाली खानों के प्रचालन सम्बन्धी कोई अभिलेख तैयार नहीं किये। अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में स्थिर भारक के भुगतान को टालने के लिए जिप्सम का पर्याप्त खनन नहीं किया।

खनिज छूट नियम 1960 के अनुसार पट्टे को समर्पित करने की तिथि से कम से कम 6 माह पूर्व पट्टा धारी प्रार्थना कर सकता है। लेखा परीक्षा संवीक्षा में पता चला कि चार खनन पट्टे\* में खनिज, यद्यपि 2003-04 में समाप्त हो गये थे, खनन पट्टे दो वर्ष के विलम्ब से समर्पित किये गये जिसके कारण कम्पनी को अवधि 2004-05 एवं 2005-06 के लिए 14.77 लाख रुपये का स्थिर भारक का परिहार्य भुगतान करना पड़ा! लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह भी प्रकट हुआ कि प्रत्येक खान की प्रचालन अवधि में खनन स्तर पर नियंत्रण के अभाव के कारण कम्पनी, खनन पट्टों के समर्पण के लिए अग्रिम कार्यवाही नहीं कर सकी।

प्रबन्धन ने खानों में समर्पण में देरी को स्वीकारते हुए (अगस्त 2006) कहा कि किसानों ने जिप्सम खनन नहीं करने दिया जिससे ये खानें विदोहन के बिना रही तथा समर्पित नहीं की जा सकी।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन खानों से 2003-04 तक खनन किया गया तथा और खनन के लिए जिप्सम नहीं था।

#### पर्यावरणीय अनुमति के बिना खनन

पर्यावरणीय अनुमति नहीं प्राप्त करने के कारण खनन कार्य निलम्बित करना पड़ा और स्थिर भारक 54.29 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

2.2.10 पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की विज्ञप्ति (जनवरी 1994) द्वारा निर्देश दिये गये थे कि भारत के किसी भी भाग में खनन कार्यों के वृद्धिकरण/आधुनिकीकरण सहित खनन कार्य मंत्रालय की पर्यावरणीय अनुमति के बिना नहीं किये जा सकेंगे। इसके उपरान्त भी कम्पनी ने बिना पर्यावरणीय अनुमति के, विज्ञप्ति का उल्लंघन करते हुए 11 खानों (196 लाख मै.टन खनिज भण्डार) में दस वर्षों से खनन कार्य जारी रखा। इसके लिए कोई कारण अभिलेख पर नहीं थे। राजस्थान सरकार ने अप्रैल/मई 2004 में उक्त विज्ञप्ति के क्रम में, कम्पनी को, इन 11 खानों में खनन बन्द करने के निर्देश दिये। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन 11 खानों में खनन कार्य निलम्बित रहा (जुलाई 2006) तथा अवधि 2004-05 और 2005-06 के लिए कम्पनी द्वारा स्थिर भारक रू. 54.29 लाख का परिहार्य भुगतान किया गया। कम्पनी ने विलम्ब से केवल चार खानों की पर्यावरणीय अनुमति के लिए आवेदन किया (अक्टूबर 2005 - अप्रैल 2006) और बाकी सात के लिए पर्यावरणीय अनुमति के लिए आवेदन करने तथा मिलने तक परिहार्य स्थिर भारक का भुगतान करेगी।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2006) कि पर्यावरणीय अनुमति लेने की प्रक्रिया बहुत लम्बी है और सभी खानों के लिए एक साथ अनुमति लेना मुश्किल है। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिसूचना जारी होने के दस वर्षों से अधिक अवधि के बाद भी पर्यावरणीय अनुमति के आवेदन करने में कम्पनी विफल रही।

\* भदवासी-II भदवासी- III भदवासी-ए.सी. सी. और धांधू

### एजेन्सी आधार पर खनन कार्य

प्रभावी योजना व अध्ययन के बिना एजेन्सी व्यवस्था को स्वीकारने के कारण 1.10 करोड़ रुपये की हानि हुई।

2.2.11 कम्पनी ने सितम्बर 2003 और अक्टूबर 2004 के दौरान बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर जिलों के 27 स्थानों में प्रत्येक स्थान पर पाँच हैक्टेयर के खनन पट्टे के लिए खान एवं भूगर्भ विज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार को आवेदन किया। राजस्थान सरकार ने खनन पट्टे देने के स्थान पर यह प्रस्ताव रखा (अप्रैल 2005) कि कम्पनी 27 खानों पर उसके अभिकर्ता के रूप में खनन कार्य करे। एजेन्सी की शर्तों के अनुसार कम्पनी को विधिक देयता के अतिरिक्त, प्रत्येक माह के जिप्सम प्रेषण पर 20 रुपये प्रतिटन प्रीमियम प्रभार का भुगतान करना होगा जो प्रतिमाह न्यूनतम प्रभार 2,000 मै.टन के लिए 40,000 रुपये होगा। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने बिना प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराए कि क्या वहाँ राज्य सरकार के आदेशानुसार सभी आरक्षित क्षेत्रों में न्यूनतम खनन कार्य कर सकेगी, सभी 27 खानों को स्वीकार कर लिया।

यह भी पाया गया कि इन 27 खानों में से 11 खानों की मार्च 2006 तक भी खनन योजना नहीं बनी थी, परिणामतः इन 11 खानों में से कोई खनिज नहीं निकाला जा सका, और एजेन्सी की शर्तों के अनुसार बिना खनन के कम्पनी द्वारा प्रीमियम प्रभार के 48.40 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान किया गया। कम्पनी ने शेष 16 खानों में से 8 खानों में सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर भी खनन कार्य प्रारम्भ नहीं किया, परिणामतः न्यूनतम प्रीमियम प्रभार के 35.20 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान किया। इसके अतिरिक्त आठ स्थानों पर जहाँ खनन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था, कम्पनी न्यूनतम खनन 2,000 मै.टन प्रतिमाह करने में विफल रही और खनन मात्रा में कमी के कारण न्यूनतम प्रीमियम प्रभार 26.28 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान किया। इस प्रकार एजेन्सी व्यवस्था को यथेष्ट योजना और दक्षतापूर्वक क्रियान्वयन के अभाव में स्वीकारने से वर्ष 2005-06 में 1.10 करोड़ रुपये की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2006) कि अनाधिकृत तत्वों द्वारा की जा सकने वाली रोयल्टी, विकास शुल्क और अन्य सरकारी देयता की हानि को रोकने के लिए उसने खानों का आवंटन स्वीकार किया। यह भी कहा कि तकनीकी/व्यापारिक रूप से सभी क्षेत्रों में एक साथ खनन कार्य करना वांछनीय भी नहीं था। प्रबन्धन ने आगे कहा कि अतिरिक्त शर्तों पर पुर्नविचार के लिए सरकार तक पहुँच की है।

कम्पनी का बिना प्रारम्भिक अध्ययन तथा खुदाई की योजना से खनन कार्य एजेन्सी आधार पर प्राप्त करने का निर्णय वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्य रहित है, क्योंकि इस अविवेकपूर्ण निर्णय से प्रीमियम प्रभार का निष्फल भुगतान हुआ।



**रवन्ना\* का गलत जारी होना**

गलत रवन्ना जारी करने के कारण 46.43 लाख रूपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

2.2.12 लेखापरीक्षा में देखा गया कि एजेन्सी आधार पर प्रारम्भ किये खनन कार्यो के आठ स्थानों में से एक स्थान अर्थात् ढाणी अब्दुल्ला वाली-ए से जनवरी-मार्च 2006 के दौरान 2,38,155.50 मै.टन खनन दर्शाया जाकर 47.63 लाख रूपये के प्रीमियम प्रभार का भुगतान राज्य सरकार को किया गया। भू मालिकों को फसल मुआवजा भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पता चला कि भू मालिक और खसरा नम्बर जिसके लिए फसल मुआवजा दिया गया था, इस खनन पट्टे से सम्बन्धित नहीं होकर कम्पनी की स्वयं की खान क्षेत्र से सम्बन्धित थे। इससे यह दर्शित होता है कि रवन्ना इस खनन पट्टे के लिए गलती से जारी किये गये जबकि खनिज का खनन अन्य पट्टो से हुआ। रवन्ना के गलत जारी होने के कारण राज्य सरकार को प्रीमियम प्रभार के 46.43 लाख रूपये का अदेय भुगतान हो गया।

कम्पनी ने तथ्य स्वीकारते हुए (सितम्बर 2006) उचित सुधारात्मक कार्यवाही के लिए आश्वस्त किया।

**उत्पादन निष्पादन**

2.2.13 कम्पनी ने सीमेन्ट उद्योग जो कि प्रमुख ग्राहक है की मांग के आधार पर, जिप्सम खनन के लक्ष्य निर्धारित किये। नीचे दी गयी तालिका, 31 मार्च 2006 को समाप्त पाँच वर्ष की अवधि के लिए, सीमेन्ट उद्योग में प्राकृतिक जिप्सम की मांग के साथ कम्पनी द्वारा निर्धारित जिप्सम खनन लक्ष्य और लक्ष्य के समक्ष वास्तविक खनन की स्थिति को दर्शाती है:

(लाख मै.ट. में)

क्र.सं.	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	सीमेन्ट उद्योग में प्राकृतिक जिप्सम की कुल जरूरत	26.12	28.55	30.09	32.63	36.16
2	कम्पनी द्वारा जिप्सम खनन के निर्धारित लक्ष्य	12.47	11.25	24.00	27.00	28.00
3	कम्पनी द्वारा किया गया वास्तविक जिप्सम खनन	14.01	12.29	23.75	28.67	27.97
4	मांग के सापेक्ष खनन लक्ष्य प्रतिशतता में	47.74	39.40	79.76	82.75	77.43
5	खनन लक्ष्य की प्राप्ति प्रतिशतता में	112.35	109.24	98.96	106.19	99.89

तालिका से यह स्पष्ट है कि विगत पाँच वर्षों की अवधि में प्रतिशतता में खनन लक्ष्यों की प्राप्ति 98.96 से 112.35 की सीमा में रही। यद्यपि कम्पनी ने खनन

\* रवन्ना - एक दस्तावेज है (फार्म नं.12) जिसके द्वारा खान एवं भूगर्भविज्ञान विभाग (राजस्थान सरकार) खान से निकाले खनिज को ले जाने को अनुमत्य करती है।

लक्ष्य प्राप्त कर लिए थे, खनन लक्ष्यों के लिए खानों की उपलब्धता और अकेले सीमेन्ट उद्योग की प्राकृतिक जिप्सम की मांग की तुलना में, खनन लक्ष्य निचले स्तर पर निर्धारित किये गये। पिछले पाँच वर्षों में सीमेन्ट उद्योग की प्राकृतिक जिप्सम की मांग के लिए कम्पनी ने खनन लक्ष्य 39.40 से 82.75 प्रतिशत के बीच ही रखे। निचले स्तर पर लक्ष्य निर्धारण के कारण न तो अभिलेख पर थे न बताये गये।

### **खनन के लिए नयी निविदाओं के आमंत्रण में विलम्ब**

नयी निविदाओं के आमंत्रण में विलम्ब के कारण 22.67 लाख रुपये का अतिरिक्त परिहार्य भुगतान।

2.2.14 खानों से जिप्सम का खनन, इसका खानों से पिसाई इकाईयों/रेलवे साइडिंग तक परिवहन तथा वैगनों में लदान संविदात्मक आधार पर किया जाता है। जिप्सम की पिसाई भी आंशिक रूप से कम्पनी द्वारा की जाती है। कम्पनी द्वारा निर्धारित मात्रा में जिप्सम खनन का ठेका दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए दिया जाता है। लेखा परीक्षा में देखा गया कि प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं में प्राप्त खनन दरों में पाँच वर्षों से अधिक समय से गिरावट का रुझान रहा है। इसके उपरान्त भी खनन के चालू ठेकों को समाप्त होने से पूर्व नयी निविदाएँ आमंत्रित करने के बजाय, कम्पनी द्वारा चालू ठेकों को उन्ही दरों व शर्तों पर चार माह के लिए बढ़ाया (नवम्बर 2005 से फरवरी 2006)। बाद में प्राप्त नयी निविदाओं में दरें 40.21 से 71.39 प्रतिशत कम थी। कम्पनी ने चार माह की वर्धित समयावधि के लिए जिप्सम खनन पर 22.67 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया।

इस प्रकार नयी निविदाओं के आमंत्रण के लिए समय पर कार्यवाही प्रारम्भ नहीं करने से कम्पनी ने 22.67 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2006) कि ठेकों में समयावृद्धि कार्य में रूकावट को टालने के लिए की। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि कार्य में रूकावट की आकस्मिकता को, नयी निविदाओं के आमंत्रण व उसके अन्तिम रूप दिये जाने की प्रक्रिया को समय से प्रारम्भ कर, टाला जा सकता था।

### **केन्द्रीयकृत जिप्सम पिसाई (के.जि.पि.) इकाई को निष्पादन गारन्टी जांच के बिना स्वीकारना**

2.2.15 कृषि क्षेत्र में भूमि सुधार के लिए पाउडर अवस्था (ऋणात्मक 2 मि.मी. आकार) का जिप्सम जिसमें 70 प्रतिशत कैल्शियम सल्फेट हो, की आवश्यकता होती है। कम्पनी ने मांग को दृष्टिगत रखते हुये 1.60 करोड रुपये लागत की एक 50 टन प्रति घन्टा (टी.पी.एच.) क्षमता की पिसाई इकाई, जिसे बाद में बढ़ाकर (जून 2002) 70 टन प्रति घन्टा तथा अनुमानित लागत 1.88 करोड कर दी, की रावला श्री गंगानगर में स्थापना का प्रस्ताव किया। इस इकाई की आपूर्ति एवं स्थापना, आदेश की तिथि से चार माह में करने का कार्य आदेश साबू

इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया (दिसम्बर 2002)। के.जि.पि. इकाई यद्यपि अप्रैल 2004 में स्थापित हुई।

वांछित निष्पादन सुनिश्चित किये बिना पिसाई संयंत्र को स्वीकार किया जाना।

संविदा शर्तों के अनुसार, संयंत्र को सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान 70 टन प्रति घन्टा आर.ओ.एम.\* का आश्वासित निष्पादन देना था। आश्वासित निष्पादन में कमी की अवस्था में, 10 प्रतिशत तक की कमी के लिए आपूर्तिकर्ता को जुमनि का भुगतान तथा इससे अधिक कमी पर संयंत्र में सुधार कर उसे आश्वासित क्षमता का करना था। यह पाया गया कि के.जि.पि.इकाई ने अवधि 2004-05 और 2005-06 में 52.98 मै.टन तथा 57.28 मै.टन प्रति घन्टा का निष्पादन ही किया। इस प्रकार निष्पादन में 10 प्रतिशत से अधिक कमी के उपरान्त भी कम्पनी ने संयंत्र सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाये।

#### के.जि.पि. इकाई का कम उपयोग

2.2.16 नीचे दी गयी तालिका में 31 मार्च 2006 को समाप्त पाँच वर्ष की अवधि में के.जि.पि.इकाई की क्षमता और उत्पादन तथा ठेकेदारों द्वारा जिप्सम पाउडर का उत्पादन दर्शाया है।

(लाख मै.ट. में)

विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
के.जि.पि.इकाई द्वारा जिप्सम पाउडर का उत्पादन	-	-	0.12	1.34	1.11
ठेकेदारों द्वारा जिप्सम पाउडर का उत्पादन	1.83	1.98	2.16	2.97	1.67
जिप्सम पाउडर का कुल उत्पादन	1.83	1.98	2.28	4.31	2.78
के.जि.पि. इकाई की क्षमता	-	-	-	3.36	3.36
के.जि.पि.इकाई की प्रतिशत में उपयोगिता	-	-	-	39.88	33.04

उपरोक्त से यह पाया कि के.जि.पि.इकाई की उपयोगिता वर्ष 2004-05 में 39.88 प्रतिशत तथा वर्ष 2005-06 में 33.04 प्रतिशत थी। लेखापरीक्षा में पाया कि के.जि.पि.इकाई की अनुपयोगित क्षमता 60 प्रतिशत से भी अधिक होने के बावजूद, कम्पनी द्वारा जिप्सम पिसाई के लिए निजी ठेकेदारों की सेवाओं का उपयोग किया गया। लेखापरीक्षा विश्लेषण से विदित हुआ कि यदि कम्पनी के.जि.पि. इकाई को पूर्ण क्षमता से उपयोग में लेती तो जिप्सम पिसाई की लागत ठेकेदारों को दी गयी 56 रू. के स्थान पर 41 रूपये प्रति मै.टन आती।

प्रबन्धन ने संयंत्र के कम उपयोग से ज्यादा पिसाई लागत आने के लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार किया (सितम्बर 2006)।

\* रन ऑफ माइन

### विक्रय निष्पादन

2.2.17 जिप्सम का विक्रय सीधे ही ग्राहकों को आर.ओ.एम. अवस्था में और कृषि क्षेत्र के लिए सरकारी एजेन्सियों को पाउडर अवस्था में किया जाता है। कम्पनी द्वारा आर.ओ.एम. व पाउडर जिप्सम के पृथक-पृथक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते। तालिका में 31 मार्च 2006 को समाप्त पाँच वर्ष की अवधि में देश के सीमेन्ट उद्योग में प्राकृतिक जिप्सम की मांग तथा विक्रय की स्थिति को दर्शाया है।

(लाख मै.ट.में)

क्र.सं.	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	सीमेन्ट उद्योग में कुल जिप्सम की आवश्यकता	51.22	55.98	59.00	63.98	70.90
2	सीमेन्ट उद्योग में कुल प्राकृतिक जिप्सम की आवश्यकता	26.12	28.55	30.09	32.63	36.16
3	सीमेन्ट उद्योग को बेची गयी प्राकृतिक जिप्सम की मात्रा	11.70	10.78	22.51	23.64	26.09
4	प्राकृतिक जिप्सम की मांग की पूर्ति प्रतिशत में	44.79	37.76	74.81	72.45	72.15

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सीमेन्ट उद्योग में प्राकृतिक जिप्सम की मांग की कम्पनी द्वारा की गयी आपूर्ति की प्रतिशतता 2001-02 में 44.79 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 72.15 प्रतिशत हो गई। यद्यपि इस अवधि में कम्पनी का बाजार में हिस्सा बढ़ा, अभी भी महत्वपूर्ण मांग का एक बड़ा भाग बिना पकड़ के रहा और विपणन के लिए खोजा जाना है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि सीमेन्ट उद्योग के बाजार में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिये और अन्य उद्योगों में जहाँ जिप्सम का उपयोग होता है वहाँ प्राकृतिक जिप्सम की मांग का पता लगाने के कम्पनी द्वारा कोई प्रयास प्रारम्भ नहीं किये गये।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि अन्य उद्योगों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला सस्ता फास्फो जिप्सम की उपलब्धता के कारण उन्होंने अन्य उद्योगों के लिए बाजार नहीं खोला। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अन्य उद्योगों के बाजार का आंकलन करने के प्रयासों को दर्शाने वाला कोई अभिलेख नहीं था।

### ग्राहकों को अदेय लाभ

2.2.18 जिप्सम का विक्रय मूल्य (खान एवं लदान स्थल पर) का निर्धारण एक समन्वय समिति, जिसमें कम्पनी व भारतीय उर्वरक निगम के प्रतिनिधि होते हैं, के द्वारा किया जाता है। मूल्य में, उत्पादन लागत, उपरिव्यय और लाभ के हिस्से का विभाजन, अभिलेख पर नहीं पाया गया। लदान स्थल की कीमत में खान पर लागू

विक्रय मूल्य में अन्य प्रभार जोड़े जाते हैं। अन्य प्रभार में स्थलीय परिवहन लदान और उतारने के प्रभार आदि शामिल होते हैं।

समन्वय समिति ने 1 जून 2004 से तथा फिर 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी विक्रय मूल्यों (खान तथा लदान स्थल पर) का पुनर्निर्धारण किया। कानासर लदान स्थल पर अन्य प्रभार की राशि 161 रू. प्रति मै.टन निर्धारित की गयी। लेखा परीक्षा में देखा गया कि कम्पनी द्वारा वहन किये अन्य प्रभार का वास्तविक व्यय जून 2004 से मार्च 2005 के दौरान 177.80 रूपये प्रति मै.टन था, तथा अप्रैल 2005 से मार्च 2006 के दौरान 191.55 रू. प्रति मै.टन था। कम्पनी ने अन्य प्रभार बढ़ाने के लिए प्रकरण समन्वय समिति के समक्ष अप्रैल 2005 से कीमत के पुनर्निर्धारण के समय 177.80 प्रति मै.टन की दर से अधिक लागत व्यय करने के बावजूद नहीं उठाया।

उच्च अन्य प्रभार  
के कारण 91.33  
लाख रूपये की  
हानि।

लेखा परीक्षा संवीक्षा से विदित हुआ कि जिन ग्राहकों को कानासर रेलवे साइडिंग से आपूर्ति दी गई, उन्होंने उसी अवधि में खदान से भी जिप्सम क्रय किया था। वास्तविक अन्य प्रभार में वृद्धि के उपरान्त भी कम्पनी ने इन ग्राहकों को कम प्रभार दर पर जिप्सम की आपूर्ति की। इसकी परिणति अन्य प्रभार के रूप में ग्राहकों को 91.33 लाख रूपये के अदेय लाभ में हुई।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2006) कि रेलवे साइडिंग पर विक्रय से कम्पनी के लाभ में वृद्धि करने और ग्राहक आधार बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है। यह उत्तर इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जिन ग्राहकों को बिक्री रेलवे साइडिंग पर की गयी, वे खान पर भी आपूर्ति ले रहे थे और इस प्रकार लाभ में कोई वृद्धि नहीं थी, अपितु इन ग्राहकों को अन्य प्रभार के रूप में अदेय लाभ दिया गया।

### बीमा दावों का अनुसरण नहीं करना

2.2.19 उ.प्र.भू.सु.नि\* ने 1,33,000 मै.टन जिप्सम पाउडर के एच.डी.पी.ई. कट्टों को गन्तव्य तक एफ.ओ.आर. आधार पर एक आपूर्ति आदेश दिया (दिसम्बर 2001)। कम्पनी ने 'भण्डार गृह से भण्डार गृह' तक 'सभी जोखिम' के लिए माल की सी.आई.एफ. के 110 प्रतिशत का मार्गीय बीमा करवाया और अनूपगढ व हनुमानगढ रेलवे साइडिंगों से फरवरी 2002 और मई 2002 के दौरान 1,28,144.15 मै.टन (25,62,884 कट्टे) जिप्सम पाउडर की आपूर्ति की। उ.प्र.भू.सु.निगम ने विभिन्न स्थान पर केवल 1,25,643.95 मै.टन (25,12,880 कट्टे) ही प्राप्त किये, जिसकी परिणति 2,500.20 मै.टन (50,004 कट्टे) कीमत रूपये 36.40 लाख की कम आपूर्ति के रूप में हुई। कम्पनी ने जुलाई तथा अक्टूबर 2002 में रेलवे से

\* उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम

वांछित दस्तावेजों को उपलब्ध कराने में विफलता के कारण 36.40 लाख रुपये की हानि।

दावे प्रस्तुत किये जो कि इस आधार पर निरस्त कर दिये गये कि रेलवे के पास कम्पनी द्वारा आपूर्ति की स्पष्ट रसीद थी। कम्पनी ने बीमा कम्पनी पर अक्टूबर 2002 से मार्च 2003 के दौरान दावे प्रस्तुत किये। बीमा कम्पनी ने, उ.प्र.भू.सु.नि.के द्वारा दावों की स्वीकारोक्ति और कम्पनी द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर की वापसी के दावों के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे (अगस्त 2003)। कम्पनी ने उ.प्र.भू.सु.नि. द्वारा काटी गयी राशि के क्रेडिट नोट के रूप में दावों की स्वीकारोक्ति के वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये और काटी गयी राशि को उ.प्र.भू.सु.नि. से अपने लेखों में प्राप्त होने योग्य दर्शाती रही। इस कारण से दावे की राशि वसूल नहीं की जा सकी तथा बीमा लेने के उपरान्त भी 36.40 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रबन्ध ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकारते हुये (अगस्त 2006) कहा कि बीमा कम्पनी अथवा ग्राहक से देय राशि की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

#### **आपूर्ति में विलम्ब और दस्तावेजी प्रमाण नहीं रखा जाना**

2.2.20 उ.प्र.भू.सु.नि. ने 20 रु. प्रति मै.टन की छूट के साथ 616 रु. प्रति मै. टन की दर से 2,25,400 मै.टन जिप्सम पाउडर की आपूर्ति का आदेश (मार्च 2004) इस शर्त के साथ दिया कि उ.प्र.भू.सु.नि. बीजक की प्रस्तुति के 30 दिवस में भुगतान कर देगी। कम्पनी पर भी निर्धारित समय में जिप्सम आपूर्ति नहीं करने पर आधा प्रतिशत प्रति सप्ताह, जो अधिकतम संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत तक हो सकता था, निर्धारित हानि का भुगतान करने की जिम्मेवारी थी। कम्पनी ने अप्रैल 2004 से नवम्बर 2004 के दौरान 2,23,635.30 मै.टन जिप्सम पाउडर की आपूर्ति की। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 72,456.85 मै.टन जिप्सम पाउडर की आपूर्ति 1 से 16 सप्ताह की देरी से की गई। उ.प्र.भू.सु.नि. ने देरी से की गई आपूर्ति के लिये निर्धारित क्षति पूर्ति की राशि 13.17 लाख रुपये काट ली। कम्पनी के पास देरी से की गयी आपूर्ति के कोई अभिलिखित कारण नहीं थे। उ.प्र.भू.सु.नि. द्वारा भुगतान में 1 से 38 दिन के विलम्ब के उपरान्त भी 20 रुपये प्रति मै.टन की छूट के रूप में 1,32,297 मै.ट. पर 26.46 लाख रुपये की कटौती, इस आधार पर कर ली गयी कि बीजक प्राप्ति के 30 दिवस में भुगतान कर दिया गया। कम्पनी ने क्रेडिट नोट जारी किये क्योंकि यह उ.प्र.भू.सु.नि. द्वारा बीजक प्रस्तुति के 30 दिवस उपरान्त भुगतान को साबित करने में विफल रही। इस प्रकार विलम्बित आपूर्ति और उ.प्र.भू.सु.नि. द्वारा देरी से किये गये भुगतान के दस्तावेजी साक्ष्य नहीं रखे जाने के कारण 39.63 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2006) कि उ.प्र.भू.सु.नि. ने कम्पनी को बिना बताये ही कटौती कर ली। प्रकरण पर विवाद सुलटाने की कार्यवाही की जा रही है।

**उत्पाद शुल्क विभाग से शुल्क आहरण प्राप्ति के दावे का अभाव/प्राप्त नहीं करना।**

2.2.21 उ.प्र.भू.सु.निगम को आपूर्त की गयी जिप्सम पाउडर को निर्यात के समकक्ष माने जाने के कारण सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, शुल्क आहरण नियम 1995 के अन्तर्गत, शुल्क आहरण का लाभ मिलना था। उ.प्र.भू.सु.नि. को आपूर्त जिप्सम पाउडर के पैकिंग के लिए क्रय किये गये एच.डी.पी.ई कट्टों पर दिये गये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के दावे के लिए कम्पनी अहर्ता रखती थी। शुल्क आहरण के लिये दावा निर्यात अनुमति आदेश की दिनांक से तीन माह की अवधि, जो युक्तियुक्त कारणों से 1 साल तक बढ़ायी जा सकती थी, के अन्दर प्रस्तुत किया जाना था। परामर्शदाता द्वारा सितम्बर 2003 और फरवरी 2004 में प्रस्तुत 26.48 लाख रुपये के दो दावे (वर्ष 2002-03 का 7.62 लाख रुपये और वर्ष 2003-04 का 18.86 लाख रुपये) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के पास अभी तक लम्बित थे। अप्रैल से जून 2005 के दौरान किये निर्यात के लिए 22.89 लाख रुपये का दावा, अधिकतम अनुमत्य अवधि एक वर्ष में (जुलाई 2006) प्रस्तुत करने में भी कम्पनी विफल रही। इस प्रकार कम्पनी पूर्व में प्रस्तुत दावों के अनुसरण और पश्चातकर्ता दावों के समय पर प्रस्तुत करने में विफल रही जिसकी परिणति 49.37 लाख रुपये के अवरूद्ध होने और परिणामतः ब्याज हानि में हुई।

प्रस्तुत दावों के अनुसरण तथा दावों को प्रस्तुत करने में विफल रहने से 49.37 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2006) कि दावों की प्रस्तुति में विलम्ब, उ.प्र.भू.सु.नि. द्वारा परियोजना प्राधिकार प्रमाण-पत्र और भुगतान प्रमाण-पत्र देने में देरी से हुआ। तथापि, तथ्य यह है कि दावों की प्रस्तुति में विलम्ब से राशि अवरूद्ध हुई और परिणामतः ब्याज हानि भी हुई।

**हैडलिंग हानियाँ**

2.2.22 खनिज के परिवहन व लदान की प्रक्रिया में कुछ मात्रा का क्षय होता है जो 'हैडलिंग हानि' कही जाती है। कम्पनी ने जिप्सम की मार्गीय, रेलवे वैगन में लदान आदि के हैडलिंग हानि के मानदण्ड निर्धारित नहीं किये। फिर भी, आर.ओ. एम. के खान से रेलवे साइडिंग तक परिवहन के ठेके देते समय कम्पनी आधा से एक प्रतिशत तक मार्गीय हानि अनुमत्य कर रही थी। अवधि 2004-05 के दौरान कम्पनी द्वारा आर.ओ.एम. के खान से रेलवे साइडिंग तक परिवहन और वैगन में लदान का ठेका देते समय तीन प्रतिशत हैडलिंग हानि अनुमत्य की। कम्पनी के पिछले चार वर्षों के रेलवे साइडिंगवार हैडलिंग हानियों को अनुबन्ध-13 में दर्शाया है।

अनुबन्ध से यह दर्शित होता है कि मार्च 2005 को समाप्त चार वर्ष की अवधि में रेलवे साइडिंग पर हैडलिंग हानि अनुमत्य 2.5 प्रतिशत के समक्ष 4.19 से 33.41 प्रतिशत के मध्य रही। रेलवे साइडिंग पर अनुमत्य 2.5 प्रतिशत

बोर्ड से सूचनाओं के गलत प्रस्तुत किये जाने से 1.60 करोड़ रूपये की अधिक हैडलिंग हानियों को अपलिखित कर दिया गया।

(3.0 प्रतिशत - 0.5 प्रतिशत परिवहन हानि) से अधिक हैडलिंग हानि का मूल्य 1.60 करोड़ रूपये था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि बोर्ड को यह बताया गया कि 2001-05 के दौरान हानियाँ 0.26 से 1.06 प्रतिशत के मध्य थी, जिसके आधार पर बोर्ड ने हैडलिंग हानि के अपलेखन के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रबन्धन ने 2001-05 के दौरान 0.26 व 1.06 प्रतिशत के मध्य हैडलिंग हानि सम्बन्धित वर्ष में उत्पादन व विक्रय की मात्रा को एक साथ लेकर निकाली जबकि यह रेलवे साइडिंग पर हैडल की गयी वास्तविक मात्रा पर निकाली जानी चाहिए थी। हैडलिंग हानि को निर्धारित करने में खदान पर की गई बिक्री को शामिल करने का प्रबन्धन का निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि खदान पर विक्रीत खनिज को ग्राहक सीधे ही खान से उठाता था। इस प्रकार खान से विक्रय पर कोई हैडलिंग हानि नहीं होती। इस प्रकार तथ्यों के गलत निरूपण कर कम्पनी ने हैडलिंग हानि के अपलेखन की बोर्ड अनुमति प्राप्त की, और 1.60 करोड़ रूपये से अधिक हानि को बिना जांच के कम्पनी द्वारा अपलेखित कर दिया गया।

यह हानियों के प्रति प्रबन्धन की असावधान पहुँच को इंगित करता है और गड़बड़ी की आशंका से ओतप्रोत है।

प्रबन्धन ने सभी इकाईयों में समान रूप से कुल उत्पादन/विक्रय की मात्रा के आधार पर हैडलिंग हानि की गणना करने का तथ्य स्वीकार किया (सितम्बर 2006)। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हैडलिंग हानियों की गणना का सही तरीका, रेलवे साइडिंग पर हैडल की गयी मात्रा पर आधारित होना चाहिए, ताकि हैडलिंग हानि की सही स्थिति का पता लगाया जा सके और अधिक हानि को नियंत्रित किया जा सके।

### आन्तरिक नियंत्रण एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा

2.2.23 प्रत्येक संगठन को उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण रखना आवश्यक है, जो यह सुनिश्चित कर सके कि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कम्पनी के सभी कार्यकलाप नियमों, मानकीकृत प्रक्रियाविधि और तौर-तरीकों से किये जाते हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने प्रमुख कार्यों से सम्बन्धित कोई संहिता यथा क्रय संहिता, संविदा संहिता, लागत व बजट संहिता, विक्रय और विपणन संहिता आदि तैयार नहीं की। इनके अभाव में, व्यवस्था और प्रक्रियाविधियों में या तो कमियां थी या फिर विचलन, अदृश्य व नहीं पहचाने जाने वाली गड़बड़ी के प्रति असुरक्षित थी। आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में पूर्व में वर्णित अनुच्छेद, हैडलिंग हानि (अनुच्छेद 2.2.22) और शुल्क आहरण के दावों को प्रस्तुत नहीं करना और अनुसरण का अभाव (अनुच्छेद



2.2.21) में बताये अनुसार कमियां थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा बतायी गयी सतत गलतियों पर प्रबन्धन ने कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की।

#### निष्कर्ष

कम्पनी के प्रचालन लाभ में जिप्सम का हिस्सा 2001-02 में 21.55 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2004-05 में 13.92 प्रतिशत रह गया, जो अन्य कार्यकलापों की तुलना में जिप्सम के अंशदान की कम वृद्धि दर को दर्शाता है। कम्पनी ने सांविधिक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किये बिना कई खानों को चालू रखा। पर्यावरणीय अनुमति नहीं लेने, कई खानों को चालू नहीं करने और बिना योजना के एजेन्सी आधार पर खनन कार्य को स्वीकारने के कारण 2.03 करोड़ रुपये की परिहार्य हानि हुई। कम्पनी द्वारा 1.60 करोड़ रुपये से अधिक की हैडलिंग हानि को बिना जांच के और तथ्यों व सूचना को गलत निरूपित कर बोर्ड से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर अपलेखित कर दिया। खनन व परिवहन की नयी निविदाओं के आमंत्रण में विलम्ब, के.जि.पि.इकाई की अन-उपयोगित क्षमता के उपरान्त भी निजी ठेकेदारों की सेवाएँ जारी रखना और प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था के अभाव के कारण कम्पनी के क्रिया कलापों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा प्राकृतिक जिप्सम उपयोग करने वाले अन्य उद्योगों में मांग का पता करने का, जिप्सम की व्यापारिक गतिविधियों के विविधीकरण को दृष्टिगत रखते हुए और आक्रामक विपणन की शुरुआत के लिए कोई प्रयास नहीं किये।

#### सिफारिशें

कम्पनी को चाहिए कि:

- विभिन्न सांविधिक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें।
- पट्टा प्रबन्धन व्यवस्था को मजबूत करें ताकि स्थिर भारक का परिहार्य भुगतान न करना पड़े।
- अन्य उद्योगों में प्राकृतिक जिप्सम की मांग का लाभ लेने के लिए विपणन प्रयासों में सुधार करें।

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

- प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर परिवहन के नये ठेके देने में समय पर कार्यवाही करें।
- पिसाई लागत घटाने के लिए के.जि.पि.इकाई की अधिकतम क्षमता का उपयोग करें।
- आन्तरिक नियंत्रण एवं लेखापरीक्षा व्यवस्था को मजबूत करें व प्रक्रिया को मानकीकृत करें।

### 2.3 ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों

#### राजस्थान की ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में परेषण एवं वितरण की हानियाँ

##### झलकियाँ

परेषण हानि के चार प्रतिशत तथा वितरण हानि के 11.5 प्रतिशत के मानदण्डों के विरुद्ध वास्तविक हानियाँ क्रमशः 6.01 तथा 8.15 प्रतिशत एवं 34.06 तथा 45.51 प्रतिशत के बीच विचरित रही थी। 2000-01 से 2004-05 तक के पांच वर्षों की अवधि में 15.5 प्रतिशत के मानदण्ड से अधिक की परेषण एवं वितरण हानियाँ 11,624.80 करोड़ रुपये की हुई थी।

(अनुच्छेद 2.3.11 तथा 2.3.18)

राज्य के भीतर विद्युत उठाव के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का कार्य-निष्पादन 1,125.16 करोड़ रुपये के पूंजीगत विनियोजन के बावजूद 2003-05 के दौरान खराब रहा क्योंकि राज्य के भीतर की परेषण हानियाँ 2000-01 के 4.10 प्रतिशत की तुलना में 2003-04 में बढ़कर 4.72 प्रतिशत व 2004-05 में 4.59 प्रतिशत हो गई थी।

(अनुच्छेद 2.3.11)

परेषण एवं वितरण हानियाँ 15.5 प्रतिशत के मानदण्ड से अधिक होने के कारण, उपभोक्ताओं को वर्ष 2004-05 की औसत दरों के 17 प्रतिशत तक ऊंची दरों के रूप में 4,183.57 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा था।

(अनुच्छेद 2.3.34)

2001-02 से 2004-05 तक के चार वर्षों की अवधि में नियामक आयोग द्वारा अनुमत से अधिक वितरण हानि 2,508.75 करोड़ रुपये की हुई थी।

(अनुच्छेद 2.3.18)

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

निम्न विद्युत भार रहित प्रणाली के त्रुटिपूर्ण कार्य-सम्पादन के परिणामस्वरूप 399.40 करोड़ रुपये मूल्य की 1,193.47 मिलियन यूनिट की सम्भावित ऊर्जा बचत की हानि हुई थी।

(अनुच्छेद 2.3.31)

केपेसिटर बैंकों के संस्थापन में रही कमी के फलस्वरूप परेषण प्रणाली में 23.04 करोड़ रुपये मूल्य की 75.36 मिलियन यूनिट की सीमा तक तथा वितरण प्रणाली में 68.58 करोड़ रुपये मूल्य की 199.66 मिलियन यूनिट की सम्भावित ऊर्जा बचत की हानि हुई थी।

(अनुच्छेद 2.3.14 तथा 2.3.23)

वितरण कम्पनियों में एरियल बन्च केबल कार्य की अपर्याप्त निगरानी के साथ-साथ त्रुटिपूर्ण नियोजन एवं कार्य-सम्पादन के परिणामस्वरूप 148.16 करोड़ रुपये मूल्य की 438.67 मिलियन यूनिट की ऊर्जा बचत की हानि हुई थी।

(अनुच्छेद 2.3.30)

फीडर नवीनीकरण कार्यक्रम के कार्यों को देने में हुए विलम्ब से 55.27 करोड़ रुपये मूल्य की 154.82 मिलियन यूनिट की ऊर्जा बचत की हानि हुई थी।

(अनुच्छेद 2.3.29)

मीटर वाले कूल उपभोक्ताओं से दोषपूर्ण मीटरों की प्रतिशतता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मामले में 2002-03 के 3.70 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 4.35 प्रतिशत, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मामले में 2002-03 के 1.83 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 2.60 प्रतिशत तथा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मामले में 2002-03 के 1.43 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 2.88 प्रतिशत हो गई थी। छह माह से अधिक समय तक 0.79 लाख दोषयुक्त मीटरों को नहीं बदलने के परिणामस्वरूप अकेले जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 2004-05 के दौरान 20.54 करोड़ रुपये मूल्य की 57.53 मिलियन यूनिटों की हानि उठानी पड़ी थी।

(अनुच्छेद 2.3.25)

अतिरिक्त उच्च ताप वाली 19 लाईनों को डालने में हुए विलम्ब के फलस्वरूप 21.38 करोड़ रुपये मूल्य की 65.03 मिलियन यूनिट सम्भावित ऊर्जा बचत की हानि हुई थी।

(अनुच्छेद 2.3.12)

फीडर आऊटेज, वितरण हानियों व औसत राजस्व वसूली तथा आपूर्ति की औसत लागत के बीच अन्तर के सम्बन्ध में वितरण कम्पनियों का कार्य-निष्पादन 2004-05 तक के गत दो वर्षों के दौरान अभिवृद्धित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम योजना के लागू करने में हुई धीमी प्रगति के कारण खराब रहा था।


(अनुच्छेद 2.3.28)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 2003-05 के दौरान सतर्कता जांच के प्रत्येक तीन में से दो मामलों में चोरी होना पाया गया था जो कि प्रणाली में विद्यमान चोरी की ऊँची दर को इंगित करता है। सतर्कता जांच का प्रसार पर्याप्त नहीं था क्योंकि 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान कुल उपभोक्ताओं के अढ़ाई प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य के समक्ष वास्तविक जांच एक प्रतिशत से कम हुई थी।

(अनुच्छेद 2.3.32 तथा 2.3.33)

### प्रस्तावना

2.3.1 विद्युत आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण संरचना है क्योंकि आर्थिक अभिवृद्धि एक बड़ी सीमा तक गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति के विश्वसनीय स्रोत पर निर्भर करती है। परेषण एवं वितरण (टी.एण्ड डी.) प्रणाली थोक क्रय एवं अन्तिम उपभोक्ता के मामले में ऊर्जा उत्पादन/प्रापण स्रोत के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रणाली के कुशल संचालन के लिये यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि विद्युत को उत्पादन बिन्दु से उपभोक्ता के स्थल तक परेषण एवं वितरण में कम से कम



31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

छीजत हो । विद्युत की आपूर्ति, जैसा कि चार्ट-1 में दर्शाया गया है, वितरण ट्रांसफार्मरों (डी.टी.) के माध्यम से स्टेप-डाऊन करके प्राइमरी व सैकेंडरी फीडरों के द्वारा उच्च भार (एच.टी.) उपभोक्ताओं को 132, 33 अथवा 11 के.वी. (किलो वोल्ट) तथा निम्न भार (एल.टी.) उपभोक्ताओं को 400/230 वोल्ट पर की जाती है।

विद्युत के कुशल उठाव के लिए परेषण प्रणाली को उत्पादन क्षमता/उपलब्ध ऊर्जा के साथ सामन्जस्य रखना चाहिये ताकि उपयुक्त विद्युत वोल्टेज सुनिश्चित की जा सके, परेषण हानियाँ न्यूनतम हो व ओवर लोडिंग को टालना सुनिश्चित किया जा सके और इस प्रकार सम्पूर्ण प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार आ सके।

टी.एण्ड डी. प्रणाली विस्तृत तकनीकी-आर्थिक अध्ययन पर आधारित होनी चाहिये ताकि मूल्य प्रभाविता एवं वांछित लाभ सुनिश्चित किया जा सके। 31 मार्च 2005 तक के पांच वर्षों के अन्त में राजस्थान राज्य में निर्मित टी. एण्ड डी. सुविधाओं को अनुबन्ध-14 में दिया गया है।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आर.एस.ई.बी.) का विभाजन (जुलाई 2000) राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र सुधार (पी.एस.आर.) अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत पाँच\* विद्युत कम्पनियों में विद्युत क्षेत्र के स्थायी विकास की परिस्थितियों के निर्माण, परिचालनों की चलनीयता में सुधार, उपभोक्ताओं को प्रदत्त सेवाओं की कुशलता एवं गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से किया गया था।

आर.आर.वी.पी.एन.एल.<sup>1</sup> तथा तीन वितरण कम्पनियों (जे.वी.वी.एन.एल., ए.वी.वी.एन.एल. तथा जेडी.वी.वी.एन.एल.) के मामलों का प्रबन्धन सर्वोच्च स्तर पर सम्बन्धित निदेशक मण्डलों के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक (सी.एम.डी.) आर.आर.वी.पी.एन.एल. के मुख्य कार्यकारी है जिनकी सहायता हेतु निदेशक (एफ.एण्ड सी.ए.), निदेशक (परियोजना एवं सुधार), मुख्य अभियंतागण एवं कार्यकारी अभियंतागण है। प्रत्येक वितरण कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक इसके मुख्य कार्यकारी है जिनकी सहायता मुख्य अभियंतागण (सी.पी.एम.<sup>2</sup> तथा ओ.एण्ड एम.<sup>3</sup>) एवं कार्यकारी अभियंतागण करते हैं। 31 मार्च 2005 को आर.आर.वी.पी.एन.एल. में नौ सर्किल तथा जे.वी.एन.एल., ए.वी.वी.एन.एल. और जेडी.वी.वी.एन.एल. में से प्रत्येक में आठ सर्किल थे जिनके प्रमुख अधीक्षण अभियंतागण (एस.ई.) थे।

\* राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आर.आर.वी.पी.एन.एल.),  
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आर.आर.वी.यू.एन.एल.),  
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जे.वी.वी.एन.एल.),  
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ए.वी.वी.एन.एल.),  
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडी.वी.वी.एन.एल.) ।

<sup>1</sup> परेषण कम्पनी

<sup>2</sup> निर्माण, नियोजन एवं निगरानी

<sup>3</sup> परिचालन एवं संधारण

पूर्ववर्ती मण्डल की टी. एण्ड डी. प्रणाली के कार्य-निष्पादन की पिछली समीक्षा 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) राजस्थान सरकार में की गई थी। इस समीक्षा का परीक्षण राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा जुलाई 2003 में किया गया था।

### लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.3.2 31 मार्च 2005 को समाप्त हुई पांच वर्षों की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में टी.एण्ड डी. प्रणाली के कार्य-निष्पादन की लेखापरीक्षा समीक्षा सितम्बर 2005 से मार्च 2006 के दौरान की गयी थी। लेखापरीक्षा में ज्ञात बिन्दू आर.आर.वी.पी.एन.एल., जे.वी.वी.एन.एल., ए.वी.वी.एन.एल. तथा जेडी.वी.वी.एन.एल. के प्रधान कार्यालयों तथा आर.आर.वी.पी.एन.एल. के कुल नौ सर्किल एवं वितरण कम्पनियों में प्रत्येक के आठ सर्किल में से चयनित प्रत्येक के तीन<sup>5</sup> सर्किल्स के अधिकतम हस्तगत ऊर्जा, उपभोक्ता मिश्रण, राजस्व रिसाव<sup>6</sup> के जोखिम तथा स्ट्रेटिफाईड सैम्पलिंग द्वारा निर्धारित भूगोलीय क्षेत्रों के अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित है।

### लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.3.3 टी.एण्ड डी. प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारण करने के लिये की गई कि:

- परेषण प्रणाली विद्युत के कुशल उठाव के लिये पर्याप्त एवं प्रभावी थी;
- वितरण प्रणाली ऊर्जा की विश्वसनीय, सुरक्षित व गुणवत्तायुक्त आपूर्ति के लिये स्थित है तथा राज्य के उपभोक्ताओं की ऊर्जा-मांग को पूरा करने में सक्षम थी;
- विभाजन के कथित उद्देश्य प्राप्त हुए;
- प्रणाली सुधार योजनाओं पर हुए व्यय से वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई;

<sup>5</sup> परेषण एवं निर्माण सर्किल (टी.सी.सी.)-1 व 11, जयपुर तथा टी.सी.सी.111, अजमेर, जे.वी.वी.एन.एल.के जयपुर जिला (जे.पी.डी.), जयपुर शहर (जे.सी.) एवं अलवर सर्किल, ए.वी.वी.एन.एल. के अजमेर, नागौर व भीलवाड़ा सर्किल तथा जेडी.वी.वी.एन.एल. के जोधपुर (ग्रामीण) जोधपुर (शहर) तथा पाली सर्किल।

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

- यह सुनिश्चित करने के लिये कि क्रिया-कलापों का संचालन एक सुनियोजित एवं लयबद्ध रीति से हो सके प्रभावी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विद्यमान थी; तथा
- प्रणाली सुधार योजनाओं के पूर्व-निर्धारित माप-दण्ड/उद्देश्य अर्थात् टी.एण्ड डी.हानियों में कमी तथा विद्युत बचत को प्राप्त कर लिया गया था।

### लेखापरीक्षा की कार्यविधि

2.3.4 कार्यविधि के निम्नांकित मिश्रण को अपनाया गया था:

- विद्युत अधिनियम, 2003, वित्तीय पुनर्संरचना योजना, ऊर्जा क्षेत्रीय सुधार अधिनियम, 1999, विद्युत ग्रिड कोड, वितरण कोड, नियामक आयोग\* के आदेशों, सी.ई.ए.@ व सी.ई.आर.सी.\*\*, सकल राजस्व आवश्यकताएँ (ए.आर.आर.) व टेरिफ निर्धारण आदेशों आदि के प्रावधानों का अध्ययन;
- उच्च टी.एण्ड डी. हानियों के रोकने हेतु नियामक आयोग तथा ऊर्जा मन्त्रालय (एम.ओ.पी.) द्वारा जारी निर्देशों/आदेशों की अनुपालना से सम्बन्धित अभिलेखों का विश्लेषण;
- ए.पी.डी.आर.पी.\$, एफ.आर.पी.# जैसी विभिन्न प्रणाली सुधार योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति का विश्लेषण; तथा
- वित्तीय दिशा परिवर्तन एवं पी.एस.आर.अधिनियम, 1999 में यथा दर्शित विद्युत कम्पनियों की उपचालनीयता में सुधार से सम्बन्धित अभिलेखों की समीक्षा।

### लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.3.5 उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, गुणवत्तायुक्त एवं सुरक्षित विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में आर.आर.वी.पी.एन.एल, जे.वी.वी.एन.एल., ए.वी.वी.एन.एल. तथा जेडी.वी.वी.एन.एल. के कार्य-निष्पादन का निर्धारण निम्नांकित मानदण्डों के समक्ष किया गया:

\* राजस्थान विद्युत नियामक आयोग

@ केन्द्रीय ऊर्जा अभिकरण

\*\* केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग

\$ अभिवृद्धित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम

# फीडर नवीनीकरण कार्यक्रम



- सी.ई.ए./सी.ई.आर.सी./नियामक आयोग द्वारा निर्धारित/निश्चित टी. एण्ड डी. हानियों के मानदंड;
- प्रभावी सतर्कता द्वारा विद्युत-चोरी कम करने एवं पता चलने के दो माह के भीतर दोषयुक्त मीटरों के बदलाव आदि के माध्यम से विद्युत-चोरी रोकने के सम्बन्ध में नियामक आयोग के निर्देश;
- योजना/परियोजनाओं के लक्ष्य, अर्थात्, टी.एण्ड डी. हानियाँ घटाने के लिये एफ.आर.पी. एवं ए.पी.डी.आर.पी.सहित विभिन्न योजनाओं में दर्शित पूर्व-निर्धारित मानदंड;
- टी.एण्ड डी. प्रणाली में सुधार तथा टी.एण्ड डी. हानियाँ घटाने के लिए सी.ई.ए., एम.ओ.पी., नियामक आयोग, तथा सी.ई.आर.सी.सहित विभिन्न प्राधिकारियों के निर्देश एवं मार्ग-दर्शन; तथा
- पी.एस.आर. अधिनियम, 1999 में यथा दर्शित वितरण कम्पनियों के वित्तीय दिशा परिवर्तन एवं संभाव्यता के परियोजना।

### लेखापरीक्षा परिणाम

2.3.6 लेखापरीक्षा में ज्ञात हुए बिन्दू मई 2006 में सरकार/प्रबन्धन को प्रतिवेदित कर दिये गए थे तथा इन पर 5 जुलाई 2006 को हुई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति (ए.आर.सी.पी.एस.ई.) की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था जिसमें सरकार का प्रतिनिधित्व सचिव (ऊर्जा) ने व आर.आर.वी.पी. एन.एल. के प्रबन्धन का प्रतिनिधित्व सी.एम.डी. तथा वितरण कम्पनियों के एम.डीज् ने किया था। समीक्षा को अन्तिम रूप सरकार/प्रबन्धन के दृष्टिकोणों को दृष्टिगत रखकर ही दिया गया था।

### परेषण एवं वितरण प्रणाली

2.3.7 जब ऊर्जा को उत्पादन केन्द्र से टी.एण्ड डी. नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है तो टी.एण्ड डी. हानियों के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय हो जाता है। टी.एण्ड डी. हानियाँ उत्पादन केन्द्र/ग्रिड से प्राप्त ऊर्जा तथा उपभोक्ताओं को बिल में प्रभारित ऊर्जा के अन्तर पर आधारित होती है। उपलब्ध ऊर्जा से प्रणाली में हुई हानियों से प्रतिशतता टी.एण्ड डी. प्रणाली की कार्य-कुशलता को इंगित करती है। 220 के.वी. तथा 132 के.वी. पर ऊर्जा परिवर्तन एवं परेषण के विभिन्न स्तरों पर होने वाली हानियों को परेषण हानियाँ

तथा 33 के.वी.पर उप-परेषण हानियाँ व 11 के.वी. और नीचे की हानियों को वितरण हानियाँ कहा जाता है। हानियाँ मुख्यतः दो कारणों से होती हैं, यथा तकनीकी हानियाँ एवं वाणिज्यिक हानियाँ।

### तकनीकी हानियाँ

2.3.8 परेषण हानियों व ऊर्जा परिवर्तन हानियों को तकनीकी हानियों के रूप में जाना जाता है जो कि ऊर्जा के परेषण एवं वितरण हेतु उपयोग में लाये गए उपकरण की अन्तर्निहित विशेषता तथा उन तारों की अवरोधकता के कारण होती है जिनके माध्यम से विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान को परेषित की जाती है। परेषण हानियों में तांबा हानियाँ (लोड हानियाँ) शामिल होती हैं जो कि परिवर्तित की जा रही ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करती हैं तथा लोह हानियाँ (भार-रहित हानियाँ) जो कि ट्रांसफार्मर की डिजाइन की विशेषता के कारण होती हैं।

### वाणिज्यिक हानियाँ

2.3.9 वाणिज्यिक हानियाँ ऊर्जा की चोरी, दोषयुक्त मीटरों व मीटर-रहित आपूर्ति आहरण इत्यादि के कारण होती हैं।

### परेषण एवं वितरण हानियाँ

निम्नांकित तालिका में 2004-05 तक के गत पांच वर्षों की टी.एण्ड डी. हानियों को दर्शाया गया है

(मिलियन इकाइयों में)


विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
(i) विक्रय हेतु उपलब्ध ऊर्जा	17,774.270	24,841.836	26,614.445	27,647.120	29,397.625
(ii) बेची गई ऊर्जा	10,088.770	14,792.684	15,349.140	15,080.020	17,177.903
(iii) टी.एण्ड डी. हानियाँ	7,685.500	10,049.152	11,265.305	12,567.100	12,219.722
(iv) विक्रय हेतु उपलब्ध ऊर्जा से टी.एण्ड डी. हानियों की प्रतिशतता	43.24	40.45	42.33	45.45	43.64
(v) सी.ई.ए.के मापदण्डों से अधिक हुई टी. एण्ड डी. हानियों की प्रतिशतता	27.74	24.95	26.83	29.95	28.14
(vi) टी. एण्ड डी. हानियाँ जो मापदण्ड से अधिक थीं	4,930.52	6,198.04	7,140.66	8,280.31	8,272.49
(vii) औसत राजस्व (रू. प्रति इकाई)	2.658	3.295	3.429	3.440	3.597
(viii) अधिक हुई टी. एण्ड डी. हानियों के कारण हुई राजस्व हानि (करोड़ रुपये में)	1,310.52	2,042.46	2,448.50	2,848.05	2,975.27

उपरोक्त तालिका से यह दृष्टिगोचर होगा कि 2004-05 तक के गत पांच वर्ष के दौरान टी.एण्ड डी. हानियाँ 40.45 तथा 45.45 प्रतिशत के बीच विचरित रही थी।

3,512.16 करोड़ रुपये के व्यय के बावजूद टी.एण्ड डी. हानियाँ 40.45 प्रतिशत से बढ़कर 43.64 प्रतिशत हो गई थी।

1997-98 से 1999-2000 के दौरान पूर्ववर्ती आर.एस.ई.बी. की टी.एण्ड डी. हानियाँ 26 से 28.54 प्रतिशत तक विचरित थी। अप्रैल 2000 में अनुमोदित राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र वित्तीय पुर्नसंरचना योजना (आर.पी.एस.एफ.आर.पी.) में टी. एण्ड डी.हानियों को शनैः शनैः 2000-01 में 40.6 प्रतिशत से घटाकर 2004-05 में 28.2 प्रतिशत तक ले आने की प्रत्याशा की गयी थी। टी.एण्ड डी. हानियाँ घटाने में निरन्तर विफलता के कारण लक्ष्य को अगस्त 2003 के आर.पी.एस.एफ.आर.पी. को ऊपर की ओर संशोधित कर 34.81 प्रतिशत कर दिया गया था। परेषण एवं वितरण कम्पनियों द्वारा अप्रैल 2001 से ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों पर 3,512.16 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके थे, इसके बावजूद 2004-05 में, अर्थात् विभक्तिकरण-पश्चात् की अवधि में, टी.एण्ड डी. हानियों में 43.64 प्रतिशत तक उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।

समूचे देश की टी.एण्ड डी. हानियों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि राजस्थान की टी.एण्ड डी. हानियाँ 2003-04 में 45.45 प्रतिशत थी जो कि राष्ट्रीय औसत 32.53 प्रतिशत से अधिक थी तथा यह भी कि उत्तर क्षेत्रीय ग्रिड से जुड़े अन्य राज्यों, यथा हिमाचल प्रदेश (एच.पी.), झारखण्ड तथा पंजाब से यह अधिक थी जैसा कि ग्राफ में दर्शाया गया है।



सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि राजस्थान क्षेत्रफल में एक बड़ा राज्य होने के कारण टी.एण्ड डी. हानियों को उसी सन्दर्भ में देखा जाना चाहिये क्योंकि यह अन्य लघुतर राज्यों से अधिक होनी अवश्यम्भावी है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभक्तिकरण-पश्चात् की अवधि में राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को तीन वितरण कम्पनियों में बांटा जा चुका है तथा इसके बावजूद विभक्तिकरण-पश्चात् अवधि में टी.एण्ड डी. हानियों में बढ़ोत्तरी हुई है।

### उच्च टी.एण्ड डी. हानियों के कारण

2.3.10 जैसा कि लेखापरीक्षा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि उच्चतर टी.एण्ड डी. हानियों के प्रमुख कारण - प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर ट्रांसफार्मरों एवं फीडरों की ओवरलोडिंग, निम्न पावर फेक्टर, कमजोर वोल्टेज रेगुलेशन, अपर्याप्त सतर्कता जाँचों के कारण उपभोक्ताओं/अनुभोक्ताओं के द्वारा बिजली की चोरी व दुरुपयोग,

दोषयुक्त/बन्द मीटर तथा ऊर्जा का अनुपयुक्त लेखांकन व अंकेक्षण थे। इसके अलावा, नियोजन का अभाव, टी.एण्ड डी. नेटवर्क की श्रेणी - वृद्धिकरण एवं सुधार योजनाओं का कमजोर कार्य-निष्पादन व निगरानी पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

### परेषण हानियाँ

2.3.11 2004-05 तक के गत पांच वर्षों की आर.आर.वी.पी.एन.एल. की परेषण हानियों की प्रतिशतता नीचे की तालिका में दी गई है जिससे ज्ञात होता है कि आर.आर.वी.पी.एन.एल. की कुल परेषण हानियाँ सी.ई.ए. द्वारा निर्धारित चार प्रतिशत के मानदण्ड के समक्ष 2000-01 के 8.15 प्रतिशत की तुलना में घटकर 2004-05 में 6.01 प्रतिशत हुई थी इसका मुख्य कारण राज्य के बाहर पी.जी.सी.आई.एल.<sup>4</sup>/बी.बी.एम.बी.<sup>5</sup> के उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड के माध्यम से ऊर्जा उठाव में कार्यक्षमता में आया सुधार रहा, जहाँ परेषण हानियाँ 2000-01 के 4.63 प्रतिशत से घटकर 2004-05 में 2.78 प्रतिशत रह गई थी। तथापि, राज्य के भीतर विद्युत उठाव का कार्य-निष्पादन खराब रहा क्योंकि राज्य के भीतर परेषण हानियाँ 2000-01 में 4.10 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 2003-04 में 4.72 प्रतिशत तथा 2004-05 में 4.59 प्रतिशत हो गयी थी। यह सब 2004-05 तक के गत चार वर्षों के दौरान प्रणाली सुधार योजनाओं पर 1,125.16 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय करने के बावजूद हुआ। सी.ई.ए. के निर्धारित चार प्रतिशत मानदण्ड से अधिक हुई परेषण हानियाँ 2004-05 तक के गत पांच वर्षों में 1,007.76 करोड़ रुपये रही थी।

1,125.16 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के बावजूद राज्य के भीतर की परेषण हानि 2000-01 की 4.10 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 2004-05 में 4.59 प्रतिशत हो गई थी।

(प्रतिशत में)

वर्ष	राज्य से बाहर की हानियाँ	राज्य के भीतर की हानियाँ	कुल हानियाँ
2000-01	4.63	4.10	8.15
2001-02	4.35	4.17	6.59
2002-03	5.13	3.68	6.14
2003-04	2.77	4.72	6.41
2004-05	2.78	4.59	6.01

36 जी.एस.एस.<sup>1</sup> (कुल का 12 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा जांच से आगे पता चला कि परेषण हानियाँ अधिक थी तथा 4.27 से 15.18 प्रतिशत के बीच विचरित थी। सिर्फ इन्हीं 36 जी.एस.एस. की मानदण्ड से अधिक की परेषण हानियाँ 101.80 करोड़ रुपये थी। आर.आर.वी.पी.एन.एल. के प्रबन्धन ने बताया

<sup>4</sup> पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

<sup>5</sup> भाखरा व्यास प्रबन्धन मण्डल

<sup>1</sup> ग्रिड उप-केन्द्र

(अगस्त 2006) कि आर.आर.वी.पी.एन.एल. ने 2001-05 के दौरान नियामक आयोग द्वारा निर्धारित 4.44 से 5.8 प्रतिशत की राज्य के भीतर की परेषण हानियों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियामक आयोग द्वारा निर्धारित परेषण हानियों का लक्ष्य दोनों, अर्थात्, राज्य के बाहर एवं राज्य के भीतर के लिये था न कि केवल राज्य के भीतर के लिये। फिर राज्य के भीतर की परेषण हानियाँ 2000-01 की 4.10 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 4.59 प्रतिशत हो गई थी।

### नयी लाईनों एवं उप-केन्द्रों के निर्माण में विलम्ब

2.3.12 परेषण लाईनों एवं उप-केन्द्रों के निर्माण के लक्ष्यों व उपलब्धियों का ब्यौरा अनुबन्ध-15 में दिया गया है। अनुबन्ध से यह दृष्टिगोचर होगा कि 440 के.वी. तथा 132 के.वी.लाईनों के लक्ष्यों को तो प्राप्त कर लिया गया था, फिर भी 2000-01 तथा 2002-03 से 2004-05 तक के दौरान 220 के.वी.परेषण लाईने बिछाने के कार्य में उल्लेखनीय कमी रही थी। यह कमी 2000-01 में 117 सी.के.एम. @ (47 प्रतिशत), 2002-03 में 314 सी.के.एम. (65 प्रतिशत), 2003-04 में 400 सी.के.एम. (100 प्रतिशत) तथा 2004-05 में 53 सी.के.एम. (12 प्रतिशत) की थी। इसी प्रकार, 2004-05 तक के गत पांच वर्षों के दौरान 220 एवं 132 के.वी. उप-केन्द्रों के निर्माण की कमी पांच से 33 प्रतिशत तक विचरित रही थी। वर्ष 2003-04 के दौरान 400 के.वी. उप-केन्द्रों के निर्माण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुआ था।

आर.आर.वी.पी.एन.एल. की परियोजना, नियोजन एवं निगरानी अनुभाग ने 2001-02 के लिये विभिन्न स्थलों पर 16 ई.एच.वी.\* परेषण लाईने (715 सी.के.एम.) बिछाने की एक वार्षिक योजना बनाई थी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि इन (प्रस्तावित 16 में से 15) 220 के.वी. एवं 132 के.वी. ई.एच.वी. परेषण लाइनों को बिछाने के ठेके वर्ष 2002-03 में दिये गए थे। नौ लाईने बिछाने के कार्य-आदेशों को अन्तिम रूप देने में हुए विलम्ब के परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय के बजट का उपयोग नहीं किया जा सका तथा परियोजना प्रतिवेदन में लक्षित 4.39 करोड़ रुपये मूल्य की 13.94 एम.यू.‡ की ऊर्जा बचत भी नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि 2004-05 तक 107 में से 10 ई.एच.वी.लाईनों के निर्माण में तीन से 28 माह तक का विलम्ब हुआ था जो कि मुख्यतः टॉवर हेतु सामग्री उपलब्ध नहीं कराने, रूट अलाइनमेंट का अनुमोदन नहीं होने, परेषण लाईने एवं उप-केन्द्रों का साथ-साथ निर्माण नहीं करवाने तथा ठेकेदारों की ओर से देरी होना थे। इसके परिणामस्वरूप परियोजना प्रतिवेदन में

@ सर्किट किलोमीटर

\* अतिरिक्त उच्च भार

‡ मिलियन इकाइयाँ

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

दर्शित 16.99 करोड़ रुपये मूल्य की 51.09 एम.यू. ऊर्जा की बचत नहीं की जा सकी थी।

132 के.वी. एवं 33 के.वी. जी.एस.एस. को आपस में एक-दूसरे से नहीं जोड़ने के कारण इनके निर्माण तथा वाणिज्यिक उपयोजन में विलम्ब हुआ जिसके फलस्वरूप परियोजना प्रतिवेदन में दर्शित 2.85 करोड़ रुपये मूल्य की 8.217 एम.यू. ऊर्जा की बचत नहीं की जा सकी थी।

आर.आर.वी.पी.एन.एल. के प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि लाईनों को बिछाने में हुए विलम्ब टॉवर सामग्री की अनुपलब्धता के कारण था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समय पर योजना बना कर कार्यवाही करके सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती थी।

### **ट्रांसफार्मरों की ओवरलोडिंग एवं कमजोर वोल्टेज प्रोफाइल**

2.3.13 ओवरलोडिंग के परिणामस्वरूप बार-बार ट्रिपिंग होती है तथा वोल्टेज रेगुलेशन विपरीत हो जाता है साथ ही ट्रांसफार्मर निरन्तर खराब होते रहते हैं जिससे उच्चतर परेषण हानियाँ होती हैं। 2004-05 वर्ष के लिये 391 ई.एच.वी. ट्रांसफार्मरों से सम्बद्ध अभिलेखों की जाँच से 37 ट्रांसफार्मरों में उनकी निर्धारित क्षमता से अधिक भार होना ज्ञात हुआ था। एम.आई.एस.\* आंकड़ों की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि आर.आर.वी.पी.एन.एल. की वर्ष 2004-05 के दौरान वोल्टेज की परिचालन सीमा 132 के.वी. के मामले में 120 से 145 के नियामक आयोग द्वारा जारी ग्रिड कोड में निर्धारित मानदण्डों के समक्ष 90 से 149 के.वी. थी तथा 220 के.वी. के मामले में 200 से 245 के.वी. के मानदण्डों के समक्ष 159 से 250 के.वी. रही। यह इस तथ्य को इंगित करता है कि ऊर्जा निम्न वोल्टेज पर पारेषित की गई जिससे अधिक परेषण हानियाँ हुईं। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 101 में से 55 जी.एस.एस. में वोल्टेज प्रोफाइल ग्रिड कोड में निर्धारित मानदण्डों से निम्न था।

प्रबन्धन ने उच्चतर परेषण हानियों को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2006) बताया कि ओवर लोडिंग टालने के लिये प्रणाली सुधार की योजनाएँ प्रगति पर थीं।

### **कपेसिटर बैंकों की अपर्याप्त स्थापना**

2.3.14 जब परेषण प्रणाली की इनकी सीमा से अधिक दबाव के कारण औसत वोल्टेज सामान्य वोल्टेज से नीचे गिर जाती है तो परेषण हानियाँ बढ़ जाती हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिये परेषण प्रणाली में पर्याप्त मात्रा में कपेसिटर बैंक की स्थापना की आवश्यकता होती है। नीचे दी गई तालिका में मार्च 2005 तक

\* प्रबन्धन सूचना प्रणाली

के गत पांच वर्षों के दौरान केपेसिटर बैंकों की स्थापना के लक्ष्य/उपलब्धियों की गयी है।

वर्ष	लक्ष्य (एम.वी.ए.आर.** में)	उपलब्धियाँ (एम.वी.ए. आर.में/प्रतिशत)	कमी (एम.वी.ए. आर.में/प्रतिशत)
2000-01	300	174 (58)	126 (42)
2001-02	150	49 (33)	101 (67)
2002-03	250	233 (93)	17 (7)
2003-04	190	168 (88)	22 (12)
2004-05	120	141	-

वर्ष 2000-04 के दौरान केपेसिटर बैंकों की स्थापना नियोजित एम.वी.ए.आर. के 33 तथा 93 प्रतिशत के बीच विचरित रही थी। तथापि वर्ष 2004-05 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था। केपेसिटर बैंको की स्थापना की कमी वर्ष 2000-01 से 2003-04 के दौरान सात तथा 67 प्रतिशत के बीच विचरित रही थी जो कि 266 एम.वी.ए.आर. जितनी थी। इसके अलावा, 20 केपेसिटर बैंक (104 एम.वी.ए.आर.क्षमता) एक से 66 माह के बीच विचरित अवधि के लिए दोषयुक्त एवं सर्किट से बाहर रहे थे। केपेसिटर बैंकों की दोषयुक्त केपेसिटरोँ सहित रही कुल कमी के परिणामस्वरूप 23.04 करोड़ रुपये मूल्य की 75.36 एम.यू. की सीमा तक ऊर्जा बचत से वंचित रहना पड़ा था (केपेसिटर बैंकों की कमी के कारण होनी वाली विद्युत की हानि के मानदण्डों के आधार पर औसत टेरिफ दरों से आंकलित)।

दोष युक्त केपेसिटर को शामिल करते हुए, केपेसिटर बैंकों की कमी के परिणामस्वरूप 23.04 करोड़ रुपये की ऊर्जा बचत से वंचित रहना पड़ा।

आर.आर.वी.पी.एन.एल. के प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि एन.आर.ई.बी.<sup>1</sup> के निर्देशानुसार पर्याप्त केपेसिटर बैंक स्थापित किये गए हैं तथा वर्तमान में पर्याप्त संख्या में केपेसिटर बैंक स्थापित हैं। तथापि, तथ्य यह रहता है कि कम्पनी 2001-2004 के दौरान अपने स्वयं के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी थी।

### 2.78 करोड़ रुपये मूल्य के जांच उपकरणों (आयातित एवं घरेलू) का अनुपयोग

2.3.15 परेषण हानियाँ घटाने के लिए परेषण प्रणाली में सुधार की दृष्टि से आर.आर.वी.पी.एन.एल. ने विद्युत स्विचगीयर, ट्रॉस्फार्मर, इन्सुलेटिंग ऑयल इत्यादि की जांच के उपकरण क्रय का अनुमोदन किया था (फरवरी 2003)। क्रय-आदेश मई 2004 तथा मार्च 2005 के बीच की अवधि में जारी किये गए। ये उपकरण केन्द्रीय भण्डार में जून 2005 से फरवरी 2006 के बीच प्राप्त हुये थे। यह जांच उपकरण नियमित जांच तथा आपातकालीन स्थिति के दौरान वर्ष में दो बार इस्तेमाल किये जाने थे। 2.78 करोड़ रुपये लागत के इन उपकरणों को तथापि,

\*\* मेगा वोल्ट एम्पीयर

<sup>1</sup> उत्तर क्षेत्रीय विद्युत मण्डल

सम्बन्धित प्रयोगशालाओं/जी.एस.एस.को उपयोगार्थ जारी नहीं किया गया तथा ये हीरापुरा (जयपुर) भण्डार में पड़े हुए थे। इस प्रकार, इन उपकरणों को इनके अन्तिम उपयोगकर्ता को जारी नहीं करने से इन उपकरणों के प्रापण का उद्देश्य ही विफल हो गया था।

प्रबन्धन इन उपकरणों के उपयोजन हेतु उचित उपाय करने को सहमत हो गया था (अगस्त 2006)।

### **ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा**

2.3.16 ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा की आवश्यकता परेषण हानियाँ निर्धारित करने के लिए होती है तथा यह तभी प्रभावी हो सकता है जबकि प्रत्येक स्तर पर आने वाली व जाने वाली ऊर्जा का सही मीटर अंकन हो ताकि हानियाँ घटाने के उपचारात्मक उपाय करने हेतु प्रणाली के परिणामों पर निर्भर किया जा सके। एम.आई.एस. की जांच से ज्ञात हुआ कि मीटरिंग प्रणाली में दोष के कारण 2000-01 से 2004-05 तक के पांच वर्ष की अवधि में 18 से 23 जी.एस.एस. में 2,082.72 एम.यू. की सीमा तक परेषण हानियाँ नकारात्मक (अर्थात्, परेषित इकाइयाँ प्राप्त हुई इकाइयों से अधिक) थी। फिर, अभिलेखों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि इस तथ्य के रहते कि 132 के.वी. के दो जी.एस.एस. (23 में से दो) चार वर्षों से नकारात्मक ऊर्जा दर्शा रहे थे तथा चार अन्य 132 के.वी. जी.एस.एस. तथा एक 220 के.वी. जी.एस.एस. गत तीन वर्षों से नकारात्मक ऊर्जा दर्शा रहे थे लेकिन प्रबन्धन द्वारा कोई उपचारात्मक कार्यवाही नहीं की गई थी।

### **इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने में विलम्ब**

2.3.17 मीटरिंग प्रणाली में सुधार की दृष्टि से 11 के.वी तक के फीडरों पर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर लगाने की 8.40 करोड़ रुपये लागत वाली एक योजना बनायी गई थी जिसकी कार्य-पूर्णता तिथि जनवरी 2004 थी। इस परियोजना हेतु 6.72 करोड़ रुपये की सीमा तक कोष पावर फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड (पी.एफ.सी.) को लगाने थे। तथापि, परियोजना अप्रैल 2006 तक पूर्ण नहीं की जा सकी थी। 220 के.वी. से 11 के.वी. तक के फीडरों पर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर स्थापना के कार्य में विलम्ब का हानियों पर नियन्त्रण हेतु ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा की प्रणाली में सुधार के प्रयासों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2006) कि विलम्ब मुख्यतः परियोजनाओं की उच्चतम स्तर पर निगरानी करके कुछेक संशोधन/परिवर्तन करने की आवश्यकता के कारण हुआ था। तथ्य यह रहता है कि इन विलम्बों को उपयुक्त नियोजन द्वारा टाला जा सकता था।



लेखापरीक्षा में आगे यह भी देखा गया कि मीटरिंग प्रणाली में दोषों के आवधिक प्रतिवेदनों की प्राप्ति के बावजूद प्रबन्धन द्वारा उपचारात्मक उपाय नहीं किये गये थे।

**वितरण हानियाँ**

2.3.18 निम्नांकित तालिका में 2000-2005 के दौरान वितरण कम्पनियों, अर्थात् जे.वी.वी.एन.एल., ए.वी.वी.एन.एल. तथा जेडी.वी.वी.एन.एल. की वितरण हानियों को इंगित किया गया है।

(प्रतिशतता में)

वर्ष	कम्पनी का नाम		
	जे.वी.वी.एन.एल.	ए.वी.वी.एन.एल.	जेडी.वी.वी.एन.एल.
2000-01	39.46	37.60	40.61
2001-02	38.51	34.06	39.60
2002-03	39.24	39.90	40.95
2003-04	39.85	45.51	42.56
2004-05	37.71	40.49	42.38
मानदण्ड से अधिक हुई वितरण हानियों का मूल्य (करोड़ रुपये में)	3796.43	3665.08	3155.53

उक्त तालिका से यह दृष्टिगोचर होगा कि वितरण कम्पनियों की वितरण हानियाँ सी.ई.ए. द्वारा निर्धारित (जुलाई 1991) 11.5 प्रतिशत के मानदण्ड के समक्ष 34.06 तथा 45.51 प्रतिशत के बीच विचरित रही थी। यह भी अप्रैल 2001 के बाद किये गए 2,387 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश के बावजूद थी। सी.ई.ए. के मानदण्डों से अधिक हुई वितरण हानियों की राशि 2000-01 से 2004-05 तक के पांच वर्षों की अवधि में 10,617.04 करोड़ रुपये (जे.वी.एन.एल. 3,796.43 करोड़ रुपये, ए.वी.वी.एन.एल. 3,665.08 करोड़ रुपये तथा जेडी.वी.वी.एन.एल. 3,155.53 करोड़ रुपये) हुई थी।

सकल राजस्व आवश्यकताएँ (ए.आर.आर.) तथा टैरिफ का अनुमोदन नियामक आयोग करता है जिसमें गत वर्षों के कार्य-निष्पादन के आधार पर निश्चित स्तर तक टी.एण्ड डी. हानियाँ अनुमत की जाती हैं। नियामक आयोग द्वारा ए.आर.आर. में अनुमत 2001-02 से 2004-05 की अवधि की वितरण हानियाँ जे.वी.वी.एन.एल. में 32.9 प्रतिशत, जे.डी.वी.एन.एल. में 34.25 प्रतिशत थी जबकि

ए.वी.वी.एन.एल. में यह 2001-02 से 2003-04 के वर्षों में 29.55 प्रतिशत तथा 2004-05 में 34.25 प्रतिशत थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वितरण हानियाँ 2001 से प्रतिवर्ष ए.आर.आर. में नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित हानियों से अधिक रही थी। नियामक आयोग द्वारा अनुमत वितरण हानियों से अधिक रही हानियों की प्रतिशतता 4.51 से 15.96 प्रतिशत तक विचरित रही थी तथा 2001-02 से 2004-05 तक के चार वर्षों के दौरान अधिक रही हानि 2,508.75 करोड़ रुपये (जे.वी.वी.एन.एल. : 729.27 करोड़ रु., ए.वी.वी.एन.एल. : 1,095.43 करोड़ रु. तथा जेडी.वी.वी.एन.एल. : 684.05 करोड़ रु.) आंकी गई थी।

2,449.47 करोड़ रुपये की अधिक वितरण हानियों का भार ऊंची टैरिफ के रूप में उपभोक्ताओं पर डाल दिया गया।

नियामक आयोग के टैरिफ निर्धारण की शर्तों एवं अवधियों के विनियम 2004 के विनियम 88 में निर्धारित किया गया है कि यदि वितरण कम्पनियाँ इसके द्वारा निर्धारित हानि घटाने के लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहती है तो इस खाते की समूची हानि इन कम्पनियों को उठानी पड़ेगी तथा इन्हें उपभोक्ताओं पर प्रभारित नहीं किया जायेगा। वितरण हानियाँ घटाने के लिए मार्च 2001 से दिसम्बर 2004 तक जारी वितरण हानियाँ घटाने के निर्देशों की पालना नहीं करने के कारण नियामक आयोग ने 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान टैरिफ निर्धारण/ ए.आर.आर. में कुल 2,508.75 करोड़ रुपये में से 59.28 करोड़ रुपये (जे.वी.वी.एन.एल. : 21.08 करोड़ रु., ए.वी.वी.एन.एल. : 20.42 करोड़ रु. तथा जेडी.वी.वी.एन.एल. : 17.78 करोड़ रु.) अनुमत नहीं किये थे (दिसम्बर 2004 तथा सितम्बर 2005)। तथापि, शेष अतिरिक्त वितरण हानि के 2,449.47 करोड़ रुपये, जो कि ए.आर.आर./टैरिफ निर्धारण में नियामक आयोग ने अनुमत कर दिया था, उसके भार को ऊंची टैरिफ के रूप में उपभोक्ताओं पर डाल दिया गया था।

तीनों वितरण कम्पनियों के प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड प्राप्त होने योग्य हैं किन्तु प्राप्त नहीं किये जा रहे हैं क्योंकि कृषि कनेक्शनों की संख्या बढ़ जाने के कारण हानियों में वृद्धि हुई तथा कृषि क्षेत्र को आपूर्ति के घण्टे बढ़ाने के कारण भी तकनीकी हानियों एवं वाणिज्यिक हानियों (अर्थात्, विद्युत की चोरी एवं बरबादी) में वृद्धि हुई थी। सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि टी.एण्ड डी. हानियों की सी.ई.ए. द्वारा निर्धारित मानदण्ड से तुलना करना यथार्थपरक नहीं होता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नवीनतम घटनापटल के आधार पर ऊर्जा कुशलता ब्यूरो ने सी.ई.ए. द्वारा निर्धारित 15.5 प्रतिशत के बजाय 13 प्रतिशत की टी.एण्ड डी. हानियों को ही आदर्श माना है। संयोगवश आन्ध्रप्रदेश, पंजाब, मेघालय तथा तमिलनाडु राज्यों की टी.एण्ड डी. हानियाँ 2003-04 में केवल 10 तथा 24 प्रतिशत के बीच विचरित थी। इस प्रकार तीनों वितरण कम्पनियाँ सी.ई.ए. द्वारा जुलाई 1991 में निर्धारित लक्ष्यों की तो छोड़ें, नियामक आयोग द्वारा निर्धारित उदार लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी लगातार विफल रही थी।

“हानि अन्वेषण अध्ययन” में विलम्ब

2.3.19 नियामक आयोग ने वितरण कम्पनियों को निर्देशित किया (मार्च 2001) कि कुल तकनीकी एवं गैर-तकनीकी (वाणिज्यिक) हानियों एवं स्थिर-दर वाले कृषि उपभोक्ताओं के औसत विद्युत उपभोग का एक श्रेणीवार विस्तृत अध्ययन करें ताकि हानियाँ घटाने के लिये उपयुक्त कार्यवाही की जा सके। इस हानि अन्वेषण अध्ययन का कार्य जे.वी.वी.एन.एल./जेडी.वी.वी.एन.एल. के लिये के.एल.जी. सिस्टेल लिमिटेड को व ए.वी.वी.एन.एल. के लिये डाटाजेन को दिया गया था (मार्च 2003/नवम्बर 2001)। इनके प्रतिवेदन दो से चार वर्षों के विलम्ब से प्रस्तुत किये गए जिसका मुख्य कारण आँकड़ों के संग्रहण एवं सत्यापन तथा इनको कम्पनियों द्वारा परामर्शदाताओं को सूचित करने में हुआ विलम्ब था जिससे कि प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने में देरी हुई थी।

जे.वी.वी.एन.एल. के वर्ष 2003-04 तथा जेडी.वी.वी.एन.एल. के वर्ष 2004-05 के लिए निर्धारित फीडर-अनुसार हुई हानियाँ नीचे तालिका में दी गई हैं:-

(प्रतिशतता में)

फीडर का प्रकार	जे.वी.वी.एन.एल.		जेडी.वी.वी.एन.एल.	
	तकनीकी	वाणिज्यिक	तकनीकी	वाणिज्यिक
औद्योगिक	4.96	14.75	5.66	20.00
कृषि	19.12	28.30	19.44	31.77
मिश्रित-भार	6.16	32.99	8.56	28.07
घरेलू	6.03	30.05	8.96	26.23
अघरेलू	5.96	25.03	9.31	18.85

उपरोक्त तालिका से यह दृष्टिगोचर होगा कि तकनीकी हानियाँ कृषि फीडरों में बहुत अधिक थीं व वाणिज्यिक हानियाँ कृषि, मिश्रित-भार एवं घरेलू फीडरों में बहुत अधिक थीं। इन दोनों वितरण कम्पनियों के हानि अन्वेषण अध्ययन के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि तकनीकी हानियाँ बहुत अधिक 13.86 प्रतिशत झालावाड़ सर्किल में थी जिसके समक्ष सबसे कम तकनीकी हानियाँ 4.83 प्रतिशत जयपुर शहर सर्किल (जे.सी.सी.) में थीं। इसी प्रकार, वाणिज्यिक हानियाँ बहुत अधिक 38.24 प्रतिशत भरतपुर सर्किल में थीं जिसकी तुलना में जे.वी.वी.एन.एल. के जे.सी.सी. में यह सबसे कम 14.06 प्रतिशत थी। जेडी.वी.वी.एन.एल. के सर्किल-अनुसार तकनीकी हानियाँ जोधपुर शहर की

8.12 प्रतिशत तथा जोधपुर जिले की 16.79 प्रतिशत के बीच विचरित थी जबकि वाणिज्यिक हानियाँ पाली की 13.03 प्रतिशत से बीकानेर सर्किल की 38.01 प्रतिशत के बीच विचरित थी। जे.वी.वी.एन.एल. तथा जेडी.वी.वी.एन.एल. के प्रबन्धन द्वारा अभी तक (जुलाई 2006) हानि अन्वेषण प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

ए.वी.वी.एन.एल. के हानि अन्वेषण प्रतिवेदन में इंगित किया गया था कि सही उपभोक्ता पहचान के आंकड़ों के अभाव में प्राप्त हुए परिणाम विश्वसनीय नहीं थे जो कि एक पूर्व-आवश्यकता थी एवं इस प्रकार, हानि अन्वेषण अध्ययन, यद्यपि सांकेतिक थी पर वांछित स्तर पर विश्वसनीयता उत्पन्न नहीं कर सका था।

इस प्रकार, ए.वी.वी.एन.एल. के प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने में हुए विलम्ब व उस पर कोई कार्यवाही नहीं होने से कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई थी। इस प्रकार, जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर हानियाँ कम करने के लिए इस प्रकार का अध्ययन कराने का उद्देश्य ही विफल हो गया था। फिर, ए.वी.वी.एन.एल. के लिए स्थिर-दरों वाले कृषि उपभोक्ताओं के औसत वार्षिक उपभोग निर्धारण हेतु अध्ययन अभी तक (जून 2006) नहीं किया गया था।

#### **आई.टी.आधारित सेवाओं पर निरर्थक व्यय**

2.3.20 ग्रामीण वितरण नेटवर्क की वितरण हानियाँ घटाने के उद्देश्य से जे.वी.वी.एन.एल. को एक सुदूर नियन्त्रण भार प्रबन्धन योजना बनाने का विचार आया (1996)। प्रारम्भ में इसे एक परीक्षण परियोजना के रूप में जयपुर जिले के माचवा, कालवाड़ तथा हातोड 33 के.वी. ग्रिड उप-केन्द्रों में लागू करने की योजना बनायी। टर्न-की आधार पर उपकरणों के क्रय, उनकी स्थापना एवं चालू करने के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गई (जनवरी 1997)। जनवरी 1998 में 1.50 करोड़ रुपये प्रत्येक की लागत के कार्य-आदेश श्याम टेलीकॉम लिमिटेड तथा सी.एम.सी. लिमिटेड को दिये गये। योजना की कुल लागत में हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर के 2.22 करोड़ रुपये तथा फेल सेफ ट्रांसफार्मरों के लिए 0.78 करोड़ रुपये शामिल थे।

आपूर्ति आदेश के अनुसार स्थापना एवं चालू करने के प्रभारों सहित 100 प्रतिशत राशि समूची प्रणाली की संतोषजनक स्थापना एवं चालू हो जाने के एक माह पश्चात् भुगतान की जानी थी। कम्पनी ने 3.00 करोड़ रुपये की सहमत लागत के समक्ष 2.90 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान कर दिया था (2000-02) जिसके कारण अभिलेखित नहीं थे।

लेखापरीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि:

- प्रणाली का सफलतापूर्वक चालू होना दर्शाने वाला कोई जांच प्रतिवेदन कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं था;
- सॉफ्टवेयर के परिचालन की पूर्व-आवश्यकता श्री-फेज विद्युत लगातार 24 घंटे उपलब्ध होना थी जिसके पूरा नहीं होने के कारण प्रणाली को अभी तक (अगस्त 2006) निष्पादित नहीं किया जा सका था; तथा
- प्रबन्धन को भी नियोजन एवं इस प्रणाली की प्राप्ति व इसे चालू करने के समय तक प्रणाली के परिचालन हेतु श्री फेज विद्युत लगातार 24 घण्टे उपलब्ध होने की आवश्यकता की जानकारी तक नहीं थी।

इस प्रकार, प्रणाली की प्राप्ति एवं क्रियान्वयन के समय उसके परिचालन हेतु आवश्यक श्री-फेज 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में कम्पनी के विफल रहने के कारण हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की खरीद पर 2.15 करोड़ रुपये\* का निरर्थक व्यय हुआ था। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रतिवेदन में परियोजित हानियाँ घटने, वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार तथा पॉवर फेक्टर में सुधार आदि से लक्षित 2.48 करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ प्राप्ति का लक्ष्य भी नहीं प्राप्त किया जा सका था।

### वितरण ट्रांसफार्मरों एवं फीडरों की ओवर-लोडिंग


2.3.21 ट्रांसफार्मर की क्षमता से सम्बद्ध भार का 1:1 का अनुपात आदर्श माना जाता है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि तीनों वितरण कम्पनियों में 31 मार्च 2005 को वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता 11,637 मेगावाट थी जिसके समक्ष सम्बद्ध भार 13,721 मेगावाट का था जिसका अनुपात 0.85:1 था व यह 2,084 मेगावाट के अन्तर को दर्शाता था। जे.वी.वी.एन.एल. में 1,399 मेगावाट का अन्तर बहुत अधिक था, जैसा कि ग्राफ में दर्शाया गया है, जिसके कारण 11 के.वी. उप-केन्द्रों/लाईनों में अधिक भार की स्थिति थी। लेखापरीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि 2003-04 तथा 2004-05 की अवधि में जे.वी.वी.एन.एल. के जयपुर जिला सर्किल (जे.पी.डी.) में 39 फीडर, फीडरों की वहन क्षमता की तुलना में मांग अधिक होने के कारण ओवर-लोडेड थे जिसके फलस्वरूप वितरण कोड में निर्धारित आठ प्रतिशत की तुलना में 12.13 तथा 14.31 प्रतिशत तक विचरित विपरीत वोल्टेज व बार-बार ट्रिपिंग होती रही थी। 2004-05 के दौरान कोई सुधार योजना नहीं बनाई/निष्पादित की गई थी जिसके परिणामस्वरूप पांच

\* किये गए वास्तविक भुगतान के अनुपात में राशि (रु.  $2.22 \times 2.90/3.00 =$  रु. 2.15) फेल सेफ ट्रांसफार्मर की लागत को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इसे उपयोग में लाया जा रहा था।

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

फीडरों में 55.26 लाख रुपये की अधिक हानियां हुईं तथा उपभोक्ताओं को कमजोर गुणवत्तावाली सेवा प्रदान की गई थी।

जे.वी.एन.एल. के प्रबन्धन ने आश्वस्त किया (जुलाई 2006) कि इन फीडरों के प्रणाली सुधार की योजनाएँ चलायी जायेंगी ताकि ओवर-लोडिंग को टाला जा सके।



फिर, 2003-04 में 785

मेगावाट तथा 2004-05 में 539 मेगावाट का एक भारी अन्तर वितरण कम्पनियों की पीक पावर डिमाण्ड एवं सप्लाई के बीच रहा था जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने में ये विफल रही थी।

जेडी.वी.वी.एन.एल. के प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि औसत मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त ट्रांसफार्मेशन क्षमता उपलब्ध है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वितरण कम्पनियों को ऊर्जा की अधिकतम मांग की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त एवं सक्षम होना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं निर्बाध विद्युत की आपूर्ति हो सके।

### उप केन्द्रों के निर्माण में विलम्ब

2.3.22 लेखापरीक्षा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि उप-केन्द्रों के निर्माण के सम्बन्ध में लागत एवं समय अधिक लगने की निगरानी की कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी क्योंकि उप-खण्ड स्तर/सर्किल स्तर पर प्रत्येक कार्य की वास्तविक लागत का आंकलन इस प्रकार नहीं किया जा रहा था कि अनुमानित लागत का पूर्णता की अनुसूचित तिथि से इनकी तुलना कर उपयुक्त उपचारात्मक कदम उठाये जा सकें। आगे यह भी देखा गया कि 38 उप-केन्द्रों में से 5 के निर्माण में पांच से 60 माह तक का विलम्ब हुआ था जो कि कार्य आवंटित करने तथा ठेकेदार द्वारा कार्य के प्रारम्भ करने में विलम्ब के कारण था जिसके फलस्वरूप परियोजना प्रतिवेदन में कल्पित 36.1 लाख इकाई (एल.यू.) के बराबर ऊर्जा बचत की हानि हुई जिसका मूल्य 1.10 करोड़ रुपये था। फिर गगारडू की 33 के.वी. लाइन तथा 33/11 के.वी. उप-केन्द्र, जिन्हें कि क्रमशः दिसम्बर 1998 तथा मार्च 1999 में स्थापित/बना दिया गया था, को छोटे से अर्थ-वायर की आवश्यकता के कारण अप्रैल 2003 में पांच वर्षों के विलम्ब के बाद ऊर्जा चलित किया जा सका था। परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर परियोजित 49.05 लाख रुपये मूल्य की 18.10 एल.यू. ऊर्जा बचत नहीं की जा सकी थी।

### केपेसिटर बैंक की अपर्याप्त स्थापना

2.3.23 केपेसिटर बैंक करण्ट के बहाव एवं वोल्टेज रेगुलेशन को नियन्त्रित करके पावर फेक्टर में सुधार करता है तथा वितरण हानियों को घटाता है। 2002-05 के दौरान वितरण कम्पनियों ने 946.60 एम.वी.ए.आर. (जे.वी.वी.एन.एल. में 403 एम.वी.ए.आर., ए.वी.वी.एन.एल. में 252 एम.वी.ए.आर. तथा जेडी.वी.वी.एन.एल. में 291.60 एम.वी.ए.आर.) की स्थापना की योजना बनाई थी।

सामग्री प्राप्ति में हुए विलम्ब के कारण केपेसिटर बैंकों की स्थापना में रही उल्लेखनीय कमी के कारण 68.58 करोड़ रुपये की ऊर्जा बचत की हानि उठानी पड़ी थी।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि वितरण कम्पनियों द्वारा वास्तव में स्थापित केपेसिटर बैंक 2002-03 में 4.80 एम.वी.ए.आर. (3.27 प्रतिशत), 2003-04 में 158.20 एम.वी.ए.आर. (47.25 प्रतिशत) तथा 2004-05 में 197.20 एम.वी.ए.आर. (42.39 प्रतिशत) इस प्रकार कुल 360.20 एम.वी.ए.आर. (38.05 प्रतिशत) जिनमें से 103.60 एम.वी.ए.आर. जे.वी.वी.एन.एल. में, 81.00 एम.वी.ए.आर. ए.वी.वी.एन.एल. में तथा 175.60 एम.वी.ए.आर. जेडी.वी.वी.एन.एल. में स्थापित की गई थी। इस प्रकार, सामग्री प्राप्ति में विलम्ब के कारण 2002-03 से 2004-05 तक के वर्षों के दौरान केपेसिटर बैंकों की स्थापना में 52.75 से 96.73 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी रही थी। इस विलम्ब के कारण, अनुबन्ध-16 में यथा-दर्शित, 68.58 करोड़ रुपये मूल्य की 199.66 एम.यू. लक्षित ऊर्जा की बचत की हानि हुई थी।


कमजोर नियोजन एवं निष्पादन के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति में रही उल्लेखनीय कमी, फीडरों/ट्रांसफार्मरों पर निरन्तर रहे अधिक-भार तथा न्यून पावर फेक्टर के कारण वितरण की हानियाँ अधिक रही तथा उपभोक्ताओं को आपूर्ति कमजोर रही थी।

तीनों वितरण कम्पनियों के प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि पर्याप्त एम.वी.ए.आर. क्षमता की केपेसिटर बैंक स्थापित की जा चुकी थी। उत्तर सही नहीं है क्योंकि वितरण कम्पनियों द्वारा 2004-05 तक के गत तीन वर्षों के दौरान नियामक आयोग को प्रस्तुत योजनाओं में केपेसिटर बैंकों में कमी दर्शायी गयी थी।

### ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा

#### फीडर मीटरिंग:

2.3.24 सी.ई.ए. द्वारा जारी (मई 1992) निर्देशों तथा राजस्थान सरकार द्वारा जी.ओ.आई. के साथ हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन (मार्च 2001) के




अनुसार वितरण कम्पनियों को प्रणाली की हानियाँ घटाने के लिए सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा करवानी थी। वितरण कम्पनियों द्वारा पी.एफ.सी. द्वारा नवम्बर 2000 में स्वीकृत 29.43 करोड़ रुपये के ऋण से वित्त-पोषित 6,461 बिना मीटर वाले फीडरों (जे.वी.वी.एन.एल. 1,883; ए.वी.वी.एन.एल. 2,290; जेडी.वी.वी.एन.एल.; 2,288) की मीटरिंग करवाई गई थी।

यद्यपि वितरण कम्पनियों द्वारा परियोजना को मई 2003 में जाकर अर्थात्, वितरण कम्पनियों द्वारा पी.एफ.सी. से ऋण प्राप्त करने में किये गए विलम्ब के कारण 20 माह के विलम्ब से पूरा किया गया था, 100 प्रतिशत मीटरिंग का लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सका था क्योंकि अप्रैल 2003 तथा मार्च 2005 के बीच स्थापित 1,684 नये फीडरों को फीडर मीटरों के साथ नियोजित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2005 तक 1,519 फीडर बिना मीटर के रहे। परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब तथा नये फीडरों को शामिल करने में विफलता के कारण ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा का इच्छित उद्देश्य ही विफल हो गया था। फिर, यह भी देखा गया कि मीटर वाले 8,576 फीडरों में से 1,349 फीडरों (जे.वी.वी.एन.एल. : 176, ए.वी.वी.एन.एल. : 355 तथा जेडी.वी.वी.एन.एल. : 818) ने ऋणात्मक हानियाँ, अर्थात्, बेची गई ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा से अधिक होना, दर्शाई थी जो कि मीटरों में दोष की ओर इंगित करता था।

तीनों वितरण कम्पनियों के प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि शेष रहे फीडरों की मीटरिंग का कार्य प्रगति पर था लेकिन उत्तर में ऋणात्मक हानियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया था।

### उपभोक्ता मीटरिंग

2.3.25 सहमति ज्ञापन (मार्च 2001) के अनुसार प्रभावी ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा तथा वितरण हानियों में कमी लाने के लिए दोषयुक्त मीटर समय पर बदलना तथा समस्त उपभोक्ताओं के मीटर लगाया जाना अनिवार्य था। नियामक आयोग द्वारा दोषयुक्त मीटरों को दोष का पता चलने के दिन से दो माह की अवधि में बदलना निर्धारित किया गया था तथा निर्देशित किया



गया था (मार्च 2001) कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर मीटर नहीं बदला जाता है तो तीसरे माह एवं बाद के बिलों में पांच प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिये। मार्च 2005 तक के तीन वर्षों की बदलने से शेष रहे दोषयुक्त मीटरों के बदलाव की स्थिति को अनुबन्ध-17 में दिखाया गया है। अनुबन्ध के विश्लेषण से ज्ञात



हुआ कि कुल मीटर वाले उपभोक्ताओं से दोषयुक्त मीटरों की प्रतिशतता जे.वी.वी.एन.एल. में 2002-03 में 3.70 से बढ़कर 2004-05 में 4.35, ए.वी.वी.एन.एल. में 2002-03 में 1.83 से बढ़कर 2004-05 में 2.60 तथा जेडी.वी.वी.एन.एल. में 2002-03 में 1.43 से बढ़कर 2004-05 में 2.88 हो गई थी जैसा कि दोषयुक्त मीटरों के बदलाव में गिरावट को ग्राफ में दिखाया गया है।

दोष युक्त मीटर 71 महीने तक भी परिवर्तित नहीं किए गए।

जे.वी.वी.एन.एल. के अलवर तथा जे.पी.डी.सर्किल में 2004-05 के दौरान कुल उपभोक्ताओं से दोषयुक्त मीटरों का दबाव अधिक था जो कि 13 तथा 24 प्रतिशत के बीच विचरित था। 2004-05 वर्ष के लिये जे.वी.वी.एन.एल. तथा जेडी.वी.वी.एन.एल. के उपभोक्तानुसार दोषयुक्त मीटरों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 31 मार्च 2005 को 1,523 अघरेलू, 192 लघु उद्योगों, 341 जलदाय योजनाओं तथा 45 मिश्रित-भार श्रेणी के उपभोक्ताओं के मीटर दोषयुक्त थे तथा जिन्हें एक वर्ष से अधिक होने पर भी नहीं बदला गया था। इसी प्रकार, जेडी.वी.वी.एन.एल. के लूणी उप-खण्ड में दोषयुक्त/बन्द पड़े मीटर (20) 23 से 71 माह से बदलाव के लिये लम्बित थे। 31 मार्च 2005 को जे.वी.वी.एन.एल. तथा जेडी.वी.वी.एन.एल. के छः सर्किलों में 82,894 दोषयुक्त मीटरों में से 23,745 दोषयुक्त मीटर (28.65 प्रतिशत) एक वर्ष से अधिक से बदले नहीं गये थे। जे.वी.वी.एन.एल./जेडी.वी.वी.एन.एल. द्वारा दोषयुक्त मीटरों को नहीं बदलने का राजस्व संग्रहण की स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा था। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 0.79 लाख दोषयुक्त मीटरों को छः माह से भी अधिक तक नहीं बदले जाने के कारण अकेले जे.वी.वी.एन.एल. को 2004-05 में 20.54 करोड़ रुपये मूल्य की 57.53 एम.यू. की हानि उठानी पड़ी थी।

फिर यह भी देखा गया कि दो-माह के भीतर दोषयुक्त मीटर नहीं बदल पाने के कारण ए.वी.वी.एन.एल. को 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान 22.05 लाख रुपये की उपभोक्ताओं को छूट देनी पड़ी थी जबकि जेडी.वी.वी.एन.एल. तथा जे.वी.वी.एन.एल. द्वारा नियामक आयोग के निर्देशों की अवहेलना करते हुए मीटर बदलने में पता चलने के दो माह से अधिक की देरी होने के बावजूद छूट नहीं दी गई थी।

जे.वी.वी.एन.एल. के प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि उपभोक्ता मीटरों को नहीं बदलने से कोई हानि नहीं हुई थी। उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि प्रबन्धन ने नियामक आयोग को कार्यवाही योजना प्रस्तुत करते समय, यह लिखा था कि दोषयुक्त मीटरों को बदलने से वितरण हानियों में कमी के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व का अर्जन होगा।

### कृषि विद्युत-सम्बन्धों की खराब मीटरिंग

2.3.26 नियामक आयोग द्वारा वितरण कम्पनियों को निर्देशित किया गया था (मार्च 2001) कि वे मीटर-रहित ऊर्जा में कमी के लिए तीन वर्षों के भीतर, अर्थात् 31 मार्च 2004 तक 3.97 लाख बिना मीटर वाले कृषि उपभोक्ताओं को मीटर वालों की श्रेणी में परिवर्तित करें। 3.97 लाख स्थिर दर उपभोक्ताओं के समक्ष वितरण कम्पनियों द्वारा 2004-05 तक के गत चार वर्षों में केवल 1.48 लाख उपभोक्ताओं को ही परिवर्तित किया गया था व 2.49 लाख उपभोक्ता अभी भी बचे हुए थे। लक्ष्यों की तुलना में 2004-05 तक की उपलब्धियों की प्रतिशतता केवल 37 (जे.वी.वी.एन.एल. : 30.8 प्रतिशत, ए.वी.वी.एन.एल.: 44.30 प्रतिशत तथा जेडी.वी.वी.एन.एल.: 36.70 प्रतिशत) रही थी।

तीनों वितरण कम्पनियों के प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि समस्त स्थिर दर वाले उपभोक्ताओं को मीटर वाली श्रेणी में उपभोक्ताओं के विरोध के कारण नहीं बदला जा सका था। यह भी बताया गया कि मीटर लगाने के पश्चात् स्थिर दर से बिलिंग के समक्ष राजस्व वसूली भी कम हुई थी तथा, इसलिए, वे कृषि उपभोक्ताओं के मीटर लगाने में धीमी गति रखे हुए थे। प्रबन्धन का कथन रक्षणीय नहीं है क्योंकि किसी उपभोक्ता को बिना मीटर के विद्युत की आपूर्ति करना विधि के अन्तर्गत (विद्युत अधिनियम, 2003) अनुमत्य नहीं है। बिना मीटर विद्युत आपूर्ति से नियामक आयोग के निर्देशों की भी अवहेलना होती है। मीटर लगाने के पश्चात् राजस्व में कमी चोरी रोकने के लिये प्रभावी नियंत्रण में कमी के कारण थी।

### उत्तरदायित्व/लाभ केन्द्र

2.3.27 वितरण हानियाँ कम करके परिचालनों की कार्य-कुशलता एवं चलनीयता में सुधार की दृष्टि से समस्त 11 के.वी.फीडरों को कनिष्ठ अभियंताओं (जे.ई.एन.) के अधीन स्वतन्त्र लाभ केन्द्रों के रूप में परिचालित किया जाना था। जे.वी.वी.एन.एल. में वर्ष 2003-04 के लिए मीटर वाले फीडरों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि 2,903 फीडरों में से 264 में वितरण हानियाँ 81 तथा 100 प्रतिशत के बीच विचरित व उल्लेखनीय रूप से अधिक थी। समीक्षा मीटिंग के दौरान एम.ओ.पी., जी.ओ.आई. ने इंगित किया था (जून 2005) कि जिन फीडर प्रबन्धकों (जे.ई.एन.) का कार्य-निष्पादन कम रहा उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। यद्यपि, वितरण कम्पनियों ने जुलाई/अक्टूबर 2002 से जे.ई.एन्स को फीडर प्रबन्धक नामित किया था फिर भी 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान वितरण हानियों में हुई वृद्धि अथवा हानियों में कमी नहीं आने के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया गया था। 2003-04 के दौरान इन फीडरों में 50 प्रतिशत से अधिक हुई हानियाँ 98.70 करोड़ रुपये आकलित की गई थी।

264 फीडरों में वितरण हानियाँ असाधारण रूप से 81 से 100 प्रतिशत अधिक थीं।

इस प्रकार, प्रबन्धन, वितरण हानियों में वृद्धि की प्रवृत्ति को, दोषपूर्ण फीडर मीटरिंग तथा उपभोक्ता मीटरिंग व लाभ केन्द्र की जवाबदेही की प्रणाली को लागू नहीं कर पाने के कारण रोक नहीं सका था।

**सरकार द्वारा वित्त-पोषित योजनाओं के अन्तर्गत नियोजन का अभाव, उच्च श्रेणीयन एवं सुधार की दोषपूर्ण कार्य-निष्पादन एवं निगरानी**

**ए.पी.डी.आर.पी. को लागू करना**

2.3.28 जी.ओ.आई. द्वारा उप-परेषण एवं वितरण प्रणाली के अन्नयन तथा ए.आर.आर. एवं ए.सी.एस.\*\* के अन्तर को घटाने व टी.एण्ड डी. हानियों में कमी लाने के लिए ऊर्जा लेखांकन इत्यादि के लिए अभिवृद्धित ऊर्जा विकास कार्यक्रम (ए.पी.डी.पी.) अनुमोदित किया था (फरवरी 2001) जिसका नामकरण 2002-03 में ए.पी.डी.आर.पी.@ कर दिया गया था। इस कार्यक्रम के लिए वित्त-पोषक 50 प्रतिशत जी.ओ.आई. तथा 50 प्रतिशत इसे लागू करने वाले अधिकरण द्वारा की जानी थी। जी.ओ.आई. ने उप-परेषण एवं वितरण प्रणालियों के अन्नयन से सम्बन्धित 1,238.18 करोड़ रुपये की 19 योजनाएँ (अगस्त 2002 से अक्टूबर 2004 के बीच) स्वीकृत की थी। इन योजनाओं के अन्तर्गत 33/11 के.वी. उप-केन्द्रों व लाईनों का निर्माण, कंपेसिटर बैंको की स्थापना, वितरण ट्रांसफार्मरों (डी.टीज.) के नवीनीकरण, फीडरों डी.टीज् व उपभोक्ताओं की मीटरिंग करके ऊर्जा लेखांकन शामिल थे। चयनित योजनाओं की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि योजनाओं को लागू करने की प्रगति धीमी थी तथा, जैसा कि अनुबन्ध-18 में ब्यौरा दिया गया है, 31 जुलाई 2005 तक केवल 56 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की जा सकी थी।

अनुबन्ध से यह दृष्टिगोचर होगा कि:

- जे.वी.वी.एन.एल. तथा ए.वी.वी.एन.एल. में फीडर आउटेज, वितरण हानियों तथा ए.आर.आर. व ए.सी.एस. के बीच का अन्तर और बढ़ जाने से कम्पनियों का कार्य-निष्पादन कमजोर रहा तथा हानियाँ 2001-02 में 694.85 करोड़ रुपये से बढ़कर 2004-05 में 928.08 करोड़ रुपये हो गई थी।
- जे.वी.वी.एन.एल. व ए.वी.वी.एन.एल. प्रत्येक के जिन दो सर्किलों में इन योजनाओं को कार्यान्वित किया गया था उनमें वास्तविक वितरण हानियाँ 2001-02 की तुलना में 2004-05 की अवधि में 132.23 करोड़ रुपये

\*\* अभिवृद्धित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम

@ आपूर्ति की औसत लागत

अधिक रही थी। हानियाँ अनुमोदित योजनाओं में अभिदर्शित लक्षित हानियों की तुलना में भी 443.28 करोड़ रुपये अधिक रही थी।

- कार्य-निष्पादन की निगरानी कर यथावश्यक उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करने हेतु वांछित वितरण सुधार समितियों की आवधिक बैठकें भी प्रबन्धन द्वारा नहीं की गई थी। एम.ओ.पी., जी.ओ.आई. ने भी इन योजनाओं की धीमी प्रगति, जिससे कि बैचमार्को/पैरामीटरों की प्राप्ति का कार्य-निष्पादन निराशाजनक रहा, पर अपनी चिन्ता जाहिर की थी (जून 2005)।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि हानियाँ कम करने के लिए 2003-04 के दौरान समस्त ए.पी.डी.आर.पी. योजनाओं में 137 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई थी। लेखापरीक्षा में पाया कि कम्पनियों ने तो टी. एण्ड डी. हानियों में आगे लक्षित घटाव को प्राप्त कर सकी थी और न ही प्राप्त घटाव स्तर को ही बनाये रख सकी थी क्योंकि 2002-03 में मामूली घटाव अभिलेखित करने के बाद 2003-04 में हानियाँ फिर बढ़ गई थी।

### **फीडर नवीनीकरण कार्यक्रम का त्रुटिपूर्ण नियोजन एवं क्रियान्वयन**

2.3.29 फीडर नवीनीकरण कार्यक्रम (एफ.आर.पी.) के अन्तर्गत रख-रखाव कार्यों, प्रणाली में अभिवृद्धि/उन्नयन व चोरियों की रोक के माध्यम से उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं निर्बाद्ध विद्युत आपूर्ति तथा शहरी फीडरों में 15 प्रतिशत, ग्रामीण फीडरों में 25 प्रतिशत तथा औद्योगिक फीडरों में दो प्रतिशत की उल्लेखनीय हानियों की कमी करने की दिशा में महत्वपूर्ण बैचमार्क प्राप्त किये जाने थे।

जे.वी.वी.एन.एल. के निदेशक मण्डल ने 12-15 माह की अवधि पूर्ण करने हेतु 221.08 करोड़ रुपये की लागत से 2,437 फीडरों में से 274 के एफ.आर.पी. कार्यों वाले प्रथम फेज का अनुमोदन किया था (जून 2003)। यह लक्षित किया गया था कि प्रथम फेज के पूर्ण हो जाने पर 126.02 करोड़ रुपये मूल्य की 591.9 एम.यू. की वार्षिक बचत से 57 प्रतिशत प्रतिदाय की दर प्राप्त हो जाएगी। मण्डल ने 274 फीडरों में से 40 से 50 सबसे खराब फीडरों को (फेज-1 के भाग-1 के अन्तर्गत) प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदन की तिथि से चार माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिये ताकि किये गए निवेश के वास्तविक लाभों का निर्धारण हो सके।

जे.वी.वी.एन.एल. द्वारा नवीनीकृत 50 फीडरों के अभिलेखों की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि सबसे खराब फीडरों जहाँ अधिक ऊर्जा (50.11 एल.यू. तथा 141.39 एल.यू.के बीच विचरित) का हस्तगन हुआ तथा वहाँ और अधिक वितरण हानियाँ (56.9 से 93.10 प्रतिशत) हुईं के बजाय उन 16 फीडरों का चयन किया गया, जो कि 3.57 एल.यू. तथा 15.66 एल.यू. के बीच विचरित ऊर्जा का हस्तगन करते थे व जिनकी वितरण हानियाँ 2003-04 के दौरान 10.5 तथा

गलत चयन एवं फीडरों के नवीनीकरण में हुए विलम्ब के कारण 55.27 करोड़ रुपये मूल्य की ऊर्जा बचत की हानि हुई थी।

89.8 प्रतिशत के बीच रही थी। इस प्रकार, मण्डल के इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद नवीनीकरण के लिये सबसे खराब फीडर पहचानने में नियोजन-स्तर पर ही विफलता रही थी।

इन चिन्हित 50 फीडरों को पूर्ण करने में चार माह के अपेक्षित समय की तुलना में आठ से 17 माह तक का विलम्ब हुआ था जो कि निविदाओं को समय पर अन्तिम रूप नहीं देने की वजह से कार्य-आवंटन में हुई देरी का परिणाम था। जे. वी. वी. एन. एल. द्वारा मार्च 2005 तक केवल 30 फीडरों का नवीनीकरण किया गया था व शेष 20 फीडरों को अक्टूबर 2003 की अनुसूचित पूर्णता तिथि के समक्ष अप्रैल से जून 2005 तक जाकर पूर्ण किया जा सका था। इससे परियोजना प्रतिवेदन में लक्षित 55.27 करोड़ रुपये मूल्य की 154.82 एम.यू. ऊर्जा-बचत की हानि उठानी पड़ी थी। नवीनीकृत इन 50 फीडरों में से चार शहरी फीडर तथा 13 ग्रामीण फीडर 2005-06 के दौरान क्रमशः 15 तथा 25 प्रतिशत वितरण हानियों का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे थे क्योंकि नवीनीकरण के पश्चात् भी पांच\* (13 में से) ग्रामीण फीडरों की वितरण हानियाँ 2005-06 में 41 से 49 प्रतिशत के बीच रही थी तथा तीन\*\* ग्रामीण फीडरों की 35 से 39 प्रतिशत तक विचरित रही थी। एक शहरी फीडर कृष्णनगर (भरतपुर) की वितरण हानियाँ 2005-06 के दौरान 15 प्रतिशत के मानदण्ड के समक्ष 38 प्रतिशत रही थी।

जे. वी. वी. एन. एल. द्वारा शेष फीडरों के नवीनीकरण का कार्य 2005-06 में शुरू किया गया। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया कि अलवर सर्किल के 33 औद्योगिक फीडरों में से उन चार अधिक जोखिम वाले फीडरों में, जिन्होंने 22.94 एल.यू. तथा 159.11 एल.यू. के बीच विचरित ऊर्जा का हस्तगन किया था, टी. एण्ड डी. हानियाँ 27.10 तथा 52.09 प्रतिशत के बीच रही थी, एफ. आर. पी. के अन्तर्गत नवीनीकरण नहीं किया गया था। नवीनीकृत 50 फीडरों के कार्य-निष्पादन का यह ज्ञात करने के लिये कोई अध्ययन नहीं किया गया था (मार्च 2005) कि इससे कितनी राजस्व वृद्धि हुई, ट्रिपिंग की संख्या में क्या कमी आई तथा इससे वास्तव में क्या फायदा हुआ ताकि बोर्ड जून 2003 के निर्देशानुसार फीडर नवीनीकरण से हुए कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन कर सके। इस जानकारी के अभाव में एफ. आर. पी. के वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सका था। इस प्रकार न केवल नियोजन में बल्कि कार्यक्रम के निष्पादन व निगरानी में भी विफलता रही थी।

ए. वी. वी. एन. एल. द्वारा प्रथम फेज के अन्तर्गत मण्डल की समन्वय समिति द्वारा जुलाई 2004 तक पूर्णता हेतु अनुमोदित (दिसम्बर 2003) 100 फीडरों के समक्ष

\* सिलेसेड़ (अलवर), समेरखादा, आसरो, इटावा, सुल्तानपुर

\*\* कैन्थून (भरतपुर), सोमाली (दौसा), आमली (कोटा)

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

31 मार्च 2005 तक केवल एक फीडर रोशनगढ (सीकर) का कार्य निष्पादित किया गया था।

सरकार ने बताया (जुलाई 2006) कि एफ.आर.पी. जून 2003 में अनुमोदित एक नवीन कार्यक्रम था जिसे सीमित संख्या में फीडरों पर परीक्षण आधार पर लागू किया जाना था। तथापि, तथ्य यह रहता है कि परीक्षण कार्यक्रमों में भी फीडरों के चयन तथा कार्यक्रमों के फायदों के मूल्यांकन के मण्डल के निर्देशों की पालना नहीं की गई व इस कार्यक्रम के निष्पादन में उल्लेखनीय विलम्ब हुआ था।

### वाणिज्यिक हानियाँ घटाने के उपाय

#### एल.टी. कण्डक्टरों का एरियल बन्च केबलों में परिवर्तन

2.3.30 एरियल बन्च (ए.बी.) केबलों कम वोल्टेज वाली वितरण लाईनों की अवैध टेपिंग रोकती है तथा डी.टी. की अधिभारिता को घटाकर आपूर्ति के वोल्टेज को बनाये रखती है। वितरण हानियाँ घटाने के लिए ए.बी. केबलों का लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से एल.टी. कण्डक्टरों को ए.बी. केबलों में बदलने की एक कार्यवाही योजना बनाई गई थी। इसके वर्षवार लक्ष्यों, उपलब्धियों तथा कमी की स्थिति अनुबन्ध-16 में दर्शायी गई है।

अनुबन्ध से यह दृष्टिगोचर होगा कि ए.वी.वी.एन.एल. द्वारा 2001-02 तथा जेडी. वी.वी.एन.एल. द्वारा 2001-02 तथा 2003-04 में एल.टी. कण्डक्टरों को ए.बी. केबलों में बदलने के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गए थे। जे.वी.एन.एल. ने 2001-02 से 2004-05 की अवधि में 5,000 कि.मी. के लक्ष्य के समक्ष 3,690 कि.मी. (73.80 प्रतिशत) एल.टी. कण्डक्टरों को ए.बी. केबल्स में बदला था, जबकि ए.वी.वी.एन.एल. ने 6,915 कि.मी. के लक्ष्य के समक्ष केवल 1,060 कि.मी. (15.33 प्रतिशत) व जेडी.वी.वी.एन.एल. ने 1,100 कि.मी. के लक्ष्य के समक्ष केवल 278.82 कि.मी. (25.35 प्रतिशत) को बदला था। सामग्री क्रय के आदेश देने में विलम्ब के कारण रही 13,015 कि.मी. में से 7,986.18 कि.मी. (61.36 प्रतिशत) की कमी के कारण 148.16 करोड़ रुपये मूल्य की 438.67 एम.यू. लक्षित ऊर्जा-बचत की हानि हुई जो कि उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में रही विफलता के अलावा थी।

तीनों वितरण कम्पनियों के प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि बाजार में पर्याप्त ए.बी. केबल उपलब्ध नहीं थे तथा इन्सुलेटर कनेक्टर से सम्बन्धित कुछ समस्या भी थी जिसे अब सुलझा लिया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ए.बी. केबलों के प्रापण हेतु क्रय-आदेश देने में टालनीय विलम्ब हुआ था।

सामग्री के प्रापण में विलम्ब के परिणामस्वरूप 148.16 करोड़ रुपये मूल्य की ऊर्जा बचत की हानि हुई थी।

### एल.टी. रहित प्रणाली का कार्यान्वयन

2.3.31 उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली (एच.वी.डी.एस.) तकनीकी हानियाँ घटाने चोरी बचाने, वोल्टता सामर्थ्य सुधारने तथा बेहतर उपभोक्ता सेवा प्रदान करने की एक प्रभावी प्रणाली है। 11 के.वी. लाइनों पर तकनीकी एवं वाणिज्यिक - दोनों प्रकार की वितरण हानियाँ एल.टी. लाइनों के 46.72 प्रतिशत की तुलना में केवल 10 प्रतिशत ही थी। एम.ओ.पी., जी.ओ.आई. द्वारा वितरण हानियाँ घटाने के लिए विद्यमान एल.टी.लाइनों (0.4 के.वी.) को एच.टी. (11 के.वी.) में बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया गया था (फरवरी 2001)।

जेडी.वी.वी.एन.एल. ने 2002-03 से 2004-05 की अवधि में एल.टी.रहित प्रणाली अपनाने के लिए 2,645 कि.मी. एल.टी. लाइनों को बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जैसाकि अनुबन्ध-16 में दर्शाया गया है। 54,779 कि.मी. लम्बी कुल एल.टी. लाइनों के 4.8 प्रतिशत के बराबर 2,645 कि.मी. लाइनों को तीन वर्ष की अवधि में बदलने का लक्ष्य स्वयं ही बहुत कम था। जेडी.वी.वी.एन.एल. द्वारा 2002-04 के दौरान कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया तथा 2004-05 में केवल 80 कि.मी. एल.टी. लाइनों को एच.टी. लाइनों में बदला गया था। नियोजित कार्यों को निष्पादित नहीं करने के परिणामस्वरूप 2002-03 से 2004-05 के दौरान 80.35 करोड़ रुपये मूल्य की 234.56 एम.यू. ऊर्जा की सम्भावित बचत की हानि उठानी पड़ी थी।

ए.वी.वी.एन.एल. ने 2002-05 की अवधि में प्राय्य 8,230 कि.मी. लाइनों को बदलकर एल.टी.रहित प्रणाली को लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। तीन वर्ष की अवधि में कुल 89,629 कि.मी. एल.टी. लाइनों में से 9.18 प्रतिशत के बराबर 8,230 कि.मी. को बदलने का लक्ष्य स्वयं ही बहुत कम था। ए.वी.वी.एन.एल. द्वारा 2002-04 के दौरान कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया। इसके द्वारा 2004-05 के दौरान केवल 56.5 कि.मी. एल.टी. लाइनें, एच.टी. लाइनों में परिवर्तित की गई थी। कार्य सौंपने में विलम्ब तथा प्रबन्धन द्वारा निष्पादन में हुई प्रगति की निगरानी के अभाव में 2002-05 के दौरान 306.70 करोड़ रुपये मूल्य की 923.27 एम.यू. ऊर्जा की सम्भावित बचत की हानि हुई थी।

जे.वी.वी.एन.एल. ने एल.टी. रहित प्रणाली लागू करने के लिये 2002-05 की अवधि में 7,632 कि.मी. एल.टी. लाइनों को बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया था। तीन वर्ष की अवधि में कुल 86,221 कि.मी. एल.टी. लाइनों में से 8.85 प्रतिशत 7,632 कि.मी. का लक्ष्य स्वयं ही बहुत कम था। जे.वी.वी.एन.एल. द्वारा 2002-03 में 1180 कि.मी., 2003-04 में 1,557.90 कि.मी. तथा 2004-05 में 3,380.31 कि.मी. एल.टी. लाइनों को बदल कर एच.टी. लाइनें बनाई थी। लक्षित कार्यों को 2002-05 के दौरान निष्पादित नहीं करने के

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

परिणामस्वरूप 12.35 करोड़ रुपये मूल्य की 35.64 एम.यू. ऊर्जा की सम्भावित बचत की हानि उठानी पड़ी थी।

इस प्रकार नियोजित श्रेणी उन्नयन एवं सुधार योजनाओं को लागू करने व पूर्ण करने में प्रबन्धन की विफलता से सम्भावित ऊर्जा बचत एवं वितरण हानियों में कमी के लक्ष्य नहीं प्राप्त किये जा सके थे। जेडी.वी.वी.एन.एल. के प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि लक्ष्यों में रही कमियों को चालू वर्ष के दौरान पूरा कर लिया जायेगा।

### **अपर्याप्त सतर्कता जांचों के कारण उपभोक्ताओं/गैर-उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत की चोरी एवं दुरुपयोग।**

2.3.32 उपभोक्ताओं द्वारा मीटरों से छेड़-छाड़ करके तथा गैर-उपभोक्ताओं द्वारा अनाधिकृत टेपिंग/हुकिंग के द्वारा विद्युत चोरी के कारण उल्लेखनीय वाणिज्यिक हानियाँ होती हैं। अनुबन्ध-19 में जांच की संख्या के लक्ष्यों, चोरी के मामलों, निर्धारित राशि एवं उनके समक्ष वसूली गई राशि को दर्शाया गया है। अनुबन्ध के विश्लेषण से पाया गया कि:

यद्यपि ये लक्ष्य वितरण कम्पनियों द्वारा जे.ई.एन./ए.ई.एन./एक्स.ई.एन.\* द्वारा सतर्कता जांच के लिए निर्धारित मासिक मानदण्डों के आधार पर निर्धारित किये गए थे, ताकि चोरी/रिसाव एवं गलत-तरीकों को रोका जा सके, वास्तव में की गई जांचें लक्षित जांचों के 29 से 83 प्रतिशत तक विचरित रही थीं। 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान सतर्कता जांच हेतु निर्धारित लक्ष्य कुल उपभोक्ताओं के अढ़ाई प्रतिशत से भी कम थे तथा वास्तव में की गई जांचें एक प्रतिशत से कम थीं जो कि यह दर्शाता है कि सतर्कता जांच का आकार अपर्याप्त था। फिर, सतर्कता जांचें न तो उच्च जोखिम वाले अथवा हानि उठा रहे फीडरों के किसी अध्ययन/सर्वेक्षण पर आधारित थीं और न ही श्रेणीवार वितरण हानियों के आधार पर किन्हीं उच्च जोखिम वाले उपभोक्ताओं की पहचान की गई थी। इसके अतिरिक्त, वितरण कम्पनियों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की सतर्कता जांच हेतु कोई नीति/नियम भी नहीं निर्धारित किये गए थे।

### **चोरी का अधिक भार**

2.3.33 जे.वी.वी.एन.एल. में 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान पकड़े गये सतर्कता जांच के प्रति तीन मामलों में से दो मामलों में चोरी पकड़ी गई थी जो कि प्रणाली में चोरियों की उच्चतर भार को इंगित करता है। इससे प्रकट होता है कि वितरण हानियों में चोरी का भारी योगदान था जैसा कि "हानि अनुसन्धान अध्ययन" में भी कहा गया था तथा इस प्रकार, इस क्षेत्र में प्रभावी उपाय के

\* कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता/अधिशापी अभियंता



लिए सतर्कता जांच बढ़ाने की जरूरत थी। लेखापरीक्षा में पाया कि 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान अलवर एवं भरतपुर सर्किलों में वितरण हानियाँ अधिक रही थीं। चोरी के मामलों के निर्धारण व इनसे बचाव की प्रणाली प्रभावी नहीं थी क्योंकि जे.वी.वी.एन.एल. के जे.पी.डी.सी. में चोरी/गलत रीतियों के 1796 मामलों में से 596 मामले 31 मार्च 2005 को एक तथा 19 वर्षों के बीच विचरित अवधि से निर्धारण तथा वसूली हेतु बकाया पड़े हुए थे। निर्धारित राशि के लक्ष्यों के समक्ष वसूली के लक्ष्य 47 से 75 प्रतिशत के बीच नीचे रखे गए थे तथा इनके समक्ष हुआ संग्रहण/वसूली भी निम्नतर थी।

वितरण कम्पनियों द्वारा नियामक आयोग के निर्देशानुसार फीडर-वाईज सतर्कता जांच नियोजित एवं निष्पादित नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि पांच औद्योगिक क्षेत्रों (केकड़ी, राजगढ़ तथा भिवाड़ी फीडर सं. 2, 3 व 6) में 11.35 तथा 52.09 प्रतिशत के बीच विचरित उच्चतर वितरण हानियों के बावजूद सतर्कता जांच लक्ष्यों के केवल 33.7 से 41.25 प्रतिशत के बराबर थी। इससे इंगित होता है कि सतर्कता प्रणाली न तो प्रभावी थी और न ही पर्याप्त। फिर, चोरी के मामलों के निर्धारण एवं संग्रहण की प्रणाली भी कमजोर थी।

#### उच्च टी. एण्ड डी. हानियों का प्रभाव

2.3.34 कार्यक्षमता तथा परिचालनों की वहनीयता में सुधार के लिए पूर्ववर्ती आर. एस.ई.बी. के विखण्डन की सफलता भी टी. एण्ड डी. हानियों के घटाव पर निर्भर थी। वितरण कम्पनियों को सरकार द्वारा समय-समय पर आर.पी.एस.एफ.आर.पी. में परियोजित अनुदान के सहारे 2001-02 से न हानि न लाभ पर चलाया जाना था।

1997-98 से 1999-2000 की 26 से 28.54 प्रतिशत की तुलना में 2004-05 के दौरान टी. एण्ड डी. हानियों में उल्लेखनीय वृद्धि होकर ये 43.64 प्रतिशत हो गई थी जिनसे अभी तक विद्युत क्षेत्र के सुधारों के उद्देश्य की उपलब्धियाँ असंतोषप्रद थी जिसका प्रमुख अंशधारकों अर्थात्, उपभोक्ताओं एवं राज्य सरकार पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। राजस्थान सरकार से अनुदान सहयोग की वास्तविक जरूरत टी. एण्ड डी. हानियाँ घटाने में विफलता के कारण अगस्त 2003 की आर.पी.एस.एफ.आर.पी. में परियोजित 970 करोड़ रुपये के समक्ष 2004-05 वर्ष में उल्लेखनीय रूप से अधिक 2,016.45 करोड़ रुपये हो गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि पांच वर्षों की अवधि (2000-01 से 2004-05) के दौरान टी. एण्ड डी. हानियों के 15.5 प्रतिशत के मानदण्ड से 11,624.80 करोड़ रुपये अधिक हो जाने से इसे राज्य सरकार को अनुदान के रूप में तथा उपभोक्ताओं को उच्चतर टैरिफ के रूप में वहन करना पड़ा था। राज्य सरकार पर 7,441.23 करोड़ रुपये का भार पड़ा जबकि उपभोक्ताओं को वर्ष 2004-05

अधिक टी. एण्ड डी. हानियों के कारण, उपभोक्ताओं को उच्चतर टैरिफ के रूप में 4,183.57 करोड़ रुपये का भार उठाना पड़ा था।

की औसत टेरिफ के 17 प्रतिशत के बराबर 4,183.57 करोड़ रुपये का भार उच्चतर दरों के रूप में उठाना पड़ा था।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2005 को समाप्त हुए पांच वर्षों के दौरान 5,625.49 करोड़ रुपये की शुद्ध उधारियों में से 5,587.58 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग प्राप्य अनुदान तथा प्राप्त अनुदान के बीच के अन्तर को पाटने के लिये किया जिससे पूंजीगत व्यय के लिये 37.91 करोड़ रुपये की मामूली राशि बची थी। इस अनुदान के अन्तर को पाटने के लिए उपयोग में लायी गई उधार ली गई इन राशियों के ब्याज के भार के परिणामस्वरूप 500 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक आवर्ती व्यय करना पड़ेगा। इसे सरकार तथा उपभोक्ताओं को आगामी वर्षों में भुगतना पड़ेगा तथा इससे आर.आर.वी.पी.एन.एल. व वितरण कम्पनियों की साख रेटिंग एवं उधार लेने की क्षमता पर भी असर पड़ेगा।

### निष्कर्ष

पूर्ववर्ती आर.एस.ई.बी. को राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र सुधार अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत विखण्डित करने का मुख्य उद्देश्य क्षमताओं में सुधार एवं परिचालनों की वहनीयता के द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में स्थायी विकास की स्थितियाँ पैदा करना, विद्युत कम्पनियों के टी. एण्ड डी. हानियाँ घटाने में विफल रहने के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका था। आर.आर.वी.पी.एन.एल. की परेषण हानियाँ समीक्षाधीन अवधि में 4 प्रतिशत के मानदण्ड के समक्ष 6.01 से 8.15 प्रतिशत तक विचरित रही थीं। वितरण कम्पनियों की वितरण हानियाँ समीक्षाधीन अवधि में 11.5 प्रतिशत के मानदण्ड के समक्ष 34.06 से 45.51 प्रतिशत तक विचरित रही थीं। फिर, वितरण हानियाँ नियामक आयोग द्वारा अनुमत सीमा से 4.51 से 15.96 प्रतिशत अधिक थी जिसका वित्तीय प्रभाव 2,508.75 करोड़ रुपये था।

ऊर्जा कम्पनियों के अप्रैल 2001 से ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों पर 3,512.16 करोड़ रुपये व्यय करने के बावजूद विखण्डन-पश्चात् की अवधि में 1997-98 से 1999-2000 के दौरान के 26 से 28.54 प्रतिशत की तुलना में टी.एण्ड डी. की हानियों में 43.64 प्रतिशत तक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2002-2005 तक के पांच वर्ष की अवधि के दौरान 15.5 प्रतिशत के मानदण्ड से अधिक की परेषण एवं वितरण हानियाँ 11624.80 करोड़ रुपये थी। जिसका मुख्य अंशधारकों अर्थात्, उपभोक्ताओं तथा राज्य सरकार पर तीव्र प्रभाव पड़ा था। लाईनों के निर्माण में विलम्ब, ट्रांसफार्मरों पर ओवर-लोडिंग, न्यून पावर फेक्टर, कमजोर वोल्टता नियमन, अपर्याप्त सतर्कता जांचों के कारण चोरियाँ, उच्च जोखिम वाले

क्षेत्रों को ज्ञात करने तथा उपचारात्मक एवं निरोधात्मक उपाय में विफलता, दोषपूर्ण/बन्द मीटर, अनुपयुक्त ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा, नियोजन का अभाव, कमजोर निष्पादन एवं श्रेणी उन्नयन व सुधार योजनाओं की निगरानी के कारण टी. एण्ड डी. हानियाँ अधिक रही थीं।

### सिफारिशें

कम्पनियों को चाहिये कि:

- टी. एण्ड डी. हानियों की उच्च-जोखिम क्षेत्रों को पहचानने के लिये परिचालन के प्रत्येक स्तर पर फीडर के अनुसार तथा उपभोक्ता की श्रेणी के अनुसार तकनीकी/वाणिज्यिक हानियाँ ज्ञात करने हेतु ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा की प्रणाली को प्रभावी बनाने व तदनुसार हानियों को नियन्त्रण में रखने के लिये सुधारात्मक एवं बचावात्मक उपाय करें।
- लक्षित लाभों को प्राप्त करने हेतु अपने नियोजन, निष्पादन एवं निगरानी पर अधिक प्रभावी नियन्त्रण करें।
- मीटरों की स्थापना/दोषयुक्त मीटरों को हटाने में तेजी लायें।
- सुधारात्मक कार्यवाही/भविष्य में सुधार हेतु, परियोजनाओं/प्रणालियों में लक्षित लाभों के समक्ष वास्तव में अर्जित लाभों के मूल्यांकन की प्रणाली विकसित करें।
- नियामक आयोग तथा अन्य प्राधिकारियों के निर्देशों/सिफारिशों विशेषतः प्रणाली सुधार से सम्बन्ध रखने वाली को लागू करना सुनिश्चित करें।
- वाणिज्यिक हानियों को घटाने हेतु उच्च जोखिम क्षेत्रों में सतर्कता जांच के लिए पर्याप्त मानदण्ड एवं नीति निर्धारित करें तथा कृषि क्षेत्र के लिए भी उपयुक्त प्रणाली बनायें ताकि राजस्व की अधिकतम वसूली सुनिश्चित की जा सके।

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

## अध्याय III

### 3. सांविधिक निगम की निष्पादन समीक्षा

#### राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम

#### नियोजन, निर्माण एवं बसों का संचालन

#### झलकियाँ

31 मार्च 2006 को निगम के पास सभी अधिसूचित अनुसूचियों पर संचालन हेतु आवश्यक 6,904 बसों के समक्ष 4,553 बसें ही उपलब्ध थी।

(अनुच्छेद 3.7.1)

वर्ष 2000-05 के दौरान निगम ने अधिक आयु की 12.94 प्रतिशत बसें ही परिवर्तित की, जिससे अधिक आयु की बसों के संचालन पर 130.39 करोड़ रुपये की संचालन लागत अधिक रही।

(अनुच्छेद 3.7.3)

केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पूणे द्वारा प्रस्तावित यात्री किराये में क्रमिक बढ़ोत्तरी की जगह एक मुश्त बढ़ोत्तरी से निगम को 89.82 करोड़ रुपये की संचालन आय से वंचित रहना पड़ा।

(अनुच्छेद 3.9.2)

सभी उपलब्ध बसों के संचालन हेतु अनुसूचियाँ अधिक वैज्ञानिक रूप से नहीं बनाने से 30.08 करोड़ रुपये की स्थायी लागत की वसूली नहीं हो पाई।

(अनुच्छेद 3.7.4)

वर्ष 2004-05 में 438 अनुसूचियाँ बिना परिवर्तनीय लागत की वसूली के ही संचालित की गई जिससे 12.26 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.9.1)

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

निगम एक विश्वसनीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र नहीं रखता था। यह तैयार बसों की गुणवत्ता नियंत्रित करने व बसों में निम्न गुणवत्ता के सामान के प्रयोग को रोकने में विफल रहा।

(अनुच्छेद 3.8.4)

बस बॉडी निर्माणाकर्ताओं की तकनीकी बोलियों के आकलन में कमी से उपयुक्त सामान के नमूने अस्वीकृत होने की प्रतिशतता अधिक रही।

(अनुच्छेद 3.8.1)

शहरी परिवहन सेवा व साधारण परिवहन सेवा हेतु केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर में निर्मित बसों में अधिक मानव घंटों का प्रयोग हुआ जिससे 1.37 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.8.5)

बस निर्माणाकर्ताओं द्वारा बसों के निर्माण में देरी व खराब शास्ति प्रावधानों से निगम को 87.65 लाख रुपये की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.8.2)

#### प्रस्तावना

3.1 राज्य में कुशल, सस्ती, पर्याप्त, सुरक्षित व समन्वित यात्री परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (निगम) की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 (आर.टी.सी.एक्ट) के अन्तर्गत की गई थी।

निगम के पूंजीगत खर्च में चेसिस व बस बॉडी निर्माण का वृहद हिस्सा था। चेसिस का क्रय चेसिस निर्माताओं से किया जाता है। नई चेसिस पर बस बॉडी का निर्माण बस बॉडी निर्माताओं से करवाया जाता है। शहरी परिवहन सेवा (सी.टी.एस.) व पुरानी चेसिस पर जिला टाइप बस बॉडी का निर्माण बस बॉडी निर्माताओं एवं स्वयं की केन्द्रीयशाला अजमेर (सी.डब्ल्यू.एस.) में किया जाता है।

31 मार्च 2005 को निगम के पास 4320 बसें थी जिसमें 2558 बसें लीलेण्ड मेक (59.21 प्रतिशत), 1752 बसें टाटा मेक (40.56 प्रतिशत) व 10 मिनी बसें थी। इसके अतिरिक्त 219 बसें भाडे पर ली हुई थी। योजना, निर्माण एवं बसों

के संचालन का फ्लो चार्ट नीचे दर्शाया गया है:-

**योजना, निर्माण एवं बसों के संचालन की प्रक्रिया**

बसों की संभावित आवश्यकता का आंकलन व अनुसूचियों की योजना बनाना



चेसिस निर्माताओं से प्रस्ताव मंगवाना व उनके साथ तकनीकी-वाणिज्यिक वार्ता करना



चेसिस निर्माताओं से चेसिस क्रय करने हेतु निगम संचालक मंडल की स्वीकृति प्राप्त करना।



बस बॉडी निर्माण समिति द्वारा चेसिस क्रय हेतु शर्तों का निर्धारण करना व उन शर्तों पर क्रय करना।



बस बॉडी निर्माण एवं सीट क्रय हेतु निविदा मंगवाना एवं क्रय आदेश प्रदान करना



बस बॉडी एवं सीट का पूर्व निरीक्षण करना व सी.आई.आर.टी. से जांच हेतु नमूने एकत्र करना।



बस बॉडी निर्माताओं से बसे प्राप्त करना व नियोजित अनुसूचियों पर संचालन करना।

निगम का प्रबन्ध संचालक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें एक अध्यक्ष व 11 संचालक हैं। 31 मार्च 2005 को इसमें एक अध्यक्ष, एक प्रबन्ध संचालक एवं चार निदेशक थे। प्रबन्ध निदेशक मुख्य कार्यकारी हैं जिनकी सहायता हेतु योजना, निर्माण एवं बसों के संचालन के मामले में एक वित्तीय सलाहकार व कार्यकारी निदेशक (यातायात व अभियान्त्रिक) हैं। केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर का मुखिया खण्डीय यांत्रिक अभियन्ता हैं।

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

निगम द्वारा चेसिस के क्रय व बस बॉडी निर्माण पर एक समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1991 के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में शामिल की गई थी जिसे राजकीय उपक्रम समिति ने वार्ता की हुई मान लिया था (दिसम्बर 1996)।

### लेखापरीक्षा का क्षेत्र

3.2 31 मार्च 2005 को समाप्त पाँच वर्षों में योजना, निर्माण एवं बसों के संचालन की निष्पादन लेखापरीक्षा अगस्त 2005 से मार्च 2006 के दौरान की गई। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष, मुख्यालय, केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर व 48 आगारों में से चयनित 10 आगार\* जो कि बसों की संख्या व बेड़े के प्रकार को ध्यान में रखकर किया गया था, पर आधारित है।

### लेखापरीक्षा का उद्देश्य

3.3 नियोजन, निर्माण एवं बसों के संचालन की निष्पादन लेखापरीक्षा यह ध्यान में रखते हुए की गई कि क्या:

- बसों की आवश्यकता की गणना का उचित आंकलन किया गया था तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों व निगम द्वारा नियोजित अनुसूचियों को ध्यान में रखते हुए बसों का क्रय किया गया था;
- आवश्यक बसों की संख्या के क्रय हेतु समुचित वित्तीय प्रबन्ध किया गया था;
- यात्रियों को मितव्ययी परिवहन सेवा प्रदान करने हेतु क्रय/बस बॉडी निर्माण नीति को ध्यान में रखते हुए कम खर्च पर चेसिस एवं सीटों का क्रय एवं बस बॉडी निर्माण सुनिश्चित किया था, इस प्रकार यात्रियों को कम खर्चीला परिवहन सुनिश्चित किया गया;
- विश्वसनीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया बनाई गई, लागू की गई व कार्य में लाई गई;

\* उदयपुर, जोधपुर, ब्यावर, कोटा, अलवर, सीकर, हनुमानगढ़, सांगानेर, झालाना डूंगरी व श्री गंगानगर



- अनुसूचियों का नियोजन व बसों का संचालन उनकी आर्थिक लाभ/हानि देखते हुए किया गया।

#### लेखापरीक्षा मापदण्ड

3.4 निगम द्वारा नियोजन, निर्माण एवं बसों के संचालन की निष्पादन परीक्षा के लिये निम्नलिखित मापदण्ड अपनाये गये:-

- मोटर वाहन अधिनियम (एम.वी.एक्ट) के प्रावधान;
- निगम द्वारा स्थापित नीति;
- त्वरित व सस्ती परिवहन सेवा प्रदान करने हेतु निगम द्वारा विकसित मानदंड;
- नई बसों की आवश्यकता के आंकलन हेतु निर्धारित तरीके एवं निर्देश; तथा
- बस बॉडी के गुणवत्ता मानक/मापदण्ड व बसों का संचालन।

#### लेखापरीक्षा की कार्य विधि

3.5 लेखा परीक्षा की निम्नलिखित मिश्रित कार्य विधि प्रयोग में लाई गई:-

- संचालक मण्डल की बैठक की कार्यसूचियों व निर्णयों व बसों के क्रय के वित्तीय प्रबन्ध हेतु बजट अनुमानों का अवलोकन;
- जनसंख्या व राष्ट्रीयकृत मार्गों के साथ बसों की संख्या का विश्लेषण;
- वाहन बेड़े की आयु, अधिक आयु की बसों का प्रतिस्थापन व उनकी संचालन लागत की समीक्षा;
- अच्छी गुणवत्ता की सामग्री प्रयोग करने हेतु अधिकृत स्रोत व उनकी परीक्षण की जांच रिपोर्ट का अवलोकन; तथा
- बसों के संचालन की वित्तीय परिणामों व यात्री किराये में समय समय पर हुए परिवर्तन का अवलोकन ।

### लेखापरीक्षा परिणाम

3.6 लेखा परीक्षा के परिणाम सरकार/प्रबन्धन को मई 2006 में प्रतिवेदित किए गए तथा उन पर सार्वजनिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 5 जुलाई 2006 में चर्चा हुई, जिसमें आयुक्त व सचिव, यातायात विभाग राजस्थान सरकार व प्रबन्ध संचालक ने सरकार व निगम का प्रतिनिधित्व किया। सरकार/प्रबन्धन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए समीक्षा को अन्तिम रूप दिया गया।

लेखा परीक्षा के परिणामों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

### 3.7 नियोजन

#### आवश्यकता के आंकलन के लिये अपूर्ण नियोजन

3.7.1 प्रभावी, पर्याप्त, सस्ती व सुरक्षित यात्री परिवहन सेवा प्रदान करने हेतु, बड़े में पर्याप्त बसों का होना आवश्यक है, जिसके लिए पर्याप्त बसों का क्रय व निर्माण आवश्यक है। निगम की स्थापना के 41 वर्षों बाद भी निगम ने बसों की आवश्यकता के आंकलन के लिए लम्बी अवधि का नीति दस्तावेज नहीं बनाया।

जब भी राज्य सरकार द्वारा कोई राष्ट्रीयकृत मार्ग को अधिसूचित किया जाता है, अधिसूचना में उस मार्ग पर चलाये जाने वाली बसों व परिचक्रों की संख्या दर्शायी जाती है। यातायात विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जाँच करवाकर व निगम द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को ध्यान में रखकर एक संशोधित अधिसूचना (मई 2005) जारी की। संशोधित अधिसूचना के अनुसार अगस्त 1991 की अधिसूचना में दर्शायी गयी 2168 बसों (5,635 परिचक्र) के विरुद्ध 5,553 बसों (22,437 परिचक्र) की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त 19 बसें (84 परिचक्र) अगस्त 1991 के बाद अधिसूचित मार्गों के लिए आवश्यक थी। राष्ट्रीयकृत मार्गों के अतिरिक्त निगम द्वारा 1073 बसें अन्तरराज्यीय मार्गों पर व 259 बसें अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालित की गयी। इस प्रकार निगम को कुल 6,904 बसों की आवश्यकता थी, जिसके विरुद्ध निगम के पास 31 मार्च 2006 को केवल 4,553 बसें थी यथा 2,351 बसों की कमी थी। निगम ने बिना प्रयोग के अनुज्ञापत्रों को यातायात प्राधिकरण को समर्पित नहीं किया जिससे बसों की कमी और बढ़ गई।

निगम ने पर्याप्त संख्या में बसें संचालित नहीं करने का कारण आवश्यक यात्री भार उपलब्ध नहीं होना बताया क्योंकि इन मार्गों पर निजी संचालकों द्वारा अवैध वाहनों की वृद्धि हो गयी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि निजी संचालकों द्वारा

6904 बसों की आवश्यकता के समक्ष निगम ने केवल 4553 बसें ही लगाई।

संचालित वाहनों का किराया निगम द्वारा वसूल किए जाने वाले किराये से कम था। वर्ष 2000-05 में यातायात विभाग द्वारा की गई जाँच के अनुसार 5.92 प्रतिशत से 11.78 प्रतिशत अवैध वाहन संचालित हो रहे थे। अवैध वाहनों में बड़ी संख्या में जीप/कारें सम्मिलित थीं जिससे निगम को आय की हानि ही नहीं हुई बल्कि इनके द्वारा करवंचना से राज्य सरकार को भी आय की हानि हुई तथा इन वाहनों के क्षमता से अधिक यात्री ढोने व अनियन्त्रित चलन से यात्रियों की जान को भी खतरा रहा तथा सड़क दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हुई। यह भी ध्यान में आया कि उक्त वर्षों में राज्य की जनसंख्या में 19.89 प्रतिशत की वृद्धि रही जबकि निगम ने यात्रियों को समुचित परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के बजाय बेड़े की संख्या जो मार्च 1998 में 5,014 बसें थी को मार्च 2006 में 4,553 बसें तक घटा दिया।

अतः लम्बे समय के लिए नियोजन व बसों की आवश्यकता के आंकलन के अभाव में निगम यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने में ही असफल नहीं रहा बल्कि अनुज्ञा पत्रों को भी समर्पित नहीं किया जिससे वैध निजी वाहनों का संचालन हो सके।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि बसों की आवश्यकता का आंकलन यातायात विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार करना उचित नहीं है क्योंकि निगम अधिसूचना में दर्शाये गये एक या अधिक मार्गों को मिलाकर वाहन संचालित करता है। यह भी बताया गया कि वाहनों में कमी के उपरान्त भी संचालित किलोमीटर (के.एम.) में वृद्धि हुई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि निगम को अधिसूचना के अनुसार वाहन संचालन करना था व मार्गों को मिलाने से यात्रियों को कम आवृत्ति की सेवाएं मिलती हैं। इसके अतिरिक्त बढ़ी हुई संचालित किलोमीटर में अन्तर्राज्यीय मार्ग व अराष्ट्रीयकृत मार्ग के किलोमीटर शामिल हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में शामिल नहीं किए गए थे। प्रबन्धन ने तथापि लोक उपक्रमों की लेखापरीक्षा समिति की बैठक (जुलाई 2006) में बसों की कमी को स्वीकार कर लिया था।

### **मिनी बसों की अविवेकपूर्ण खरीद**

3.7.2 निगम के बेड़े में मिनी बसों को शामिल करने हेतु निगम ने एक निर्माणकर्ता (स्वराज माजदा लिमिटेड) के साथ बैठक (दिसम्बर 2001) की। कार्यकारी निदेशक (ई.डी.) (यातायात) को लाभ-हानि देखते हुए कुछ मार्गों/अनुसूचियों हेतु 32 सीटर बसों की आवश्यकता बतानी थी। कार्यकारी निदेशक (यातायात) ने लिखा (18 जनवरी 2002) कि मिनी बसों को शामिल करने का प्रस्ताव वित्तीय दृष्टि से लाभकारी नहीं है। प्रबन्धन ने कार्यकारी निदेशक (यातायात) की टिप्पणी पर ध्यान दिए बिना, तथा लाभ - हानि के तथ्य के बारे में गलत टिप्पणी/तथ्य छिपाकर, 73.13 लाख रुपये की 10 बसों को क्रय करने

मिनी बसों के  
अलाभकारी  
संचालन से  
75.13 लाख  
रूपये का हानि  
हुई।

की अनुमति (अप्रैल 2002) संचालक मण्डल से प्राप्त कर ली। महाप्रबन्धक (बस बॉडी) द्वारा बताये गये संचालन लागत के अन्तर 1.45 रूपये प्रति कि.मी., जिसके आधार पर मंडल से क्रय की अनुमति ली गई थी के स्थान पर 0.54 रूपये प्रति कि.मी. था।

बहुत अधिक संचालन लागत व संचालन आय में अन्तर के कारण मिनी बसों का संचालन अलाभकारी रहा। मिनी बसों के अलाभकारी संचालन से मार्च 2005 तक 75.13 लाख रूपये की हानि हुई व उसके बाद भी हानि जारी रही।

सरकार ने मिनी बसों के संचालन से हानि के तथ्य को स्वीकारते हुए कहा (मई 2004) कि निगम का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि सस्ती व आरामदायक सेवाएं प्रदान करनी होती है। इस तथ्य को अस्वीकार नहीं करते हुए कि निगम को सस्ती व आरामदायक सेवाएं प्रदान करनी थी, निगम को ईडी (यातायात) के उपरोक्त टिप्पणी के अनुसार मिनी बसें क्रय नहीं करनी थी।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि मिनी बसों का संचालन प्रायोगिक तौर पर निजी जीप व मिनी बसें जो उप-शहरी मार्गों पर चल रही हैं से प्रतिस्पर्धा करने हेतु किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि मिनी बसों का संचालन 100 प्रतिशत यात्री भार पर भी हानि में रहने का आंकलन खरीदने से पहले ही कर लिया था जो कि संचालन पर सही साबित हुआ तथा प्रबन्धन ने संचालक मण्डल से क्रय की अनुमति ईडी (यातायात) द्वारा बताये तथ्यों को छिपाकर ली थी।

### **“आयुपार बसों” को बेडे से नहीं हटाना**

3.7.3 निगम ने बसों की आयु 7 वर्ष या 6 लाख कि.मी. जो भी पहले हो निर्धारित की (सितम्बर 1995)। निर्धारित आयु पूर्ण करने पर इन बसों को संचालन से हटाकर नई बसें लगानी थी चूंकि आयुपार बसों की परिवर्तनीय लागत प्रबन्धन द्वारा (जनवरी 2003 में) की गई गणनानुसार, 1.50 रूपये प्रति कि.मी. (रूपये 6.96-रूपये 5.46 प्रति कि.मी.) अधिक थी।

निगम मुख्यतः आयु पार बसों को बदलने के लिए ही चेसिस का क्रय करता है व कमी को निजी वाहन स्वामियों से बसें किराये पर लेकर पूरी करता है। नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2000 (वाणिज्यिक) के प्रतिवेदन में आपत्ति की गई थी कि निगम आयुपार बसों का संचालन करता है जिसका संचालन अलाभकारी रहा। निगम ने तथापि निर्धारित समय पर आयुपार बसों को बदलने के लिए कोई योजना नहीं बनाई। 31 मार्च 2005 को समाप्त पाँच वर्षों के दौरान इस तरह की बसें व चेसिस खरीद की संख्या निम्न प्रकार रही:

वर्ष	आयुपार बसों की संख्या	क्रय की गई चेसिस की संख्या	खरीदी गई चेसिस की आयु पार बसों से प्रतिशतता
2000-01	2,204	395	17.92
2001-02	2,567	489	19.05
2002-03	2,738	549	20.05
2003-04	2,301	688	29.90
2004-05	2,110	273	12.94

आयुपार बसों के संचालन से 130.39 करोड़ रुपये की अधिक संचालन लागत आई।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि निगम ने आयुपार बसों को समय पर परिवर्तित नहीं किया। वर्ष 2000-05 में मात्र 12.94 से 29.90 प्रतिशत बसों को ही परिवर्तित किया। जिसके कारण निगम द्वारा आयुपार बसों का संचालन किया गया जिन की संचालन लागत अधिक थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि निगम किराये पर ली गई बसों को किलोमीटर के आधार पर, लाभदायक व सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। अतः निगम आयुपार बसों को बिना किसी अतिरिक्त निवेश के, निजी वाहन स्वामियों से अधिक बसे किराये पर लेकर, परिवर्तित कर सकता था। यदि निगम आयुपार बसों के संचालन के विरुद्ध अतिरिक्त वाहन किराये पर लेता तो वर्ष 2000-05 के दौरान 130.39 करोड़ रुपये की संचालन लागत, आयुपार बसों की अधिक लागत व संचालित कि.मी. के आधार पर आंकलित, बचा सकता था। अधिक संचालन लागत अन्तिम रूप से अलाभकारी शिड्यूल के संचालन में परिवर्तित होती है। इसके अतिरिक्त आयुपार बसों में यांत्रिक खराबी भी ज्यादा होती है, जिससे यात्री सेवाओं की गुणवत्ता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि आयुपार बसों के संचालन के उपरान्त भी यांत्रिक खराबी व हानि में कमी हुई है व वर्ष 2000-05 के दौरान डीजल औसत में सुधार हुआ है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम द्वारा उल्लेखित सुधार विशिष्ट नहीं है चूंकि आयुपार व अन्य बसों के आंकड़ों का मिलान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त निगम ने संचालक मण्डल को अवगत कराया (जनवरी 2003) कि आयुपार बसों के संचालन से वित्तीय हानि होती है। निगम ने आगे बताया (जुलाई 2006) कि बसों की आयु का निर्धारण वित्तीय लेखों में ह्रास की गणना करने हेतु किया गया है तथा वास्तविक रूप से बसों को बेड़े से हटाने के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं की है। उत्तर निगम द्वारा स्वयं के चेसिस क्रय में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया, जो कि बसों की उक्त आयु पर ही निर्धारित है के विपरीत है।

#### उपलब्ध बसों का प्रयोग नहीं करना

3.7.4 निगम द्वारा आवश्यक बसों की संख्या का आंकलन संचालित की जाने वाली अनुसूचियों की संख्या व नियोजित अनुसूचियों से चार से छः प्रतिशत अतिरिक्त, को ध्यान में रखकर किया जाता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि निगम ने अनुसूचियों के नियोजन की प्रक्रिया का ध्यान नहीं रखा व जैसा नीचे दर्शाया गया

है कि वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक के सभी पाँच वर्षों में उपलब्ध बसों की संख्या के विरुद्ध कम अनुसूचियों नियोजित की:

वर्ष	उपलब्ध बसों की संख्या			नियोजित एवं संचालित अनुसूचियों की संख्या	आवश्यक बसों की अतिरिक्त संख्या को शामिल करते हुए	आवश्यकता से अधिक बसें (संख्या)
	स्वयं	किराये की	योग			
2000-01	4,358	249	4,607	4,281	4,538	69
2001-02	4,413	220	4,633	4,282	4,534	99
2002-03	4,348	278	4,626	4,326	4,587	39
2003-04	4,538	271	4,809	4,408	4,612	197
2004-05	4,320	219	4,539	4,291	4,491	48

संचालित अनुसूचियों के उपलब्ध बसों की तुलना में अनियोजन के कारण 30.08 करोड़ रुपये की स्थायी लागत की वसूली नहीं हो पायी।

उपरोक्त तालिका से विदित है कि वर्ष 2000-05 के दौरान उपलब्ध बसों की संख्या से कम अनुसूचियों के संचालन के कारण 39 से 197 बसें प्रतिवर्ष निष्क्रिय रही जिस पर स्थायी लागत बिना किसी आय के ही व्यय करनी पड़ी। अतः एक तरफ बसों की कमी के कारण निगम आवश्यक अनुसूचियों का संचालन नहीं कर पाया तथा दूसरी तरफ उपलब्ध बसों की संख्या से कम अनुसूचियों का नियोजन किया गया जिससे बसें निष्क्रिय रही। यदि निगम अनुसूचियों का नियोजन सही ढंग से करता जैसे बसों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, तो निष्क्रिय बसों को संचालित कर वर्ष 2000-05 में 30.08 करोड़ रुपये की स्थायी लागत की वसूली कर सकता था, जो कि निगम की हानि में शामिल हो गई।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि बसों को बेड़े से हटाने की प्रक्रिया में लगने वाले समय के कारण, जो बसें मार्ग पर नहीं थी वह भी बेड़े में शामिल हो गई, जिसके कारण बसें आवश्यकता से अधिक दर्शाती हैं। प्रबन्धन तथापि बसों को बेड़े से हटाने की प्रक्रिया के कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका।

### 3.8 बसों का निर्माण

#### निविदाओं के मूल्यांकन की प्रणाली में कमी

3.8.1 निगम संचालक मण्डल ने बस बॉडी निर्माण नीति अनुमोदित की (दिसम्बर 1995) जिससे बस बॉडी निर्माण की निविदाएं दो भागों में आमन्त्रित की जानी थी यथा तकनीकी निविदा व वित्तीय निविदा। वित्तीय निविदा उन्हीं बोलीदाताओं की खोली जानी थी जिनकी तकनीकी निविदा अनुमोदित हो। यह भी उल्लेखित था कि नयी फर्मों का तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन एक निर्धारित मैट्रिक्स जिसमें बोलीदाता की संगठन क्षमता, तकनीकी क्षमता, कार्य पूर्ण करने की क्षमता, कार्य की गुणवत्ता व बकाया पंचाट/न्यायिक मामलों की संख्या शामिल है, के अनुसार किया जाता है। बॉडी निर्माणकर्ता जो पहले से ही अनुमोदित सूची में हैं का तकनीकी मूल्यांकन उनकी पूर्व वर्षों की पूर्वयोग्यता के स्तर के अनुसार

उनकी आपूर्ति क्षमता व देरी के लिए लगाई गई शास्ती इत्यादि के आधार पर किया जाता है। नीति में यह भी उल्लेखित है कि यदि निर्माण में कम गुणवत्ता का सामान प्रयोग में लाया जाता है तो निर्माणकर्ता से सामग्री की तुलनात्मक लागत भी वसूल की जायेगी। यदि सामग्री उल्लेखित मानदण्डों के अनुसार नहीं है या कार्य की गुणवत्ता अधिक खराब है तो निर्माणकर्ता को काली सूची में डाल दिया जाएगा।

लेखा परीक्षा ने विश्लेषण में पाया कि वर्ष 2000-05 में निर्मित हुई 2459 बसों में से 1930 बसों का निर्माण चार बड़े निर्माणकर्ताओं द्वारा किया गया। इन चार निर्माताओं की वर्ष वार निष्पादन जिसमें नमूना निरस्त होने की दर व निर्माण में हुई देरी को अनुबन्ध-20 में दर्शाया गया है।

अनुबन्ध को देखने से ज्ञात होता है कि वर्ष 2001-02 में सभी निर्माणकर्ताओं के नमूनों के निरस्त होने की दर बहुत ज्यादा थी जो कि 38 से 58 प्रतिशत के मध्य विचरित रही। इसके अतिरिक्त एक निर्माणकर्ता (भारत मेटल) द्वारा वर्ष 2000-01, 2001-02 व 2003-04 में बसों के निर्माण में असाधारण देरी क्रमशः 374 दिन, 414 दिन व 641 दिन की रही। नीति के अनुसार उक्त निर्माणकर्ताओं पर आगामी वर्ष में कार्य आदेश जारी करने के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए था व इन्हें काली सूची में डालना चाहिए था। तथापि निगम के द्वारा इनकी पूर्व कार्य निष्पादन पर ध्यान दिए बिना आगामी वर्षों में निर्माण आदेश जारी रखा।

लेखापरीक्षा ने विश्लेषण में यह भी पाया कि अनुमोदित निर्माणकर्ताओं की तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन उनकी पूर्व कार्य निष्पादन की जगह नये प्रवेश करने वाले निर्माणकर्ताओं की मैट्रिक्स के अनुसार किया गया। इसके अतिरिक्त लागू की गई मैट्रिक्स में पूर्व कार्यों की निष्पादन के लिए नगण्य भार (100 में से चार) दिया गया जिससे दोषी निर्माणकर्ता भी अनुमोदित निर्माणकर्ताओं की सूची में बने रहे। जिसके परिणामस्वरूप उक्त फर्मों की नमूना निरस्त होने की दर वर्ष 2003-04 में बढ़कर 100 प्रतिशत हो गई। साथ ही चार में से तीन फर्मों की वर्ष 2003-04 में निर्माण में देरी 6 से 641 दिन रही। नमूने निरस्त होने की दर में वृद्धि व निर्माण में देरी के उपरान्त भी निगम ने इन फर्मों को निर्माण आदेश देना जारी रखा।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि वर्ष 2000-01 में भारत मेटल द्वारा देरी किए जाने पर फर्म को आगामी वर्षों में निम्न स्तर पर कर दिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्न स्तर पर करने के उपरान्त भी आगामी सभी वर्षों में फर्म को अच्छी मात्रा में निर्माण आदेश जारी किया गया जो यह दर्शाता है कि निर्माण में उल्लेखनीय देरी के उपरान्त भी फर्म के तकनीकी मूल्यांकन पर कोई

नमूने निरस्त होने तथा निर्माण में देरी के बावजूद दोषी फर्मों को निर्माण कार्य दिया गया।

विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। फर्म ने पुनः वर्ष 2001-02 व 2003-04 में बसों के निर्माण में देरी की।

तकनीकी निविदाओं के मूल्यांकन की अपूर्ण प्रणाली के परिणाम स्वरूप निर्माण में देरी हुई तथा निम्न गुणवत्ता की सामग्री प्रयुक्त की गई।

इस प्रकार तकनीकी निविदाओं के मूल्यांकन के तरीके में कमी से बसों के निर्माण में उल्लेखनीय देरी ही नहीं हुई बल्कि इन फर्मों को नहीं हटाने से जो कि घटिया गुणवत्ता का सामान प्रयोग कर रही थी, बसों के निर्माण की गुणवत्ता भी घटिया रही। अतः निगम बसों की गुणवत्ता नियंत्रण करने में विफल रहा व निर्माणकर्ताओं को निम्न गुणवत्ता का सामान प्रयोग करने तक का अधिक भुगतान किया।

### दोष युक्त अनुबन्ध की शर्तें

3.8.2 वर्ष 2000-05 में निर्माणकर्ताओं के साथ किए गए अनुबन्ध के अनुसार, चेसिस जारी करने के बाद उल्लेखित किए गए दिनों के उपरान्त देरी होने पर प्रथम सात दिन तक 600 रुपये प्रतिदिन (2004-05 में 700 रुपये संशोधित) व उसके उपरान्त 1000 रुपये प्रतिदिन की शास्ती निर्माणकर्ता से वसूल किए जाने थे। निगम द्वारा वर्ष 2000-05 में जारी चेसिस पर बस बाँडी देने में 1 से 60 दिन (कुल 9017 वाहन दिन 511 बसों के लिए) की देरी के लिए 74.97 लाख रुपये की शास्ती वसूल की।

लेखा परीक्षा ने पाया कि अनुबन्ध में शास्ती की दर वास्तव में आय की होने वाली हानि पर ध्यान दिए बिना निर्धारित की गई। 511 बसों के निर्माण में हुई देरी से 1.63 करोड़ रुपये की आय की हानि हुई जिसके विरुद्ध निगम द्वारा शास्ती 74.97 लाख रुपये ही वसूल की गई। इसी तरह का एक आक्षेप भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) वर्ष 1990-91 में शामिल किया गया था परन्तु निगम द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई। अतः स्थायी लागत में अंशदान पर ध्यान दिए बिना शास्ती का निर्धारण करने से निगम को 87.65 लाख रुपये की हानि हुई, जिससे निगम की संचालन लागत ही नहीं बढ़ी अपितु यात्रियों के आराम में भी कमी आयी।

शास्ती वाक्य के गलत निर्माण से, बिना आय की हानियों से संबंध किये जाने से 87.65 लाख रुपये की हानि हुई।

निगम ने बताया (जुलाई 2006) कि शास्ती लगाने का उद्देश्य निर्माणकर्ताओं पर नियंत्रण रखने हेतु समय पर बस निर्माण करना है तथा इसे आय की हानि के साथ संबंधित नहीं किया जा सकता। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शास्ती तरलता नुकसान की जगह वास्तविक हानि पर आधारित होनी चाहिए न कि किसी मनमाने तरीके से।

### सीटों का क्रय

3.8.3 निगम बस बाँडी निर्माणकर्ताओं को बस में लगाने हेतु तैयार बस सीटें प्रदान करता है। निगम बसों हेतु सीटें क्रय करने हेतु द्विस्तरीय निविदा आमंत्रित



करता है। तकनीकी निविदाओं को खोलने के उपरान्त, तकनीकी रूप से स्वीकृत फर्मों की वित्तीय निविदा खोली जाती है। लेखापरीक्षा ने विश्लेषण में पाया कि, प्रथम निम्नतम फर्म को उनकी पूर्ण आपूर्ति क्षमता के अनुसार क्रय आदेश नहीं देकर, निगम ने नीचे उल्लेखित तीन मामलों में अगले उच्च बोलीदाता को आदेश दिया:

क्र. सं.	निर्णय की दिनांक	द्वितीय निम्नतम से क्रय की गई सीट सेटों की संख्या	फर्म का नाम	प्रथम निम्नतम फर्म से प्रति सेट दर का अन्तर (रूपये में)	अतिरिक्त व्यय (रूपये में)	द्वितीय निम्नतम से खरीद के लिए दिए गए कारण
1	5.3.2001	72	आंटों इण्डस्ट्रीज	2,700	1,94,400	बस बॉडी निर्माण समिति ने 80:20 का अनुपात निर्णित किया
2.	4.3.03	175	विजयज्योत सीट्स	1553.50	2,71,863	प्रथम निम्नतम फर्म ने नया प्रवेश किया था व परखी हुई नहीं थी
3.	1.11.03/ 22.11.03	171	-वही-	6,750	11,54,250	सीट सेट की दो माह में आवश्यकता थी
कुल					16,20,513	

72 सीट सेट क्रय करने के मामले (5 मार्च 2001) में, प्रथम निम्नतम फर्म की पूर्ण क्षमता होते हुए भी 20 प्रतिशत सीट सेट द्वितीय निम्नतम फर्म से बिना कोई कारण अभिलिखित किए क्रय की गई। 175 सीट सेट क्रय करने के मामले (4 मार्च 2003) में, तकनीकी रूप से स्वीकृत फर्म को केवल परखने हेतु आदेश दिए गए। 171 सीट सेट क्रय करने के मामले (नवम्बर 2003) में, द्वितीय निम्नतम फर्म को आदेश इस तर्क से दिया गया कि सीटों की तुरन्त आवश्यकता थी। आशय स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीटें निम्नतम फर्म से चेसिस प्राप्ति की तिथि से मिलान कर खरीदी जा सकती थी। अतः निम्नतम फर्म को पूर्ण क्षमता तक आदेश नहीं देने से निगम को 16.21 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि द्वितीय क्रय के मामले (4 मार्च 2003) में प्रथम निम्नतम फर्म ने भाड़े का खर्चा अतिरिक्त मांगा था, व भाड़े की दरों में अनिश्चितता को देखते हुए आदेश द्वितीय निम्नतम फर्म को दिया गया। उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि इसके अभिलेखित कारण प्रथम निम्नतम फर्म का नया प्रवेश/परखी हुई नहीं होना था। तथापि भाडा प्रदान करने के उपरान्त भी निगम 2.72 लाख रूपये बचा सकता था।

नवम्बर 2003 में निर्णित क्रय के मामले में प्रबन्धन ने बताया कि उक्त मामले के चेसिस निर्माताओं को क्रय आदेश नवम्बर व दिसम्बर 2003 में दिए गए थे व सीटों का टुकड़ों में क्रय चेसिस के क्रय के अनुसार किया जाना संभव नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि निगम, चेसिस निर्माताओं से पूर्व निरीक्षण की सूचना प्राप्त होने के अनुसार, सीटों की प्राप्ति का पुनर्गठन कर सकता था।

### बस बॉडी व सीटों का गुणवत्ता नियंत्रण

3.8.4 सुपर एक्सप्रेस बसों की गुणवत्ता पर नियंत्रण सामान के स्रोतों का अनुमोदन, प्रयुक्त किये जाने वाले सामग्री की विशिष्टताओं का निर्धारण व सामग्री की जांच केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी) पूणे में करवाकर की जाती है। वर्ष 2000-01 से 2004-05 के दौरान निर्माण की गई बस बॉडी की संख्या, जांच हेतु भेजे गए नमूनों की संख्या व उनके स्वीकृत/अस्वीकृत के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:-

वर्ष	निर्माण की गई बस बॉडी की संख्या	जांच किए गए नमूने	भेजे गए नमूनों की प्रतिशतता	स्वीकृत नमूने	अस्वीकृत नमूने	अस्वीकृत नमूनों की प्रतिशतता
2000-01	416	शून्य	-	-	-	-
2001-02	584	76	13.01	38	38	50.00
2002-03	390	29	7.44	12	17	58.62
2003-04	647	38	5.87	10	28	73.68
2004-05	194	17	8.76	10	7	41.18
योग	2231	160	7.17	70	90	56.25

निर्धारित विशिष्टताओं की सामग्री प्रयोग सुनिश्चित करने में कोई कार्यवाही न करने के कारण, 26.61 करोड रूपये की बसों का निर्माण निम्न गुणवत्ता का रहा।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2000-01 में निगम ने जांच हेतु कोई नमूने इकट्ठे नहीं किए व अन्य वर्षों में जांच के लिए भेजे गए नमूनों की संख्या भी उल्लेखनीय नहीं है क्योंकि उनकी प्रतिशतता 5.87 से 13.01 के बीच विचरित रही। तथा जांच किए गए नमूनों का एक उल्लेखनीय भाग (वर्ष 2003-04 में 73.68 प्रतिशत तक) गुणवत्ता जांच में अस्वीकृत रहे। इसके उपरान्त भी निगम ने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जिससे निर्धारित विशिष्टताओं वाला सामान ही प्रयोग हो। इसके कारण बस बॉडी का निर्माण निम्न गुणवत्ता के सामान से हुआ। अतः वर्ष 2000-05 में निर्मित 2231 सुपर एक्सप्रेस बस बॉडी में से, 1076 बस बॉडी जिनकी लागत 26.61 करोड रूपये थी (वर्षवार नमूने अस्वीकृत होने की दर के अनुसार) निम्न गुणवत्ता की थी।

15.22 करोड रूपये मूल्य की बसें, गुणवत्ता सुनिश्चित किये बिना निर्मित की गई।

यह भी देखा गया कि हाइटेक, स्टार लाइन, शयनयान व मिनी बसों में प्रयुक्त सामान की कोई जांच नहीं की गई चूंकि उक्त बसें निर्माताओं की विशिष्ट रूप व विशिष्टताओं पर निर्मित थी। अतः 15.22 करोड रूपये की लागत से बनी 228 बसें बिना गुणवत्ता जांच के ही निर्मित की गई।

सीट क्रय के मामले में वर्ष 2002-03 व 2003-04 में क्रमशः 50 व 40 प्रतिशत नमूने अस्वीकृत होने के उपरान्त भी निगम ने वर्ष 2004-05 में सीटों के नमूनों की जांच बंद कर दी। जांच के अभाव में वर्ष 2004-05 में क्रय की गई सीटों (कीमत 1.46 करोड रूपये) की गुणवत्ता सत्यापित नहीं की जा सकी।

उक्त निष्कर्ष इंगित करते हैं कि प्रबन्धन गुणवत्ता नियंत्रण के प्रति गम्भीर नहीं था। इसके अतिरिक्त निम्न गुणवत्ता के सामान के प्रयोग से यात्रियों को होने वाली असुविधा को भी नकारा नहीं जा सकता।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि गुणवत्ता का नियंत्रण फील्ड इकाई व सिलसिलेवार जांच द्वारा किया जाता है व कोई विपरीत प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर यह माना गया कि नमूनों की बार-बार जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह अत्याधिक अस्वीकृत नमूनों से सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2000-05 में निगम ने 438 कम कीमत की पुरानी चेसिसों पर बस बॉडी का निर्माण करवाया जिनकी मूल बस बॉडी को नष्ट करना पड़ा।

### मानव घंटों का आधिक्य में उपयोग

3.8.5 साधारण प्रकार की एवं शहरी यातायात सेवा (सी.टी.एस.) की बसें, जिसका निर्माण पुराने चेसिस पर किया जाता है, कम लागत के बस के ढांचे कहे जाते हैं। कम लागत के बसों के ढांचे निजी निर्माणकर्ताओं के साथ ही केन्द्रीय कार्यशाला, (सी.डब्ल्यू.एस.) अजमेर द्वारा तैयार किये जाते हैं।

मानव घंटों के अधिक उपयोग के कारण 1.37 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि निगम द्वारा केन्द्रीय कार्यशाला में बसों के ढांचे तैयार करने में मानव घंटों के उपयोग हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किये गये थे। किलोस्कर कन्सलटेन्ट द्वारा महाराष्ट्र राज्य पथ परिवहन निगम के समय एवं गति अध्ययन पर जनवरी 1992 में किये प्रतिवेदन के अनुसार केन्द्रीय कार्यशाला में एक लीलेण्ड सिटी बस का ढांचा तैयार करने में 819 मानव घंटों की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत निगम द्वारा वर्ष 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 में सीटीएस बस के ढांचे के निर्माण में औसतन 1228, 1603 एवं 1479 मानव घंटों का उपयोग किया गया जो कि तुलनात्मक क्रमशः 49.94, 95.73 एवं 80.59 प्रतिशत अधिक थे।

इसी प्रकार प्रतिवेदन के अनुसार लीलेण्ड साधारण बस के ढांचे के निर्माण हेतु 800 मानव घंटों की आवश्यकता होती है जिसके विपरीत निगम ने वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं 2004-05 में क्रमशः 1464, 1293, 1328 एवं 1305 मानव घंटों का उपयोग किया। अधिक मानव घंटों के उपयोग के परिणामस्वरूप 1.37 करोड़ रु. का अतिरिक्त खर्चा हुआ।

अधिक मानव घंटों के उपयोग के कारण, केन्द्रीय कार्यशाला में तैयार किये जाने वाले बसों के ढांचे की लागत बाहरी एजेन्सियों द्वारा तैयार किये जाने वाली बसों के ढांचे की लागत से 17 से 31 प्रतिशत तक निम्न विवरण के अनुसार अधिक रही है:-

वर्ष	ढाँचे का प्रकार	सी.डब्ल्यू.एस. में लागत (रूपये)	बाहरी फर्म की लागत (रूपये)	आधिक्य लागत का प्रतिशत
2001-02	साधारण प्रकार की	2, 20,622	1, 71,600	28.57
2002-03	-वही-	2, 01,565	1, 71,600	17.46
2002-03	सी.टी.एस. प्रकार की	2, 11,416	1, 61,200	31.15

निगम द्वारा मानव घंटा लागत का विश्लेषण करने हेतु न तो कोई अध्ययन करवाया गया और न ही इस सम्बन्ध में कोई मापदण्ड निर्धारित किये जिसके परिणामस्वरूप निगम की श्रम लागत बढ़ गयी और बसों के ढाँचे की बढ़ी हुई लागत पर अतिरिक्त ह्रास के कारण संचालन लागत में भी बढ़ोत्तरी हुई। निगम ने केन्द्रीय कार्यशाला में बसों के ढाँचे तैयार करने की श्रम लागत में कमी करने हेतु कोई कदम नहीं उठाये।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2006) कि निगम द्वारा कम लागत के बस के ढाँचे पुराने चेसिस पर तैयार किये जाते हैं, जिसमें अधिक उपयोग के कारण विकृति आ जाती है इसलिये अतिरिक्त मानव घंटों की आवश्यकता होती है जबकि म.रा.प.प. नि. द्वारा बसों के ढाँचे नियमित रूप से नये चेसिस पर तैयार किये जाते हैं अतः दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मानव घंटों के उपयोग करने में म.रा.प.प.नि. एवं निगम में 95 प्रतिशत का बहुत बड़ा विचलन है। इसकी इस तथ्य द्वारा भी पुष्टि हो जाती है कि केन्द्रीय कार्यशाला में बसों के ढाँचे निर्माण की लागत बाहरी एजेन्सियों द्वारा प्रभारित की जाने वाली लागत से हमेशा ऊँची थी।

### 3.9 बसों का संचालन

#### अनार्थिक अनुसूची का संचालन

3.9.1 निगम के निहित उद्देश्य राज्य में कुशल, पर्याप्त एवं मितव्ययी यात्री परिवहन सेवायें प्रदान करने की दीर्घ अवधि तक पूर्ति/प्राप्ति तभी संभव है जबकि यह उत्पन्न किये गये अधिशेष की निश्चित राशि रख रखाव एवं सेवाओं की गुणवत्ता साथ ही विस्तृत क्षेत्र पर पुनः निवेश करे। निगम यद्यपि 1997-98 से हानि में चल रहा है तथा 2004-05 के अंत में इसकी संचित हानि 345.49 करोड़ रूपये थी। इसके बावजूद निगम मार्च 2004 तक वृहद स्तर पर 'अनुसूची के अनुसार लाभदायकता' का विश्लेषण नहीं कर रहा था। निगम ने विलम्ब करते हुए अप्रैल 2004 से अनुसूची के अनुसार लाभदायकता के विश्लेषण की शुरुआत की थी। अप्रैल 2004 एवं मार्च 2005 में 42 आगारों से सम्बन्धित अनार्थिक अनुसूचियों के संचालन का तुलनात्मक विवरण जिसके सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई निम्न है:-

क्र.सं.	विवरण	अप्रैल 2004	मार्च 2005
1.	अनुसूचियों की कुल संख्या	3,822	3,847
2.	अनार्थिक अनुसूचियों की संख्या	2,926	3,179
3.	अनार्थिक अनुसूचियों का प्रतिशत	76.56	82.64
4.	कुल प्र.कि.मी. संचालन लागत (रू.में)	13.84	14.92
5.	ऐसी अनुसूचियाँ जो रू. 3.00 प्र.कि.मी. से अधिक की हानि से चल रही हैं (20 प्रतिशत से अधिक)	1,277	1,978
6.	क्र.सं.5 पर दी गयी अनुसूचियों का कुल अनुसूचियों से प्रतिशत	33.41	51.42

438 अनुसूचियों के संचालन से परिवर्तनशील लागत की वसूली नहीं हुई जिसके परिणाम स्वरूप 12.26 करोड़ रुपये की परिहार्य हानि हुई।

ऊपर की तालिका से यह अवलोकन किया जा सकता है कि अनार्थिक अनुसूचियों का प्रतिशत अप्रैल 2004 में 76.56 प्रतिशत के उच्च स्तर पर था जो कि बाद में मार्च 2005 में एक वर्ष के दौरान ही 82.64 प्रतिशत तक बढ़ गया। अनार्थिक अनुसूचियों का आगे विश्लेषण यह दर्शाता है कि ऐसी अनुसूचियाँ जो कि 20 प्रतिशत से अधिक हानि में चल रही हैं, उनकी संख्या उक्त अवधि में महत्वपूर्ण रूप से 1277 (33.41 प्रतिशत) से बढ़कर 1978 (51.42 प्रतिशत) हो गयी। इससे यह इंगित होता है कि निगम द्वारा अनार्थिक अनुसूचियों को आर्थिक बनाने हेतु समय, एवं मार्ग के विवेकीकरण करने सम्बन्धी प्रभावशाली कदम नहीं उठाये गये। आगे यह भी जानकारी में आया कि वर्ष 2004-05 के दौरान 438 अनुसूचियों का संचालन किया गया, जिनकी परिवर्तनशील लागत की वसूली भी नहीं हुई जिसके परिणामस्वरूप 12.26 करोड़ रुपये की परिहार्य हानि हुई।

अनार्थिक अनुसूची एवं हानियों के लेखापरीक्षा विश्लेषण में यह परिलक्षित हुआ कि हानियों का मुख्य कारण, किराये के संशोधन में विलम्ब (अनुच्छेद 3.9.2), ऊंची संस्थापन लागत (अनुच्छेद 3.9.3), आयुपार बसों को चरणबद्ध ढंग से नहीं हटाना, (अनुच्छेद 3.7.3), बसों की उपलब्धता के अनुसार उनकी अनुसूची का नियोजन नहीं करना (अनुच्छेद 3.7.4) और सरकारी अधिसूचना के विपरीत बसों की कम तैनाती (अनुच्छेद 3.7.1) थे।

प्रबन्धन द्वारा बताया (जुलाई 2006) गया कि बसों के संचालन में नियमितता बनाये रखने के लिये, जनहित में अनार्थिक मार्गों पर भी बसों का संचालन करना पड़ा। प्रबन्धन ने तथापि लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण को स्वीकार (जुलाई 2006) किया है और राज्य परिवहन विभाग को 26 अनार्थिक मार्गों की अनुमति का परित्याग करने हेतु प्रार्थना की है।

यह तथ्य कायम रहता है कि अनवरत संचालन हानियों के बावजूद भी निगम ने संचालन को परिवर्तित कर आर्थिक करने हेतु किसी व्यूहरचना बनाने का प्रयास नहीं किया।

### यात्री किराये का संशोधन नहीं किया जाना

3.9.2 मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मंजिली वाहन हेतु किराये के निर्धारण के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण को निर्देश जारी कर सकती है। सरकार केवल निगम की प्रार्थना पर ही किराये में संशोधन करती है। राज्य सरकार ने मई 2000, अक्टूबर 2002 एवं जुलाई 2005 में किराये के संशोधन हेतु अधिसूचना जारी की थी।

संचालन लागत का मुख्य तत्व डीजल है तथा जब भी डीजल की दर में वृद्धि होती है, निगम सरकार को किराये में वृद्धि करने हेतु प्रस्ताव भेजती है। जून 2002 को मुख्य मंत्री के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि डीजल के मूल्य में वृद्धि होने पर निगम तुरन्त परिवहन एवं वित्त मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति लेकर किराये में वृद्धि कर सकता है। हाँलाकि लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि अक्टूबर 2002 में बढ़ाये गये किराये के समय डीजल का मूल्य 20.28 रूपये प्रति लीटर था, जो कि लगातार बढ़ते हुए मार्च 2003 में 23.34 रूपये प्र./ली., जून 2004 में 24.01 रूपये प्र./ली. एवं नवम्बर 2004 में 28.29 रूपये प्रति लीटर हो गया परन्तु प्रति कि.मी. डीजल की संचालन लागत में वर्ष 2002-03 में 3.65 रूपये से वर्ष 2003-04 में 3.83 रूपये एवं 2004-05 में 4.53 रूपये की महत्वपूर्ण वृद्धि होने के उपरान्त भी निगम द्वारा किराये में संशोधन हेतु कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया। इस अवधि में संस्थापन लागत भी 4.86 रूपये प्र.कि.मी. से 5.22 रूपये प्रति कि.मी. तक बढ़ गयी।

किराये में क्रमिक वृद्धि करने के बजाय एक मुश्त वृद्धि किये जाने के कारण 89.82 करोड़ रूपये की आय की हानि हुई।

किराये के संशोधन में विलम्ब करते हुए जुलाई 2005 में 40 पैसे प्रति कि.मी. से 45 पैसे प्रति कि.मी. (एक्सप्रेस बसें) की वृद्धि डीजल का मूल्य जून 2005 में 30.94 रूपये प्र./ली. तक बढ़ जाने के उपरान्त की गयी। लेखा परीक्षा के दौरान यह ध्यान में आया कि सीआईआरटी, पुणे एवं राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों द्वारा आयोजित (1999-2000) "व्यूहरचनात्मक नियोजन निर्णय" पर सेमिनार में यह निष्कर्ष निकाला गया कि किराये में एक मुश्त अधिक वृद्धि के बजाय क्रमिक वृद्धि निगम के लिये यात्रियों के भार में कमी से बचने की दृष्टि से लाभदायक है। यदि निगम डीजल दर में वृद्धि के आधार पर, जुलाई 2005 में 5 पैसा प्रति किमी की एक मुश्त वृद्धि के बजाय, मार्च 2003 में दो पैसा, नवम्बर 2004 में और दो पैसा तथा जुलाई 2005 में एक पैसा के किराये में वृद्धि प्रस्तावित करता तो इसे 89.82 करोड़ रूपये की आय हो सकती थी।

प्रबन्धन द्वारा यह बताया (जुलाई 2006) गया कि वे यात्री किराये में वृद्धि के लिये स्वयं प्राधिकृत नहीं है। यह तथ्य कायम रहता है कि निगम ने डीजल के मूल्य में वृद्धि के साथ किराये में नियमित वृद्धि हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजा। सरकार द्वारा यह बताया (जुलाई 2006) गया कि राज्य सरकार के ऐसे आदेश जारी किये जा रहे हैं जिसके द्वारा निगम को डीजल के मूल्य में एक

रूपये की वृद्धि होने पर प्रति. कि.मी. प्रति यात्री किराये में एक पैसे की वृद्धि करने का अधिकार मिल जायेगा।

### अधिक संस्थापन लागत

3.9.3 संस्थापन लागत बसों को आर्थिक आधार पर चलाने को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है इसलिये निगम को संस्थापन लागत को न्यूनतम स्तर तक कम करना चाहिये। परन्तु इसके (निगम) द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कोई मानदंड/लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि वर्ष 2003-04 में प्रति वाहन कर्मचारियों की संख्या 4.87 थी जो कि कुल कर्मचारी संख्या में कमी होने के बावजूद भी वर्ष 2004-05 में बढ़कर 4.96 हो गयी। यह निगम द्वारा स्टाफ के उचित उपयोग में विफल होने को इंगित करता है जिसके परिणामस्वरूप संस्थापन लागत वर्ष 2003-04 में 4.87 रूपये प्र.कि.मी. से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 5.22 रूपये प्रति कि.मी. हो गयी। अधिक संस्थापन लागत के बावजूद भी निगम द्वारा इसे उचित स्तर तक कम करने हेतु प्रभावशाली कदम नहीं उठाये गये जिसके कारण बसों के आर्थिकता के आधार पर संचालन पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

प्रबन्धन द्वारा बताया (जुलाई 2006) गया कि निगम परिचालकों एवं चालकों की नियमित भर्ती करता है जिसके कारण संस्थापन लागत में बढोतरी हुई। उक्त जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम ने इसकी लागत में कमी हेतु कोई प्रयास नहीं किया।

### निष्कर्ष

निगम, जिसकी स्थापना कुशल, पर्याप्त एवं मितव्ययी यात्री परिवहन सेवाओं की आपूर्ति हेतु की गयी थी, का निष्पादन संतोषप्रद नहीं पाया गया। यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा क्योंकि इसके द्वारा अधिसूचित मार्गों पर पर्याप्त संख्या में बसों का संचालन नहीं किया गया और न ही उन मार्गों पर बस चलाने हेतु निजी संस्थाओं को योग्य बनाने हेतु सरकार को अनुमतियाँ (परमिट) समर्पित की गयी। आयुपर बसों के संचालन (जो कि इसके बेड़े का 46 प्रतिशत से भी अधिक है) के कारण ऊँची संचालन लागत होने से किराये की मितव्ययिता विपरीत रूप से प्रभावित हुई है।

उपलब्ध बसों की तुलना में कम मात्रा में अनुसूचियों के नियोजन ने भी हानि में योगदान दिया है। निगम बसों के ढाँचे तैयार करने में गुणवत्ता निर्धारित करने में असफल रहा। जाँच हेतु भेजे गये महत्वपूर्ण मात्रा में

नमूनों के निरस्त होने पर भी निगम ने गुणवत्ता वाली सामग्री के उपयोग हेतु कदम नहीं उठाये। इसके द्वारा निर्माण कार्य उन्हीं निर्माणकर्ताओं को दिया गया जिनका पूर्व में निष्पादन संतोषप्रद नहीं था। उचित समय पर यात्री किराये में संशोधन नहीं करने एवं आधिक्य संस्थापन लागत में कमी नहीं करने के साथ ही उपरोक्त सभी तथ्यों ने 80 प्रतिशत से अधिक अनुसूचियों को अनार्थिक बनाने में भागीदारी की है।

### सिफारिशें

निगम को चाहिये कि:

- एक लम्बी अवधि की निगमित/व्यावसायिक योजना परिवर्तन की व्यवस्था के साथ बनाना चाहिये जिससे कि यह निजी संचालकों के साथ अधिक कुशलता से प्रतिस्पर्धा कर सके और प्रभावशाली एवं पर्याप्त यात्री परिवहन सेवाएँ प्रदान कर सके।
- पर्याप्त मात्रा में बसों के संचालन की योजना बनानी चाहिये ताकि प्रति किमी स्थाई लागत को कम किया जा सके और संचालन व्यय को कम करने हेतु निर्धारित मानदंड के आधार पर आयुपर बसों के प्रतिस्थापन पर विचार किया जा सके, और साथ ही संस्थापन लागत को कम से कम करने हेतु प्रभावशाली कदम उठाये जा सके।
- अनार्थिक अनुसूचियों के प्रभावशाली अनुसरण की एक प्रणाली बनाई जाये ताकि उन्हें आर्थिक बनाने हेतु समय पर कार्यवाही की जा सके।
- बोलीदाता के तकनीकी मूल्यांकन के तरीके को उनके पिछले निष्पादन पर पर्याप्त जोर देते हुए मजबूत किया जाए और निविदा देने के तरीके को सुधारा जावे ताकि निर्माण कार्य न्यूनतम लागत पर करवाया जा सके।
- गुणवत्ता सुनिश्चित करने की एक प्रभावी प्रणाली की रचना की जावे।
- राज्य सरकार के सहयोग /परामर्श से एक तंत्र विकसित किया जावे ताकि इसे किराये को निर्धारित करने बाबत स्वायत्ता दी जा सके।



## अध्याय IV

### 4. व्यवहारिक लेखापरीक्षा आक्षेप

राज्य सरकार की कम्पनियों एवं निगमों के संव्यवहारों की नमूना जाँच के परिणामस्वरूप ज्ञात हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

#### सरकारी कम्पनियाँ

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

#### पीसीसी पोल के क्रय में आपूर्तिकर्ता को अदेय लाभ

पीसीसी पोल के क्रय आदेश में, यदि पोल के ढलाई की दिनांक की शर्त का समावेश किया जाता तो, 37.04 लाख रुपये के अतिरिक्त भुगतान को टाला जा सकता था।

4.1 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अ.वि.वि.नि.लि.), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ज.वि.वि.नि.लि.) और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडी.वि.वि.नि.लि.) ने, विभिन्न फर्मों (निर्माताओं) को, 8 व 9 मीटर लम्बे पीसीसी पोल की आपूर्ति के क्रय आदेश दिये (जुलाई/अगस्त 2004)। इन क्रय आदेशों के उपबन्ध 5(ए), 2(ए) और 7 में अन्य शर्तों के अतिरिक्त मूल्य विचलन का प्रावधान था, जो 5.5 मि.मी व्यास की उच्च कार्बन स्टील रॉड की स्टाकयार्ड में दर के आधार पर, अ.वि.वि.नि.लि. के लिए 1 फरवरी 2004 को 23,100 रुपये प्रति मै.टन तथा ज.वि.वि.नि.लि. और जेडी.वि.वि.नि.लि. के लिए 1 मार्च 2004 को 22,100 रुपये प्रति मै.टन की आधारभूत दरों पर आधारित था। स्टील की कीमतों में परिवर्तन के कारण मूल्य विचलन का आधार, जिस माह में सामग्री निरीक्षण के लिए प्रस्तुत की जावे अथवा जिस माह में डिलीवरी देय हो से पूर्व के महीने की प्रथम दिनांक जो भी कम्पनी के लिए लाभकारी हो, थी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्रचलित प्रावधानों के अनुसार कम्पनियों ने 1,12,052 पोल पर 37.04 लाख रुपये का मूल्य विचलन दिया।

किसी करार में मूल्य विचलन देने का आशय पोल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल की कीमतों में कमी/वृद्धि के लिए आपूर्तिकर्ता को क्षतिपूर्ति करने का होता है, तथा बाद में यदि स्टील क्रय की वास्तविक तिथि का निर्धारण करना कठिन हो तो, मूल्य विचलन के लिए पोल की ढलाई के माह (जो कि पोल पर अंकित होता है) पर विचार करना चाहिए था।

इस प्रकार, क्रय आदेशों में पोल की ढलाई की दिनांक का प्रावधान नहीं होने के कारण, तीनों वितरण कम्पनियों ने, आपूर्तिकर्ता द्वारा पोल की ढलाई की दिनांक के बजाय, निरीक्षण अथवा आपूर्ति की दिनांक पर आधारित 37.04 लाख रुपये का मूल्य विचलन दिया। यदि क्रय आदेशों में पोल की ढलाई की दिनांक सम्बन्धी प्रावधान का समावेश किया जाता तो 37.04 लाख रुपये के अतिरिक्त भुगतान को टाला जा सकता था।

सरकार ने बताया (जून 2006) कि व्यावहारिक रूप से ढलाई की दिनांक के अनुसार पोलस को पृथक-पृथक करना बहुत कठिन है, इस व्यावहारिकता और समान नीतियों के कारण मूल्य विचलन दिया गया तथा आगे यह भी बताया (अक्टूबर 2006) कि जिस माह में माल निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया उससे पूर्व माह की प्रथम दिनांक को मूल्य विचलन की प्रयोजनियता का प्रावधान इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए किया गया कि पोल पकने का समय लगभग एक माह होता है जो निरीक्षण प्रस्ताव से एक माह पूर्व ढाले पोल के समकक्ष है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षा द्वारा बतलाई पोल ढलाई अवधि निरीक्षण से एक माह से अधिक की पूर्व की है और कम्पनियों को उनके वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु पोल ढलाई की लोटवार दिनांक के अभिलेख तैयार करने की उचित प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए थी।

**राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड**

**41.31 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय**

**जोखिम क्रय उपबन्ध लागू करने में कम्पनी की विफलता के कारण 41.31 लाख रुपये की परिहार्य हानि।**

4.2 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने, 218 मै.टन एम.एस.फ्लेट और 60 मै.टन एम.एस.एंगल, क्रमशः 18,497.28 रुपये प्रति मै.टन और 19462.40 रुपये प्रति मै.टन (एफ ओ आर गंतव्य, उत्पाद शुल्क, बिक्रीकर व हीरापुरा स्टोर तक परिवहन सम्मिलित) की दर से एक आपूर्ति आदेश आर एस इण्डस्ट्रीज, जयपुर (आपूर्तिकर्ता) को दिया (जून 2003)। आपूर्ति 6 जुलाई 2003 से प्रारम्भ कर 5 अक्टूबर 2003 तक पूर्ण की जानी थी। आपूर्ति आदेश में अन्य बातों के साथ यह उल्लेख था कि, यदि आपूर्तिकर्ता निर्धारित समय से आपूर्ति करने में विफल रहता है तो, कम्पनी अपने विकल्प पर, आपूर्तिकर्ता के जोखिम एवं लागत पर अन्य एजेन्सियों से भी अनापूर्त मात्रा प्राप्त करने की हकदार थी।

आपूर्तिकर्ता ने आपूर्ति समयावधि में केवल 4.985 मै.टन एम.एस. एंगल की ही आपूर्ति की और शेष आपूर्ति के लिए, आपूर्तिकर्ता ने सूचित किया (23 दिसम्बर 2003) कि, स्टील की कीमतों में अकस्मात् वृद्धि के कारण, वह बकाया सामग्री की आपूर्ति में असमर्थ है तथा आपूर्ति समयावधि 31 मार्च 2004 तक बढ़ाने की प्रार्थना की। कम्पनी ने यह प्रार्थना स्वीकार कर आपूर्ति समयावधि 31 मार्च 2004 तक बढ़ा दी। आपूर्तिकर्ता ने फिर भी शेष सामग्री की आपूर्ति नहीं की। कम्पनी ने बाद में अनापूर्त सामग्री को वैकल्पिक स्रोतों से 43.40 लाख रुपये के अतिरिक्त खर्च पर प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आपूर्ति आदेश में जोखिम एवं लागत क्रय का स्पष्ट प्रावधान होने के उपरान्त भी, कम्पनी ने आपूर्तिकर्ता पर सिर्फ 2.09 लाख रुपये की शास्ति आरोपित की और शेष अतिरिक्त व्यय 41.31 लाख रुपये (43.40 लाख रुपये - 2.09 लाख रुपये शास्ति वसूली) की वसूली नहीं की। इस प्रकार, आपूर्ति करार के इस प्रावधान को लागू नहीं किये जाने से कम्पनी को 41.31 लाख रुपये की हानि हुई।

सरकार ने कहा (जून/अगस्त 2006) कि दो अन्य फर्मों को भी आपूर्ति आदेश दिये गये थे और वे भी सामग्री की आपूर्ति नहीं कर सके, जिसमें एक प्रकरण में किसी भी पक्ष पर वित्तीय दायित्व के बिना आदेश निरस्त किया गया तथा दूसरे प्रकरण में फर्म की अमानत राशि जब्त करते हुए आदेश निरस्त किया गया।

तदनुसार यह उपयुक्त नहीं समझा गया कि आपूर्तिकर्ता पर जोखिम एवं लागत का उपबन्ध लगाया जावे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अन्य दो प्रकरणों में फर्मों ने कम्पनी द्वारा जारी आपूर्ति आदेशों को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए कम्पनी उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं थी। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में आपूर्तिकर्ता ने सामग्री की कुछ आपूर्ति देकर, क्रय आदेश को स्वीकार कर लिया था, अतः कम्पनी अपने वित्तीय हित में जोखिम एवं लागत के उपलब्ध को लागू करने की स्थिति में थी।

### राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

#### ब्याज का परिहार्य भुगतान

‘पुट व काल’ विकल्प होने के उपरान्त भी, प्रतिकूल शर्तों पर 50 करोड़ रुपये के बाण्ड का पुनर्गठन के कारण 73 लाख रुपये ब्याज का परिहार्य भुगतान।

4.3 पूर्ववर्ती राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (रा.रा.वि.मं.) ने 12.25 प्रतिशत ब्याज दर वाले बाण्ड जारी कर 400 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित की (जून 2000)। बाण्ड की अवधि, पाँच वर्ष की समाप्ति पर ‘पुट व काल’ विकल्प के साथ सात वर्ष थी। बाण्ड का मोचन तीन किशतों में, अर्थात् 20 प्रतिशत छः वर्ष की समाप्ति पर, 40 प्रतिशत साठे छः वर्ष की समाप्ति पर और शेष 40 प्रतिशत सात वर्ष की समाप्ति पर होना था। रा.रा.वि.मं. के विभक्तिकरण (19 जुलाई 2000) पर 305.10 करोड़ रुपये के बाण्ड राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (रा.रा.वि.उ.नि.लि.) को सौंपे गये।

पूर्ववर्ती रा.रा.वि.म. की पाँचों उत्तराधिकारी कम्पनियों की ऋण सेवाएं, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (रा.रा.वि.प्र.नि.लि.) को सौंपी गयी, जिसने सभी बाण्ड धारकों से अधिकतम 7.00 - 7.50 प्रतिशत कूपन दर पर बाण्डों के पुनर्गठन की प्रार्थना की (अगस्त 2004)। जीवन बीमा निगम (जी.बी.नि) (50 करोड़ रुपये का बाण्ड धारक) के अतिरिक्त सभी बाण्ड धारकों ने असमर्थता व्यक्त की। जी.बी.नि. ने 8.50 प्रतिशत ब्याज दर (पुनर्निर्धारित कूपन) पर बाण्डों के पुनर्गठन की इस शर्त पर सहमति दी (सितम्बर 2004) कि कम्पनी जी.बी.नि. को जारी बाण्डों में ‘पुट व काल’ विकल्पों को हटाने के साथ परिपक्वता अवधि तक के ब्याज की हानि के लिए निवल वर्तमान मूल्य का 50 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करे। जी.बी.नि. द्वारा प्रस्तावित (सितम्बर 2004) शर्तों

पर बाण्डों के पुनर्गठन का निर्णय, रा.रा.वि.उ.नि.लि. को सूचित किये बिना, रा.रा. वि.प्र.नि.लि. के बोर्ड द्वारा 29 दिसम्बर 2004 को लिया गया।

लेखापरीक्षा में देखा गया (फरवरी 2006) कि रा.रा.वि.प्र.नि.लि. एवं रा.रा.वि.उ.नि.लि. को पाँच वर्षों की समाप्ति पर मोचन के लिए उनके पास 'पुट व काल' विकल्प होने की जानकारी थी, किन्तु रा.रा.वि.प्र.नि.लि. ने जी.बी.नि. द्वारा धारित बाण्डों को प्रतिकूल शर्तों पर पुनर्गठन करने को अधिमानता दी (फरवरी 2005)।

यदि रा.रा.वि.प्र.नि.लि. पाँच वर्ष की समाप्ति पर (अर्थात् जून 2005 के बाद) जी.बी.नि. द्वारा धारित 50 करोड़ रुपये के बाण्डों के मोचन के लिए 'पुट व काल' विकल्प को प्रयोग करती, जैसा कि शेष बाण्डों के लिए किया गया था, तो कम्पनी बाण्ड के मोचन पर 73 लाख रुपये के अतिरिक्त ब्याज के भुगतान को टाल सकती थी।

तथ्यों को स्वीकारते हुए, सरकार ने कहा (मई 2006) कि जी.बी.नि. द्वारा धारित बाण्डों के सम्बन्ध में 'पुट व काल' विकल्प का प्रयोग नहीं करने से हानि नगण्य थी। तथापि तथ्य यह है कि कम्पनी उपलब्ध विकल्प के प्रयोग से 73 लाख रुपये के ब्याज के भुगतान को बचा सकती थी।

#### आयातित कोयले के प्रापण पर अतिरिक्त व्यय

सरकारी अनुमति प्राप्त करने में असाधारण देरी और बाजार दरों की जानकारी प्राप्त किये बिना, एम.एम.टी.सी. को क्रयादेश देने के परिणामस्वरूप 3.22 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय।

4.4 भारत सरकार के उर्जा मंत्रालय ने सभी विद्युत उपयोगिताओं को उसी वर्ष तथा 2005-06 और 2006-07 के दौरान सभी स्थानीय स्रोतों से कोयले की मांग व वास्तविक उपलब्धता में 10 मिलियन टन (मि.टन) की कमी होने की सूचना दी (20 सितम्बर 2004)। सरकार ने सभी राज्यों की विद्युत उपयोगिताओं को यह सलाह भी दी कि शीघ्र कार्यवाही कर इस प्रकार से योजना बनावे कि आयातित कोयला जनवरी 2005 से मिलना प्रारम्भ हो जावे। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) ने कोटा एवं सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह सहित 16 तापीय विद्युत गृहों को उनके विद्युत उत्पादन के लिए कोयला आयात के लिए चिन्हित किया।

भारत सरकार ने पुनः जोर देकर कहा (16 अक्टूबर 2004) कि विद्युत उपयोगिताओं को कोयले की आपूर्ति के अन्तर को पाटने के लिए वांछित मात्रा में कोयले के समयबद्ध आयात के कार्यक्रम की व्यवस्था करें। यह भी बताया गया

कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम (कम्पनी) को प्रतिमाह 1.26 लाख मै.टन कोयला आयात करने की आवश्यकता होगी।

कम्पनी ने, राजस्थान सरकार, उर्जा विभाग को कोटा ताप विद्युत गृह (के.टी.पी.एस.) एवं सूरतगढ ताप विद्युत गृह (एस.टी.पी.एस.) में ईंधन आवश्यकता की पूर्ति हेतु कोयले के आयात की पूर्ण स्थिति बतलायी (27 सितम्बर 2004)। कम्पनी ने पुनः राजस्थान सरकार से एक लाख मै.टन कोयला आयात करने की अनुमति प्रदान करने की प्रार्थना की (22 नवम्बर 2004)। उर्जा विभाग, राजस्थान सरकार ने सिद्धान्तः 22 जनवरी 2005 को एम.एम.टी.सी.<sup>#</sup> सहित किसी भी स्रोत और अन्य पी.एस.यूज जो तुरन्त कोयला देने की स्थिति में हो, से कोयले की त्वरित आवश्यकता की पूर्ति करने का अनुमोदन किया। कम्पनी के बोर्ड ने, केटीपीएस एवं एसटीपीएस के लिए 74.70 अमेरिकन डालर प्रति मै.टन की दर पर खुले समुद्र में बिक्री के आधार पर 2 लाख मै.टन आयातित चीन का कोयला जिसकी समायोजित कीमत 98.10 करोड़ रुपये थी, की आपूर्ति का ठेका एम.एम.टी.सी. को देने का अनुमोदन किया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सितम्बर 2004 में भारत सरकार द्वारा दी गयी सलाह के उपरान्त भी कम्पनी ने अपने स्तर पर आयातित कोयले के बाजार तलाश करने की कोई कार्यवाही समय पर प्रारम्भ नहीं की, तथा राज्य सरकार की अनुमति का इंतजार करती रही, जो जनवरी 2005 में प्राप्त हुई। अन्ततः त्वरित आवश्यकता की पूर्ति के लिए (जब 15 दिन के न्यूनतम स्टॉक के समक्ष में केवल छः से सात दिन का स्टॉक शेष रह गया था), कम्पनी ने 2 लाख मै.टन चीनी मूल का आयातित कोयले की आपूर्ति का अत्यधिक आवश्यकता क्रयादेश, गुणवत्ता व कीमत की अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त किये बिना जिसमें पड़ोसी राज्य गुजरात के ताप विद्युत गृह भी शामिल थे, एम.एम.टी.सी. को दिया (19 फरवरी 2005)।

लेखापरीक्षा में आगे पाया कि गुजरात विद्युत मंडल (गु.वि.मं.) ने उसी समय पर समान गुणवत्ता के 3.2 लाख मै.टन नान कोकिंग कोयले का नीची दर (71.00 अमेरिकन डालर प्रति मै.टन) पर आयात का क्रय आदेश अन्य फर्म को दिया था।

इस प्रकार कोयले की क्रय की प्रक्रिया प्रारम्भ करने में विलम्ब और बाजार में प्रचलित दरों की जानकारी प्राप्त किये बिना, कम्पनी ने कोयले का न्यूनतम स्टॉक स्तर को बनाये रखने के लिए जल्दबाजी में एम.एम.टी.सी. को क्रय आदेश दिया। इसकी परिणति, गु.वि.मं. की तुलना में, जिसने भी समान गुणवत्ता का कोयला

<sup>#</sup> मिनरल एण्ड मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन

खुले समुद्र पर क्रय के आधार पर उसी बन्दरगाह पर आयात किया था, 3.22\* करोड़ रुपये के अधिक व्यय के रूप में हुई।

सरकार ने बताया (अप्रैल 2006) कि उसके निर्देशानुसार कोयला केवल एम.एम.टी. सी. या अन्य पी.एस.यूज से ही आयात करना था, अतः अन्य विद्युत गृहों से जानकारी/कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी। यह उत्तर तथ्यतः गलत है, क्योंकि सरकार के निर्देशानुसार कम्पनी को एम.एम.टी.सी. सहित किसी भी स्रोत व अन्य पी.एस.यूज से कोयला आयात करना था।

सरकार ने आगे कहा कि गु.वि.मं. के मामले में कीमत 6300 कि.कैलोरी/कि.ग्रा. निवल कैलोरीमान पर आधारित थी, जबकि रा.रा.वि.उ.नि.लि. के मामले में कीमत 6850 कि.कैलोरी/कि.ग्रा. सकल कैलोरीमान पर आधारित थी, अतः यह दोनों तुलना योग्य नहीं है। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि गु.वि.मं. और रा.रा.वि.उ.नि.लि. द्वारा आयातित कोयले के सकल/निवल कैलोरीमान<sup>५</sup> के सन्दर्भ में कोयले की गुणवत्ता में कोई अन्तर नहीं था।

#### जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

#### 78.98 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय

बकाया सामग्री को संविदा मूल्य पर आपूर्ति करने के फर्म के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने से कम्पनी को 78.98 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

4.5 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने तीनों डिस्काम<sup>६</sup> की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा पैकेज पर 363 अमेरिकन डालर प्रति मै.टन गन्तव्य तक एफ.ओ.आर. की स्थिर कीमत पर 4,506.22 मै.टन एम.एस.फेब्रीकेटेड

\* गु.वि.मं. प्रति मै.टन {71.00 अमेरिकन डालर (भारतीय बन्दरगाह पर प्रति मै.टन कीमत बीमा भाड़ा सहित)} - कम्पनी {74.70 अमेरिकन डालर (भारतीय बन्दरगाह पर प्रति मै.टन कीमत बीमा भाड़ा सहित)} = 3.70 अमेरिकन डालर x 2 लाख टन (मात्रा) x 43.48 रुपये (प्रति डालर दर) = 3,21,75,200 रुपये

<sup>५</sup> 6500 से 7000 कि.कैलोरी/कि.ग्रा. सकल कैलोरीमान, 6000 से 6300 कि.कैलोरी/कि.ग्रा. निवल कैलोरीमान के बराबर होती है।

<sup>६</sup> जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

सामग्री की आपूर्ति का साख पत्र के समक्ष क्रयादेश टेक्नो इंजीनियरिंग कम्पनी (फर्म) को दिया (मई 2002)।

क्रयादेश के उपबन्ध 3 के अनुसार, आपूर्ति प्रारम्भ करने की तिथि की गणना, 10 प्रतिशत अग्रिम भुगतान की तिथि से की जानी थी। आपूर्ति 3 माह के बाद तथा 12 माह के अन्दर, प्रत्येक तिमाही में समान दर से देनी थी। कम्पनी ने 10 प्रतिशत अग्रिम का भुगतान 6 अगस्त 2002 को किया।

आपूर्ति प्रारम्भ होने से पूर्व कम्पनी ने फर्म से कहा कि (27 अगस्त 2002) साख पत्र के स्थान पर सम्बन्धित संविदात्मक औपचारिकताओं के परिपूर्ण होने पर और सत्यापित चालानों की प्राप्ति के तीन दिवस में अपने बिलों के भुगतान प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देवें। फर्म ने इस प्रस्ताव पर सहमत होते हुए (12 अक्टूबर 2002) 16 अक्टूबर 2002 से 14 जुलाई 2003 के बीच 3464.46 मै.टन सामग्री, प्रथम तीन तिमाही की आपूर्ति के समक्ष दी। फर्म ने कम्पनी द्वारा सामग्री के निरीक्षण व भुगतान में 17 से 65 दिवस के विलम्ब के कारण 19 नवम्बर 2003 तक 3708.91 मै.टन सामग्री की आपूर्ति के उपरान्त आगे आपूर्ति बन्द कर दी। इस दौरान यद्यपि स्टील की कीमतों में वृद्धि हो गयी थी, फिर भी फर्म ने 24 दिसम्बर 2003 और 9 जनवरी 2004 को समय पर निरीक्षण व भुगतान की शर्त पर, सामग्री को संविदा दर पर आपूर्ति करने का प्रस्ताव रखा। कम्पनी ने इस प्रस्ताव का कोई उत्तर नहीं दिया। प्रबन्धन ने फर्म को मूल्य बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी (3 जून 2004) जो फर्म द्वारा 4 जून 2004 को प्रस्तुत कर दिये गये। तीनों डिस्काम के प्रबन्ध निदेशकों ने संविदा मूल्य में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी वाले माह में प्रचलित आधार मूल्य के सापेक्ष मूल्य बढ़ोत्तरी अनुमत्य की (25 जून 2004)।

लेखा परीक्षा विश्लेषण से विदित हुआ कि कम्पनी ने वृद्धि का भुगतान करते समय मूल्य बढ़ोत्तरी की गणना, तीनों डिस्कामों के प्रबन्धक निदेशकों द्वारा स्टील की कीमत में 10 प्रतिशत वृद्धि होने के माह के स्थान पर निविदा खोलने की दिनांक को प्रचलित स्टील व मजदूरी की दरों के आधार पर की गई, जिसकी परिणति 23.79 लाख रुपये के अधिक भुगतान में हुई। लेखापरीक्षा विश्लेषण से यह भी देखा गया कि बकाया सामग्री की आपूर्ति के फर्म के प्रस्ताव (दिसम्बर 2003 व जनवरी 2004) को यदि कम्पनी स्वीकार कर लेती तो कम्पनी कुल मूल्य बढ़ोत्तरी के फर्म को दिये गये 78.98 लाख रुपये को बचा सकती थी।

प्रकरण सरकार/प्रबन्धन को (जुलाई 2006) में प्रतिवेदित किया, उनके उत्तर प्रतीक्षित रहे (सितम्बर 2006)।



#### 4.6 आपूर्तिकर्ता को अदेय लाभ

क्रय आदेश की शर्तों के अनुसार साख पत्र समय पर न खोलने और मूल्य विचलन की आपूर्तिकर्ता की अन्यायोचित प्रार्थना स्वीकार करने के फलस्वरूप 1.33 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय।।

4.6.1 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने तय व स्थिर कीमत के आधार पर 5 एम.वी.ए., 33/11 केवी के 80 पावर ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति का क्रयादेश मार्सन्स इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज (आपूर्तिकर्ता) को दिया (मई 2002)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से विदित हुआ (दिसम्बर 2004) कि क्रयादेश में भुगतान साख पत्र (एल.सी.) द्वारा किये जाने के स्पष्ट निर्देश होने के उपरान्त भी, कम्पनी ने साख पत्र नहीं खोला और आपूर्तिकर्ता से साख पत्र के बजाय आपूर्ति के तीन दिवस में सीधे ही भुगतान लेने को कहा (नवम्बर 2002)। आपूर्तिकर्ता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और साख पत्र खोलने का आग्रह किया। हालांकि, आपूर्तिकर्ता ने कम्पनी के साथ सहयोग करते हुए, तुरन्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए मार्च 2003 से जून 2004 के मध्य 49 ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति की।

आपूर्तिकर्ता ने जून 2004 में कम्पनी से कहा कि साख पत्र नहीं खोले जाने व कच्चे माल की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने के कारण बकाया 31 ट्रांसफार्मरों की आगे आपूर्ति संभव नहीं होगी और भविष्य की आपूर्ति के लिए मूल्य बढ़ोत्तरी की मांग की। उप मुख्य अभियन्ता (एम.एम.) ने निगम स्तरीय समिति को वस्तुस्थिति बताते हुए (अगस्त 2004) कहा कि आपूर्ति, साख पत्र के साथ जुड़ी थी, किन्तु साख पत्र को समय पर नहीं खोला गया। समिति ने बकाया 31 ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता को मूल्य बढ़ोत्तरी की अनुमति देने का निर्णय लिया।

इस प्रकार क्रयादेश की शर्तों के अनुसार समय पर साख पत्र नहीं खोलने से स्थिर मूल्य संविदा के समक्ष कम्पनी को मूल्य विचलन के रूप में 1.17 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा (6 अक्टूबर 2005 को भुगतान कर दिया)।

सरकार ने कहा (फरवरी 2006) कि सामान्यतया विश्व बैंक संविदा में प्रारम्भिक अवस्था में साख पत्र खोले जाने का चलन नहीं था, इसलिए आपूर्तिकर्ता से पारित चालानों के प्रस्तुतिकरण के तीन दिवस के अन्दर भुगतान स्वीकार करने को कहा गया। आगे कहा कि, बाद में आपूर्तिकर्ता के पक्ष में साख पत्र खोला गया किन्तु साख पत्र खोलने के उपरान्त कच्चे माल की लागत में तीव्र वृद्धि होने के कारण आपूर्तिकर्ता ने शेष आपूर्ति के लिए मूल्य विचलन देने को कहा।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार साख पत्र खोला जाना पूर्व अपेक्षित व आवश्यक था। इसके अतिरिक्त समय पर साख पत्र नहीं खोले जाने से, आपूर्तिकर्ता को स्थिर मूल्य का ठेका देने के उपरान्त भी मूल्य विचलन के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। यदि कम्पनी संविदा के प्रावधानों का पालन करती तो इस अतिरिक्त व्यय को टाल सकती थी।

4.6.2 इसी प्रकार कम्पनी ने 1000 मै.टन उप-विद्युत गृह ढांचा 23,300 रूपये प्रति मै.टन तथा 4 प्रतिशत बिक्रीकर की स्थिर दर का क्रयादेश स्पीड क्राफ्ट इन्डस्ट्रीज (आपूर्तिकर्ता) को दिया (दिसम्बर 2003)। आपूर्तिकर्ता ने फरवरी 2004 से अप्रैल 2004 के दौरान 696.60 मै.टन सामग्री की आपूर्ति के उपरान्त इस आधार पर मूल्य विचलन मांगा (जून 2004) कि कम्पनी ने अन्य दोषी आपूर्तिकर्ताओं को भी मूल्य विचलन दिया है। कम्पनी ने आपूर्तिकर्ता के तर्क को स्वीकारते हुए, बकाया सामग्री पर मूल्य विचलन देने को सहमत हो गयी (जुलाई 2004)। आपूर्तिकर्ता ने संविदा दर 23,300 रु. प्रति मै.टन के समक्ष 28,557.69 रूपये प्रति मै.टन की दर पर सितम्बर 2004 में आपूर्ति पूर्ण की। इस प्रकार कम्पनी ने शेष आपूर्ति 303.40 मै.टन पर 16.59 लाख रूपये का अग्राह्य भुगतान किया।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि मूल्य विचलन देने का निर्णय न्यायोचित नहीं था क्योंकि कम्पनी व आपूर्तिदाता के मध्य एक तय व स्थिर दर की संविदा हुई थी जिसमें अन्य बातों के साथ आपूर्तिकर्ता के सामग्री देने में विफलता पर उसके जोखिम व लागत पर कम्पनी को सामग्री क्रय करने का अधिकार था।

सरकार ने बताया (अगस्त 2006) कि कम्पनी ने स्टील की कीमतों में तीव्र वृद्धि को अकल्पित एवं अप्रत्याशित मानते हुए आपूर्तिकर्ता को मूल्य विचलन दिया। यह भी कहा कि मूल्य विचलन देने के उपरान्त भी कम्पनी ने प्रचलित बाजार दरों से कम दरों पर सामग्री प्राप्त की।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबन्ध में अनआपूर्त सामग्री को, आपूर्तिकर्ता के जोखिम व लागत पर क्रय करने का अधिकार कम्पनी ने प्रयोग में नहीं लिया जिसकी परिणति 16.59 लाख रूपये के अदेय लाभ में हुई।

### उपभोक्ता को अदेय लाभ

स्वयं के टैरिफ प्रावधान का उल्लंघन और उपभोक्ता को वास्तविक उपयोग के आधार पर बिल देने का परिणामस्वरूप उपभोक्ता को 42 लाख रूपये का अदेय लाभ।

4.7 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने 24 जुलाई 2001 को प्रताप राज स्पेशल स्टील लिमिटेड, जयपुर (एक एचटी उपभोक्ता) की विद्युत बकाया राशि 25.38 रूपये का भुगतान नहीं करने से विद्युत आपूर्ति बन्द कर दी, क्योंकि बीआईएफआर द्वारा दिसम्बर 1991 में उपभोक्ता को रूग्ण उद्योग घोषित कर दिया था। सितम्बर 2002 में उपभोक्ता की प्रार्थना पर कम्पनी ने बकाया राशि को उसकी जमानत राशि 43.89 लाख रूपये में समायोजित कर शेष राशि का वापिस भुगतान कर दिया।

बी.आई.एफ.आर. योजना में औद्योगिक इकाई के पुनः क्रियाशील होने पर उपभोक्ता ने पुनः कम्पनी से एक नया कनेक्शन देने को कहा (फरवरी 2004)। कम्पनी ने 20 मार्च 2004 को 132 केवी पर 4500 केवीए कान्ट्रेक्ट डिमान्ड का नया कनेक्शन जारी किया। प्रथम बिल माह (मार्च 2004) में कम्पनी ने की गयी विद्युत आपूर्ति के लिए, टैरिफ 2004 के अनुसार न्यूनतम प्रभार का बिल जारी किया।

उपभोक्ता ने नया कनेक्शन होने के कारण न्यूनतम प्रभार के स्थान पर वास्तविक उपभोग के आधार पर बिल देने का आग्रह किया। क्योंकि उपभोक्ता ने रूग्णता के उपरान्त उद्योग के पुनःक्रियाशील होने पर कनेक्शन मांगा था इस कारण यह पुनःकनेक्शन था न कि एक नया कनेक्शन , इसलिए टैरिफ प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम प्रभार की उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जानी थी। तथापि कम्पनी ने स्वयं के टैरिफ प्रावधानों का उल्लंघन कर उपभोक्ता के तर्क को स्वीकार करते हुए मार्च 2004 से अगस्त 2004 के दौरान न्यूनतम प्रभार जो कि वास्तविक प्रभार से ज्यादा थे, के स्थान पर वास्तविक उपभोग के आधार पर बिल दिये।

इस प्रकार अपने स्वयं के टैरिफ प्रावधानों का उल्लंघन कर कम्पनी ने 42 लाख रूपये का उपभोक्ता को अदेय लाभ पहुंचाया।

सरकार ने कहा (जून 2006) कि नये उद्योग को न्यूनतम बिल से छूट देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, भले ही ऐसा दुबारा हो रहा हो और प्रथम उद्योग बन्द होकर दूसरे उद्योग का पदार्पण हो रहा हो। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह उसी प्रवर्तक द्वारा रूग्ण औद्योगिक इकाई के पुनः क्रियाशील होने पर पुनः कनेक्शन का प्रकरण है, न कि नये उद्योग के कनेक्शन का, इसलिए टैरिफ प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता से न्यूनतम बिल प्रभार लिये जाने थे।

**राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड**

**खनन क्षेत्रों में सुधार पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय**

कम्पनी ने दो कार्यों, अर्थात् (i) लिग्नाईट के खनन व ओवरबर्डन को हटाना, तथा (ii) गड्ढे में शीर्ष मृदा के भरण, को एक साथ नहीं जोड़ने से 17.66 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

4.8 भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने गिरल की खानों के लिए पर्यावरणीय अनुमति देते समय निर्देश दिये (12 दिसम्बर 1994) कि खनन क्षेत्र में से खनिज निकालने के उपरान्त उस पर जैविक रूप से सुधार किये जावें। पूर्ववर्ती राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड\* (कम्पनी) ने अनुमान लगाया (फरवरी 2001) कि लगभग 1.9 लाख घन मीटर शीर्ष मृदा की, खनिज निकाले जा चुके गिरल खानों के गड्ढे भरण के लिए आवश्यकता होगी। कम्पनी ने शीर्ष मृदा के खनन, परिवहन व गड्ढों में भरण पर 20 रुपये प्रति घनमीटर का अनुमान लगाया। कम्पनी ने विस्तृत विचार (2002 से 2004 के मध्य) के उपरान्त जून 2004 में नजदीकी जिलेलो ब्लाक से गिरल खान क्षेत्र के गड्ढों तक शीर्ष मृदा के खनन, परिवहन व भरण की निविदा आमंत्रित की। न्यूनतम प्रस्ताव 36 रुपये प्रति घन मीटर का प्राप्त हुआ। निविदा समिति ने दरों के विश्लेषण के आधार पर यह अभिलेखित किया कि निविदादाताओं द्वारा दी गईं दरें अधिक हैं। कम्पनी ने फिर भी, खुली निविदा में दरें प्राप्त होने के आधार पर, न्यूनतम निविदादाता (रोपर कन्सट्रक्शन, मोहाली) द्वारा प्रस्तुत दर 36 रुपये प्रतिघन मीटर पर 2.25 लाख घन मीटर शीर्ष मृदा भरण का ठेका दे दिया (अप्रैल 2005)। शीर्ष मृदा के खनन, परिवहन व सुधार के लिए भरण की वास्तविक मात्रा 2.58 लाख घन मीटर थी।

लेखापरीक्षा ने यह देखा (दिसम्बर 2005) कि कम्पनी साथ-साथ जिलेलो ब्लाक से ओवरबर्डन हटाने व लिग्नाईट खनन का कार्य देने की प्रक्रिया में थी। कम्पनी ने ओवरबर्डन हटाने व लिग्नाईट खनन के लिए निविदाएं मांगी (मार्च 2005) और सात वर्ष की अवधि के लिए 349.41 रुपये प्रति घन मीटर की दर से 446.86 लाख घन मीटर ओवरबर्डन हटाने व 27.085\*\* लाख घन मीटर लिग्नाईट खनन कार्य का ठेका रणजीत कन्सट्रक्शन को दे दिया (31 अगस्त 2005)।

\* अब राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का राजस्थान खान एवं खनिज लिमिटेड के साथ समामेलन के उपरान्त)

\*\* गुरुत्व 1.20 टन प्रति घन मीटर

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि इस कार्य में ओवरबर्डन खनन की दर रोपर कन्स्ट्रक्शन की शीर्ष मृदा भरण (अर्थात् ओवरबर्डन) की प्रभावी दर 30.80<sup>\*\*\*</sup> रूपये प्रति घन मीटर की तुलना में 23.96 रूपये प्रति घन मीटर थी।

यदि कम्पनी अपने कार्यों को समन्वित कर दोनों कार्यों अर्थात् (i) लिग्नाईट खनन एवं ओवरबर्डन को हटाना तथा (ii) शीर्ष मृदा का गड्ढे में भरण, को जोड़कर करती तो कम्पनी 17.66<sup>§</sup> लाख रूपये के अतिरिक्त व्यय को टाल सकती थी।

प्रकरण सरकार/कम्पनी को भेजा गया (अप्रैल 2006) उनके प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2006)।

#### क्रेताओं को अधिक थोक बट्टा देना

अवधि 2003-2005 में राक फास्फेट के क्रेताओं को सकल मात्रा पर थोक बट्टा देने के कारण 17.56 लाख रूपये का अधिक थोक बट्टा दिया गया।

4.9 राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (कम्पनी) ने 2003-2005 के दौरान परिपत्रों को जारी कर विभिन्न श्रेणियों के राक फास्फेट की कीमत एवं विक्रय शर्तें घोषित की। परिपत्रों में अन्य बातों के अलावा, मूल्य परिपत्र में निहित दरों पर राक फास्फेट के भौतिक उठाव की कुल मात्रा के आधार पर थोक बट्टा उपलब्ध था। मूल्य परिपत्रों में यह भी उल्लेख था कि नमी की छूट भी दी जावेगी यदि नमी की मात्रा 2 प्रतिशत से अधिक हो और इसके लिए क्रेडिट को बीजक में ही अनुमत्य कर दिया जावेगा (अर्थात् सकल मात्रा - मात्रा जिसमें दो प्रतिशत से अधिक नमी हो)

लेखापरीक्षा संवीक्षा (दिसम्बर 2005) से विदित हुआ कि यद्यपि विक्रय मूल्य, रायल्टी, सरचार्ज सहित बिक्रीकर, निवल मात्रा अर्थात् 2 प्रतिशत नमी को घटाने के बाद की मात्रा पर लगाया, वसूला व भुगतान प्राप्त किया गया, किन्तु थोक छूट सकल मात्रा अर्थात् नमी सहित मात्रा पर दी गयी। निवल मात्रा के बजाय सकल मात्रा पर थोक बट्टा देने के कारण अवधि 2003-2005 के दौरान कम्पनी ने 17.56 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय किया।

\*\*\*36 रू. प्रति घन मीटर घटा 5.20 रू. प्रति घन मीटर परिवहन प्रभार

§ 2.58 लाख घन मीटर (शीर्ष मृदा के खनन, परिवहन व सुधार हेतु गड्ढे भरण की वास्तविक मात्रा) x 6.84 रूपये (दरों में अन्तर 30.80 रू. प्रति घन मीटर - 23.96 रू. प्रति घन मीटर का अन्तर) = 17.66 लाख रूपये

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2005) कि थोक बट्टा 1 अप्रैल 2005 से देना बन्द कर दिया गया है, और लेखापरीक्षा द्वारा बताये गये बिन्दु को भविष्य में इस प्रकार की छूट को पुनः लागू करते समय ध्यान में रखा जावेगा।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2006); प्रत्युत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2006)।

### विद्युत उत्पादन सयंत्र का कम उपयोग

स्वयं के सयंत्र से विद्युत उपयोग करने के स्थान पर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से उच्च दर पर विद्युत क्रय करने से 25.56 लाख रूपये का अधिक व्यय।

4.10 राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (कम्पनी) ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अ.वि.वि.नि.लि.) की पावर ग्रिड से सामन्जस्य व्यवस्था में जोड़ने हेतु 3.8 मेगावाट का विद्युत सयंत्र 30 मार्च 2001 को स्थापित किया ताकि इसके झामर कोटड़ा स्थित औद्योगिक परिशुद्धिकरण सयंत्र (आई.बी.पी.) को अनवरत विद्युत आपूर्ति हो सके। इस विद्युत सयंत्र के संचालन व संधारण का कार्य तीन वर्ष की अवधि के लिए फरीदाबाद की एक फर्म को दिया गया, जिसे समय-समय पर उन्ही शर्तों पर फरवरी 2005 तक बढ़ाया गया।

अनुबन्ध के अनुसार, सम्पूर्ण अनुबन्ध अवधि में संचालन व संधारण के प्रभार, कम्पनी को उपलब्ध करायी गयी निवल विद्युत उर्जा (सहायक उपयोग को छोड़कर) पर 31 पैसे/के.डब्ल्यू.एच. की दर से दिये जाने थे। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार को कम से कम 19 लाख यूनिट विद्युत का प्रतिमाह उत्पादन करना था, जिसमें विफलता पर कम्पनी मुआवजा का दावा कर सकती थी और न्यूनतम उत्पादित यूनिट्स के उपयोग में विफलता पर कम्पनी द्वारा ठेकेदार को स्वीकृत संचालन एवं संधारण दर में दस प्रतिशत कम करके (0.279 रूपया प्रति यूनिट) डीमंड उत्पादन प्रभार का भुगतान करना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि कम्पनी दिसम्बर 2002, अप्रैल 2003, मई 2003, नवम्बर 2003, फरवरी 2004, और मई 2004 के दौरान, उर्जा के न्यूनतम उपयोग (19 लाख यूनिट प्रतिमाह) करने के विफल रही और फर्म को 26,03,692 यूनिटों पर डीमंड उत्पादन प्रभार का भुगतान किया। लेखापरीक्षा विश्लेषण से विदित हुआ कि उक्त अवधि में कम्पनी ने अ.वि.वि.नि.लि. से 6.5 लाख यूनिट प्रतिमाह की कान्ट्रैक्ट डिमान्ड से अधिक उर्जा ली।

इस प्रकार अपने विद्युत सयंत्र से न्यूनतम उर्जा उपयोग में विफलता से कम्पनी ने न केवल 26.04 लाख यूनिट पर डीमंड उत्पादन प्रभार के 7.26 लाख रूपये ठेकेदार को चुकाये, अपितु औद्योगिक परिशुद्धिकरण सयंत्र को चलाने के लिए 18.30\* लाख रूपये की अधिक लागत पर अ.वि.वि.नि.लि. से उच्च दरों पर विद्युत आपूर्ति ली।

सरकार ने कहा (मई 2006) कि प्रारम्भिक भार बहुत ज्यादा होने के कारण औद्योगिक बेनीफिशिएशन सयंत्र को अकेले इसके 3.8 मेगावाट के विद्युत सयंत्र से नहीं चलाया जा सकता और विद्युत सयंत्र को बार बार चलाना व बन्द करना इसके इंजिन के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। विद्युत सयंत्र से कम उत्पादन, औद्योगिक बेनीफिशियेशन सयंत्र के विस्तार व चालू करने के समय से सम्बन्धित है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह सभी तथ्य जाने पहचाने थे और फर्म से अनुबन्ध करने से पूर्व कारक बनाये जाने चाहिए थे।

#### ठेकेदार को अदेय लाभ पहुँचाना

संविदा की विस्तारित अवधि में, बिना किसी अतिरिक्त कार्य के कम्पनी ने बढ़ी दरों से भुगतान किया, जिसकी परिणति ठेकेदार को 41.30 लाख रूपये के अदेय लाभ के रूप में हुई।

4.11 राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (कम्पनी) ने टिपरों/लोडरों के संयोजन से 6.86 रूपये प्रति मै.टन की स्थिर दर पर प्रतिदिन 3500 मै.टन उच्च श्रेणी अयस्क (उ.श्रे.अ.) क्रशिंग सयंत्र पर पहुँचाने का दो वर्ष का परिवहन ठेका आर के कैरियर्स, उदयपुर को दिया (अप्रैल 2000)। वर्षभर में 285 खनन कार्य दिवस होने के कारण ठेकेदार को 9.98 लाख मै.टन उ.श्रे.अ. प्रतिवर्ष पहुँचाना था।

दो वर्ष पूर्ण होने पर कम्पनी ने ठेकेदार की प्रार्थना पर 1 अप्रैल 2002 से प्रभावी दो वर्ष की अवधि के लिए 8.86 रूपये प्रति मै.टन की वर्धित दर पर ठेका बढ़ाया (19 अप्रैल 2002)। दो रूपये प्रति मै.टन की वृद्धि इस शर्त पर दी गयी थी कि ठेकेदार एक-एक अतिरिक्त लोडर व टिपर लगायेगा। यद्यपि वर्षभर में पहुँचाये जाने वाले अयस्क मात्रा में कोई अनुरूप वृद्धि नहीं की थी। ठेका 22 जुलाई 2004 तक जारी रहा और अप्रैल 2004 से आगे की समय वृद्धि का अनुमोदन ठेके के अन्तिम दिवस को किया गया।

\* अर्थात् अविनिमित्त से प्राप्त विद्युत की लागत तथा स्वयं के सयंत्र में उत्पादित विद्युत लागत में अन्तर

लेखापरीक्षा संवीक्षा से विदित हुआ (अक्टूबर 2005) कि प्रारम्भिक ठेके की दरें (6.86 रूपये प्रति मै.टन) अयस्क के क्रशिंग सयंत्र तक परिवहन व होपर में भरने की थी, और उसमें ठेकेदार द्वारा नियोजित उपस्करों की संख्या का कोई सहसम्बन्ध नहीं था। ठेकेदार द्वारा वार्षिक मात्रा (9.98 लाख मै.टन) का स्तर न तो प्रारम्भिक ठेके के दौरान, न ही ठेके की विस्तारित अवधि के दौरान प्राप्त किया गया। अवधि 2001-02, 2002-03, 2003-04 और 2004-05 (22 जुलाई तक) के दौरान आपूर्ति मात्रा क्रमशः 7.84 लाख मै.टन 8.54 लाख मै.टन 9.08 मै.टन और 3.03 लाख मै.टन रही।

इस प्रकार विस्तारित अवधि के दौरान, अयस्क परिवहन की मात्रा से बिना सम्बन्ध के अतिरिक्त लोडर व टिपर के नियोजन पर बढ़ी दर पर भुगतान का कम्पनी का निर्णय औचित्य रहित था, जिसकी परिणति ठेकेदार को 41.30 लाख रूपये के अदेय लाभ के रूप में हुई।

प्रकरण राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2006) उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2006)।

**राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड**

**उच्च दरों के स्वीकृत किये जाने से परिहार्य व्यय**

उसी क्षेत्र में चल रहे समान कार्य की निविदा दरों की तुलना किये बिना उच्च दरों को स्वीकारने के परिणामस्वरूप 42.99 लाख रूपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय।

4.12 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (कम्पनी) अपने स्वयं के औद्योगिक क्षेत्रों के विकास कार्यों को ठेके के आधार पर करती है। कम्पनी की अपनी स्वयं की सिविल निर्माण कार्य संहिता नहीं है और अनुमान, राजकीय लोक निर्माण विभाग की आधार अनुसूचित दरों (बी.एस.आर.) के आधार पर तैयार किये जाते हैं।

कम्पनी ने फरवरी 2003 और सितम्बर 2003 में एग्रोफूड पार्क रनपुर (कोटा) और कुबेर औद्योगिक क्षेत्र रनपुर (कोटा) में चार दीवारी एवं नाले के निर्माण के लिए निविदाएँ आमंत्रित कीं। कार्यवार विवरण निम्न प्रकार है:-



क्र. सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कार्य का विवरण	ठेकेदार का नाम	कार्य आदेश सं. व दिनांक	निविदा प्रीमीयम की दर
1.	एग्रोफुड पार्क, रनपुर (कोटा)	चार दीवारी का निर्माण	रौनक कंसट्रक्शन, कोटा	यू.(16)-2(319) 03/503-8 दिनांक 6.5.03	बी.एस.आर.1998 से 29.40 प्रतिशत कम
2.	एग्रोफुड पार्क, रनपुर (कोटा)	नाले का निर्माण	गुप्ताजी कंसट्रक्शन, कोटा	यू.(16)-2(348) 03/3722-28 दिनांक 4.8.03	बी.एस.आर.1998 से 34.03 प्रतिशत कम
3.	कुबेर औद्योगिक क्षेत्र, रनपुर (कोटा)	(अ) नाले का निर्माण (ब) चार दीवारी का निर्माण	मुन्नी लाल एण्ड कम्पनी, कोटा		मद अ बी.एस.आर.1998 से 17.50 प्रतिशत कम
				यू.(16)-2(385) 03/8355-60 दिनांक 16.1.04	मद ब बी.एस.आर.1998 से 18.10 प्रतिशत कम

(इन तीनों ठेकेदारों ने उपरोक्त सभी निर्माण कार्य जनवरी 2004 और मई 2004 के मध्य पूर्ण किये)

लेखापरीक्षा विश्लेषण से विदित हुआ (जून 2005) कि क्र.सं.1 व 2 के निर्माणकार्यों की निविदाओं को अन्तिम रूप देते समय निविदा समिति ने कोटा स्थित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के कार्यों की प्रचलित दरों से निविदा प्रीमीयम दरों की तुलना की थी। क्र.सं. 3 के प्रकरण में ऐसी कोई तुलना नहीं की गयी।

इस प्रकार, उसी क्षेत्र में चल रहे समान निर्माण कार्यों की दरों से तुलना नहीं करके उच्च दरों को स्वीकार करने से 42.99 लाख रुपये का (विद्यमान निर्माण कार्यों की प्रचलित दरों और बी.एस.आर. 1998 के सन्दर्भ में क्र.सं.3 के वास्तविक अन्तिम दरों का अन्तर) परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त परिणामतः प्रभाव उद्यमकर्ता से अधिक विकास शुल्क लिए जाने के रूप में होगा।

सरकार ने बताया (जून 2006) कि यह एक पृथक निविदा थी इसलिए अन्य निविदा की अनुमोदित दरों से इसके दरों की ठीक ठीक तुलना करना सम्भव नहीं था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वित्तीय समझदारी के लिए यह आवश्यक है कि कम्पनी के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए उसी क्षेत्र में चल रहे समान कार्यों की दरों से तुलना की जावे, जैसा कि पूर्व के मामलों में किया गया।

**तकनीकी संस्थानों को अदेय लाभ**

**तकनीकी संस्थानों को विकास शुल्क में 19.99 लाख रुपये की कम्पनी द्वारा अदेय छूट का लाभ दिया जाना।**

4.13 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) की आधारभूत विकास समिति (आई.डी.सी.) ने अपने 12 जुलाई 1999 के प्रस्ताव द्वारा तकनीकी संस्थानों अर्थात् अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) से सम्बन्धित संस्थानों के लिए भूमि आवंटन की पृथक शर्तों का अनुमोदन किया। रीको के भूमि व्ययन नियम 1979 के नियम 3(ई) के अनुसार तकनीकी संस्थाओं को भूमि आवंटन सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र में प्रचलित विकास शुल्क की दर पर किया जावेगा।

रीको ने कुबेर औद्योगिक क्षेत्र रनपुर (कोटा) में 305 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्रचलित विकास शुल्क दर पर 52,720 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन दो तकनीकी संस्थानों को किया (अक्टूबर 2003)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि प्रारम्भ में औद्योगिक भूमि का आवंटन प्रचलित दरों पर किया गया था, किन्तु बाद में इकाई कार्यालय के प्रभारी ने नीति का उल्लंघन करते हुए शिक्षा संस्थानों को बड़ी मात्रा में भूमि आवंटन पर देय छूट के रूप में 37.92 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 19.99 लाख रुपये की छूट प्रदान कर दी।

इन तकनीकी संस्थानों के शिक्षा संस्थान नहीं होने के कारण विकास शुल्क में छूट का लाभ देना न केवल अनियमित था, अपितु इसका परिणाम संस्थानों को अदेय लाभ और रीको को परिहार्य हानि के रूप में हुआ।

सरकार ने कहा (जुलाई 2006) कि बड़ी मात्रा में भूमि आवंटन पर छूट का प्रावधान दिनांक 5 दिसम्बर 2003 के कार्यालय आदेश में किया जा चुका है और तदनुसार रीको भूमि व्ययन नियम 1979 के नियम 3(ई) में संशोधन हो गया है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियम 3(ई) में तकनीकी संस्थानों को दी जाने वाली 10 प्रतिशत छूट का संशोधन आई.डी.सी. के निर्णय दिनांक 12 अक्टूबर 2004 से हुआ जबकि इन संस्थानों को भूमि आवंटन अक्टूबर 2003 में किया गया जब इस प्रकार के प्रावधान नहीं थे, इसके अतिरिक्त तथ्य यह है कि संशोधन में भूमि आवंटन के पुराने मामले पुनः खोलने की व्यवस्था नहीं थी।

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

35.42 लाख रुपये की परिहार्य हानि

जोखिम क्रय उपबन्ध लागू करने में कम्पनी की विफलता का परिणाम  
35.42 लाख रुपये की परिहार्य हानि।

4.14 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (कम्पनी) ने अपने 22 भण्डार गृहों पर 24.52 रुपये प्रति बीएल एफ.ओ.आर.# की दर पर 4.20 लाख बल्क लीटर (बीएल) परिशोधित स्पिरिट आपूर्ति के लिए केसर एन्टरप्राइजेज लिमिटेड (फर्म) को एक आपूर्ति आदेश दिया (मई 2004)। आपूर्ति आदेश में अन्य बातों के साथ यह भी विहित था कि यदि आदेशित मात्रा की पूर्ण/आंशिक आपूर्ति में फर्म विफल रहती है, तो फर्म की जोखिम एवं लागत पर क्रय किया जावेगा।

आपूर्ति आदेश (मई 2004) की शर्तों के अनुसार परिशोधित स्पिरिट की आपूर्ति आबकारी आयुक्त राजस्थान के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के 45 दिवस के अन्दर अर्थात् 15 जुलाई 2004 तक कर दी जानी थी। कम्पनी ने 4.20 लाख बीएल का आबकारी आयात अनुज्ञा पत्र फर्म को जारी किया (3 जून 2004)। फर्म इसके उपरान्त आपूर्ति समय सारणी के अनुसार स्पिरिट की आपूर्ति में विफल रही। कम्पनी ने 30 सितम्बर 2004 तक आपूर्ति समय सीमा में वृद्धि की, किन्तु आपूर्ति अवधि में वृद्धि एवं कम्पनी के द्वारा, फर्म को उसके आपूर्ति में विफलता में उसकी जोखिम एवं लागत पर स्पिरिट क्रय करने के, नोटिस देने के उपरान्त भी आदेशित मात्रा में परिशोधित स्पिरिट की आपूर्ति नहीं की गयी। अन्ततः कम्पनी ने जमानत राशि (सात लाख रुपये) जब्त कर ली और दूसरी फर्म से उच्च दर 34.62 रुपये प्रति बीएल पर स्पिरिट क्रय की (अगस्त/सितम्बर 2004)।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आपूर्ति आदेश में जोखिम एवं लागत क्रय का स्पष्ट प्रावधान होने के उपरान्त भी कम्पनी ने अन्तर की राशि 35.42 लाख रुपये (42.42 लाख रुपये - 7 लाख रुपये जमानत राशि के) फर्म से वसूल नहीं किये। इसका परिणाम कम्पनी को 35.42 लाख रुपये की परिहार्य हानि के रूप में हुआ।

सरकार ने कहा (जुलाई 2006) कि जोखिम एवं लागत उपबन्ध के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही पंचनिर्णय के माध्यम से की जा रही है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं था जिससे कार्यवाही किया जाना प्रकट होता हो।

# फ्री आन रेल

इस प्रकार 19 माह (मार्च 2006 तक) व्यतीत होने के उपरान्त भी आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण वसूली लम्बित रही (सितम्बर 2006)।

### संक्रमित गन्ने के प्रापण से हानि

संक्रमित गन्ने के प्रापण और पिराई से कम्पनी को 95.75 लाख रुपये की हानि।

4.15 वर्ष 2004-05 के दौरान कम्पनी ने संक्रमित गन्ना क्रय किया, जिसके कारण चीनी की प्राप्ति, आंकलित 9.51 प्रतिशत के समक्ष 6.01 से 8.26 प्रतिशत की हुई। 11 फरवरी 2005 से 27 फरवरी 2005 के 17 दिनों की अवधि में, चीनी की प्राप्ति न्यूनतम स्तर 6.01 से 7.07 प्रतिशत के मध्य रही। इस प्रकार संक्रमित व कमजोर गन्ने के क्रय व पिराई के कारण उक्त 17 दिवसों में चीनी की प्राप्ति कम हुई और परिणामतः 68.70<sup>#</sup> लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय चीनी संस्थान (एन.एस.आई.) द्वारा गन्ने की उपलब्धता, संयंत्र की पुरानी अवस्था आदि के अध्ययन के आधार पर निर्धारित 2.50 प्रतिशत प्रक्रियागत हानि के समक्ष संक्रमित गन्ने की पिराई में हानि 2.84 प्रतिशत रही। इस प्रकार प्रक्रियागत अधिक हानि का परिणाम 27.05<sup>†</sup> लाख रुपये की 1,778.54 क्विंटल चीनी की हानि में हुआ।

सरकार ने संक्रमित गन्ने के कारण चीनी की कम प्राप्ति और अधिक प्रक्रियागत हानि को स्वीकारते हुये कहा (जुलाई 2006) कि प्रतिकूल कृषि जलवायु स्थिति और मशीनों की अपर्याप्तता जैसे अन्य कारण भी अधिक प्रक्रियागत हानि के लिए जिम्मेवार थे। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रतिकूल कृषि जलवायु स्थिति क्रमोबेश विगत वर्षों जैसी ही थी और मशीनों के मामले में भी ऐसा ही था। इसके अतिरिक्त एनएसआई ने प्रक्रियागत हानि के मानदण्ड निर्धारित करते समय जलवायु स्थिति और मशीनों की हालत के पहलू पर विचार कर लिया था।

इस प्रकार संक्रमित गन्ने के क्रय व पिराई के कारण चीनी की कम प्राप्ति और अधिक प्रक्रियागत हानि के कारण कम्पनी को 95.75 लाख रुपये की हानि हुई।

# 4516.852 क्विंटल चीनी के कम उत्पादन पर वर्ष 2004-05 के चीनी के औसत विक्रय मूल्य 1520.90 रुपये प्रति क्विंटल की दर से।

† 1778.54 क्विंटल x 1520.90 रुपये प्रति क्विंटल चीनी विक्रय मूल्य वर्ष 2004-05 में।

सांविधिक निगम

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

विधिक प्रावधानों की पालना में विफलता के कारण हानि

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत वांछित वैध अनुज्ञा पत्र प्राप्त नहीं करने से निगम को 19.75 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि।

4.16 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (निगम) ने अपने घाटे को कम करने के उद्देश्य से असंचालन राजस्व के विविधीकरण करने का निर्णय लिया (सितम्बर 2004), जिसमें अन्य बातों के साथ निजी फर्म/संस्थाओं के माध्यम से बसों में पार्सल/कोरियर सेवाएं चलाना भी शामिल था। निगम ने अपने यात्री वाहनों में पार्सल, घरेलू सामान/व्यापारिक सामान के परिवहन के एक मात्र अनुज्ञप्ति धारी की नियुक्ति के लिए निविदाएं मांगी (28 अप्रैल 2005)। सात निविदाएं प्राप्त हुईं जो दिनांक 6 मई 2005 को खोली गईं। अनुज्ञप्ति शुल्क की उच्चतम दर 4.02 करोड़ रुपये प्रतिमाह रचना पार्सल एंड कोरियर एजेन्सी (फर्म) की प्राप्त हुई।

निगम ने प्रस्ताव स्वीकृत कर (मई 2005) फर्म से जमानत राशि जमा कराने को कहा। फर्म ने मोटर वाहन अधिनियम (एमवीएक्ट), 1988 के अन्तर्गत राज्य और अन्तर्राज्यीय पार्सल/कोरियर सेवा के वैध अनुज्ञप्ति की एक प्रति देने की प्रार्थना की (मई 2005)।

निगम ने वांछित अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने के स्थान पर फर्म की अग्रिम राशि जम्मा करने का निर्णय लिया (17 जून 2005) और 26 लाख रुपये प्रतिमाह की अनुज्ञप्ति शुल्क पर कार्य दूसरे उच्चतम निविदादाता अर्थात् श्री एन्टर प्राईजेज को दे दिया (20 जून 2005)। कार्य आवंटन पत्र पूर्ण पते के अभाव में नहीं पहुँचाया जा सका। निगम ने तदुपरान्त 1 वर्ष के लिए 7.01 लाख रुपये प्रतिमाह के शुल्क पर कार्य तीसरे उच्चतम निविदादाता कल्पना कारगो (प्राईवेट) लिमिटेड को देने का निर्णय लिया (जुलाई 2005) और इस फर्म के साथ एक वर्ष का अनुबन्ध कर लिया (28 सितम्बर 2005)।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि अपने यात्री वाहनों से पार्सल, घरेलू सामान/व्यापारिक सामान परिवहन करने की निगम के पास एम.वी.एक्ट 1988 के अन्तर्गत आवश्यक वैध अनुज्ञप्ति नहीं थी। यदि निगम एक वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त कर प्रथम निविदादाता अर्थात् रचना पार्सल एवं कोरियर एजेन्सी को उपलब्ध करवाता

तो इसे 27 मार्च 2006 तक 19.75 करोड़\* रूपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता।

सरकार ने कहा (मई 2006) कि रचना पार्सल एण्ड कोरियर एजेन्सी द्वारा माल अनुज्ञप्ति की प्रार्थना निविदा की शर्तों के अनुसार नहीं थी इसलिए उसकी निविदा निरस्त कर दी गई और कार्य तीसरी उच्चतम फर्म को दे दिया, जिसने माल अनुज्ञप्ति के लिए नहीं कहा।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुज्ञप्ति निगम के लिए एक बाध्यकारी विधिक आवश्यकता है। जबकि उच्चतम निविदादाता ने इसके लिए प्रश्न किया, फिर भी निगम ने तृतीय उच्चतम निविदादाता के माध्यम से अवैध संचालन जारी रखा। इस प्रकार प्रबन्धन का निर्णय विधिक आवश्यकता और वित्तीय समझदारी के विपरीत था। प्रसंगवश परिवहन प्राधिकारी से इस सेवा के संचालन की अनुमति लेने में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं था, सिवाय इसके कि परिवहन प्राधिकारी एम.वी. एकट की धारा 79 में विहित कुछ शर्तें/विनियम लगा दे।।

निगम ने बताया (जुलाई/सितम्बर 2006) कि निगम की स्थापना एम.वी. एकट की धारा 97 के अन्तर्गत हुई थी और इसलिए यह अपनी बसों में यात्री व सामान दोनों को ले जाने के लिए अधिकृत था। आगे कहा कि परिवहन विभाग ने निगम की बसों के लिए अनुज्ञप्ति जारी करते समय, यात्रियों के सामान के अतिरिक्त अन्य सामान ले जाने के लिए एम.वी. एकट की धारा 72 के अन्तर्गत कोई शर्त नहीं लगायी। अतः निगम अपनी बसों में माल परिवहन के लिए अधिकृत था।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एम.वी. एकट के अन्तर्गत निगम का गठन होना, उसे यात्रियों और/या सामान ले जाने के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की जिम्मेवारी से मुक्त नहीं करता। निगम ने यात्रियों के सामान के अतिरिक्त अन्य सामान जिसको कि अपनी बसों में यात्रियों के साथ ले जाना चाहता था, का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार परिवहन विभाग के पास एम.वी. एकट की धारा 72 के अन्तर्गत अनुज्ञप्तियों पर शर्तें लगाने का कोई अवसर नहीं था। अतः अनुज्ञप्ति पर कोई शर्त आरोपित नहीं करने को कोरियर सेवा चलाने की अनुमति मानना सही नहीं था।

---

\* 3.95 करोड़ रूपये x 5 माह, 28 अक्टूबर 2005 से 27 मार्च 2006 तक

**राजस्थान वित्त निगम**

**ऋणियों से सेवा कर की अवसूली**

**ऋणियों से सेवाकर वसूली के सम्बन्ध में निगम के अविवेकपूर्ण निर्णय से 59.53 लाख की परिहार्य हानि।**

4.17 वित्तीय संस्थाओं द्वारा 'उधार' देने की सेवा को भारत सरकार के वित्त अधिनियम 2004 के द्वारा सेवाकर के दायरे में लिया गया (सितम्बर 2004)। परिणामतः राजस्थान वित्त निगम (निगम) द्वारा ऋणियों से लिए गये विभिन्न प्रभारों यथा प्रार्थना पत्र शुल्क, दस्तावेज शुल्क, प्रक्रिया शुल्क, सेवा प्रभार आदि पर सेवाकर देने की जिम्मेवारी आ गयी। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से अगस्त 2005 में एक नोटिस प्राप्त होने तक हॉलाकि निगम ने इन प्रावधानों की पालना नहीं की।

निगम ने सेवाकर के भुगतान एवं इसकी ऋणियों से वसूली का प्रकरण निदेशक मण्डल के समक्ष निर्णय लेने हेतु रखा (सितम्बर 2005)। बोर्ड ने सेवा कर भुगतान का अनुमोदन किया (15 सितम्बर 2005) किन्तु इसे ऋणियों से वसूल नहीं करने का निर्णय किया।

तदनुसार, निगम ने विलम्बित भुगतान के ब्याज 1.94 लाख रुपये सहित 59.53 लाख रुपये सेवाकर का भुगतान कर दिया।

इस प्रकार संविदा शर्तों में प्रावधान होने के उपरान्त भी ऋणियों से सेवा कर वसूल नहीं करने के बोर्ड के अविवेकपूर्ण निर्णय से निगम को 59.53 लाख रुपये का परिहार्य व्यय करना पड़ा। लेखापरीक्षा विश्लेषण से यह भी विदित हुआ कि अन्य सभी वित्तीय संस्थाएं/बैंकिंग संस्था सहित राज्य सरकार की वित्तीय कम्पनी (रीको) ऋणियों से सेवाकर वसूल कर रही थी।

सरकार ने कहा (अगस्त 2006) कि बोर्ड ने ऋणियों से सेवाकर वसूल नहीं करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि सेवाकर जुड़ने से ऋणियों की वित्तीय लागत बढ़ जाती और यह निगम के व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव डालता।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सेवाकर एक कानूनी लेवी है जो सेवा उपयोगकर्ता से वसूली योग्य थी और इस सम्बन्ध में अन्य निर्णय लेने का कोई प्रश्न नहीं था। इस प्रकार निगम के वित्तीय हित के विपरीत प्रबन्धन के निर्णय के कारण 59.53 लाख रुपये की हानि हुई।

## सामान्य

### घाटे में चलने वाली कम्पनियाँ : निधि अवरूद्ध होना

4.18 31 मार्च 2005 को 16\* सरकारी कम्पनियाँ कार्यरत थीं उनमें से अनुबन्ध-21 में दर्शाये अनुसार, दो कम्पनियाँ (राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड और राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड) पाँच वर्षों से लगातार घाटे में थीं और एक कम्पनी (राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड) विगत चार वर्षों से घाटे में थी। कुल 16 कार्यरत कम्पनियों में से इन तीन घाटेवाली कम्पनियों में राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2005 को कुल 30.02 करोड़ रुपये (इक्विटी:13.08 करोड़ रुपये और दीर्घकालीन ऋण 16.94 करोड़ रुपये) निवेशित था।

राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड, (कम्पनी) के कार्यकलाप को, इसके लगातार घाटे में चलने के कारणों की मीमांसा हेतु, विस्तृत जाँच के लिए चुना गया।

## प्रस्तावना

4.18.1 राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड, जयपुर, जून 1965 में राज्य सरकार की पर्यटन कम्पनी के रूप में निगमित की गई और दो होटल जिनके नाम होटल खासा कोठी, जयपुर एवं होटल आनन्द भवन, उदयपुर चला रही थी। खासाकोठी का निर्माण राज्य अतिथि गृह के रूप में उपयोग हेतु सवाई रामसिंह-II द्वारा लगभग एक शताब्दी पूर्व करवाया गया, आनन्द भवन का निर्माण उदयपुर महाराणा द्वारा सात दशक पूर्व करवाया गया। भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने इनको 'हेरिटेज होटल' की श्रेणी में वर्गीकृत कर रखा है।

## कार्यकारी परिणाम

4.18.2 कम्पनी के 2004-05 तक पाँच वर्ष की अवधि के कार्यकारी परिणाम नीचे दिये गये हैं:

\* रीको, आरएसआईसी, आरएसएचडीसी, आरएसएससी, आरएसआरडीसीसी, आरटीडीसी, आरआरईसी, आरआरवीयूएनएल, आरआरवीपीएनएल, जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल, आरएसएमएम, आरएसजीएमएम, आरएसएचसीएल, आरजेवीएनएल।



(राशि लाख रुपये में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
(1) संचालन आय	308.57	312.84	308.64	322.52	132.50
(2) अन्य आय	17.91	19.23	33.11	28.56	41.03
(3) कुल आय (1+2)	326.48	332.07	341.75	351.08	173.53
(4) संचालन व्यय	319.33	336.78	337.91	334.41	201.53
(5) संचालन हानि (1-4)	10.76	23.94	29.27	11.89	69.03
(6) मूल्यहास	6.91	8.28	8.13	7.59	5.80
(7) वित्तीय व्यय	5.51	6.07	6.04	5.99	5.60
(8) लाभ/हानि {3-(4+6+7)}	(-)5.27	(-)19.06	(-)10.33	3.09	(-)39.40
(9) असामान्य व्यय (वीआरएस)	86.71	32.21	28.64	28.64	28.64
(10) पूर्व अवधि के समायोजन (निवल)	(-)3.62	0.08	(-)0.87	(-)3.21	(-)0.01
(11) पूर्व अवधि समायोजन के उपरान्त लाभ / हानि {8-(9+10)}	(-)88.36	(-)51.35	(-)38.10	(-)22.34	(-)68.03

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कम्पनी ने सभी पाँचों वर्षों में हानि दर्शायी है। कम्पनी की 2000-01 की हानि 88.36 लाख रुपये से घटकर 2003-04 में 22.34 लाख रुपये रह गयी किन्तु 2004-05 में यह पुनः बढ़कर 68.03 लाख रुपये हो गयी। यह पाया गया कि 2004-05 में हानि बढ़ने का कारण, राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2004 से बीयर व्यापार कार्यकलाप बन्द कर देना था। लेखापरीक्षा विश्लेषण से विदित हुआ कि पाँच वर्षों की अवधि में 2.68 करोड़ रुपये की हानि हुई, जिसमें से 2.05 करोड़ रुपये स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना (वीआरएस) पर व्यय से सम्बन्धित और स्टाफ की संख्या कम करने और संचालन सक्षमता में सुधार के लिए असामान्य व्यय के रूप में थे।

2000-01 से 2003-04 के दौरान संचालन आय के समक्ष संचालन हानि की प्रतिशतता 3.49 से 9.48 प्रतिशत के मध्य रही और बीयर व्यापार के बन्द होने पर 2004-05 में बढ़कर 52.10 प्रतिशत हो गयी। कमरों की कम निवासिता के उपरान्त भी संचालन एवं कुल हानि का कम होना, कम्पनी द्वारा धारित हेरिटेज होटल सम्पदा की स्थान प्रमुखता व प्रतिष्ठा के कारण महत्वपूर्ण अनुकूल स्थिति दर्शित होती है। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि कम्पनी ने अपने हेरिटेज होटल की प्रतिष्ठापूर्ण स्थान प्रमुखता से उपजे अवसरों का जयपुर व उदयपुर की आने वाले पर्यटक प्रवाह पर उपयोग नहीं किया; विशेषकर उस स्थिति में जबकि राज्य में तेजी से उभरते पर्यटन के कारण अन्य होटल आगे के वर्षों तक बुक थे।

### कम निवासिता

4.18.3 2000-01 से 2004-05 तक पाँच वर्षों की अवधि में आवास से प्राप्ति, किराये के लिए उपलब्ध कमरे, निवासित कमरों से सम्बन्धित स्थिति नीचे दी गयी है;

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
आवास से प्राप्ति (लाख रुपये में)	70.73	53.62	52.32	55.08	65.51
किराये के लिए उपलब्ध कमरे (संख्या)	20723	20344	20003	19659	19471
निवासित कमरे (संख्या)	5087	3836	3645	3764	4879
निवासिता की प्रतिशतता	24.55	18.86	18.22	19.15	25.06
कमरा किराया वसूली प्रतिदिन (रूपयों में)	1390	1398	1435	1463	1343

यह देखा गया कि निवासिता दर 18.22 से 25.06 प्रतिशत के मध्य विचरित रही। कमरों से प्राप्ति 2000-01 के 1,390 रुपये से बढ़कर 2003-04 में 1,463 रुपये हो गयी और 2004-05 में घटकर 1,343 रुपये रह गयी। लेखापरीक्षा ने पाया कि 1996-97 से टैरिफ का पुनः निर्धारण नहीं होने के उपरान्त भी कमरों की निवासिता नहीं बढ़ी। कम्पनी ने बताया कि 11/9 अवधि के बाद पर्यटकों के कम आने और सरकारी कर्मचारियों और वरिष्ठ राजनीतिज्ञों के गेस्ट हाउस के रूप में ख्यात होने के कारण निवासिता कम रही। तथापि, तथ्य यह है कि इस अवधि में पर्यटक प्रवाह काफी बढ़ा और कम्पनी का प्रबन्धन, होटल के कम टैरिफ की महत्वपूर्ण संभाव्यता का प्रभावी ढंग से विदोहन करने में विफल रहा।

### होटल कमरों के सुसज्जाकरण का अभाव

4.18.4 उचित कीमत, प्रमुख अवस्थिति, अच्छी सेवा के साथ बढ़िया सुसज्जा एवं सुविधा पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं इसलिए पर्यटकों को आकर्षित/बनाये रखने के लिए समय-समय पर सुसज्जाकरण एवं सुविधा में सुधार करना आवश्यक है। सुसज्जाकरण एवं सुविधाओं में सुधार पर पाँच वर्षों में किया गया पूंजीगत व्यय नीचे दिया गया है।

(राशि लाख रूपयों में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
सुसज्जाकरण एवं सुविधाओं में सुधार पर पूंजीगत व्यय	7.00	17.72	0.87	4.26	3.35

उपरोक्त से स्पष्ट है कि पूंजीगत प्रकृति की सुविधाओं पर व्यय नगण्य था और 2000-01 से 2004-05 के दौरान 0.87 लाख रुपये से 17.72 लाख रुपये के बीच

रहा जो सम्पदा के सुसज्जीकरण पर बहुत ही सतही रूख को दर्शाता है, विशेषकर जबकि निजी क्षेत्रों के तेजी से बढ़ते हुए अन्य होटलों से भंयकर प्रतिस्पर्द्धा हो। इसके साथ कमरों का उचित अवस्था में रखरखाव के अभाव में कमरों की माँग व विपणनता पर विपरीत प्रभाव डाला।

प्रबन्धन ने हानि के तथ्यों को स्वीकारते हुऐ कहा (अक्टूबर 2006) कि उसने होटलों के कमरे तथा सेवाएँ उन्नत करने का निर्णय लिया है।

#### विपणन की अप्रभाविता

4.18.5 कम निवासिता के कारण कम्पनी के पास सभी पाँचों वर्षों में 15,000 से अधिक किराये पर देने योग्य कमरों का आधिक्य था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन एवं प्रचार की आक्रामक रणनीति या विपणन एजेन्टों की नियुक्ति हेतु कोई विपणन अभियान नहीं चलाया गया। इन होटलों में प्रत्येक वर्ष किराये के लिए उपलब्ध कमरों का आधिक्य होने के उपरान्त भी कम्पनी ने विज्ञापन पर 22,000 रुपये से 68,000 रुपये प्रतिवर्ष का नगण्य व्यय किया जो यह इंगित करता है कि इन होटलों की उन्नति/विपणन के कोई प्रयास नहीं किये गये। विपणन की कमी वृहत प्रभाव छोड़ती है विशेषकर जब सभी अन्य निजी होटल आक्रामक विपणन और अपने व्यापार प्रोत्साहन के लिए प्रयासरत हो।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि उसने बेहतर विपणन के लिये प्रचार एवं सड़क प्रदर्शन का निर्णय लिया है।

#### प्रस्तावित एकीकरण के कार्यान्वयन में विलम्ब

4.18.6 राज्य के केबिनेट द्वारा लिये गये निर्णय की पालना में निदेशक मंडल ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के साथ कम्पनी के विलय का अनुमोदन किया (फरवरी 2000) और विलय की कार्य योजना तैयार की। इस हेतु नियुक्त सलाहकार ने समामेलन की एक योजना प्रस्तुत की, जिस पर अभिलेखों पर आगे कोई प्रगति नहीं पायी गयी। कम्पनी ने बताया (मई 2006) कि विलय का कार्य प्रगति पर है, जो अनुमोदन के तीन-चार माह में पूर्ण हो जावेगा। इसी बीच निदेशक मंडल ने सैद्धान्त रूप से निजी भागीदारी, अर्थात् लीज/संयुक्त उधम/प्रबन्ध नियंत्रण आदि का प्रस्ताव अनुमोदित किया (दिसम्बर 2001)। इसका कार्यान्वयन भी नहीं किया गया तथा इसके कारण भी अभिलेख पर नहीं थे। यह भी देखा गया कि राजस्थान सरकार के व्यय सुधार आयोग ने कमजोर वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत

कम्पनी की सम्पदा का विनिवेश करने की संस्तुति की (जून 2005) किन्तु इस पर भी कार्यवाही प्रतीक्षित थी (मई 2006)।

इस प्रकार विलय या अन्य प्रकार से बदलाव की रणनीति के बारे में निर्णय लेने में असाधारण विलम्ब से, जारी यथा स्थिति को चिरस्थायी बना दिया गया।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 2006) कि सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के अभाव में निजी भागीदारी के निर्णय को लागू नहीं किया जा सका था।

### सारांश

कम्पनी विगत चार दशकों से जयपुर एवं उदयपुर में दो होटल चला रही थी और प्रमुखतया होटलों के कमरों का सही रखरखाव के अभाव के कारण कम निवासिता 18.22 से 25.06 प्रतिशत, अप्रभावी विपणन रणनीति, 1997-98 से 2004-05 की अवधि में आवासीय टैरिफ में संशोधन नहीं करना, बीयर व्यापार बंद करना और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर व्यय के कारण, लगातार घाटे में चल रही थी। कम्पनी का राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड में विलय के निर्णय में असाधारण विलम्ब, जो पिछले 6 वर्षों से लम्बित है, ने यथास्थिति को चिरस्थायी कर दिया और इसकी परिणति इसके कार्य में सुधार के किसी निर्देश की मनाही में हुई। राजस्थान सरकार का व्यय सुधार आयोग ने कम्पनी की सम्पदा का विनिवेश करने की सिफारिश की (जून 2005) किन्तु उस पर कार्यवाही प्रतीक्षित थी (मई 2006)। इस प्रकार सरकार/प्रबन्धन की निष्क्रियता के कारण कम्पनी अपनी वास्तविक क्षमता को प्राप्त नहीं कर सकी और दबाव में रही।

सरकारी कम्पनियों के वार्षिक प्रतिवेदनों का राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुति का अभाव/विलम्बित प्रस्तुति

राज्य विधान मंडल के समक्ष, वार्षिक प्रतिवेदनों की विलम्बित प्रस्तुति/प्रस्तुति के अभाव के कारण, कम्पनियों के कार्यकलाप की सूचना राज्य विधानमंडल को देने में कम्पनी/सरकार की विफलता।

4.19 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 ए (3) के अनुसार, जहाँ राज्य सरकार कम्पनी की एक सदस्य हो, वार्षिक सामान्य सभा(एजीएम), जिसमें लेखों की स्वीकृत किया गया हो, की दिनांक से तीन माह के अन्दर राज्य सरकार एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करवायेगी, जिसके साथ अंकेक्षण प्रतिवेदन और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणियाँ होगी। इस वार्षिक प्रतिवेदन में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 की आवश्यकता के अनुरूप

कम्पनी के कार्यकलाप पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, वर्षभर के वित्तीय विवरण और इस पर अंकेक्षक के प्रतिवेदन के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी/अनुपूरक टिप्पणी होती है। वार्षिक प्रतिवेदन की प्रस्तुति से राज्य विधानमंडल को यह अवसर मिलता है कि वे सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार प्रमुख हिस्सेदार है, के निष्पादन का गहराई से अवलोकन कर सके।

18 कम्पनियों के अवधि 2000-01 से 2004-05 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से विदित हुआ कि कम्पनी अधिनियम में वर्णित निर्धारित समय में विधानमंडल के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदनों के तैयार करने व प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए कम्पनियों द्वारा कोई उचित प्रक्रिया विकसित नहीं की गयी जिसके कारण कम्पनियों अपनी वार्षिक प्रतिवेदन को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रही।

सरकारी कम्पनियों के वार्षिक प्रतिवेदनों की विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुति में विलम्ब अवधि का विवरण अनुबन्ध-22 में दिया गया है।

अनुबन्ध से देखा गया कि :

- चार कम्पनियों (आरएसएचडीसी, आरआरवीयूएनएल, जेडीवीवीएनएल और एचपीजीएल) के अवधि 2000-01 से 2004-05 के वार्षिक प्रतिवेदन, राज्य विधान मंडल के समक्ष नहीं रखे गये, यद्यपि उनकी वार्षिक साधारण सभा की बैठक अनुबन्ध में उनके सामने अंकित तिथि को हो चुकी थी।
- चार कम्पनियों (आरएसएससी, आरएसएचसी, आरटीडीसी और एवीवीएनएल) की वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक की दो से चार वर्षों की अवधि तक राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी।
- अवधि 2000-01 से 2004-05 में कुल 18 कम्पनियों (16 कार्यरत और 2 अकार्यरत) में से 11 कम्पनियों के प्रकरण में, कम्पनी अधिनियम में राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदनों की प्रस्तुति हेतु निर्धारित की गयी तिथि से अनुबन्ध में दर्शाये अनुसार तीन से 35 माह तक का विलम्ब रहा (विधान मंडल का कार्यकाल न होने की अवधि अलग करते हुए)।

इस प्रकार राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदनों की विलम्बित प्रस्तुति/प्रस्तुति के अभाव के कारण कम्पनी/सरकार न केवल राज्य विधानमंडल को कम्पनियों की गतिविधियों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी देने में विफल रही, अपितु कम्पनी अधिनियम की विधिक आवश्यकता का उल्लंघन भी किया है।

आरआरवीपीएनएल के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कहा (जून 2006) कि सीएजी की टिप्पणियाँ प्राप्त होने के उपरान्त हिन्दी अनुवाद में काफी समय लग गया और भविष्य में अनुवाद के समय में अधिकतम कमी करके प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष समय पर प्रस्तुत की जा सकेगी।

जेवीवीएनएल के बारे में सरकार ने कहा (अक्टूबर 2006) कि हिन्दी रूपान्तरण के प्रस्तुति में लिये गये समय को 2003-04 और 2004-05 में काफी कम कर दिया गया है और अनुवाद में लगे समय को कम करने के प्रयास किये जावेंगे।

आरएसएचसीएल के सम्बन्ध में सरकार ने कहा (जून 2006) कि देरी, वार्षिक प्रतिवेदनों के अनुवाद नहीं होने के कारण थी और कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

आरएसजीएसएम के बारे में सरकार ने कहा (जुलाई 2006) कि प्रतिवेदनों को राज्य विधानमंडल के समक्ष समय पर प्रस्तुत करने के कम्पनी को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

आरएसआईसी, रीको और आरआरवीपीएनएल के बारे में सरकार ने कहा (जून/जुलाई 2006) कि तीन माह की अवधि वार्षिक प्रतिवेदनों के तैयार करने के लिए है न कि राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुति के लिए। रीको और आरएसआईसी के बारे में आगे कहा कि राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में कम्पनी की ओर से कोई विलम्ब नहीं था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलम्ब की अवधि की गणना, वार्षिक साधारण सभा की बैठक से प्रतिवेदन तैयार करने की तीन माह की अवधि को छोड़कर, की गयी है।

आरआईसीएल के सम्बन्ध में सरकार ने कहा (जून/अक्टूबर 2006) कि देरी वार्षिक प्रतिवेदन के अनुवाद में लगे समय के कारण थी। भविष्य में समय पर प्रस्तुति के प्रयास किये जावेंगे।

आरएसआरडीसीसी के 2000-01 और 2001-02 के लिए देरी को स्वीकारते हुए सरकार ने कहा (जून/अक्टूबर 2006) कि कम्पनी ने दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। जहाँ तक 2002-03 का सम्बन्ध है, देरी मुद्रण में विलम्ब के कारण थी।

इस प्रकार, सरकारी कम्पनियों के वार्षिक प्रतिवेदनों की विलम्बित प्रस्तुति/प्रस्तुति के अभाव के कारण विधानमंडल का इन कम्पनियों पर अपने वित्तीय नियंत्रण के लिए इन कम्पनियों से सम्बन्धित सूचना जो कि संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक थी से वंचित रहना पड़ा।

**वित्तीय विवरणों के तैयार करने में लेखांकन मानकों की सतत पालना का अभाव**

4.20 लेखांकन मानक (ए एस) लेखांकन के वे स्वीकृत मानक हैं जो भारत के सनदी लेखाकारों की संस्था और लेखांकन मानकों पर बनी राष्ट्रीय सलाहकार समिति की सलाह पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये गये हैं। एएस लागू करने का उद्देश्य कम्पनियों के मानक लेखांकन पद्धति को ग्रहण करने में सहायता करना था ताकि वार्षिक लेखे, व्यवहारों की सही व स्वच्छ छवि प्रस्तुत कर सके और विभिन्न कम्पनियों के मुद्रित वित्तीय विवरणों में निहित सूचना की तुलना करने में आसानी हो सके।

कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रत्येक कम्पनी को एएस के अनुसार वित्तीय विवरण (लाभ व हानि खाता और बैलेन्स सीट) बनाना आवश्यक है। यदि कम्पनी के वित्तीय विवरण एएस के अनुरूप नहीं है तो कम्पनी अपने वित्तीय विवरणों में लेखांकन के मानकों से विचलन का उल्लेख करते हुए विचलन का कारण तथा इसका वित्तीय प्रभाव बतायेगा। 21 सरकारी कम्पनियों में से 16 कार्यरत कम्पनियों के 31 मार्च 2005 तक पाँच वर्ष की अवधि के वित्तीय विवरणों व इस पर सांविधिक अंकेक्षक की प्रतिवेदन की समीक्षा से विदित हुआ कि सभी कम्पनियों के द्वारा लेखांकन मानकों की पालना का न केवल लगातार अभाव था, अपितु विचलन के कारणों और वित्तीय प्रभाव को भी नहीं बतलाया गया। अनुबन्ध-23ए में कम्पनियों व उल्लेखित एएस का विवरण दिया गया है और अनुबन्ध-23बी में प्रत्येक कम्पनी के विनिर्दिष्ट उल्लंघन को दर्शाया है।

अनुबन्ध से यह देखा गया कि सभी 16 कम्पनियों ने लगातार एक या अधिक लेखांकन मानकों का उल्लंघन किया। कम्पनियों के प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा के द्वारा बतलाने पर भी पालना के अभाव को सही करने की कार्यवाही नहीं की।

**लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई अनुसरण की कार्यवाही**

**लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुच्छेदों पर बकाया विभागीय प्रत्युत्तर**

4.21 विभिन्न सरकारी कार्यालयों, विभागों में संधारित अभिलेखों और लेखों पर प्रारम्भिक निरीक्षण के साथ प्रारम्भ लेखा परीक्षा संवीक्षा की चरम स्थिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के रूप में होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित व समय पर प्रत्युत्तर प्राप्त किया जावे। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किये थे कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल सभी अनुच्छेदों एवं समीक्षाओं पर उनके विधानमंडल में प्रस्तुति के तीन माह के अन्दर लिये गये

अथवा लिये जाने वाले सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्यवाही पर लेखापरीक्षा से जाँच करा कर विस्तृत टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें।

वर्ष 2004-05 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन यद्यपि 10 मार्च 2006 को विधानमंडल में प्रस्तुत कर दिया गया किन्तु इसमें लिये गये 97 अनुच्छेदों में से 32 अनुच्छेदों पर सम्बन्धित विभागों ने सितम्बर 2006 तक कोई व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की।

#### निरीक्षण प्रतिवेदनों, ड्राफ्ट पैराज और समीक्षाओं पर प्रत्युत्तर

4.22 लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये लेखापरीक्षा आक्षेपों जिनका तुरन्त निपटारा नहीं हो सकता, निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग और सम्बन्धित पीएसयूज के प्रमुखों को भेजा जाता है। पीएसयूज प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन पर अपने प्रत्युत्तर को 6 सप्ताह की अवधि में सम्बन्धित विभाग के प्रमुख के माध्यम से भिजवाना होता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा आक्षेपों के अनुश्रवण में सहायता के लिए एक अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट प्रमुख सचिव/सचिव जिनसे बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित हो, को भेजी जाती है।

20 पीएसयूज से सम्बन्धित मार्च 2006 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की सितम्बर 2006 के अन्त पर विद्यमान स्थिति के अनुसार 953 निरीक्षण प्रतिवेदनों में 2878 अनुच्छेद, जिनमें 2345.38 करोड़ की राशि सन्निहित थी, बकाया थे, जिनमें से 10 निरीक्षण प्रतिवेदनों जिनमें 16 अनुच्छेद सम्मिलित थे पर दो वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ तक कि 7 पीएसयूज से सम्बन्धित 137 अनुच्छेदों पर प्रारम्भिक प्रत्युत्तर तक प्राप्त नहीं हुए। अनुबन्ध-24 में सितम्बर 2006 को निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आक्षेपों की विभागवार स्थिति दी गयी है। बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निस्तारण के लिए 26 विभागों में से 13 में आडिट कमेटी बना दी गयी है। 1999-2006 की अवधि में आडिट कमेटी की 67 बैठके हो चुकी थी जिनमें बकाया पैरों की स्थिति पर प्रत्युत्तर और उत्तरदायित्वता सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्धन/प्रशासनिक विभाग से विचार विमर्श किया गया।

इसी प्रकार पीएसयूज की कार्यस्थिति पर ड्राफ्ट पैराज और समीक्षाओं को सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को अर्द्ध सरकारी पत्र के द्वारा प्रेषित कर छः सप्ताह की अवधि में तथ्य व आँकड़े सत्यापित करने व टिप्पणी प्रेषित करने का आग्रह किया जाता है। सभी समीक्षाओं पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा समिति में विचार विमर्श किया जाता है। यह पाया गया मार्च से अगस्त 2006 के दौरान सात ड्राफ्ट पैराज, जिनका विवरण अनुबन्ध-25 में दिया



है, को विभिन्न विभागों को प्रेषित किया गया किन्तु प्रत्युत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2006)।

सरकार से यह सुनिश्चित करने की संस्तुति की जाती है कि (अ) निरीक्षण प्रतिवेदनों/ड्राफ्ट पैराज/समीक्षाओं और कोपू की सिफारिशों के एटीएन पर निर्धारित समय सारणी के अनुरूप प्रत्युत्तर देने में विफल रहने वाले कार्मिकों पर कार्यवाही की व्यवस्था हो; (ब) हानि/अग्रिम बकाया/अधिक भुगतान को एक निर्धारित समय में वसूल करने की कार्यवाही की जावे; और (स) लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रत्युत्तर देने की प्रणाली का पुनर्गठन किया जावे।

सरोज पुनहानि

जयपुर  
दिनांक

(सरोज पुनहानि)  
महालेखाकार

0 सितम्बर 2006

(वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

वि. न. कौल


नई दिल्ली  
दिनांक

7 सितम्बर 2006

(विजयेन्द्र नाथ कौल)  
भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

अनुबन्ध



अनुबन्ध-1

(अनुच्छेद संख्या 1.2, 1.5 तथा 1.16 में सन्दर्भित)

31 मार्च 2006 को सरकारी कम्पनियों व सांविधिक निगमों की अद्यतन प्रदत्त पूंजी, बजट जावक, बजट से दिये ऋण तथा बकाया ऋणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(कॉलम 3(क) से 4(च) को राशि लाख रूपयों में)

क्र. सं.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण	2005-06 की समाप्ति पर बकाया ऋण*			2005-06 में ऋण इक्विटी अनुपात (पूर्व वर्ष) 4(च)/3(ड.)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	धारक कम्पनियाँ	अन्य	योग	इक्विटी	ऋण		सरकार	अन्य	योग	
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ड.)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ड.)	4(च)	5
<b>क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ</b>													
<b>कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र</b>													
1	राजस्थान जल विकास निगम लि.	127.00	-	-	-	127.00	-	-	-	-	-	-	-
2	राजस्थान राज्य बीज निगम लि.	633.00	103.93	-	20.84	757.77	-	-	-	-	-	-	-
	<b>क्षेत्रवार योग</b>	<b>760.00</b>	<b>103.93</b>	<b>-</b>	<b>20.84</b>	<b>884.77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>उद्योग क्षेत्र</b>													
3	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लि.	20440.2	-	-	-	20440.20 (528.18)	528.18	-	-	1033.68	13686.63	14720.31	0.72:01 (1.78:1)
4	राजस्थान लघु उद्योग निगम लि.	514.39	27.00	-	5.01	546.40	-	-	-	68.66	-	68.66	0.13:1 (0.15:1)
	<b>क्षेत्रवार योग</b>	<b>20954.59</b>	<b>27.00</b>	<b>-</b>	<b>5.01</b>	<b>20986.6 (528.18)</b>	<b>528.18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1102.34</b>	<b>13686.63</b>	<b>14788.97</b>	
<b>हाथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र</b>													
5	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लि.	560.00	-	-	55.00	615.00	-	-	-	1559.00	42.46	1601.46	2.60:1 (2.50:1)
<b>खनन क्षेत्र</b>													
6	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि.	7754.15	-	-	1.00	7755.15	-	-	-	-	3805.23	3805.23	0.49:1 (0.68:1)

(1)	(2)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ.)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ.)	4(च)	5
निर्माण													
7	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लि.	1000.00	-	-	-	1000.00	-	-	1580.00	9458.31	-	9458.31	9.46:1 (15.44:1)
8	राजस्थान शहरी ढांचा वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	300.00	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>क्षेत्रवार योग</b>	<b>1300.00</b>				<b>1300.00</b>			<b>1580.00</b>	<b>9458.31</b>		<b>9458.31</b>	
राज्य उत्पाद													
9	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि.	360.33	-	-	4.40	364.73	-	-	-	-	-	-	(0.80:1)
10	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-
	<b>क्षेत्रवार योग</b>	<b>560.33</b>			<b>4.40</b>	<b>564.73</b>							
पर्यटन													
11	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लि.	146.22	-	-	-	146.22	-	-	-	10.00	-	10.00	0.07:1 (0.07:1)
12	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि.	1845.49	-	-	-	1845.49	-	-	-	45.00	-	45.00	0.02:1 (0.09:1)
	<b>क्षेत्रवार योग</b>	<b>1991.71</b>				<b>1991.71</b>				<b>55.00</b>		<b>55.00</b>	
ऊर्जा													
13	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि.	1294.11	-	-	-	1294.11 (10.00)	10.00	-	888.20	-	7830.89	7830.89	6.05:1 (5.96:1)
14	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	210659.00	-	-	-	210659.00 (13100.00)	33100.00	-	256905.00	13807.00	458515.89	472322.89	2.24:1 (2.00:1)
15	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.	72400.00	-	-	-	72400.00	7000.00	1670.84	46050.00	30646.00	217264.00	247910.00	3.42:1 (3.51:1)

(1)	(2)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ.)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ.)	4(च)	5
16	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.	31000.00	-	-	-	31000.00	8000.00	-	10548.56	16421.50	98808.79	115230.29	3.72:1 (4.23:1)
17	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.	27700.00	-	-	-	27700.00	7400.00	4377.00	23930.30	9933.00	85549.00	95482.00	3.45:1 (4.23:1)
18	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.	31250.00	-	-	-	31250.00	7550.00	11647.69	21762.29	37644.82	73768.36	111413.18	3.57:1 (4.00:1)
	क्षेत्रवार योग	374303.11				374303.11 (13110.00)	63060.00	17695.53	360084.35	108452.32	941736.93	1050189.25	
	योग क - कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ	408183.89	130.93		86.25	408401.07 (13638.18)	63588.18	17695.53	361664.35	120626.97	959271.25	1079898.22	
ख. कार्यरत सांविधिक निगम													
परिवहन													
1	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	19323.50	2682.75	-	-	22006.25	-	-	-	1085.16**	16258.91	17344.07	0.79:1 (0.67:1)
वित्त													
2	राजस्थान वित्त निगम	5870.60	-	-	2281.85	8152.45	-	-	18750.00	3210.10	71094.30	74304.40	9.11:1 (7.53:1)
कृषि एवं समवर्गी													
3	राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम	392.63	-	-	392.63	785.26	-	-	-	-	-	-	(0.1:1)
	योग ख - कार्यरत सांविधिक निगम	25586.73	2682.75	-	2674.48	30943.96	-	-	18750.00	4295.26	87353.21	91648.47	
	कुल योग (क+ख)	433770.62	2813.68	-	2760.73	439345.03 (13638.18)	63588.18	17695.53	380414.35	124922.23	1046624.46	1171546.69	
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र													
1	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लि.	600.73	-	-	-	600.73	-	-	-	33.40	200.00	233.40	0.39:1 (0.39:1)
2	राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लि.	15.69	271.90	-	-	287.59	-	-	-	-	-	-	-
	क्षेत्रवार योग	616.42	271.90			888.32				33.40	200.00	233.40	-

(1)	(2)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ.)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ.)	4(च)	5
	अभियांत्रिकी क्षेत्र												
3	हाईटेक प्रिंसीजन ग्लास लि.	7.60	-	-	0.05	7.65	-	-	-	11.08	-	11.08	1.45:1 (1.45:1)
	इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र												
4	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (क्र.सं. क(3) की सहायक कंपनी)	-	-	30.00	-	30.00	-	-	-	-	187.88	187.88	6.26:1
	खनन क्षेत्र												
5	राजस्थान राज्य ग्रेनाइट्स एवं मार्बल लिमिटेड (क्र.सं. क(6) की सहायक)	-	-	19.00	-	19.00	-	-	-	-	21.01	21.01	1.11:1 (1.11:1)
	कुल योग (ग)	624.02	271.90	49.00	0.05	944.97				44.48	408.89	453.37	
	कुल योग (क+ख+ग)	434394.64	3085.58	49.00	2760.78	440290.00 (13,638.18)	63588.18	17695.53	380414.35	124966.71	1047033.35	1172000.06	

\* 2005-06 की समाप्ति पर बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋणों के द्योतक हैं।

\*\* यह राशि कॉरपस फण्ड को दर्शाती है।

- टिप्पणी : 1. उन कम्पनियों व सांविधिक निगमों (क्र.सं. क-1, 2, 4, 6, 7, 9, 13 से 18, ख-2, 3, ग-2 से 4), जिन्होंने अपने 2005-06 के लेखों को अंतिम रूप दे दिया था, को छोड़कर दिये गये आंकड़े अनन्तिम हैं तथा कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं।
2. कार्यरत पीएसयूज में राज्य सरकार का निवेश 5586.93 करोड़ रुपये (अन्य : 10521.99 करोड़ रुपये) था। वित्त लेखे 2005-06 के अनुसार कुल निवेश 6324.90 करोड़ रुपये था। अन्तर का मिलान किया जा रहा है।
3. कॉलम संख्या 5 के कोष्ठक में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।
4. कॉलम संख्या 3(ङ.) में कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े अंश आवेदन राशि के द्योतक हैं।



अनुबन्ध-2

(अनुच्छेद संख्या 1.6, 1.7, 1.8, 1.13, 1.19 तथा 1.20 में सन्दर्भित)

सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष जिसके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(कॉलम संख्या 7 से 12 व 15 की राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन की दिनांक	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया था	शुद्ध लाभ (+)/ शुद्ध हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	बकाया लेखे वर्ष में	टर्मओवर	जनशक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ															
कृषि एवं समवर्गी															
1	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	कृषि	25 जनवरी, 1984	2005-06	2006-07	(-)3.24	-	127.00	74.00	204.62	(-)3.24	-	-	333.09	38
2	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	कृषि	28 मार्च, 1978	2005-06	2006-07	915.31	-	757.77	2584.37	3331.3	922.76	27.70	-	5264.44	216
	क्षेत्रवार योग					912.07		884.77	2658.37	3535.92	919.52			5597.53	
उद्योग क्षेत्र															
3	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	उद्योग	28 मार्च, 1969	2004-05	2005-06	2903.21	-	19912.02	1404.81	60974.96	9163.32	15.03	1	22306.76	उ.न.
4	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	उद्योग	3 जून, 1961	2005-06	2006-07	(-)133.41	-	546.40	(-)133.41	1480.80	(-)113.94	-	-	12044.43	335
	क्षेत्रवार योग					2769.80		20458.42	1271.4	62455.76	9049.38			34351.19	
हाथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र															
5	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	3 मार्च, 1984	2004-05	2005-06	(-)342.85	-	615.00	(-)4200.84	(-)1898.3	(-)147.19	-	1	324.43	उ.न.

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
खनन क्षेत्र															
6	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	खान	7 मई 1947 (जून 1973 से सरकारी कम्पनी)	2005-06	2006-07	13922.33	-	7755.15	25770.39	41118.85	14249.45	34.65	-	54116.08	2147
निर्माण															
7	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	निर्माण	8 फरवरी, 1979	2005-06	2006-07	98.91	लाभ 1.12 करोड़ रुपये से अधिक दिखाया गया	1000.00	-	12673.88	317.84	2.51	-	2367.40	333
8	राजस्थान शहरी ढांचा वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	स्थानीय निकाय	1 दिसम्बर, 2004	2004-05	2005-06	(-).3.19	-	300.00	(-).3.19	293.47	(-).3.19	-	1	-	उ.न.
क्षेत्रवार योग						95.72		1300	(-).3.19	12967.35	314.65			2367.40	
राज्य उत्पाद															
9	राजस्थान राज्य गंगानगर शूगर मिल्स लिमिटेड	वित्त	1 जुलाई, 1956	2005-06	2006-07	462.03	-	364.73	0.03	1384.29	485.51	35.07	-	14499.3	2076
10	राजस्थान राज्य ब्रेवरीज निगम लिमिटेड	वित्त	24 फरवरी 2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	उ.न.
क्षेत्रवार योग						462.03		364.73	0.03	1384.29	485.51			14499.3	
पर्यटन															
11	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	पर्यटन	7 जून, 1965	2004-05	2005-06	(-).68.03	-	146.22	(-).268.94	(-).15.59	(-).62.53	-	1	173.53	81
12	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	24 नवम्बर, 1978	2004-05	2005-06	(-).73.68	लाभ 18.06 लाख रुपये से अधिक दिखाया गया	1845.49	(-).265.48	2590.35	(-).66.20	-	1	3039.21	1240
क्षेत्रवार योग						(-).141.71		1991.71	(-).534.42	2574.76	(-).128.73			3212.74	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	ऊर्जा														
13	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	ऊर्जा	6 अप्रैल, 1995	2005-06	2006-07	538.16	टिप्पणियों को अन्तिम रूप दिया जा रहा था	1294.11	943.65	11927.74	1252.60	10.50	-	1647.06	64
14	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	ऊर्जा	19 जून, 2000	2005-06	2006-07	-	टिप्पणियों को अन्तिम रूप दिया जा रहा था	210659.00	-	682239.37	39792.58	5.83	-	348338.15	2850
15	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	ऊर्जा	19 जून, 2000	2005-06	2006-07	-	टिप्पणियों को अन्तिम रूप दिया जा रहा था	72400.00	-	393144.52	17658.04	4.49	-	70679.56	8207
16	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	ऊर्जा	19 जून, 2000	2005-06	2006-07	-	टिप्पणियों को अन्तिम रूप दिया जा रहा था	31000.00	-	330035.16	16785.93	5.09	-	255862.69	17240
17	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	ऊर्जा	19 जून, 2000	2005-06	2006-07	-	टिप्पणियों को अन्तिम रूप दिया जा रहा था	27700.00	-	315744.81	18103.01	5.73	-	171193.98	9650
18	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	ऊर्जा	19 जून, 2000	2005-06	2006-07	-	टिप्पणियों को अन्तिम रूप दिया जा रहा था	31250.00	-	297907.18	18421.64	6.18	-	200762.56	12543
	क्षेत्रवार योग					<b>538.16</b>		<b>374303.11</b>	<b>943.65</b>	<b>2030998.78</b>	<b>112013.80</b>			<b>1048484.00</b>	
	योग क-कार्यरत सरकारी कम्पनियों					<b>18215.55</b>		<b>407672.89</b>	<b>25905.39</b>	<b>2153137.41</b>	<b>136756.39</b>			<b>1162952.67</b>	
<b>ख. कार्यरत सांविधिक निगम</b>															
	परिवहन														
1	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	1 अक्टूबर, 1964	2004-05	2005-06	(-463.13)	हानि 7.89 करोड़ रुपये से कम दर्शाई गई	22006.25	(-34548.76)	3378.32	1012.37	-	1	77548.39	उ.न.
	वित्त														
2	राजस्थान वित्त निगम	उद्योग	17 जनवरी, 1955	2005-06	2006-07	1035.33	टिप्पणियों को अन्तिम रूप दिया जा रहा था।	8152.45	(-6247.89)	82919.38	8078.92	9.74	-	16654.96	900
<b>कृषि तथा समवर्गी</b>															
3	राजस्थान राज्य भण्डारण व्यवस्था निगम	कृषि	30 दिसम्बर, 1957	2005-06	2006-07	2749.70	-	785.26	-	9328.09	2751.20	29.49	-	4523.62	520
	योग ख-कार्यरत सांविधिक निगम					<b>3321.90</b>		<b>30943.96</b>	<b>(-40796.65)</b>	<b>95625.79</b>	<b>11842.49</b>			<b>98726.97</b>	
	कुल योग (क+ख)					<b>21537.45</b>		<b>438616.85</b>	<b>(-14891.26)</b>	<b>2248763.20</b>	<b>148598.88</b>			<b>1261679.64</b>	

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ															
कृषि तथा समवर्गी क्षेत्र															
1	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	कृषि	1 अगस्त, 1969	2004-05	2005-06	(-) 126.12	-	600.73	(-) 4082.09	(-) 2001.54	(-) 5.1	-	1	-	उ.न.
2	राजस्थान राज्य डेंयरी विकास निगम लिमिटेड	डेंयरी	31 मार्च, 1975	2005-06	2006-07	(-) 0.27	-	287.59	(-) 19.10	268.49	(-) 0.27	-	-	-	उ.न.
क्षेत्रवार योग						(-) 126.39	-	888.32	4101.19	(-) 1733.05	(-) 5.37	-	-	-	-
अभियांत्रिकी क्षेत्र															
3	हाई-टेक प्रिंसीजन ग्लास लिमिटेड	वित्त	18 मार्च, 1963	2005-06	2006-07	(-)0.02	-	7.65	(-)18.66	0.26	0.95	365	-	-	उ.न.
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र															
4	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (क्र.सं. क(3) की सहायक)	इलेक्ट्रॉनिक्स	23 जनवरी, 1985	2005-06	2006-07	(-)5.03	-	30.00	(-)304.65	(-)78.12	(-)5.03	-	-	-	-
खनन क्षेत्र															
5	राजस्थान राज्य ग्रेनाइट्स एवं मार्बल्स लिमिटेड (क्र.सं. क(6) की सहायक)	खान	2 फरवरी, 1977	1997-98	1998-99	(-)0.11	-	19.00	(-)50.72	(-)10.71	(-)0.11	-	अगस्त 1999 में परिसमापनाधीन है	-	उ.न.
योग-ग अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ						(-)131.55	-	944.97	(-)4475.22	(-)1821.62	(-)9.56	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)						21405.90	-	439561.82	(-)19366.48	2246941.58	148589.32	-	-	-	1261679.64

(क) नियोजित पूंजी शुद्ध स्थायी सम्पत्तियों (निर्माणाधीन पूंजीगत कार्यों को सम्मिलित करते हुये) तथा कार्यशील पूंजी के योग की द्योतक है, वित्तीय कम्पनियों एवं निगमों को छोड़कर जहाँ नियोजित पूंजी, प्रदत्त पूंजी, मुक्त संचय, बॉण्ड्स, जमा तथा उधारियाँ (पुनर्वित्त सहित) के प्रारम्भिक एवं अंतिम शेष के मध्यमान से निकाली गई है।

(ख) क्रम संख्या ग (5) कम्पनी 31 मार्च 2006 को परिसमापनाधीन है।

(ग) राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड में सनदी लेखाकार की नियुक्ति की जानी है।

अनुबन्ध-3

(अनुच्छेद संख्या 1.5 में सन्दर्भित)

वर्ष के दौरान प्राप्त अर्थ-साहाय्य, प्राप्त गारण्टी, देयताओं का अधित्याग, ऋण वसूली के स्थगन की अनुमति, इक्विटी में परिवर्तित ऋणों तथा मार्च 2006 के अन्त में प्राप्य अर्थ-साहाय्य तथा बकाया गारण्टियों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(कालम 3 (क) से 7 तक की राशि लाख रुपयों में)

क्रम सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त अर्थ-साहाय्य				वर्ष के दौरान प्राप्त तथा वर्ष के अन्त में बकाया गारण्टी**					वर्ष के दौरान देयताओं का अधित्याग				ऋण जिनकी वसूली के स्थगन की अनुमति दी गई	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ऋण
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	बैंकों से नकद साख	अन्य स्त्रोतों से ऋण	आयात के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा खोले गये साख-पत्र	विदेशी परामर्शकों अथवा ठेकेदारों को अनुबन्ध के अन्तर्गत देय भुगतान	योग	ऋणों के पुनर्भुगतान का अपलेखन	ब्याज अधित्याग	दण्डात्मक ब्याज का अधित्याग	योग		
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ.)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)
<b>क. कार्यरत सरकारी कम्पनियों</b>																
1.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	11.77	2120.4	-	2132.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	1226.8 2	350.00	-	1576.82	-	(13549.25)	-	-	(13549.25)	-	-	-	-	-	-
3.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	32.00	110.00	-	142.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	109.30	269.72	-	379.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	(6092.67)	-	-	(6092.67)	-	-	-	-	-	-
6.	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	7.02	-	-	7.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	-	1912.62	-	1912.62	-	63,500.00	-	-	63,500.00	-	-	-	-	-	-
							(393497.00)			(393497.00)						
8.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	-	360.29	-	360.29	-	65009.00	-	-	65009.00	-	-	-	-	-	-
							(224713.00)			(224713.00)						

(1)	(2)	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ.)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)
9.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-	19515.52	11103.49	30619.01	-	90532.00	-	-	90532.00	-	-	-	-	10666.58	-
							(162,518.00)			(162518.00)						
10.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-	37728.25	-	37728.25	-	100160.00	-	-	100160.00	-	-	-	-	-	-
							(166457.00)			(166457.00)						
11.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	-	42032.50	-	42032.50	-	108975.00	-	-	108975.00	-	-	-	-	82832.67	-
							(165,584.00)			(165,584.00)						
	योग क	1386.91	104399.30	11103.49	116889.70	-	428176.00	-	-	428176.00	-	-	-	-	93499.25	0.00
							(1,132,410.92)			(1,132,410.92)						
<b>ख. कार्यरत सांविधिक निगम</b>																
1.	राजस्थान वित्त निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-
							(21052.50)			(21,052.50)						
	योग ख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							(21052.50)			(21052.50)						
	कुल योग क + ख	1386.91	104399.30	11103.49	116889.70	0.00	428176.00	0.00	0.00	428176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93499.25	0.00
						0.00	(1,153,463.42)			(1153463.42)						

\*\* कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े वर्ष के अन्त में बकाया गारण्टी की राशि दर्शाते हैं।

टिप्पणी : उन कम्पनियों व सांविधिक निगमों (क्र.सं. क-1, 3, 4, 5, 7 से 11; ख-1), जिन्होंने अपने 2005-06 के लेखों को अंतिम रूप दे दिया था, को छोड़कर दिये गये आंकड़े अनन्तिम हैं तथा कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं।

अनुबन्ध-4				
(अनुच्छेद 1.7 में सन्दर्भित)				
सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र				
कार्यरत सांविधिक निगम				
(करोड़ रुपयों में)				
क्र. सं.	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06 (अनन्तिम)
1	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम			
	क. देयताएँ			
	पूँजी (पूँजी ऋण तथा इक्विटी पूँजी सहित)	220.06	220.06	220.06
	उधारियाँ			
	(सरकार)	-	-	-
	(अन्य)	198.90	148.53	173.44
	निधियाँ*	4.77	4.82	4.89
	व्यापारिक बकाया व अन्य चालू देयताएँ (प्रावधान सहित)	294.39	257.26	288.95
	योग क	718.12	630.67	687.34
	ख. सम्पत्तियाँ			
	सकल ब्लाक	449.95	438.28	465.92
	घटायें : मूल्य हास	228.33	229.64	241.83
	शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ	221.62	208.64	224.09
	निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य (चेसिस की लागत सहित)	0.53	1.50	1.49
	विनिवेश	74.18	0.14	0.32
	चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	80.93	74.90	85.81
	संचित हानियाँ	340.86	345.49	375.63
	योग ख	718.12	630.67	687.34
	ग. नियोजित पूँजी <sup>1</sup>	13.19	33.78	(-) <sup>30.24</sup>

\* मूल्य हास निधियों को अलग करते हुये।

<sup>1</sup> नियोजित पूँजी, शुद्ध स्थायी सम्पत्तियों (निर्माणाधीन कार्य समेत) तथा कार्यशील पूँजी के योग की छोटक है।

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06 (अनन्तिम)
2	राजस्थान वित्त निगम			
क.	देयताएँ			
	प्रदत्त पूंजी	67.52	67.52	81.52
	अंश आवेदन राशि	-	14.00	-
	संचित निधि तथा अन्य संचय एवं अधिशेष	45.15	47.16	51.15
	उधारियाँ :			
	(i) बॉण्ड व ऋण-पत्र	283.05	264.05	210.53
	(ii) सावधि जमाये	-	-	-
	(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	315.45	405.23	454.32
	(iv) भारतीय रिजर्व बैंक	-	-	-
	(v) अंश पूंजी के बदले में ऋण:			
	(अ) राज्य सरकार	13.95	13.95	13.95
	(ब) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	9.60	9.60	9.60
	(vi) अन्य (राज्य सरकार सहित)	37.97	49.46	64.65
	अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	211.55	202.11	209.58
	<b>योग क</b>	<b>984.24</b>	<b>1073.08</b>	<b>1095.30</b>
ख.	सम्पत्तियाँ			
	नगद एवं बैंक शेष	57.20	95.85	47.35
	विनिवेश	0.06	0.06	0.06
	ऋण एवं अग्रिम	773.65	825.91	906.50
	शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ	3.72	5.27	4.09
	अन्य सम्पत्तियाँ	50.83	49.89	47.55
	विविध व्यय	98.78	96.10	89.75
	<b>योग ख</b>	<b>984.24</b>	<b>1073.08</b>	<b>1095.30</b>
ग.	नियोजित पूंजी*	<b>724.55</b>	<b>775.68</b>	<b>829.19</b>

\* नियोजित पूंजी, प्रदत्त पूंजी, पूंजी के बदले में ऋण, सीड मनी, ऋण-पत्र, संचय (बाहरी निवेश से समर्थित विशेष रूप से जमा निधियों के अतिरिक्त), बॉण्ड्स जमाएँ तथा उधारियाँ (पुनर्वित्त सहित) के प्रारम्भिक एवं अंतिम शेष के मध्यमान की द्योतक है। मुक्त संचय एवं अधिशेष लाभ हानि खाते के डेबिट शेष की सीमा तक कम कर दिये गये हैं।



क्र. सं.	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06 (अनन्तिम)
3.	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम			
क.	देयताएँ			
	प्रदत्त पूँजी	7.85	7.85	7.85
	संचय तथा अधिशेष	60.94	67.23	85.43
	उधारियों :			
	(सरकार)	0.48	0.11	-
	(अन्य)	-	1.00	-
	व्यापारिक बकाया तथा अन्य चालू देयताएँ (प्रावधानों सहित)	9.59	8.57	14.14
	योग क	78.86	84.76	107.42
ख.	सम्पत्तियाँ			
	सकल ब्लॉक	56.65	60.97	63.01
	घटाये : मूल्य ह्रास	18.43	20.46	22.54
	शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ	38.22	40.51	40.47
	निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	1.38	0.29	1.47
	चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	39.26	43.96	65.48
	लाभ-हानि खाता	-	-	-
	योग ख	78.86	84.76	107.42
ग.	नियोजित पूँजी**	69.27	76.20	93.28

\*\* नियोजित पूँजी, शुद्ध स्थायी सम्पत्तियों (निर्माणाधीन कार्य समेत) तथा कार्यशील पूँजी के योग की द्योतक है।

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

अनुबन्ध-5				
(अनुच्छेद 1.7 में सन्दर्भित)				
सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र				
कार्यरत सांविधिक निगम				
(करोड़ रुपयों में)				
क्र.सं.	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06 (अन्तिम)
<b>1</b>	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम			
<b>(1)</b>	परिचालन :			
(क)	राजस्व	701.11	749.87	851.59
(ख)	व्यय	738.17	812.97	905.62
(ग)	अधिशेष(+)/घाटा(-)	-37.06	-63.10	-54.03
<b>(2)</b>	अपरिचालन :			
(क)	राजस्व	20.48	25.61	25.33
(ख)	व्यय*	21.04	-32.85	1.44
(ग)	अधिशेष(+)/घाटा(-)	-0.56	58.46	23.89
<b>(3)</b>	योग			
(क)	राजस्व	721.59	775.48	876.92
(ख)	व्यय	759.21	780.11	907.06
(ग)	शुद्ध लाभ(+)/हानि(-)	(-)37.62	(-)4.63	(-)30.14
<b>(4)</b>	पूंजी एवं ऋणों पर ब्याज	14.32	14.75	13.64
<b>(5)</b>	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	(-)23.30	10.12	(-)16.50

\* राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखों में परिचालन व अपरिचालन व्यय को अलग से नहीं दिखाया गया है। अतः अपरिचालन व्यय के अन्तर्गत केवल पूर्वाविधि समायोजन को ही दर्शाया गया है।

		(करोड़ रुपये में)		
क्र.सं.	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06 (अनन्तिम)
2	राजस्थान वित्त निगम			
(1)	आय:			
(क)	ऋणों पर ब्याज	112.78	134.56	168.23
(ख)	अन्य आय	11.55	7.07	8.36
	कुल आय	124.33	141.63	176.59
(2)	व्यय:			
(क)	दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज	70.28	69.46	70.44
(ख)	अन्य खर्चे	49.28	67.24	94.70
	कुल व्यय	119.56	136.70	165.14
(3)	कर से पूर्व लाभ	4.76	4.93	11.45
(4)	कर के लिए प्रावधान	-	-	0.50
(5)	अन्य विनियोग	1.76	4.68	10.35
(6)	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि <sup>@</sup>	-	-	-
(7)	लाभांश	-	-	-
(8)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	72.04	74.26	80.79
(9)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	9.90	9.57	9.74

<sup>@</sup> यह विशिष्ट संचय व कर प्रावधान के बाद लाभांश हेतु उपलब्ध चालू वर्ष के लाभ का द्योतक है।

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

(करोड़ रुपये में)				
क्र.सं.	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06 (अनन्तिम)
<b>3</b>	<b>राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम</b>			
<b>(1)</b>	<b>आय:</b>			
	(क) भण्डार प्रभार	12.16	18.83	45.24
	(ख) अन्य आय	3.00	3.01	3.19
	<b>कुल आय</b>	<b>15.16</b>	<b>21.84</b>	<b>48.43</b>
<b>(2)</b>	<b>व्यय:</b>			
	(क) स्थापना प्रभार	7.99	7.94	8.78
	(ख) अन्य खर्चे	5.16	4.97	11.94
	<b>कुल व्यय</b>	<b>13.15</b>	<b>12.91</b>	<b>20.72</b>
<b>(3)</b>	<b>कर से पूर्व लाभ(+)/हानि(-) (1-2)</b>	<b>2.01</b>	<b>8.93</b>	<b>27.71</b>
<b>(4)</b>	<b>अन्य विनियोग</b>	<b>1.00</b>	<b>2.92</b>	<b>7.30</b>
<b>(5)</b>	<b>लाभांश हेतु उपलब्ध राशि</b>	<b>0.79</b>	<b>0.79</b>	<b>1.96</b>
<b>(6)</b>	<b>वर्ष का लाभांश</b>	<b>0.79</b>	<b>0.79</b>	<b>1.96</b>
<b>(7)</b>	<b>नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल</b>	<b>(-)32.7</b>	<b>9.21</b>	<b>27.51</b>
<b>(8)</b>	<b>नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता</b>	<b>-</b>	<b>12.09</b>	<b>29.49</b>

अनुबन्ध-6				
(अनुच्छेद संख्या 1.12 में सन्दर्भित)				
सांविधिक निगमों के परिचालन निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण-पत्र				
कार्यरत सांविधिक निगम				
1. राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम				
क्र.सं.	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06 (अनन्तिम)
1	उपलब्ध वाहनों की औसत संख्या	4465	4348	4373
2	मार्ग पर चालू वाहनों की औसत संख्या	4184	4173	4207
3	वाहनों के उपयोग की प्रतिशतता	94	96	96
4	कर्मचारियों की संख्या	23251	22651	22369
5	कर्मचारी वाहन अनुपात	5.21:1	5.21:1	5.12:1
6	वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की संख्या	2722	2800	2780
7	मार्ग किलोमीटर	475640	495547	515457
8	परिचालित किलोमीटर (लाख में)			
(क)	सकल	5269.41	5311.32	5793.62
(ख)	प्रभावी	5104.67	5156.08	5629.74
(ग)	मृत	164.74	155.24	163.88
9	मृत किलोमीटरों की कुल किलोमीटरों से प्रतिशतता	3.13	2.92	2.83
10	प्रति बस से प्रतिदिन तय किये गये औसत किलोमीटर	333	339	367
11	प्रति किलोमीटर औसत परिचालन राजस्व (पैसों में)	1218	1306	1394
12	प्रति किलोमीटर औसत परिचालन राजस्व (पैसों में) में पिछले वर्ष की आय की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत)	4.91	7.22	6.74
13	प्रति किलोमीटर औसत व्यय (पैसों में)	1300	1433	1496
14	प्रति किलोमीटर परिचालन व्यय में पिछले वर्ष के व्यय की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत)	0.46	10.23	4.40
15	प्रति किलोमीटर हानि (पैसों में)	(-)0.43	(-)0.79	(-)0.58
16	परिचालन आगारों की संख्या	49	48	48
17	प्रति लाख किलोमीटर पर ब्रेक डाउन की औसत संख्या	1	1	1
18	प्रति लाख किलोमीटर पर दुर्घटनाओं की औसत संख्या	0.12	0.12	0.11
19	परिचालित यात्री किलोमीटर (करोड़ में)	1933.76	2037.56	2079.71
20	अधिभोग अनुपात	66.60	70.50	67.40
21	प्रति लीटर प्राप्त किलोमीटर:			
(क)	डीजल ऑयल	4.96	5.00	5.09
(ख)	इंजन ऑयल	2319	2905	3208

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

2. राजस्थान वित्त निगम							
( करोड़ रुपयों में )							
क्र.सं.	विवरण	2003-04		2004-05		2005-06	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित आवेदन पत्र	10	3.16	56	50.64	23	21.45
2	प्राप्त आवेदन पत्र	2207	513.53	2139	626.31	1404	667.30
3	<b>योग</b>	<b>2217</b>	<b>516.69</b>	<b>2195</b>	<b>676.95</b>	<b>1427</b>	<b>688.75</b>
4	स्वीकृत आवेदन पत्र	1520	241.18	1419	301.60	771	344.27
5	निरस्त/वापस लिए गए/अस्वीकृत/कम किये गये आवेदन पत्र	641	224.88	753	353.90	603	290.25
6	वर्ष की समाप्ति पर लम्बित आवेदन पत्र	56	50.63	23	21.45	53	54.23
7	संवितरित ऋण	1087	168.64	1144	198.43	647	265.94
8	वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण	18153	773.65	-	825.91	-	906.50
9	वर्ष की समाप्ति पर वसूली के लिये अतिदेय राशि						
	(क) मूल	-	59.61	-	53.92	-	44.82
	(ख) ब्याज	-	159.42	-	171.58	-	155.63
	<b>योग</b>	-	<b>219.03</b>	-	<b>225.50</b>	-	<b>200.45</b>
10	वसूली प्रमाण पत्र मामलों में शामिल राशि	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
11	कुल बकाया ऋणों से बकाया की प्रतिशतता	-	16.18	-	15.48	-	12.81

3. राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम				
क्र.सं.	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06 (अनन्तिम)
1	आवृत स्टेशनों की संख्या	87	88	91
2	वर्ष के अन्त तक सृजित भण्डारण क्षमता (लाख टन में)			
(क)	स्वयं की	6.58	6.75	6.89
(ख)	किराये की	0.21	0.44	4.77
	<b>योग</b>	6.79	7.19	11.66
3	वर्ष के दौरान उपयोग में लाई गई औसत क्षमता (लाख टन में)	3.17	4.11	11.84
4	उपयोगिता का प्रतिशत	47	59	102
5	प्रति वर्ष प्रति मीट्रिक टन औसत राजस्व (रुपये)	478	531	409
6	प्रति वर्ष प्रति मीट्रिक टन औसत व्यय (रुपये)	415	314	176

अनुबन्ध-7

(अनुच्छेद 1.49 में सन्दर्भित)

विगत पाँच वर्षों के दौरान पाँच करोड़ रुपये से कम व्यवसाय वाली कम्पनियों, जिनके लेखों का सत्यापन किया गया है, को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	नवीनतम अंतिम रूप दिये लेखे (वर्ष)	व्यवसाय (लाख रुपयों में)				
			नवीनतम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कार्यरत:							
1	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2005-06	333.09	215.57	223.35	206.80	172.55
2.	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	2004-05	173.53	351.08	341.76	332.07	326.48
अकार्यरत:							
1.	राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड	2005-06	-	-	-	-	-
2.	हाईटेक प्रीसिजन ग्लास लिमिटेड	2005-06	-	-	-	-	-
3.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	2005-06	-	-	-	-	-



## अनुबन्ध-8

(अनुच्छेद 1.49 में सन्दर्भित)

लगातार पाँच वर्षों से हानि उठाने वाली कम्पनियों, जिनका शुद्ध मूल्य ऋणात्मक हो गया, को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि	अवधि	लगातार पाँच वर्षों की हानि जिससे शुद्ध मूल्य ऋणात्मक हो गया					
				वर्ष	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01
	कार्यरत								
1	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	3.3.1984	वर्ष	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01	
			शुद्ध मूल्य	(-) 3585.84	(-) 3242.77	(-) 3017.60	(-) 2549.87	(-) 2055.57	
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 342.85	(-) 225.40	(-) 457.26	(-) 450.83	(-) 455.52	
2	राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड	7.6.1965	वर्ष	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01	
			शुद्ध मूल्य	(-) 122.26	(-) 124.84	(-) 133.60	(-) 120.26	(-) 74.73	
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 68.03	(-) 22.34	(-) 38.09	(-) 51.35	(-) 88.37	
	अकार्यरत								
3.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	1.8.1969	वर्ष	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01	
			शुद्ध मूल्य	(-) 3464.84	(-) 3355.24	(-) 3206.12	(-) 3117.14	(-) 2953.99	
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 126.12	(-) 149.12	(-) 88.98	(-) 163.15	(-) 825.94	
4.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	23.1.1985	वर्ष	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	
			शुद्ध मूल्य	(-) 274.65	(-) 269.62	(-) 262.61	(-) 253.47	(-) 244.53	
			वर्ष के दौरान हानि	(-) 5.03	(-) 7.02	(-) 9.14	(-) 8.95	(-) 6.47	

अनुबन्ध-9

(अनुच्छेद 1.48 में सन्दर्भित)

आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों/सुझावों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	कम्पनी/सांविधिक निगम का नाम	कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(अ) के अन्तर्गत पूरक प्रतिवेदनों में, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा "आन्तरिक लेखापरीक्षा" पर प्रमुख टिप्पणियों/सुझाव
अ	सरकारी कम्पनियाँ	
1	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	कम्पनी की आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली सामान्यतः उसके आकार एवं इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है। तथापि, क्षेत्रों को सम्मिलित करने तथा समय पर पूर्ण करने की प्रणाली लागू करने में कमजोरी थी।
2	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	कम्पनी में लेखों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की कोई प्रभावी प्रणाली मौजूद नहीं है एवं पुरानी विसंगतियाँ जारी हैं। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को कम्पनी के आकार एवं इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
3	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	कम्पनी में लेखों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की कोई प्रभावी प्रणाली मौजूद नहीं है एवं पुरानी विसंगतियाँ जारी हैं तथा तकनीकी एवं लेखों की प्रभावी आन्तरिक लेखापरीक्षा के उद्देश्य से विभिन्न वृत्तों में फैले हुए बड़ी मात्रा के व्यावसायिक परिचालन को देखते हुए सक्षम स्टाफ के द्वारा प्रबन्धित एक विस्तृत आन्तरिक लेखापरीक्षा की आवश्यकता है।
4	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	कम्पनी में आन्तरिक लेखापरीक्षा किये जाने हेतु स्वयं का एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह है। कम्पनी के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त नहीं है।
5	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	वर्ष के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।
6	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	आन्तरिक लेखापरीक्षा वर्ष की समाप्ति के बाद बाहरी एजेन्सी द्वारा की गई है। आन्तरिक लेखापरीक्षा की वर्तमान प्रणाली निगम के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप नहीं है।
7	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	कम्पनी में आन्तरिक लेखापरीक्षा किये जाने हेतु इसका स्वयं का आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग है। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को कम्पनी के आकार एवं इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
8	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	आन्तरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा किया जाता है जोकि कम्पनी के आकार एवं इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है। तथापि, इसमें और सुधार की आवश्यकता है।
9	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	कम्पनी में इसके आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है। तथापि, इसमें विशेषकर शामिल किये जाने वाले पहलुओं का क्षेत्र, आवृत्ति एवं प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में सुधार की आवश्यकता है।

क्र. सं.	कम्पनी/सांविधिक निगम का नाम	कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(अ) के अन्तर्गत पूरक प्रतिवेदनों में, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा "आन्तरिक लेखापरीक्षा" पर प्रमुख टिप्पणियाँ/सुझाव
10	राजस्थान राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	कम्पनी की कोई आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है।
11	राजस्थान शहरी ढांचा वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	कम्पनी में इसके आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है।
12	राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	कम्पनी में इसके आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जिसे उचित अंतराल तथा अनुसरण के लिये और सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।
13	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	कम्पनी की आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली इसके आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए त्रुटिपूर्ण है। आन्तरिक लेखापरीक्षकों को दिया गया कार्य क्षेत्र एवं उसके अनुसरण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
14	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	कम्पनी में इसके आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप एक आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है। तथापि, आन्तरिक लेखापरीक्षा की प्रणाली को इसके क्षेत्र, समयबद्ध पूर्णता एवं त्वरित उपचारात्मक कार्यवाही के क्रम में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
15	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	कम्पनी की आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली इसके आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए पूर्णतया दोषपूर्ण है। वर्ष के दौरान कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।
16	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	कम्पनी ने लेखा परीक्षा हेतु सनदी लेखाकार की नियुक्ति की है। तथापि, कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।
ब	सांविधिक निगम	
1	राजस्थान वित्त निगम	निगम में आन्तरिक लेखापरीक्षा की प्रणाली मौजूद है। तथापि, इसको व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार के अनुरूप सुदृढ़ करने की एवं ज्यादा प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।
2	राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम	आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली निगम के क्रियाकलाप की प्रकृति एवं व्यवसाय के आकार के अनुरूप नहीं है।

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

**अनुबन्ध 10**  
(अनुच्छेद 2.1.9 में संदर्भित)  
प्रजनक एवं आधार बीज की उपलब्धता एवं वितरण

(मात्रा क्विंटल में)

सीजन	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
<b>प्रजनक बीज</b>					
<b>उपलब्धता</b>					
खरीफ	321.47	265.72	313.01	410.68	424.01
रबी	605.28	481.25	800.06	856.13	767.39
<b>योग</b>	<b>926.75</b>	<b>746.97</b>	<b>1113.07</b>	<b>1266.81</b>	<b>1191.40</b>
<b>वितरण</b>					
खरीफ	268.68	227.34	263.44	368.77	323.96
रबी	581.48	458.94	697.72	659.95	524.46
<b>योग</b>	<b>850.16</b>	<b>686.28</b>	<b>961.16</b>	<b>1028.72</b>	<b>848.42</b>
<b>वितरण की प्रतिशतता</b>					
खरीफ	83.58	85.56	84.16	89.79	76.40
रबी	96.07	95.36	87.21	77.09	68.34
<b>योग</b>	<b>91.74</b>	<b>91.88</b>	<b>86.35</b>	<b>81.21</b>	<b>71.21</b>
<b>आधार बीज</b>					
<b>उपलब्धता</b>					
खरीफ	4320.11	4713.68	4549.01	3774.54	6934.75
रबी	17566.39	18833.91	11450.11	19361.13	26283.74
<b>योग</b>	<b>21886.50</b>	<b>23547.59</b>	<b>15999.12</b>	<b>23135.67</b>	<b>33218.49</b>
<b>वितरण</b>					
खरीफ	3273.94	2505.98	2786.64	2499.17	3876.12
रबी	10185.82	10221.16	5791.29	7856.75	10536.56
<b>योग</b>	<b>13459.76</b>	<b>12727.14</b>	<b>8577.93</b>	<b>10355.92</b>	<b>14412.68</b>
<b>वितरण का प्रतिशतता</b>					
खरीफ	75.78	53.16	61.25	66.21	55.89
रबी	57.98	54.26	50.57	40.58	40.08
<b>योग</b>	<b>61.49</b>	<b>54.04</b>	<b>53.61</b>	<b>44.76</b>	<b>43.38</b>

अनुबन्ध-11  
(अनुच्छेद 2.1.10 में संदर्भित)  
2000-05 के दौरान प्रजनक एवं आधार बीज से उत्पादन

(मात्रा क्विंटल में)

प्रजनक बीज					
फसल का सीजन	वर्ष	प्रजनक बीज का वितरण	प्रत्याशित उत्पादन	वास्तविक उत्पादन	वास्तविक की प्रत्याशित उत्पादन से प्रतिशतता
खरीफ	2000-01	269	8933	5042	56.44
	2001-02	227	7294	3730	51.14
	2002-03	263	4782	2562	53.58
	2003-04	369	11318	7731	68.31
	2004-05	324	8036	4710	58.61
रबी	2000-01	581	20193	15444	76.48
	2001-02	459	15756	12194	77.39
	2002-03	698	24453	21228	86.81
	2003-04	660	22534	19209	85.24
	2004-05	524	14871	12053	81.05
आधार बीज					
फसल का सीजन	वर्ष	आधार बीज का वितरण	प्रत्याशित उत्पादन	वास्तविक उत्पादन	वास्तविक की प्रत्याशित उत्पादन से प्रतिशतता
खरीफ	2000-01	3274	116689	65132	55.82
	2001-02	2506	84996	51123	60.15
	2002-03	2787	46712	25412	54.40
	2003-04	2499	94758	61560	64.97
	2004-05	3876	120021	79238	66.02
रबी	2000-01	10186	333637	179155	53.70
	2001-02	10221	264288	180529	68.31
	2002-03	5791	200469	143726	71.69
	2003-04	7857	254837	217894	85.50
	2004-05	10537	294417	221384	75.19

अनुबन्ध-12

(अनुच्छेद 2.1.17 में संदर्भित)

वर्ष 2000-05 के दौरान राज्य में बीज वितरण के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

(मात्रा क्विंटल में)

वर्ष	सीजन	लक्ष्य			उपलब्धि			उपलब्धि की लक्ष्य से प्रतिशतता		बीज विक्रय में कम्पनी का हिस्सा (प्रतिशत)
		राज्य	कम्पनी	अन्य	राज्य	कम्पनी	अन्य	राज्य	कम्पनी	
2000-01	खरीफ	161000	75025	85975	181872	45024	136848	113	60	24.76
	रबी	278650	189418	89232	308071	153402	154669	110.6	81	49.8
	योग	<b>439650</b>	<b>264443</b>	<b>175207</b>	<b>489943</b>	<b>198426</b>	<b>291517</b>	<b>111.4</b>	<b>75</b>	<b>40.5</b>
2001-02	खरीफ	190250	71249	119001	178322	55054	123298	93.7	77.3	30.9
	रबी	408000	172357	235643	339402	150783	188619	83.2	87.5	44.4
	योग	<b>598000</b>	<b>243606</b>	<b>354394</b>	<b>517724</b>	<b>205837</b>	<b>311887</b>	<b>86.6</b>	<b>84.5</b>	<b>39.8</b>
2002-03	खरीफ	182300	76487	105813	154369	51625	102744	84.7	67.5	33.4
	रबी	412000	151016	260988	339506	117878	221628	82.4	78.1	34.7
	योग	<b>594300</b>	<b>227503</b>	<b>366801</b>	<b>493875</b>	<b>169503</b>	<b>324372</b>	<b>83.1</b>	<b>74.5</b>	<b>34.3</b>
2003-04	खरीफ	191800	41536	149264	168204	30453	137751	87.7	73.3	18.1
	रबी	360000	127733	234267	344910	112154	232756	95.8	87.8	32.5
	योग	<b>551800</b>	<b>169269</b>	<b>383531</b>	<b>513114</b>	<b>142607</b>	<b>370507</b>	<b>93.0</b>	<b>84.2</b>	<b>27.8</b>
2004-05	खरीफ	195900	59573	136327	166705	47546	119159	85.1	79.8	28.5
	रबी	421000	180415	240585	422286	159678	262608	100.3	88.5	37.8
	योग	<b>616900</b>	<b>239988</b>	<b>376912</b>	<b>588991</b>	<b>207224</b>	<b>381767</b>	<b>95.5</b>	<b>86.3</b>	<b>35.2</b>

अनुबन्ध-13

(अनुच्छेद 2.2.22 में सन्दर्भित)  
हैडलिंग हानियाँ

(मात्रा मै.टन में)

विवरण	2001-02			2002-03			2003-04			2004-05
	लालगढ़	अनूपगढ़	हनुमानगढ़	लालगढ़	अनूपगढ़	हनुमानगढ़	कानासार	अनूपगढ़	हनुमानगढ़	अनूपगढ़
प्रारम्भिक स्टॉक	27049	47251	13584	51029	36905	3196	37405	11905 38251	3196	19488
वर्ष के दौरान प्राप्ति	243721	183708	0	91598	150145	0	14877	300118	0	180764
रावाला से हस्तांतरण	0	0	0	0	0	0	0	880	0	0
योग (अ)	270770	230959	13584	142627	187050	3196	52282	351154	3196	200252
वर्ष के दौरान बाहर प्रेषण/ हस्तांतरण	208384	180719	7181	105704	168823	0	23522	309596	2300	149608
अन्तिम शेष (स) = अ-ब	62386	50240	6403	36923	18227	3196	28760	41558	896	50644
लेखो/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार अन्तिम शेष (घ)	51029	36905	3196	28883	9392	3196	11295	19488	0	46881
कमी (र) = स- घ	11357	13335	3207	8040	8835	0	17465	22070	896	3763
कुल के समक्ष हैडलिंग हानि की प्रतिशतता अ	4.19	5.77	23.61	5.64	4.72	0	33.41	6.28	28.04	1.88
घटाये अनुमत्य हानि @2-5% योग अ (एफ)	6769.25	5773.98	339.6	3565.68	4676.25	79.9	1307.05	8778.85	79.9	5006.3
अप्राह्य कमी (जी)=(ई - एफ)	4587.75	7561.03	2867.4	4474.33	4158.75	0	16157.95	13291.15	816.1	0
प्रचलित विक्रय मूल्य रूपये प्रति मै.टन (एच)	325	260	290	325	260	0	325	280	290	325
अप्राह्य कमी का मूल्य (रूपयों में) (आई)=(जीXएच)	1491019	1965867	831546	1454156	1081275	0	5251334	3721522	236669	0

अप्राह्य कमी का कुल मूल्य रू.1,60,33,388.00

अनुबन्ध-14

(अनुच्छेद 2.3.1 में सन्दर्भित)

31 मार्च 2005 तक के पाँच वर्षों के अन्त में टी.एण्ड डी. सुविधाओं का निर्माण

परेषण एवं वितरण लाईन	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
(i) एच.टी./एल.टी. (सी.के.एम.) <sup>5</sup>	17325.00	18076.00	18634.00	19065.00	19881.00
(ii) उप-परेषण लाईनें (सी.के.एम.)	125462.95	188502.13	193734.39	201759.03	214288.09
(iii) एल.टी. लाईनें (सी.के.एम.)	216359.91	216898.73	221811.59	226001.59	232820.58
<b>योग</b>	<b>359147.86</b>	<b>423476.86</b>	<b>434179.98</b>	<b>446825.62</b>	<b>466989.67</b>

<sup>5</sup> सर्किट किलोमीटर



## अनुबन्ध-15

(अनुच्छेद 2.3.12 में सन्दर्भित)

2004-05 को समाप्त हुए गत पाँच वर्षों के दौरान भौतिक लक्ष्यों एवं उनके समक्ष हुई उपलब्धि एवं परेषण लाईनों व ग्रिड उप-केन्द्रों के निर्माण में रही कमी दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(उप-केन्द्रों के आंकड़े एम.वी.ए. में तथा लाईनों के सी.के.एम.में)

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियाँ			कमी		
	उप-केन्द्र (के.वी.)	लाईनें (के.वी.)	उप-केन्द्र (के.वी.)	लाईनें (के.वी.)	उप-केन्द्र (के.वी.) (कमी की प्रतिशतता को कोष्ठक में दर्शाया गया है)	लाईनें (के.वी.) (कमी की प्रतिशतता को कोष्ठक में दर्शाया गया है)		
	400 220 130	400 220 132	400 220 132	400 220 132	400 220 132	400 220 132	400 220 132	
2000-01	- 300 200	- 247 300	- 200 138	- 130 311	- 100 62 (33) (31)	- 117 - (47)		
2001-02	315 200 450	- 440 310	315 200 450	- 440 311	- - -	- - -		
2002-03	630 400 525	- 486 400	630 350 500	- 172 386	- 50 25 (13) (5)	- 314 14 (65) (4)		
2003-04	945 300 450	300 400 350	- 200 450	330 - 430	945 100 - (100) (33)	- 400 - (100)		
2004-05	945 400 225	330 450 140	945 400 200	333 397 86	- - 25 (11)	- 53 54 (12) (39)		



## अनुबन्ध - 17

(अनुच्छेद 2.3.25 में सन्दर्भित)

2002-03 से 2004-05 तक वितरण कम्पनियों के दोषयुक्त मीटरों का विवरण-पत्र

(संख्या लाख में)

वर्ष	डिस्कॉम	मीटर वाले उपभोक्ताओं की कुल संख्या	दोषयुक्त मीटरों का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान हुई वृद्धि	वर्ष के दौरान बदले गये	वर्ष के अन्त में दोषयुक्त मीटरों का शेष	कुल उपभोक्ताओं से दोषयुक्त मीटरों की प्रतिशतता
2002-03	जे.वी.वी.एन	20.02	0.97	2.75	2.98	0.74	3.70
	ए.वी.वी.एन	19.65	0.32	2.25	2.21	0.36	1.83
	जेडीवीवीएन	16.75	0.40	1.40	1.56	0.24	1.43
2003-04	जे.वी.वी.एन	20.68	0.74	2.18	1.73	1.19	5.75
	ए.वी.वी.एन	20.34	0.36	1.75	1.44	0.67	3.29
	जेडीवीवीएन	17.98	0.24	1.45	1.27	0.42	2.34
2004-05	जे.वी.वी.एन	21.59	1.19	2.44	2.69	0.94	4.35
	ए.वी.वी.एन	21.12	0.67	2.29	2.41	0.55	2.60
	जेडीवीवीएन	18.73	0.42	1.47	1.35	0.54	2.88

अनुबन्ध - 18

(अनुच्छेद 2.3.28 में सन्दर्भित)

वितरण कम्पनियों के मापदण्डों एवं उनके समक्ष हुई उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

डिस्कॉम/सर्किल	माप-दण्ड	टी.एण्ड डी. हानियाँ (एम.यू.में)	ए.आर.आर.एवं ए.सी.एस. के बीच का अन्तर (पैसे में)	हानि का स्तर जो प्राप्त करना था (करोड़ रूपये में)	फीडर आउटेज (संख्या)	एच.टी./ एल.टी. अनुपात	वितरण ट्रांसफार्मर पर औसत लोड फैक्टर	औसत पावर फैक्टर	
जे.वी.वी.एन	योजना के अनुमोदन के समय (2001-02)	4189	(-) 101	348.96	-	-	-	-	
	परियोजना प्रतिवेदन में लक्षित स्तर	2417	(-) 90	300	-	-	-	-	
	उपलब्धि	2003-04	4379	(-) 111	222.68	-	-	-	-
		2004-05	4772	(-) 119	354.32	-	-	-	-
जे.पी.डी.सी.	योजना के अनुमोदन के समय (2001-02)	1201.09	(-) 160	-	530	1:02	0.8	0.7	
	परियोजना प्रतिवेदन में लक्षित स्तर	462	0	-	325	01:01.5	0.8	0.8	
	उपलब्धि	2004-05	1386.04	(-) 241	-	10278	01:01.7	0.8	0.75
जे.सी.सी.	योजना के अनुमोदन के समय (2001-02)	385.82	(+) 52	-	1450	01:02.9	0.7	0.8	
	परियोजना प्रतिवेदन में लक्षित स्तर	197	(+) 100	-	725	1:02	0.7	0.85	
	उपलब्धि	2004-05	399.86	(-) 58	-	2500	01:01.8	0.72	0.85

डिस्कॉम/सर्किल	माप-दण्ड	टी.एण्ड डी. हानियाँ (एम.यू.में)	ए.आर.आर.एवं ए.सी.एस. के बीच का अन्तर (पैसे में)	हानि का स्तर जो प्राप्त करना था (करोड़ रुपये में)	फीडर आउटेज (संख्या)	एच.टी./एल.टी. अनुपात	वितरण ट्रांसफार्मर पर औसत लोड फैक्टर	औसत पावर फैक्टर
ए.वी.वी.एन	योजना के अनुमोदन के समय (2001-02)	4222	(-) 82	345.89	-	-	-	-
	परियोजना प्रतिवेदन में लक्षित स्तर	2242.61	(-) 50	310	-	-	-	-
	उपलब्धि	2003-04	5114.6	(-) 90	222.68	-	-	-
		2004-05		(-) 191	573.76	-	-	-
अजमेर-शहर	योजना के अनुमोदन के समय (2001-02)	63.81	72		3969	0.29:1	0.35	0.8
	परियोजना प्रतिवेदन में लक्षित स्तर	37.12	95		2000	0.38:1	0.42	0.92
	उपलब्धि	2004-05	67.45	(-)83		1215	0.45:1	0.68
भीलवाडा	योजना के अनुमोदन के समय (2001-02)	203.26	70		13392	0.72:1	0.37	0.8
	परियोजना प्रतिवेदन में लक्षित स्तर	144	102		9642	0.73:1	0.42	0.95
	उपलब्धि	2004-05	244.12	ए.सी.एस. उपलब्ध नहीं था	उ.न.	उ.न.	0.74:1	0.42
पाली	योजना के अनुमोदन के समय (2001-02)	27.01				01:01.4	0.7	0.8
	परियोजना प्रतिवेदन में लक्षित स्तर		75					
	उपलब्धि	2004-05	24.01			01:01.4	0.7	0.8

अनुबन्ध - 19

(अनुच्छेद 2.3.32 में सन्दर्भित)

2003-04 तथा 2004-05 के लिये चैकिंग, पकड़े गये चोरी के मामलों में किये गये निर्धारण तथा वसूली गई राशि के लक्ष्यों एवं वास्तविक उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

डिस्कॉम	वर्ष	जाँच की संख्या		चोरी के मामले		निर्धारित राशि (लाख रुपये में)		वसूली गई राशि (लाख रुपये में)	
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
जे.बी.बी.एन.	2003-04	20580	16991	10290	11586	1247.94	913.12	594.65	499.03
	2004-05	17200	11359	8600	8864	1063	798	531	427
ए.बी.बी.एन.	2003-04	48230	14035	31045	7714	4794	1000.75	3596.61	576.47
	2004-05	52960	19384	34090	12851	5194.00	1240.10	3895.62	626.76
जे.डी.बी.बी.एन.	2003-04	19200	8377	8160	4032	1224	592.52	612	377.06
	2004-05	17280	7265	8160	3651	1224	611.49	612	431.50

## अनुबन्ध 20

(अनुच्छेद 3.8.1 में सन्दर्भित)

वर्ष 2000-05 में चार मुख्य बस बॉडी निर्माणकर्ताओं का कार्य निष्पादन

क.सं.	विवरण	एशिया बॉडी बिल्डर्स	मोहिन्द्रा कोच	आमेरिया ब्रदर्स	भारत मेटल
<b>2000-01</b>					
1.	निर्माण की गई बसों की संख्या	65	93	38	68
2.	जांच किए गए नमूनों की संख्या	-	-	-	-
3.	अस्वीकृत नमूनों की संख्या	-	-	-	-
4.	अस्वीकृत नमूनों की प्रतिशतता	-	-	-	-
5.	निर्माणकर्ताओं से देरी से प्राप्त बसों की संख्या	-	3	10	35
6.	कुल देरी दिनों में	-	35	55	374
7.	औसत देरी प्रति वाहन	-	11.67	5.5	10.69
<b>2001-02</b>					
1.	निर्माण की गई बसों की संख्या	130	158	75	114
2.	जांच किए गए नमूनों की संख्या	12	5	16	15
3.	अस्वीकृत नमूनों की संख्या	7	2	6	7
4.	अस्वीकृत नमूनों की प्रतिशतता	5.8	40	38	47
5.	निर्माणकर्ताओं से देरी से प्राप्त बसों की संख्या	-	-	-	50
6.	कुल देरी दिनों में	-	-	-	414
7.	औसत देरी प्रति वाहन	-	-	-	8.28
<b>2002-03</b>					
1.	निर्माण की गई बसों की संख्या	86	133	40	83
2.	जांच किए गए नमूनों की संख्या	5	5	7	4
3.	अस्वीकृत नमूनों की संख्या	3	4	2	1
4.	अस्वीकृत नमूनों की प्रतिशतता	60	80	29	25
5.	निर्माणकर्ताओं से देरी से प्राप्त बसों की संख्या	1	-	-	-
6.	कुल देरी दिनों में	8	-	-	-
7.	औसत देरी प्रति वाहन	8	-	-	-

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

क.सं.	विवरण	एशिया बॉडी बिल्डर्स	मोहिन्द्रा कोच	आमेरिया ब्रदर्स	भारत मेटल
<b>2003-04</b>					
1.	निर्माण की गई बसों की संख्या	125	166	74	270
2.	जांच किए गए नमूनों की संख्या	7	1	8	9
3.	अस्वीकृत नमूनों की संख्या	5	1	5	6
4.	अस्वीकृत नमूनों की प्रतिशतता	71	100	63	67
5.	निर्माणकर्ताओं से देरी से प्राप्त बसों की संख्या	5	-	3	56
6.	कुल देरी दिनों में	25	-	6	641
7.	औसत देरी प्रति वाहन	5	-	2	11.45
<b>2004-05</b>					
1.	निर्माण की गई बसों की संख्या	55	57	15	85
2.	जांच किए गए नमूनों की संख्या	6	2	4	3
3.	अस्वीकृत नमूनों की संख्या	3	शून्य	3	शून्य
4.	अस्वीकृत नमूनों की प्रतिशतता	50	शून्य	75	शून्य
5.	निर्माणकर्ताओं से देरी से प्राप्त बसों की संख्या	-	2	-	शून्य
6.	कुल देरी दिनों में	-	5	-	शून्य
7.	औसत देरी प्रति वाहन	-	2.5	-	शून्य
<b>कुल निर्माण की गई बसें 1930</b>		<b>461</b>	<b>607</b>	<b>242</b>	<b>620</b>



अनुबन्ध 21

(अनुच्छेद 4.18 में संदर्भित)

2000-01 से 2004-05 के दौरान घाटे में चलने वाली कम्पनियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	वर्ष में घाटा (लाख रुपये में)					योग
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	
1.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	-	191.98	459.48	16.57	139.49	807.52
2.	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	88.37	51.35	38.09	22.34	68.03	268.18
3.	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	455.52	450.83	457.26	225.40	342.85	1931.86

अनुबन्ध-22

(अनुच्छेद 4.19 में सन्दर्भित)

सरकारी कम्पनियों द्वारा राज्य विधानमण्डल के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदनों (ए.आर.स) रखे जाने में विलम्ब अवधि दर्शाने वाला विवरण पत्र

क.सं.	कम्पनी का नाम	लेखों का वर्ष	ए.जी.एम. की दिनांक	दिनांक जिस तक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर लिए जाने चाहिए थे	विधानमण्डल में प्रस्तुति की दिनांक	विधानमण्डल के समक्ष ए.आर. प्रस्तुत किये जाने में देरी (प्रतिवेदन प्रस्तुति के लिए सामान्य समय एक माह मानते हुये)
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजस्थान राज्य बीच निगम लिमिटेड (आर.एस.एस.सी.एल.)	2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05	28.09.01 13.12.02 29.09.03 30.09.04 29.09.05	27.12.01 12.03.03 28.12.03 29.12.04 28.12.05	उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं 19.07.04 प्रस्तुत नहीं प्रस्तुत नहीं	-- -- 5 माह -- --
2.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लि. (रीको)	2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05	29.11.01 30.09.02 16.09.03 30.11.04 24.11.05	28.02.02 29.12.02 15.12.03 29.02.05 23.02.06	उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं 22.07.04 01.04.05 09.03.06	-- -- 6 माह -- --
3	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (आरएसआईसी)	2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05	29.09.01 29.10.02 30.09.03 30.09.04 30.09.05	28.12.01 28.01.03 29.12.03 29.12.04 29.12.05	उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं 14.07.04 22.02.05 09.03.06	-- -- 5 माह -- --
4.	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (आर.एस.एच.डी.सी.)	2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05	29.01.02 31.01.03 28.01.04 28.12.04 22.12.05	28.04.02 30.04.03 27.04.04 27.03.05 21.03.06	प्रस्तुत नहीं प्रस्तुत नहीं प्रस्तुत नहीं प्रस्तुत नहीं प्रस्तुत नहीं	-- -- -- -- --
5.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आर.एस.एम.एम.एल.)	2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05	10.10.01 21.09.02 15.12.03 29.11.04 27.09.05	09.01.02 20.12.02 14.03.04 28.02.05 26.12.05	उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं 21.07.04 09.04.05 10.03.06	उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं -- -- --

1	2	3	4	5	6	7
6.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (आर.एस.आर. डी.सी.सी.)	2000-01	02.05.02	01.08.02	16.07.04	22 माह
		2001-02	31.05.03	30.08.03	16.07.04	5 माह
		2002-03	26.03.04	25.06.04	28.07.04	--
		2003-04	17.12.04	16.03.05	16.02.05	--
		2004-05	30.09.05	30.12.05	01.03.06	--
7.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (आर.एस.जी.एस.एम.)	2000-01	29.09.01	28.12.01	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		2001-02	26.10.02	25.01.03	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		2002-03	20.09.03	19.12.03	05.02.04	--
		2003-04	22.09.04	21.12.04	14.02.05	--
		2004-05	23.09.05	22.12.05	01.03.06	--
8.	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड (आर.एस.एच.सी.)	2000-01	28.12.01	27.03.02	14.07.04	26 माह
		2001-02	21.12.02	20.03.03	प्रस्तुत नहीं	--
		2002-03	31.12.03	30.03.04	प्रस्तुत नहीं	--
		2003-04	31.12.04	30.03.05	प्रस्तुत नहीं	--
		2004-05	17.12.05	16.03.06	प्रस्तुत नहीं	--
9.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आर.टी.डी.सी.)	2000-01	29.12.01	28.03.02	20.01.04	20 माह
		2001-02	21.12.02	20.03.03	28.03.05	23 माह
		2002-03	31.12.03	20.03.04	03.03.06	22 माह
		2003-04	31.12.04	30.03.05	प्रस्तुत नहीं	--
		2004-05	30.12.05	29.03.06	प्रस्तुत नहीं	--
10.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आर.आर.ई.सी.)	2000-01	19.12.01	18.03.02	07.04.05	35 माह
		2001-02	30.12.02	29.03.03	07.04.05	23 माह
		2002-03	31.12.03	30.03.04	14.02.05	7 माह
		2003-04	29.12.04	28.03.05	19.04.05	--
		2004-05	24.09.05	23.12.05	01.03.06	--
11.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आर.आर.वी.पी.एन.एल.)	2000-01	27.11.02	26.02.03	22.08.03	4 माह
		2001-02	30.12.02	29.03.03	05.02.04	5 माह
		2002-03	27.09.03	26.12.03	05.02.04	--
		2003-04	29.09.04	28.12.04	29.03.05	--
		2004-05	29.09.05	28.12.05	03.03.06	--
12.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आर.आर.वी.यू.एन.एल.)	2000-01	27.11.02	26.02.03	प्रस्तुत नहीं	--
		2001-02	30.12.02	29.03.03	प्रस्तुत नहीं	--
		2002-03	27.09.03	26.12.03	प्रस्तुत नहीं	--
		2003-04	29.09.04	28.12.04	प्रस्तुत नहीं	--
		2004-05	29.09.05	28.12.05	प्रस्तुत नहीं	--

1	2	3	4	5	6	7
13.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जे.वी.वी.एन.एल.)	2000-01	27.11.02	26.02.03	05.04.04	12 माह
		2001-02	31.03.03	30.06.03	05.04.04	6 माह
		2002-03	27.09.03	26.12.03	05.04.04	--
		2003-04	29.09.04	28.12.04	21.02.05	--
		2004-05	29.09.05	19.12.05	09.03.06	--
14.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जे.डी.वी.वी.एन.एल.)	2000-01	28.11.02	27.02.03	प्रस्तुत नहीं	--
		2001-02	31.12.02	30.03.03	प्रस्तुत नहीं	--
		2002-03	30.09.03	29.12.03	प्रस्तुत नहीं	--
		2003-04	30.09.04	29.12.04	प्रस्तुत नहीं	--
		2004-05	30.09.05	29.12.05	प्रस्तुत नहीं	--
15.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ए.वी.वी.एन.एल.)	2000-01	28.11.02	27.02.03	उपलब्ध नहीं	--
		2001-02	31.12.02	30.03.03	प्रस्तुत नहीं	--
		2002-03	29.09.03	28.12.03	प्रस्तुत नहीं	--
		2003-04	30.09.04	29.12.04	प्रस्तुत नहीं	--
		2004-05	29.09.05	28.12.05	प्रस्तुत नहीं	--
16.	हाईटेक प्रिंसीजन ग्लास लिमिटेड (एच.पी.जी.एल.)	2000-01	30.09.02	29.12.02	प्रस्तुत नहीं	--
		2001-02	26.10.02	25.01.03	प्रस्तुत नहीं	--
		2002-03	25.09.03	24.12.03	प्रस्तुत नहीं	--
		2003-04	22.09.04	21.12.04	प्रस्तुत नहीं	--
		2004-05	01.08.05	31.10.05	प्रस्तुत नहीं	--
17.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ए रीको एन्टरप्राइजेज (आर.ई.एल.)	2000-01	29.09.01	28.12.01	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		2001-02	31.05.02	30.08.02	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		2002-03	28.08.03	27.11.03	22.07.04	5 माह
		2003-04	24.09.04	23.12.04	01.04.05	--
		2004-05	14.09.05	13.12.05	09.03.06	--
18.	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड (आर.जे.वी.एन.एल.)	2000-01	27.12.01	26.03.02	उपलब्ध नहीं	--
		2001-02	26.09.02	25.12.02	उपलब्ध नहीं	--
		2002-03	29.08.03	28.11.03	12.05.04	3 माह
		2003-04	29.09.04	28.12.04	07.04.05	--
		2004-05	27.12.05	26.03.06	21.03.06	--

अनुबन्ध-23 -एं

(अनुच्छेद 4.20 में सन्दर्भित)

कम्पनियों जिन्होंने अपने लेखे तैयार करते समय लगातार लेखा मानकों का उल्लंघन किया की स्थिती दर्शाने वाला विवरण पत्र

उल्लंघन लेखांकन मानको की (ए.एस.) संख्या	ए.एस.-1	ए.एस.-2	ए.एस.-3	ए.एस.-5	ए.एस.-6	ए.एस.-7	ए.एस.-9	ए.एस.-10	ए.एस.-12	ए.एस.-15	ए.एस.-16	ए.एस.-17
लेखांकन मानको का विवरण	लेखों की नीतियाँ	सामग्री का मूल्यांकन	नकद प्रवाह विवरण	पूर्व अवधि के आईटम	मूल्यहास लेखे	निर्माण निविदा	राजस्व मान्यता	अचल सम्पदा के लेखे	सरकारी ग्रांट के लेखे	सेवानिवृत्ति लाभ	उधार की लागत	खण्डवार रिपोर्ट
क. सं.	कम्पनी का नाम											
1.	राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम लि. (आर.एस.आई.सी.)									2000-01 से 2004-05		
2.	राजस्थान राज्य होटल्स कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.एच.सी.)	2001-02 से 2004-05					2000-01 से 2004-05			2000-01 से 2004-05		
3.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स मि. (आर.एस.जी.एस.एम.एल)	2000-01 से 2004-05								2000-01 से 2004-05		
4.	राजस्थान राज्य सड़क विकास निर्माण निगम लिमिटेड (आर.एस.आर.डी.सी.सी.)					2001-02 से 2004-05				2000-01 से 2004-05		2001-02 से 2004-05
5.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (आर.एस.एस.सी.एल)		2003-04 से 2004-05				2000-01 से 2004-05			2000-01 से 2004-05		

उल्लंघन लेखांकन मानको की (ए.एस.) संख्या		ए.एस.-1	ए.एस.-2	ए.एस.-3	ए.एस.-5	ए.एस.-6	ए.एस.-7	ए.एस.-9	ए.एस.-10	ए.एस.-12	ए.एस.-15	ए.एस.-16	ए.एस.-17
लेखांकन मानको का विवरण		लेखों की नीतियाँ	सामग्री का मूल्यांकन	नकद प्रवाह विवरण	पूर्व अवधि के आईटम	मूल्यहास लेखे	निर्माण निविदा	राजस्व मान्यता	अचल सम्पदा के लेखे	सरकारी ग्रांट के लेखे	सेवानिवृत्ति लाभ	उधार की लागत	खण्डवार रिपोर्ट
क. सं.	कम्पनी का नाम												
6.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. (आर.आई.सी.ओ.)				2000-01 से 2004-05								
7.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. (रा.टी.डी.सी.)					2000-01 से 2004-05		2000-01 से 2004-05		2000-01 से 2004-05	2000-01 से 2004-05		
8.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि. (रा.एस.एम.एम.एल.)					2002-03 से 2004-05							
9.	राजस्थान जल विकास निगम लि. (आर.जे.वी.एन.एल)										2000-01 से 2004-05		
10.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगल लि. (आर.आर.ई.सी.)									2002-03 से 2004-05			
11.	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास लि. (आर.एस.एच.डी.सी.)		2000-01 से 2004-05					2000-01 से 2004-05			2000-01 से 2004-05		
12.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (जे.वी.वी.एन.एल)		2000-01 से 2004-05	2002-03 से 2004-05		2000-01 से 2004-05		2000-01 से 2004-05	2000-01 से 2004-05	2000-01 से 2004-05	2000-01 से 2004-05	2000-01 से 2004-05	

उल्लंघन लेखांकन मानको की (ए.एस.) संख्या	ए.एस.-1	ए.एस.-2	ए.एस.-3	ए.एस.-5	ए.एस.-6	ए.एस.-7	ए.एस.-9	ए.एस.-10	ए.एस.-12	ए.एस.-15	ए.एस.-16	ए.एस.-17	
लेखांकन मानको का विवरण	लेखों की नीतियाँ	सामग्री का मूल्यांकन	नकद प्रवाह विवरण	पूर्व अवधि के आईटम	मूल्यहास लेखे	निर्माण निविदा	राजस्व मान्यता	अचल सम्पदा के लेखे	सरकारी ग्रांट के लेखे	सेवानिवृत्ति लाभ	उधार की लागत	खण्डवार रिपोर्ट	
क्र. सं.	कम्पनी का नाम												
13.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. (ए.वी.वी.एन.एल)	2000-01 से 2004-05	2000-01 से 2004-05		2000-01 से 2004-05			2000-01 से 2004-05	2000-01 से 2004-05	2000-01 से 2004-05	2000-01 से 2004-05		
14.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. (जे.डी.वी.वी.एन.एल)	2000-01 से 2004-05	2000-01 से 2004-05		2000-01 से 2004-05				2000-01 से 2004-05	2000-01 से 2004-05	2000-01 से 2004-05		
15.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आर.आर.वी.यू.एन.एल)	2000-01 से 2004-05	2000-01 से 2004-05							2000-01 से 2004-05			
16.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. (आर.आर.वी.वी.एन.एल)		2000-01 से 2004-05		2000-01 से 2004-05			2000-01 से 2004-05	2000-01 से 2004-05	2000-01 से 2004-05			
	योग	3	8	2	1	6	1	5	3	6	13	3	1

अनुबन्ध-23-बी

(अनुच्छेद 4.20 में सन्दर्भित)

लेखों के अन्तिम रूप दिये जाते समय कम्पनियों द्वारा किये गये लेखांकन मानकों के विनिर्दिष्ट उल्लंघन को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	लेखांकन मानक	लेखांकन मानक का शीर्षक	कम्पनियाँ जिन्होंने लेखांकन मानक के प्रावधानों का उल्लंघन किया।	कम्पनियों द्वारा किये गये उल्लंघन का विवरण	सरकार / प्रबन्धन का प्रत्युत्तर
1	2	3	4	5	6
1	1	लेखांकन नीतियों की घोषणा	आरआरवीयूएनएल, एवीवीएनएल और जेडीवीवीएनएल	ये कम्पनियाँ कुछ आय व व्यय की मदों अर्थात्; स्टॉफ को दिये अग्रिम पर ब्याज, शास्तियाँ, मूल्य विचलन दावे, यात्रा भत्ता और चिकित्सा के दावे इत्यादि का उपार्जन आधार के बजाय नकद आधार पर लेखांकन कर रही थी	सरकार ने कहा (जुलाई 2006) कि आरआरवीयूएनएल ने उपार्जन आधार पर लेखांकित नहीं किये मदों को घोषित कर दिया था। जेडीवीवीएनएल ने पूर्ववर्ती आरएसईबी की प्रथा का पालन किया। एवीवीएनएल के प्रबन्धन ने बताया (जून 2006) कि विचलन को लेखों के नोट में दर्शाया गया था।
2	2	इन्वेन्ट्री का मूल्यांकन	आरएसएचसी, आरएसजीएसएम, आरएसएचडीसी, जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल, आरआरवीयूएनएल और आरआरवीपीएनएल	इन कम्पनियों ने सामग्री का मूल्यांकन, लागत अथवा निवल वसूल योग्य कीमत के बजाय स्टोर सामग्री का मूल्यांकन औसत/स्टेण्डर्ड लागत पर करके, लगातार एएस की अवहेलना की।	सरकार ने कहा (जून/जुलाई 2006) कि आरआरवीपीएनएल, जेवीवीएनएल और आरएसजीएसएमएल ने सामग्री का लागत के आधार पर मूल्यांकन किया क्योंकि निवल वसूल योग्य कीमत का निर्धारण व्यवहारिक नहीं था। आरआरवीयूएनएल ने एएस की सही अर्थों में पालना की। जेडीवीवीएनएल ने, पूर्ववर्ती आरएसईबी की प्रथाओं का पालना किया। एवीवीएनएल के प्रबन्धन ने बताया (जून 2006) कि पालना के अभाव से सम्बन्धित विचलन को लेखों के नोट में दर्शाया गया था।



1	2	3	4	5	6
3	3	नकद प्रवाह विवरण	आरएसएससीएल और जेवीवीएनएल	इन कम्पनियों ने एएस द्वारा वांछित नकद प्रवाह विवरण तैयार नहीं किया।	सरकार ने कहा (जून/नवम्बर 2006) कि जेवीवीएलएल में वित्तीय वर्ष 2005-06 से एएस की पालना के प्रयास किये जा रहे हैं। आरएसएससीएल के प्रबन्धन ने कहा (जून 2006) कि भविष्य में पालना की जावेगी।
4	5	अवधि की निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदों और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन	आरआईआईसीओ	कम्पनी ने संयुक्त वित्त इकाई के विक्रय और वसूली तथा औद्योगिक क्षेत्रों के आय या व्यय के पूर्व अवधि मदों को मान्यता नहीं दी।	सरकार ने कहा (जून/अक्टूबर 2006) कि व्यापार की प्रकृति व आकार और आधारभूत ढांचे के कार्यकलाप पर निर्णय में विलम्ब तथा संयुक्त वित्त मामला होने के कारण एएस की पालना नहीं की जा सकी।
5	6	मूल्यहास लेखांकन	आरएसएमएमएल, आरटीडीसी, जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल और आरआरवीपीएनएल	पाँच कम्पनियों ने आनुपातिक आधार पर मूल्य हास प्रभारित नहीं किया और आरएसएमएमएल ने मूल्य हास पद्धति में परिवर्तन का भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया।	सरकार ने कहा (जून/जुलाई 2006) कि आरआरवीपीएनएल ने पालना नहीं करने का उल्लेख लेखों के नोट में दिया था और जेवीवीएनएल और जेडीवीवीएनएल ने पूर्ववर्ती आरएसईबी की परम्परा का पालन किया, जबकि एवीवीएनएल के प्रबन्धन ने बताया (जून 2006) कि विचलन का उल्लेख लेखों के नोट में दिया गया था। आरएसएमएमएल ने कहा (अगस्त 2006) कि उसके, पूर्ववर्ती आरएसएमडीसी में विलय के उपरान्त पालना नहीं की गयी जिसका कारण सम्पदा के प्रारम्भिक सकल मूल्य की उपलब्धता नहीं होना था।
6	7	निर्माण संविदा	आरएसआरडीसीसी	कम्पनी ने कुछ निर्माणकार्यों के त्रुटि दायित्व अवधि में रखरखाव के देनदारी का प्रावधान नहीं किया और निविदा कार्यों में भावी हानि के लिए एएस के अनुसार पूर्णता पद्धति की प्रतिशतता के आधार पर प्रावधान नहीं किया।	सरकार ने कहा (मई / अक्टूबर 2006) कि एएस की पालना लागत जमा निर्माण कार्यों में की जा रही है।

1	2	3	4	5	6
7.	9	राजस्व मान्यता	आरएसएचसी, आरएसएससी, आरटीडीसी, आरएसएचडीसी और जेवीवीएनएल	ये कम्पनियों आय/व्यय के कुछ मदों का लेखांकन उपार्जन आधार के स्थान पर नकद आधार पर कर रही थी।	सरकार ने कहा (नवम्बर 2006) कि जेवीवीएनएल ने इसे लेखांकन नीतियों के विवरण द्वारा दर्शा दिया था।
8	10	स्थिर सम्पदा का लेखांकन	जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल और आरआरवीपीएनएल	जेवीवीएनएल ने इसके सक्रिय उपयोग से हटायी सम्पदा का मूल्यांकन पुस्तक मूल्य और निवल वसूल योग्य कीमत, जो भी कम हो के आधार पर नहीं किया। एवीवीएनएल और आरआरवीपीएनएल ने एक विनिर्दिष्ट सम्पदा से असम्बन्धित प्रशासनिक उपरिव्यय का पूंजीकरण किया।	सरकार ने कहा (जून 2006) कि आरआरवीपीएनएल के द्वारा पालना नहीं करने का उल्लेख लेखों के नोट में था और जेवीवीएनएल में वित्तीय वर्ष 2005-06 से पालना करने के प्रयास किये जा रहे हैं। एवीवीएनएल के प्रबन्धन ने कहा (जून 2006) कि लेखों के नोट में पालना नहीं करने का उल्लेख था।
9	12	सरकारी अनुदानों का लेखांकन	आरटीडीसी, आरआरईसी, जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल और आरआरवीपीएनएल	आरटीडीसी और आरआरईसी ने अनुदान से सृजित सम्पदा को अपने लेखों में नहीं दिखलाया। चार अन्य कम्पनियों द्वारा एएस की वांछा के अनुसार प्राप्त सहायता/अनुदान का न तो स्थिर सम्पदा के सृजन के समय उसकी लागत से समायोजन किया न ही सम्पदा के उपयोगी जीवन काल में उपयोग किया।	सरकार ने कहा (मई-जुलाई 2006) कि आरआरवीपीएनएल ने पालना नहीं करने का उल्लेख लेखों के नोट में कर दिया था और जेवीवीएनएल और जेडीवीवीएनएल ने पूर्ववर्ती आरएसईबी की परम्परा का पालन किया। एवीवीएनएल के प्रबन्धन ने कहा (जून 2006) कि लेखों के नोट में पालना नहीं करने का उल्लेख था। आरआरईसी के सम्बन्ध में सरकार ने कहा (अक्टूबर 2006) कि स्थिर सम्पदा के लिए प्राप्त पूंजीगत अनुदान को लेखों में दर्शाया गया था किन्तु स्वत्वधिकार के अभाव में सम्बन्धित सम्पदा को पुस्तकों में नहीं दर्शाया ।

1	2	3	4	5	6
10	15	कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों का लेखांकन	आरएसआईसी, आरएसएचसी, आरएसजीएसएम, आरएसआरडीसीसी, आरएसएससी, आरटीडीसी, आरजेवीएनएल, आरएसएचडीसी, जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल, आरआरवीयूएनएल और आरआरवीपीएनएल	दस कम्पनियों (आरएसआईसी, आरएसएचसी, आरएसआरडीसीसी, आरएसएचडीसी, जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल, आरआरवीयूएनएल और आरआरवीपीएनएल) में अवकाश नकदीकरण का व्यय नकद आधार पर लेखांकन किया और दो कम्पनियों (आरटीडीसी और आरजेवीएनएल) ने अपर्याप्त प्रावधान किया। इसी प्रकार एक कम्पनी (आरएसएचडीसी) ने ग्रेच्युटी के व्यय का लेखांकन नकद आधार पर किया। अन्य नौ कम्पनियों के प्रकरणों में अपर्याप्त देनदारी का प्रावधान किया, जिसमें से तीन कम्पनियों (आरएसआईसी, आरएसआरडीसीसी और आरजेवीएनएल) ने विगत सेवाओं के 5.34 करोड़ रुपये की देनदारी का प्रावधान नहीं किया।	सरकार ने कहा (मई-जुलाई 2006) कि आरएसआरडीसीसी में सेवानिवृत्ति लाभ के प्रकरण के परीक्षण के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया और 2004-05 में एक समूह ग्रेच्युटी पालिसी ली गयी थी और अवकाश नकदीकरण के लिए 31 मार्च 2000 के पश्चात् कोई प्रावधान नहीं किया गया। आरआरवीपीएनएल ने लेखों के नोट में पालना के अभाव को दर्शा दिया था। जेवीवीएनएल में वित्तीय वर्ष 2005-06 से पालना के प्रयास किये जा रहे। आरआरवीयूएनएल में सेवान्त लाभ की देनदारी दर्शाने हेतु एक ट्रस्ट बनाया है और परिगणना नीति निर्धारक निर्णयों के अनुसार की गयी थी। जेडीवीवीएनएल ने सेवानिवृत्ति लाभ के ऐक्च्यूरियल मूल्यांकन के लिए एक मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति की है। आरएसजीएसएमएल ने अवकाश नकदीकरण का प्रावधान नहीं किया। आरजेवीएनएल ने एलआईसी से समूह ग्रेच्युटी पालिसी ले ली है। एवीवीएनएल के प्रबन्धन ने कहा (जून 2006) कि विचलन को लेखों के नोट में दर्शाया गया था। आरएसआईसी के प्रबन्धन ने एस के प्रावधानों की पालना के अभाव को स्वीकार किया (जून 2006)। सरकार ने फिर कहा (नवम्बर 2006) कि जेवीवीएनएल में सेवानिवृत्ति लाभों का लेखांकन, विद्युत (आपूर्ति) वार्षिक लेखे नियम, 1985 के अनुसार किया जा रहा है।
11	16	उधार लेने की लागत का पूंजीकरण	जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल और जेडीवीवीएनएल	तीन कम्पनियों ने उधार लेने की लागत के पूंजीकरण सम्बन्धी एस के प्रावधानों का उल्लंघन किया।	सरकार ने कहा (जून/जुलाई 2006) कि जेवीवीएनएल और जेडीवीवीएनएल ने पूर्ववर्ती आरएसईबी की प्रथाओं का अनुकरण किया। एवीवीएनएल के प्रबन्धन ने कहा (जून 2006) कि विचलन का उल्लेख लेखों के नोट में कर दिया था।

(अनुच्छेद 4.22 में सन्दर्भित)

निरीक्षण प्रतिवेदन पर प्रतिसादिता का अभाव दर्शाने वाला विवरण

क. सं.	विभाग का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन व अनुच्छेद				प्रथम पालना प्राप्त नहीं				दो वर्ष से अधिक से पालना प्राप्त नहीं			
		पी.एस. यू. की संख्या	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	मौद्रिक मान (लाख रू. में)	पी.एस. यू. की संख्या	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	मौद्रिक मान (लाख रू. में)	पी.एस. यू. की संख्या	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	मौद्रिक मान (लाख रू. में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<b>(अ) सरकारी कम्पनियाँ</b>													
1.	कृषि व अन्य	3	15	53	1498.53	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	उद्योग	2	93	358	9180.24	2	5	23	634.10	1	1	1	96.55
3.	हथकरघा व हस्तकला	1	3	13	402.44	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	खान	1	26	100	14323.40	1	1	10	297.99	-	-	-	-
5.	निर्माण	1	24	115	4525.13	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	चीनी	1	20	67	1602.89	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	पर्यटन	2	62	177	1634.93	2	19	70	381.00	1	7	13	108.26
8.	ऊर्जा	6	436	1130	85271.06	1	2	4	-	1	1	1	-
<b>योग</b>		<b>17</b>	<b>679</b>	<b>2013</b>	<b>118438.62</b>	<b>6</b>	<b>27</b>	<b>107</b>	<b>1313.09</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>204.81</b>
<b>(ब) साविधिक निगम</b>													
1.	वित्त	1	131	482	114221.96	1	5	30	6612.51	1	1	1	7.50
2.	कृषि	1	76	190	275.83	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	परिवहन	1	67	193	1601.44	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>योग</b>		<b>3</b>	<b>274</b>	<b>865</b>	<b>116099.23</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>6612.51</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7.50</b>
<b>कुल योग (अ + ब)</b>		<b>20</b>	<b>953</b>	<b>2878</b>	<b>234537.85</b>	<b>7</b>	<b>32</b>	<b>137</b>	<b>7925.60</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>212.31</b>

## अनुबन्ध - 25

(अनुच्छेद 4.22 में सन्दर्भित)  
विभागवार ड्राफ्ट पैरा/समीक्षा जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं, की स्थिति  
दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र.सं.	विभाग का नाम	ड्राफ्ट पैरा की संख्या	अवधि/जारी करने की दिनांक
1.	ऊर्जा	2	मई 2006 से अगस्त 2006
2.	खान	4	मार्च 2006 से अप्रैल 2006
3.	परिवहन	1	जून 2006
	योग	7	-

